लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र / Fourth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation ... Parliament Library

[खंड 16 में अंक 41 से 50 तक हैं / Vol. XVI contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 46, शुक्रवार, 19 अप्रैल, 1968/30 चैत्र, 1890 (शक)

No. 46, Friday, April 19, 1968/Chaitra 30, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1317. आन्दोलनों के दौरान केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को क्षति	Damage to Central Government Prosperities during Agitations ..	799—801
1318. कर्मचारी संघों को मान्यता	Recognition of Unions ..	801—803
1319. एयर इण्डिया के विरुद्ध क्षति के लिए मुकदमा	Suit for Damages against Air India ..	803—804
1320. भारतीय सार्थों को विदेशी दूतावासों द्वारा सहायता	Assistance by Foreign Embassies to Indian Firms ..	805—809
1322. शौकिया सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर कर	Tax on Amateur Cultural Performances ..	809—810
1323. अन्दमान तथा निकोबार के सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रधान मंत्री को ज्ञापन	Memorandum to Prime Minister by Andaman and Nicobar Government Employees ..	810—815
1325. प्रधान मंत्री की कलकत्ता यात्रा	Prime Minister's Visit to Calcutta ..	815—820
नियम 40 के अन्तर्गत प्रश्न	QUESTION UNDER RULE 40	
3. मरमागोआ पत्तन संबंधी प्राक्कलन समिति (चतुर्थ लोक-सभा) के 32वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही	Action taken on 32nd Report of the Estimates Committee (Fourth Lok Sabha) on Mormugao Port ..	820—821
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1321. द्रविड़ मुनेत्र कषगम् की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में तामिलनाड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का वक्तव्य	TNCC President's Statement re: D. M. K.'s Activities ..	821

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign+marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1324. पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय कांस्टेबल का अपहरण	Kidnapping of Indian Constable by Pakistanis ..	821—822
1326. राहुल क्लब, नई दिल्ली	Rahul Club, New Delhi	822
1327. राजकीय सड़क परिवहन निगमों के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance to State Road Transport Corporations ..	822
1328. अपराध प्रक्रिया संहिता	Criminal Procedure Code	823
1329. वाणिज्यिक मध्यस्थ निर्णय के लिए विश्व न्यायालय	World Court for Commercial Arbitration ..	823
1330. मंत्री-परिषद् में मंत्रियों की संख्या	Strength of Council of Ministers ..	823—824
1331. निकोबार द्वीपसमूह में व्यापार लाइसेंस रद्द करना अथवा उनकी अवधि न बढ़ाना	Cancellation or Non-Renewal of Trading Licences in Nicobar islands ..	824
1332. गैर-सरकारी विमान 'ऑस्टर' की दुर्घटना	Air Accident to Private Aircraft "Auster" ..	824—825
1333. गन्धक साफ करना	Processing of Sulphur ..	825
1334. विद्रोही मिजों से मुठभेड़	Clash with Mizos ..	825—826
1335. महात्मा गांधी हत्या जांच	Mahatma Gandhi Murder Enquiry	826
1336. उत्तरखण्ड और कुमांयू में सुरक्षा व्यवस्था	Security Arrangements in Uttarakhand and Kumaon ..	826—827
1338. दिल्ली में होटलों में भोजन की दरें	Dinner Charges in Delhi Hotels	827
1339. बम्बई में लोगों के आने पर प्रतिबन्ध	Restriction on Influx of Population in Bombay	828
1340. कलकत्ता में छात्रों द्वारा हिंसात्मक कार्यवाही	Violence by Students in Calcutta ..	828
1341. पुराने विमानों के बदलने के सम्बन्ध में लाल आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Lall Commission to replace obsolete Planes ..	828—829
1344. दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों की हड़ताल	Strike by Delhi School Teachers	829
1345. कलकत्ता में बम बरामद करना	Recovery of Bombs in Calcutta ..	830

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1346. बेरोजगार इन्जीनियरों को गैर-सरकारी उद्योगों में रोजगार देना	Absorption of unemployed Engineers in Private Industries	..	830
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
7677. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी	SCs. and STs. in I. I. T.s	..	830—831
7678. इण्डिया बैल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड से सम्बन्धित दस्तावेजों का पकड़ा जाना	Seizure of documents relating to Indian Belting and Cotton Mills Ltd.	..	831
7679. दिल्ली में सड़क कर की वसूली	Collection of road tax in Delhi	..	832
7680. त्रिपुरा में सड़कों का विकास	Road Development in Tripura	..	832—833
7681. कच्छ सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था	Security arrangements at Kutch Border	..	833
7682. अंदमान तथा निकोबार द्वीप-समूह में चलने वाले जहाज	Ships plying in Andaman-Nicobar Islands	..	4
7683. बम्बई का सहायक बन्दरगाह	Satellite Port at Bombay		834
7684. दिल्ली प्रशासन द्वारा योजनाओं का समाप्त किया जाना	Scrapping of Schemes by Delhi Administration	..	834—835
7685. संगीत नाटक अकादमी के प्रकाशन	Publications of Sangeet Natak Akademy	..	835—836
7686. डकोटा विमान	Dakotas	..	836—837
7687. शास्त्री डिग्री	Shastri Degree		837
7688. हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का विकास	Development of Kinnaur District of Himachal Pradesh	..	837—838
7689. उत्तर प्रदेश में शिकार नियमों का उल्लंघन	Violation of Shikar Rules in U. P.	..	838
7690. केन्द्रीय सचिवालय और बहादुरगढ़ के बीच बस-सेवा	Central Secretariat-Bahadurgarh Bus-Service	..	838—839
7691. आई०ए०एस०,आई०सी०एस० तथा आई०पी०एस० में पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के व्यक्ति	Scheduled Castes/Tribes of W. Bengal in I. A. S., I. C. S. and I. P. S.	..	839

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7692. विदेशों में भेजे गये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्र	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Scholars Abroad	839
7693. जनगणना कार्यालयों में विशेषज्ञ	Specialists in Census Offices ..	839—841
7694. उत्तर प्रदेश में सड़कें	Roads in U. P. ..	841
7695. हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम के न्यासों पर सरकार के प्रतिनिधि	Government Nominee on Trusts of the Late Nizam of Hyderabad	842
7696. स्वर्गीय निजाम की सम्पत्ति	Property of Late Nizam ..	842—843
7697. विमान चालक	Pilots ..	843—846
7698. प्राइवेट फर्मों में नियुक्ति की अनुमति प्राप्त अधिकारी	Officers permitted to Join Private Firms ..	846
7699. ट्रेनिंगशिप 'डफरिन'	Training Ship 'Dufferin'	846
7700. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए छात्र-वृत्तियां	Scholarships for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	847
7702. अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के लोगों को शिक्षा संस्थाओं में दाखिला	Enrolment of Scheduled Castes/Tribes in educational institutions ..	847
7703. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों का तकनीकी संस्थाओं में दाखिला	Admissions of SCs. and STs. in Technical Institutions ..	847—848
7704. सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थानें सुरक्षित करना	Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Public Undertakings ..	848—849
7706. यात्री कर	Passenger Tax ..	849
7707. होटल बनाने के लिए ऋण	Loans for setting up Hostels	849
7708. पुर्तगालियों द्वारा अपने साथ ले जाये गये बन्दी	Prisoner taken away by Portuguese ..	850
7709. संस्कृत विद्यालय, वाराणसी	Sanskrit University, Varanasi ..	850

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7710. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	Aligarh Muslim University	.. 850—851
7711. दिल्ली पुलिस कर्मचारी	Delhi Police Personnel	.. 851
7712. विदेशों में भारतीय विद्यार्थी	Indian Students Abroad	.. 851
7713. दिल्ली नगर निगम को 1968-69 के लिए धनराशि का नियतन	Allocation of Funds to Delhi Municipal Corporation during 1968-69	852
7714. ताम्बरम के निकट राष्ट्रीय राजपथ संख्या 45 पर पुल	Bridge on National Highway No. 45 near Tambaram	.. 852
7715. लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली का निवास-स्थान	Residence of Lt. Governor, Delhi	.. 852—853
7716. अन्दमान तथा निकोबार के कर्मचारियों द्वारा प्रधान-मंत्री को ज्ञापन	Memorandum to Prime Minister by Andaman and Nicobar Employees	.. 853
7717. भारत में पुर्तगाली बस्तियों के भूतपूर्व अधिकारियों को पेंशन की अदायगी	Payment of Pension to ex-officials of Portuguese Colonies in India	.. 853—854
7718. इंडिया आफिस लाइब्रेरी	India Office Library	.. 854
7719. मिजो लोगों के साथ संघर्ष	Clash with Mizos	.. 854—855
7720. विदेशों में भारतीय अध्यापक	Indian Teachers Abroad	.. 855
7721. राजस्थान सीमा पर पाकिस्तानी अतिक्रमण	Pakistani Encroachments on Rajasthan Border	.. 855—856
7722. अभियोगाधीन कैदी	Under-trial Prisoners	.. 856
7723. प्रशासनिक सुधार	Administrative Reforms	856
7724. इम्फाल-तामेंगलांग सड़क का निर्माण	Construction of Imphal-Tamenglong Road	.. 857
7725. ऐतिहासिक स्थानों पर पर्यटकों को सुविधायें	Tourists Facilities in Historical Places	857
7727. सैंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मद्रास	Central Leather Research Institute, Madras	.. 858
7728. सेतुसमुद्रम योजना	Sethusamudram Scheme	.. 858—859
7729. भुज में पाकिस्तानी लोगों की गिरफ्तारियां	Arrest of Pakistanis in Bhuj	.. 859

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
7730. राजधानी में टैंटों में लगने वाले स्कूल	Schools Housed in Tents in the Capital	..	859
7732. पाकिस्तानी जासूस	Pakistani Spies	..	859—860
7733. पुरातत्वीय स्मारक	Archaeological Monuments	..	860
7734. राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39	National Highway No. 39	..	860—861
7735. शक्तिनगर, दिल्ली में इमारती लकड़ी का रखा जाना	Storage of Timber in Shakti Nagar Delhi	..	861—862
7736. रतलाम जिले में गुप्त ट्रांसमीटर	Secret Transmitter in District Ratlam	..	862
7737. मणिपुर में बर्मा के कुकी जाति के लोगों का अतिक्रमण	Burmese Kuki's Encroachment into Manipur	..	862
7738. मंत्रियों द्वारा विदेशों के दौरे	Foreign Tours by Ministers	..	862—863
7739. "जूनियर स्टेट्समैन", कलकत्ता	"Junior Statesman", Calcutta		863
7740. दुग्धचूर्ण का उपहार	Gift of Milk Powder	..	863—864
7741. पाकिस्तान से मिजो विद्रोहियों का प्रवेश	Crossing of Mizo Hostiles from Pakistan	..	864
7742. वर्ष 1967-68 में मनीपुर के लिये योजना परिव्यय	Plan outlay for Manipur in 1967-68	..	864
7743. बिहार में छोटी गंडक, गोथमी घाट पर पुल	Bridge over Choti Gandak at Gothmi Ghat (Bihar)	..	865
7744. नागाओं के साथ मुठभेड़	Clash with Nagas	..	865
7745. "केयर" से उपहार के रूप में प्राप्त हुए दूध के चूर्ण का वितरण	Distribution of CARE Milk Powder	..	866
7746. दिल्ली प्रशासन में भाषा के अध्यापक	Language Teachers in Delhi Administration	..	866
7747. दिल्ली पुलिस कर्मचारियों को गर्म वर्दी	Winter Uniforms for Delhi Policemen	..	866—867
7748. दिल्ली पुलिस	Delhi Police		867
7749. चीनी प्रचार साहित्य	Chinese Propaganda literature	..	867—868

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7750. प्राथमिक शिक्षा के लिये पाठ्य पुस्तकें	Text Books for Primary Education	868
7751. प्राथमिक शिक्षा	Primary Education ..	868
7752. प्राथमिक शिक्षा	Primary Education	869
7753. भारतीय प्रशासन सेवा	I. A. S. ..	869
7754. केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिव	Under Secretaries in the Central Secretariat ..	869—870
7755. अधिक मूल्य लिये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत	Complaints from UNCTAD Delegates for over charging ..	871
7756. इलाहाबाद में हुए दंगे	Allahabad Riots ..	871—872
7757. कर्मचारियों का राजनीतिक दलों से सम्बन्ध	Affiliation of Employees with Political Parties ..	872
7758. विदेशी पर्यटकों से आय	Income from foreign tourists	872
7759. लार्ड हार्डिंग बम काण्ड के नायक अमीरचन्द और भाई बाल मुकन्द के लिए स्मारक	Memorial to Amir Chand and Bhai Bal Mukund of Lord Hardinge Bomb case ..	873
7760. दिल्ली में सड़कें तथा पुल	Roads and Bridges in Delhi ..	873
7761. केरल के एक मार्क्सवादी को चीनी दूतावास द्वारा दिया गया धन	Money given by Chinese Embassy to Kerala Marxist ..	873—874
7762. चिकमागलूर के बमों का पकड़ा जाना	Recovery of Bombs in Chickmagalur ..	874
7763. इलाहाबाद में हुए दंगे	Allahabad Riots	874
7764. दिल्ली पुलिस का सतर्कता विभाग	Vigilance Deptt. in Delhi Police ..	875
7765. फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय को अनुदान	Grants to Delhi University by Ford Foundation ..	875
7766. मूर्तियों की चोरी	Theft of Idols ..	875—876
7767. परीक्षा प्रणाली	Examination System ..	876
7768. स्वर्ण संकट का पर्यटन पर प्रभाव	Effect of Gold Crisis on Tourism ..	876

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
7769. परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय का सड़क कक्ष	Roads Wing of the Ministry of Transport and Shipping ..	876—877
7770. विमान चालक	Pilots ..	877—878
7771. तिब्बती स्कूल संस्था	Tibetan Schools Society ..	878
7772. सेंट्रल स्कूल संस्था	Central Schools Organisation ..	878—879
7773. विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय एकता परिषदें	National Integration Councils in Universities	879
7774. 1968 की त्रिवार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय सामयिक कला प्रदर्शनी के लिये चित्रों का चयन	Selection of Paintings for Triennial of Contemporary World Art 1968 ..	879—881
7775. तमिल सेना द्वारा प्रदर्शित इश्तिहार	Posters Displayed by Tamil Sena	881
7776. हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल	Haryana Government Employees' Strike ..	881—882
7777. पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय के नियन्त्रण में औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings under the Control of Ministry of Tourism and Civil Aviation ..	882
7778. शान्तिपुर में गिरफ्तार, सिद्धदोष तथा विमुक्त किये गये व्यक्ति	Persons Arrested, Convicted and Acquitted in Shantipur ..	883
7779. लद्दाख को विमान सेवा	Air Service to Ladakh ..	883
7780. लद्दाख में पर्यटकों की रुचि के स्थान	Places of tourist interest in Ladakh ..	883
7781. कलिंगा एयरलाइन्स	Kalinga Airlines ..	884
7782. भारत में शहरों तथा नगरों में सार्वजनिक पुस्तकालय तथा वाचनालय	Public Libraries and Reading Rooms in Cities and Towns in India ..	884—885
7783. भारतीय प्रशासनिक सेवा	I. A. S. ..	885
7784. स्कूलों तथा कालेजों में वेदों की शिक्षा	Teaching of Vedas in Schools/Colleges ..	885—886
7785. अन्दमान विशेष वेतन	Andaman Special Pay ..	886
7786. दिल्ली में सब-इन्सपेक्टरों की भर्ती	Recruitment of Sub-Inspectors in Delhi ..	886

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7787.	दिल्ली पुलिस में भर्ती	Recruitment in Delhi Police ..	886—887
7788.	जनपथ पर मूर्तियां तथा प्राचीन वस्तुएं बेचने वाली दुकानें	Shops at Janpath selling Idols and antiquities ..	887
7789.	माओ समर्थकों द्वारा एक युवक पर हमला	Attack on a youngman by pro-Maoists ..	887—888
7790.	सीमापुरी बस्ती (दिल्ली) में विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक	Foreign Christian Missionaries in Seemapuri Colony (Delhi) ..	888
7791.	मन्दसौर में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots in Mandsaur ..	888
7792.	नक्सलबाड़ी जैसा उपद्रव भड़काने वाले पर्चों का बांटा जाना	Distribution of Hand Bills inciting Naxalbari Type Violence ..	889
7793.	मंत्रियों के निजी कर्मचारी	Personal Staff of Ministers ..	889
7794.	वाराणसी में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारियां	Arrests of Pakistanis in Varanasi ..	889
7795.	दिल्ली प्रशासन के अध्यापक	Teachers of the Delhi Administration ..	890
7796.	गंगा नदी पर सड़क का पुल	Road Bridge over the River Ganga ..	890
7798.	दिल्ली में बैटरी सैल व्यापारियों पर छापे	Raids on Battery Cell Dealers in Delhi ..	890—891
7799.	वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग में रिक्त पद	Vacancies in Scientific and Technical Terminology Commission ..	891
7800.	अनुवादकों की पदालि	Cadre of Translators ..	891
7802.	मथुरा में चरागाह पर जहांने प्यार स्कूल	Jahanepyar School on Pasture Land in Mathura ..	892
7803.	दिल्ली परिवहन के किराये	D. T. U. Fare ..	892
7804.	पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की तैनाती	Posting of Teachers in Punjab, Haryana and Himachal Pradesh ..	893
7805.	माउन्ट ब्लैंक में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच रिपोर्ट	Enquiry Report re: Air India crash at Mount Blanc ..	893—894

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
7806.	तकनीकी अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	Technical Teachers Training Programme ..	894
7807.	शिक्षा के विकास के लिए अतिरिक्त धन	Supplement Funds for Educational Development ..	894—895
7808.	नेफा में शिक्षा पद्धति	Education System in NEFA ..	895
7809.	दिल्ली में सीमा कर	Terminal Tax in Delhi ..	895—896
7810.	दिल्ली पुलिस को पुलिस पदक	Police Medals to the Delhi Police ..	896
7811.	भारत और जापान के बीच विमान सेवा सम्बन्धी करार	Indo-Japan Air Agreement ..	896—897
7812.	राजस्थान में विदेशी धर्म प्रचारकों की गतिविधियां	Activities of Foreign Missionaries Rajasthan ..	897
7813.	विद्रोही मिजो लोगों को चीनी और पाकिस्तानी सहायता	Chinese and Pak. Help to Mizos ..	897—898
7814.	वाणिज्यिक नौसेना अधिकारी	Merchant Navy Officers ..	898
7815.	विश्वविद्यालयों में दाखिला	Admission to Universities ..	898
7816.	इन्दौर विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता	Financial Help to Indore University ..	898—899
7817.	विदेशों को जाने वाले छात्र	Students Going Abroad for Higher Studies from M. P. ..	899
7818.	मध्य प्रदेश में पर्यटन	Tourism in M. P. ..	899—900
7819.	मैसर्स अमीचन्द प्यारे लाल	Messrs. Amin Chand Pyare Lal ..	900—901
7820.	बिना पूर्वाज्ञा के भारतीय नागरिकों का निकोबार द्वीप में दाखिला	Entry without Pass of an Indian Citizen in Nicobar Islands ..	901
7821.	थौमस गेस्ट	Thomas Guest ..	901—902
7822.	थौमस गेस्ट	Thomas Guest ..	902
7823.	खोसला आयोग	Khosla Commission ..	902—903
7824.	महेश योगी के आश्रम में दक्षिणी अफ्रीका की श्वेत महिलायें	South African White Ladies in Mahesh Yogi's Ashram ..	903
7825.	ऋषिकेश में महेश योगी के आश्रम में विदेशी	Foreigners at Mahesh Yogi's Ashram at Rishikesh ..	903—904

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7826. शिक्षा संस्थाओं में पुलिस का दाखिल होना	Entry of Police into Educational Institutions ..	904
7827. स्वविवेकी अनुदानों से भुगतान	Payments from Descretionary Grants ..	904—905
7828. नानकाबरी द्वीप में सरकारी भंडार	Government Stores in Island of Nancowrie ..	905
7829. 'एशियन ब्रदरहुड' नामक संस्था के मुख्यालय का वियतनाम से स्थानान्तरण	Shifting of Headquarters of Asian Brotherhood from Vietnam ..	905—906
7830. गाजीपुर में गंगा नदी पर पुल	Bridge over river Ganga at Ghazipur ..	906
7831. दिल्ली जनरल मर्चेंट्स एसोसिएशन का ज्ञापन	Memorandum of Delhi General Merchants Association ..	906—907
7832. मैसर्स मित्सुबिशी हैवी इण्डस्ट्रीज	M/s. Mitsubishi Heavy Industries ..	907—908
7833. निकोबार के सरकारी पूर्ति भंडार	Government Supply Stores in Nicobar ..	908
7834. हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक	Private School Teachers in Haryana ..	908—909
7835. संगीत नाटक अकादमी के अधीन संस्थाएं	Institutions under Sangeet Natak Akademi ..	909
7836. सराय रोहिल्ला, दिल्ली में आर्य समाज मन्दिर को अपवित्र किये जाने का समाचार	Alleged Desecration of Arya Samaj Temple in Sarai Rohilla, Delhi ..	909—910
7837. कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Offices ..	910
7838. हिन्दी टाइपराइटर	Hindi Type-writers ..	910
7840. ऋषिकेश में महर्षि महेश योगी के आश्रम के निकट हवाई पट्टी	Airstrip near Maharishi Mahesh Yogi Ashram in Rishikesh ..	911
7841. भारतीय वन सेवा	Indian Forest Service ..	911—912
7843. हिन्दी जानने वाले कर्मचारी	Hindi knowing Employees ..	912
7844. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में रिक्त पद	Vacancies in Central Hindi Directorate ..	912—913

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			

7845. खजुराहो का विस्तार	Expansion of Khajuraho	..	913
7846. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अनुदान	Grants sanctioned by University Grants Commission	..	914
7847. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 के अधिकारियों की एसोसिएशन	C. S. S. Grade I Association		914
7848. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर	Promotion Prospects of C. S. S. Officers	..	915
7849. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी	C. S. S. Officers	..	915
7850. मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के लिये रियायती दर पर विमान यात्रा	Concessional Air Travel for Accredited Press Correspondents	..	916
7851. इलाहाबाद में अमीर मुस्लिम लीग	Amir Muslim League in Allahabad	..	916
7852. अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना सम्बन्धी शिक्षा	Education in International Understanding	..	916—917
7854. शिक्षा संस्थाओं में पुलिस के प्रवेश सम्बन्धी समिति	Committee on Police Instrusions in Educational Institutions	..	917—918
7855. विमान सेवा के सम्बन्ध में भारत-पाकिस्तान वार्ता	Indo-Pak Air Talks	..	918
7856. भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के उग्रवादी वर्ग द्वारा संसदीय प्रणाली का अस्वीकार किया जाना	Rejection of Parliamentary System by Extreme Section of C. P. I. (M.)		918
7857. पश्चिमी बंगाल में उष्ण-स्रोत (गरम पानी के चश्मे)	Hot Springs in West Bengal	..	919
7858. सहायक छात्र सेना दल का पुनश्चर्या कार्यक्रम	Reorientation of Auxiliary Cadet Corps	..	919—920
7859. नेशनल फिटनेस कोर आर्गेनाइजेशन	National Fitness Corps Organisation	..	920
7860. जयपुर-बीकानेर विमान सेवा	Jaipur-Bikaner Air Services	..	920
7861. दिल्ली-बम्बई राजपथ	Delhi-Bombay Highway	..	920—921

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
7862. दिल्ली उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के परीक्षा-पत्रों का मालूम हो जाना	Leaking of Question Papers of Delhi Higher Secondary Examination	921
7863. कथित धोखेबाज फ्लेमिंग अलेक्सेनक्रोन	Alleged Cheat, Flemming Alexencrone ..	921—922
7864. खम्भात पत्तन	Cambay Port ..	922
7865. उड़ान दरें	Flying Rates ..	922
7867. दिल्ली में यातायात नियन्त्रण	Traffic Control in Delhi	923
7868. उत्तर प्रदेश में जौनपुर में पाई गई सोने की मुहरें	Find of Gold Sovereigns in Jaunpur, U. P. ..	923—924
7869. पुलों पर चुंगी वसूल करने के लिए नया स्वचालित यन्त्र	New Mechanically Operated Toll Device on Bridges ..	924
7871. परिवहन मंत्री की मैसूर यात्रा	Transport Minister's visit to Mysore ..	924—925
7872. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की चयन सूची	Selection List of C. S. S. Grade I Officers ..	925—926
7873. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales of Officers of C. S. S. ..	926
7874. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी	C. S. S. Officers ..	926—927
7875. पालम हवाई अड्डे के निकट स्थित ग्राम का स्थानान्तरण	Shifting of village near Palam Airport ..	927
7877. साम्प्रदायिक उपद्रवों पर पाकिस्तान का विरोध पत्र	Pak Protest on Communal Riots ..	927—928
7879. "दिल्ली की विपदा" और "गुमराह कौन" नामक पुस्तकें	Books entitled "Delhi Ki Bipda" and "Gumrah Kaun" ..	928
7880. टाटा नगर में बम विस्फोट	Explosion of bomb in Tata Nagar ..	928—929
7881. बनिहाल के निकट पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी	Arrest of Pakistanis near Banihal ..	929
7882. नेशनल फिटनेस कोर के कर्मचारी	National Fitness Corps employees ..	929

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

7883. मद्रास राज्य में राष्ट्रीय राजपत्र	National Highways in Madras State ..	929—930
7884. राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 पर पुल	Bridges on National Highway No. 47 ..	930
7885. सड़क कक्ष में इंजीनियर	Engineers in Road Wing ..	930—931
7886. राजभाषा अधिनियम	Official Languages Act ..	931
7887. दिल्ली प्रशासन का उद्योग निदेशालय	Directorate of Industries of Delhi Administration ..	931—932
7888. "हिल्टन्स" के सहयोग से एक होटल की स्थापना	Establishment of a Hotel in collaboration with Hiltons ..	932
7889. जातियों की जनगणना के सम्बन्ध में पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशें	Backward Class Commission Recommendation on Enumeration of Castes ..	932—933
7890. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में कम वृद्धि होना	Decrease of S. C. Population Growth ..	933—934
7891. भारतीय प्रशासनिक सेवा में विशेष भर्ती	Special Recruitment to I. A. S. ..	934
7892. तिहाड़ जेल में एक कैदी की हत्या	Murder of a Prisoner in Tihar Jail ..	934
7893. उत्तर प्रदेश में नक्सलबाड़ी जैसे उपद्रव की तैयारी	Preparation for Naxalbari-type Disturbances in Uttar Pradesh ..	934
7894. दिल्ली में मनोरंजन-कर	Entertainment Tax in Delhi ..	935
7895. अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक अध्यापक संघ के प्रतिनिधि मण्डल की शिक्षा मंत्री से भेंट	Meeting of the All-India Higher Secondary Teachers' Federation with Education Minister ..	935—936
7896. बिहार के अध्यापकों की हड़ताल	Bihar Teachers' Strike ..	936
7898. प्राइवेट छात्रों को विधि परीक्षाएं देने की अनुमति देने वाले विश्वविद्यालय	Universities permitting Private Students in Law Examinations ..	936
7899. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में सम्पादकीय सहायक	Editorial Assistants in N. C. E. R. T. ..	937

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7900.	साम्प्रदायिक दंगों को दबाने में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की सहायता	C. B. I. Assistance in Tackling Communal Riots ..	937—938
7901.	आन्ध्र प्रदेश में सिद्धांतम पुल के लिए उप-सड़कें	Approach roads for Sidhantam Bridge, Andhra Pradesh ..	938
7902.	कलकत्ता में दीवारों पर इश्तिहार लगाना	Wall posters in Calcutta ..	938
7903.	भारतीय कुश्ती संघ के मंत्री के विरुद्ध आरोप	Allegations against Secretary, Wrestling Federation of India ..	939
7904.	गांधीनगर, दिल्ली में अपहरण की घटना	Kidnapping incident in Gandhi Nagar, Delhi ..	939
7905.	दिल्ली में चलचित्र गृहों द्वारा मनोरंजन कर का अपवंचन	Evasion of entertainment Tax by Cinema Houses in Delhi ..	939—940
7906.	विश्वविद्यालयों को अनुदान	Grants to Universities ..	940
7907.	विदेशियों द्वारा होटलों को भुगतान	Payments to Hotels by Foreigners ..	941
7908.	शिक्षा तथा व्यापार सम्बन्धी गोष्ठी	Seminar on Education and Trade ..	941
7909.	दिल्ली में जनसंख्या का सर्वेक्षण	Population survey in Delhi ..	941—942
7910.	कलकत्ता ट्राम कम्पनी	Calcutta Tramway Co. ..	942
7911.	रांची (हतिया) में दंगे	Ranchi (Hatia) Riots ..	942
7912.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सम्बन्धी नियम	Rules regarding Central Government Employees ..	943
7913.	बिसारिया, उत्तर प्रदेश में एक पुलिस कान्सटेबल द्वारा एक हरिजन की हत्या	Murder of a Harijan by a Police Constable in Bisariya, U. P. ..	943
7914.	दिल्ली में डकैती तथा हत्या के मामले	Dacoity and murder cases in Delhi ..	943—944
7915.	दिल्ली प्रशासन के जांच अधिकारी	Inquiry Officers of Delhi Administration ..	944

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7916. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आदिवासी अादिम जातियां	Aboriginal Tribes in Andaman and Nicobar Islands ..	944—945
7917. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की राष्ट्रीय प्रयोगशाला के एक प्रशिक्षण केन्द्र में विदेशी प्रधानाचार्य	Foreign Principal of a Training Centre of National Laboratory of C. S. I. R. ..	945—946
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	946—948
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
कार्यवाही-सारांश	Minutes ..	949
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
26वां प्रतिवेदन	Twenty-sixth Report	949
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
12वां प्रतिवेदन	Twelfth Report ..	949
सभा का कार्य	Business of the House ..	949—950
पश्चिम रेलवे में अनास के पास हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement re. Railway Accident at Anas on Western Railway ..	950—951
श्री चे० मु० पुनाचा	Shri C. M. Poonacha ..	950—951
अनुदानों की मांगें–1968-69	Demands for Grants, 1968-69 ..	951—969
पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय	Ministry of Petroleom and Chemicals ..	951—969
श्री सु० कु० तापड़िया	Shri S. K. Tapuriah ..	952—956
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua ..	956—958
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh ..	961—962
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta ..	962—963
श्री शशि भूषण बाजपेयी	Shri Shashibhushan Bajpai ..	963
श्री विश्वनाथन्	Shri Vishvanathan ..	963—964
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav ..	965
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma ..	965—966
श्री वेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua ..	966—967
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati ..	967
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma ..	968—969

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
28वां प्रतिवेदन	Twenty-eighth Report ..	969
योजना आयोग के पुनर्गठन के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	Resolution re. Reorganisation of Planning Commission—Negatived ..	969—983
श्री जेवियर	Shri S. Xavier ..	969—971
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary ..	971—972
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goel ..	972
श्री श्रद्धाकर सूपकार	Shri Sradhakar Supakar ..	973
श्री कंडप्पन	Shri S. Kandappan ..	974—975
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi ..	975—976
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu ..	976
श्री गणेश	Shri K. R. Ganesh ..	976—977
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair ..	977—978
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya	978
श्री शिव चन्द्रिका प्रसाद	Shri Shiv Chandrika Prasad ..	978—979
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiv Chandra Jha ..	979
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma ..	979—980
श्री दिनकर देसाई	Shri Dinkar Desai ..	980
श्री पिल्लू मोडी	Shri Pillo Mody ..	980—981
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi ..	981—982
जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को राजनयिक मान्यता प्रदान करने के बारे में संकल्प	Resolution re. Diplomatic Recognition of German Democratic Republic ..	983
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	983

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 19 **अप्रैल**, 1968/30 **चैत्र**, 1890 (**शक**)
Friday, April 19, 1968/Chaitra 30, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आन्दोलनों के दौरान केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को क्षति

*1317. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1968 तक की अवधि में समूचे देश में आन्दोलनों के दौरान केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को क्षति से बचाने के लिये कोई कार्यवाही की गई थी और उसके लिये जिम्मेदारी नियत की गई थी; और

(ख) यदि हां, उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) तथा (ख). संविधान के अधीन सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस तथा न्याय-प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को सौंपे गये हैं। किसी आन्दोलन के दौरान सम्पत्ति की क्षति से बचाव करने के लिये वे, आवश्यक प्रशासनिक तथा कानूनी कदम उठाते हैं। फिर भी गत वर्ष कुछ राज्यों में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को क्षति से बचाने की अपर्याप्त व्यवस्था के उदाहरण देखने में आए थे। इस सम्बन्ध में उनके संवैधानिक दायित्व की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को, यदि उन्हें साधनों की कमी के कारण अपने दायित्व निभाने में कठिनाई होती हो, तो अतिरिक्त सेना के रूप में सभी सहायताएं देने का आश्वासन दिया है।

Shri Prem Chand Verma : Some of the State Governments, particularly Madras and Assam had not taken any concrete steps to prevent linguistic, regional and communal riots. It is proved by it that they had sympathy with the agitators to a certain extent and due to this the property of central Government damaged. At the same time property worth crores of rupees belonging to the General public also has been destroyed as a result of arson and other acts of violence. In view of this I want to ask whether Government of India have taken any steps to ask the State Government concerned to compensate these losses ? If so, the details thereof ? If not, the reasons thereof ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बतलाया है, हमें पता चला था कि कुछ राज्यों में केन्द्रीय सरकार की संस्थाओं के बचाव की उचित व्यवस्था नहीं की गयी थी। राज्य सरकारों को यह बात बताई गई थी कि इस सम्बन्ध में आवश्यक-कार्यवाही करना उनका कर्तव्य है और उन्हें अपेक्षित सहायता देनी चाहिये। कुछ राज्यों ने इस सम्बन्ध में प्रभावशाली कार्यवाही की है।

आसाम में 26 जनवरी को कुछ गड़बड़ हुई थी परन्तु मैं यह स्वीकार नहीं करता कि राज्य सरकार को उन लोगों के साथ कुछ सहानुभूति थी। उन्होंने इस मामले की जांच करने के लिये स्वयं ही न्यायिक आयोग की नियुक्ति की है।

मद्रास में भी राष्ट्रीय झण्डे आदि के बारे में जो कुछ हुआ था, उस मामले में राज्य सरकार ने अधिनियम के अधीन उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की थी जिन्होंने गलत काम किए थे।

Shri Prem Chand Verma : May I know the total amount of property damaged during this period ?

May I also know whether it is also a fact that a legislation is proposed to be introduced in which there will be a provision, according to which State Governments would be held responsible for any loss to the property of Central Government during such agitation and riots etc. Besides, State Government would be empowered to realise money from the inhabitants of the area in which such incidences took place ? If so, the details thereof ? If not, whether Government would consider this proposal ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : ऐसे मामलों में कोई कानूनी व्यवस्था नहीं की जा सकती। जहां कहीं सम्पत्ति नष्ट हो जाती है, उसकी क्षतिपूर्ति उसी रूप में नहीं की जाती। परन्तु उसकी रक्षा करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। इस सम्बन्ध में हमने बताया है कि यदि संसाधनों की कमी हो तो हम निश्चय ही उनकी सहायता करने के लिये तैयार हैं। यह कार्यवाही की जा रही है।

Shri Achal Singh : I want to know the amount of damage to the Government property as a result of linguistic disturbances in the States ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को हुई क्षति का मुझे कोई अनुमान नहीं है।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय ने यह जानने की कोशिश की है कि लोग केन्द्रीय सरकार के प्रति अपने क्रोध को केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को नष्ट करके क्यों निकाल रहे हैं ?

श्री वासुदेवन नायर : क्योंकि केन्द्रीय मंत्री समय पर मिलते नहीं हैं ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस विषय की छानबीन तथा अध्ययन किया जाना चाहिये । दुर्भाग्य से, स्थिति यह है कि ये लोग केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर बदला चुकाते हैं और रेलवे इनका उल्लेखनीय निशाना है ।

कर्मचारी संघों को मान्यता

*1318. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के संघों को मान्यता देने के नये नियम बनाये जा चुके हैं;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) इन नियमों को अन्तिम रूप कब तक दिये जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या अन्तिम निर्णय करने से पूर्व सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) . रेलवे, प्रतिरक्षा तथा डाक और तार जैसे कुछ मंत्रालयों/विभागों में सरकारी कर्मचारियों के संगठनों/संघों को मान्यता देने के लिये नियम पहले से ही विद्यमान हैं । केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था तथा अनिवार्य मध्यस्थता की योजना में सरकारी कर्मचारियों के उन संगठनों/संघों की योजना के अधीन स्थापित परिषदों में भाग लेने के लिये मान्यता दी गई है जिन्होंने संयुक्त उद्देश्य की घोषणा में सहमति प्रकट की है तथा उनके द्वारा आवृत श्रेणियों का मोटेतौर पर तथा पर्याप्त रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे समझे जाते हैं । योजना के कार्य से प्राप्त अनुभव के आधार पर संगठनों तथा संघों की मान्यता के लिये औपचारिक नियम बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(घ) संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था योजना में भाग लेने के उद्देश्य के लिये सरकारी कमचारियों के संगठनों/संघों की मान्यता के सम्बन्ध में कोई औपचारिक नियमों को अन्तिम रूप देने से पहले संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था के लिये योजना में कर्मचारी-पक्ष के प्रतिनिधियों की सलाह ली जायेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संघों को मान्यता देने के लिये नियम बना लिये गये हैं । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि

इस सम्बन्ध में कानून बनाने के लिये क्या सरकार अखिल भारतीय संघों के साथ, जो संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था में सम्मिलित नहीं है, विचार-विमर्श करेगी ताकि नियमों में एकरूपता स्थापित हो सके ?

श्री के० एस० रामास्वामी : इस योजना के कार्य से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखकर सरकार नियम बनाने पर विचार कर रही है। जब इस योजना को अन्तिम रूप दिया जायेगा, उस समय निश्चय ही संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था में भाग लेने वाले संघों के साथ परामर्श किया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो संघ संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था में सम्मिलित नहीं हैं क्या उनसे भी इस सम्बन्ध में परामर्श किया जायेगा ?

श्री के० एस० रामास्वामी : संयुक्त परामर्शदात्री में सम्मिलित संघ अधिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके साथ परामर्श करना जरूरी है।

श्री स० मो० बनर्जी : अखिल भारतीय स्वरूप वाले कुछ ऐसे संघ हैं जो संयुक्त परामर्श-दात्री व्यवस्था में सम्मिलत नहीं हैं। यदि मान्यता के सम्बन्ध में नियम बनाये जाते हैं तो ऐसे संगठनों के साथ परामर्श किया जायेगा या नहीं मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री के० एस० रामास्वामी : संघों की मान्यता के बारे में नियम बनाने के लिये सरकार विचार कर रही है। संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था में सम्मिलित संघ अधिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके साथ परामर्श करना बहुत जरूरी है।

श्री स० मो० बनर्जी : वह मेरे प्रश्न का उत्तर दिये बिना उसी बात को दोहरा रहे हैं।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इस समय संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था में प्रतिनिधित्व करने वाले संघों के दृष्टिकोण पर हम विचार कर रहे हैं। जो संघ उपरोक्त व्यवस्था में सम्मिलित नहीं हैं उनके दृष्टिकोण पर भी विचार किया जायेगा परन्तु उनके साथ परामर्श किया जाय या नहीं, यह मामला विचाराधीन है।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री यशवन्तराव चह्वाण जब प्रतिरक्षा मंत्री थे तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि प्रतिरक्षा कर्मचारियों के संघ का प्रतिनिधित्व बाहर का कोई व्यक्ति कर सकता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि गृह-कार्य मंत्री बनने के बाद भी उनका यही विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : माननीय सदस्य ने एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान इस सम्बन्ध में चर्चा की थी। परन्तु संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था बाद में बनी थी। जो कुछ मैंने उस बातचीत के दौरान कहा था, और जो बातचीत संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था बनाने के समय हुई थी वह नियमों पर निर्भर करती है।

Shri Deven Sen : May I know the criteria on which those associations are likely to be recognised ? May I also know whether the recognittion will be accorded on the basis of ballot vote or on the basis of simple departmental verification ?

श्री के० एस० रामास्वामी : जब नियम बन जायेंगे तो उनके अनुसार मान्यता दी जायेगी ।

Shri Rabi Ray : May I know the number of those central Government servants still being victimised who took part in the strike in 1960 ? I would also like to know whether Government is contemplating to give political rights to its employees, especially in the context of the Report submitted by Education Commission in which they have recommended these rights for the teachers ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : पहले प्रश्न का इस प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । जहां तक राजनीतिक अधिकारों के प्रश्न का सम्बन्ध है, हमारा सदा से यही विचार रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक अधिकार नहीं दिये जा सकते ।

एयर इण्डिया के विरुद्ध क्षति के लिये मुकदमा

*1319. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के आर्थर रोबिंसन नामक व्यक्ति ने शिकागो की सर्किट कोर्ट में एयर इंडिया के विरुद्ध न्यूनतम अनिवार्य ऊंचाई से कम ऊंचाई पर विमान की उड़ान करके केवलमात्र लापरवाही से उनके पिता को, जो 24 जनवरी, 1966 को बोइंग 707 जेट में यात्रा कर रहे थे, मारने के लिए 45,000 डालर की क्षति के लिये, मुकदमा दायर किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मुकदमे में बचाव के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इस पर एयर इंडिया का कितना व्यय होने का अनुमान है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह): (क) और (ख) . मैं अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-933/68]**

श्री बाबूराव पटेल : सभा-पटल पर रखे गये विवरण से पता चलता है कि यह दुर्घटना कप्तान-पायलट की लापरवाही के कारण हुई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि क्षतिपूर्ति की मंजूरी दी जाती है तो क्या इसके लिये बीमा पालिसी में कोई व्यवस्था है क्योंकि ये अतिरिक्त क्षतिपूर्ति होगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की यह बात गलत है कि यह दुर्घटना विमान-चालक की लापरवाही के

कारण हुई थी । इस सम्बन्ध में काफी सावधानी से छानबीन की गई है और इस सम्बन्ध में कुछ और बातें सामने आयी हैं जांच न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है । जहां तक क्षति का सम्बन्ध है उस सबकी व्यवस्था बीमा पालिसी में है ।

श्री बाबूराव पटेल : मैं अतिरिक्त क्षति के बारे में जानना चाहता हूं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दुर्घटना में कुल कितनी हानि हुई है ?

डा० कर्ण सिंह : यह दुर्घटना मोंट ब्लांक में हुई थी जिसमें 106 यात्री तथा 11 कर्मचारी मारे गये थे । जहां तक क्षतिपूर्ति की अदायगी का सम्बन्ध है, विमान का मूल्य 2.93 करोड़ रुपये है जो बीमा कम्पनी से वसूल की जा चुकी है और बीमा सम्बन्धी दावों की भी बीमा कम्पनी ने अदायगी कर दी है । 15 अप्रैल तक बीमा कम्पनी ने 32 लाख रुपये की अदायगी कर दी है और कारपोरेशन ने अपने उन कर्मचारियों को 7,29,000 रुपये दिये हैं जिनको बीमा कम्पनी से कुछ मिलने वाला नहीं था ।

डा० कर्ण सिंह : कर्मचारियों को कार्पोरेशन ही क्षतिपूर्ति करती है, बीमा कम्पनी नहीं, इसलिए अन्य लोगों को बीमा कम्पनी ने क्षतिपूर्ति कर दी है और कर्मचारियों को कार्पोरेशन ने कर दी है ।

श्री नन्दकुमार सोमानी : जांच आयोग ने बताया है कि राडार नियंत्रण ने विमान को गलत स्थिति के बारे में सूचना दी थी परन्तु अस्पष्ट भाषा के कारण वह अपनी स्थिति को ठीक नहीं कर सका । भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिये क्या इस सम्बन्ध में असैनिक उड्डयन की विश्व संस्था के साथ विचार-विमर्श किया गया है ?

डा० कर्ण सिंह : वास्तव में जेनेवा राडार नियंत्रण और विमान-चालक में जब सम्पर्क स्थापित हुआ तो वे एक दूसरे की बात को समझ नहीं सके । जेनेवा राडार नियंत्रण ने जो कुछ फ्रन्सीसी स्वर में कहा जिसका अर्थ उसके अनुसार यह था कि मोंट बलांक अभी 5 मील दूर है । परन्तु अनुमान यह है कि विमान चालक ने उसका अर्थ यह समझा कि मोंट ब्लांक से विमान आगे निकल चुका है और इसलिए उसने विमान को उतारना आरम्भ कर दिया । इस विषय पर विचार किया गया था और हम आई० सी० ए० ओ० आदि में प्रयत्न कर रहे हैं जिससे इस प्रकार की गलती फिर न हो ।

Shri Tulshidas Jadhav : I want to know whether the passengers travelling by Air India, who do not get themselves insured by paying Rs. 10-20, are covered by insurance or Government have some other arrangement to pay them compensation in case they are involved in an accident ?

Dr. Karan Singh : The passengers travelling by Air India are covered by insurance.

Assistance by Foreign Embassies to Indian Firms

*1320. **Shri Bharat Singh Chauhan :** **Shri T. P. Shah :** **Shri Sharda Nand :** **Shri Brij Bhushan Lal :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received any information to the effect that firms, which are engaged in trade with the Communist countries on rupee payment basis, release their advertisements to some other firms on being asked by the Embassies of those countries ;

(b) whether it is also a fact that the Embassies of those countries are providing assistance through these firms in various forms to some other firms and companies ; and

(c) if so, the steps being taken by Government to check it ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) . सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Bharat Singh Chauhan : If such communist papers and advertisements are released to them and they are provided assistance in such a way then may I know whether the Government have got any information in this respect ?

Shri Y. B. Chavan : We have got no information.

Shri Bharat Singh Chauhan : I would like to know whether such an intervention is not against the neutral policy of India and whether it is not harmful ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : अब वे अपना मत प्रकट कर रहे हैं और मेरा विचार जानना चाहते हैं । मैं अपना मत कैसे प्रकट करूं ?

Shri Bharat Singh Chauhan : Like the Ambassador of Russia other Ambassadors are also doing such things and providing assistance in the same way, I would like to know whether Government have all this information ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने बताया कि मेरे पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। अब वे कुछ बातों का अनुमान लगा रहे हैं और उनके बारे में मेरे मत को जानना चाहते हैं, मैं अपना मत कैसे दे सकता हूँ ?

श्री सु० कु० तापड़िया : मुझे अश्चर्य होता है, यदि आपने कभी 'सोशियलिस्ट कांग्रेसमैन' पत्रिका की प्रति देखी हो, जो कि शासक-दल अर्थात् कांग्रेस दल से बहुत सम्बन्धित रही है और जिसके सम्पादक श्री एच० डी० मालवीय हैं जो कि इस दल के सदस्य हैं, बड़े नियमित रूप से, लगभग सभी बार की प्रतियों में मेसर्स नव भारत इन्टरप्राइज, प्राइवेट लिमिटेड के विज्ञापनों को निकालते हैं जिस पर इस सभा में कड़ी आलोचना हुई तथा नोवोस्टी के मामले में भी, और इसमें जी० डी० आर० (जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक) के विज्ञापन तथा सोवियत रूस के द्वारा अरब लीग के भी विज्ञापन निकलते रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या उन्होंने इस समाचार-

पत्रों और/अथवा पत्रिकाओं का अध्ययन किया है जिसकी आय का बड़ा भाग अथवा जिनके विज्ञापन सम्बन्धी राजस्व का बड़ा भाग दूतावासों से प्राप्त होता है अथवा विदेशों अथवा व्यवहार-कर्ताओं, व्यापारियों से प्राप्त होता है जो कि साम्यवादी देशों के माल पर क्रय-विक्रय करते हैं । यदि उन्होंने इसका अध्ययन किया हो तो क्या वे इस विषय में कुछ करने जा रहे हैं ? उनसे सबसे बड़ा शेयर किसको प्राप्त होता है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह सत्य है कि केवल कुछ समाचार-पत्र ही साम्यवादी देशों से विज्ञापन प्राप्त करते हैं लेकिन वे दूसरे ऐसे देशों से विज्ञापन भी प्राप्त करते हैं जो साम्यवादी नहीं हैं । यह बहुत कठिन है, मैंने इस बात का अध्ययन नहीं किया है कि क्या यह बड़ा शेयर है अथवा छोटा शेयर । जब तक मैं उनकी आय आदि के बारे में कोई जांच नहीं करा लेता तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूं । मैं इसे यूंही नहीं पढ़ सकता ।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वे इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जब तक वे मुझे इसके कुछ विशेष उदाहरण नहीं देते और जब तक...............

श्री सु० कु० तापड़िया : मैं और नाम भी बता सकता हूं ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जब तक कुछ विशेष दृष्टान्त न दिए जाएं और जब तक किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता, मैं जांच नहीं करा सकता ।

श्री तुलसीदास जाधव : क्या इस प्रकार का कोई नियंत्रण है ?

Shri Shiva Chandra Jha: I would like to know from the Hon. Minister whether it is a fact that some persons of Kerala used to run a publishing firm by the assistance of Chinese Embassy, the matter in regard to this was also raised by Shri Namboodripad and he was expelled from the party? If the Hon. Minister is aware of it, then what action has been taken by him in this respect?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह बिल्कुल भिन्न बात है । मैं सोचता हूं कि मैंने यहां यह तथ्य बता दिया है कि किसी ने चीनी दूतावास से धन प्राप्त किया है और उसके बारे में यह बात मानी गयी थी लेकिन अभी मेरे पास ब्योरेवार जानकारी नहीं है ।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय यह पता लगाने के लिए कि क्या ये विदेशी पार्टियां अपने विज्ञापनों के द्वारा इन पेपरों की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयत्न कर रही हैं इस मामले को भारत की प्रैस परिषद (प्रेस कौन्सिल आफ इन्डिया) के पास भेजेंगे ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह बहुत सामान्य प्रश्न है और यह बड़ा सामान्य दृष्टिकोण है । एक सामान्य विचार जो यहां अभिव्यक्त किया गया है उसे मैं बिना जांच के प्रेस परिषद के पास नहीं भेज सकता ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Just the Hon. Minister stated that he has no information about it. If an enquiry is conducted against the firms which are engaged in trade with the communist countries on rupee payment basis we will find many Communist workers on the pay roll. Similarly, the newspapers which are of Communist ideology get the advertisement from those firms and at a higher rate. Besides, there are such advertising agencies which help the people of Communist Ideology in their advertisements. The people who trade with Communist Countries, and help them directly or indirectly, in the shape of donation, charity, and loan interfere in a way in our internal affairs and propagate the Communist ideology in our country. I myself have given such instances to the Hon. Home Minister and I am ready to give more. Because it is a danger to the country, therefore, I would like to know whether the Hon. Home Minister will take any such steps so that there may be no such interference? I do not say for a genuine thing but such infiltration should stop.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : उन्होंने अब एक सामान्य प्रश्न पूछा है। माननीय सदस्य ने मुझे कुछ जानकारी देने का वायदा किया था और उन्होंने मुझे कुछ जानकारी दी भी है लेकिन उन्होंने कहा कि वह बड़ी गुप्त वस्तु होने जा रही है। लेकिन वह उसे अब सभा में बता रहे हैं। बहुत अच्छा, उनके ऐसा करने पर मुझे खुशी है और मुझे भी इसके साथ ऐसा ही करना होगा। जिस बात से हम सम्बन्धित हैं वह यह है कि क्या यहां राजनीतिक कार्य के लिए पैसा देने के लिए कोई अवैध कार्य-प्रणाली है, यही मुख्य बात थी और मैं इसकी निश्चय रूप से जांच करवा सकता हूं।

यदि किसी वैध राजनीतिक दल को कोई वैध रूप से वास्तविक सहायता देता है तो मैं इस पर आपत्ति नहीं उठा सकता। यदि जनसंघ या कोई और राजनीतिक दल इस प्रकार वैध रूप से सहायता प्राप्त करता है तो मैं इसे जांच का विषय नहीं बता सकता।

एक माननीय सदस्य : जनसंघ वैध दल है।

श्री शिवाजीराव सं० देशमुख : विदेशों के लिए भारतीय रुपये का एक सबसे बड़ा अकेला स्रोत पी० एल०—480 है और दूसरा स्थान समाजवादी देशों का है। इस धन का इन देशों के सामाजिक आर्थिक ढांचे को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के लिए दुरुपयोग हो रहा है। क्या सरकार इसे सुरक्षा के लिये खतरा समझती है? मैं जानना चाहता हूं क्या यह धन—चाहे यह विज्ञापन धन के रूप में हो या प्रतिष्ठान (फाउन्डेशन) धन के रूप में अथवा राजनीतिज्ञों के कॉफर के रूप में देश की सुरक्षा को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह भी सामान्य प्रश्न है, यदि यह धन किसी राजनीतिक कार्य के लिये अवैध रूप से अथवा गुप्त रूप से दिया जाता है तो यह हस्तक्षेप होगा और सुरक्षा के लिए निश्चय रूप से खतरा होगा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं सोचता हूं कि मंत्री महोदय को यह बात स्पष्ट नहीं हुई।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं अब प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, जहां तक स्पष्टता और अस्पष्टता का प्रश्न है इसे हम अध्यक्ष महोदय पर छोड़ते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : हमें उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे खेद है, मैं इसे स्पष्ट करने का भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं अपनी ओर से ही समझाने का प्रयत्न कर सकता हूं लेकिन उनकी ओर से समझने का नहीं।

श्री कंवर लाल गुप्त : कृपया ऐसा कीजिए।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वे जो सामान्य प्रश्न उठा रहे हैं वह बिल्कुल भिन्न विषय है। हम यहां इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या कोई फर्म विज्ञापन आदि के रूप में किसी दूसरी फर्म को धन दे रहा है? जैसा मैंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री नायनार : जब सभा में कुछ मलयालम समाचार-पत्रों पर यह आरोप लगाया गया था कि उनको कम्युनिस्टों के खिलाफ प्रचार करने के लिए सी० आई० ए० से धन मिल रहा है तो उन्होंने सी० आई० ए० के बारे में चर्चा का निर्देश किया था। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार ने इन आरोपों पर विचार किया है अथवा क्या इनकी कोई जांच करवाई है?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जब तक मेरे पास कोई विशेष सूचना न हो मैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं?

Shri Hukam Chand Kachwai: The Hon. Minister has just now stated about two or three questions that he has got no information about them though these questions were raised much before. I would like to know whether the attention of the Government have been drawn to the fact that a lot of literature comes in this country in the form of weekly and monthly magazines after printing in the foreign countries and is sold through Chinese Embassy and the money thus earned is spent in the promotion of Communist Party. I want to know whether the Government will make an enquiry in this respect? Whether the attention of the Government have been drawn to the fact that a large quantity of money of Shri Karanjia, the Editor of 'Blitz' weekly is deposited in the foreign banks? Whether he will make enquiry in this respect?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे ऐसे कोई आरोप नहीं सुनायी पड़े हैं, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai: I have stated to give information regarding the magazines, which come from abroad.

Mr. Speaker: He has not got the information.

Shri Hukam Chand Kachwai: Mr. Speaker, you say that as if I am interrupting the proceeding of the House. I say clearly that the magazines which come here after being printed in foreign countries are sold by the Chinese Embassy to parties and the money thus earned is spent for the work of the Communist Party, in view of this whether the Government will make any enquiry?

श्री सु० कु० तापड़िया : यह बहुत उपयुक्त प्रश्न है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह प्रश्न समुचित है लेकिन बात यह है कि यह वर्तमान प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1321 श्री नारायणन। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। श्री सुब्रावेलु। वे भी अनुपस्थित हैं.........

श्री बलराज मधोक : क्या मैं एक बात कह सकता हूं ? क्या हम इस सभा में राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा दिये गये वक्तव्यों के आधार पर प्रश्न पूछ सकते हैं ? तामिलनाड अथवा अन्य कहीं कांग्रेस समिति के अध्यक्ष द्वारा दिये गये वक्तव्य से सम्बन्धित एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी यह है, देखिये उत्तर क्या प्राप्त होता है, श्री दण्डपाणि, वह अनुपस्थित हैं, तब श्री मयाबन, वे भी अनुपस्थित हैं, अच्छा, यह प्रश्न समाप्त हुआ, अब अगला प्रश्न।

शौकिया सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर कर

+

*1322. **श्री कमलनाथन :**
श्री दीवीकन :
श्री चित्तिबाबू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली प्रशासन के इस निर्णय की जानकारी है कि सभी शौकिया सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भविष्य में कर की छूट नहीं दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री कमलनाथन् : जी नहीं। दिल्ली प्रशासन का सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर ऐसा कर लागू करने का प्रस्ताव था, ऐसा कार्य उत्साहवर्धक नहीं है और ऐसा करने पर सांस्कृतिक कार्य करने वालों को बड़ी कठिनाई होगी, मद्रास तथा अन्य राज्यों में हम मनोरंजन-कर की पूरी छूट देकर उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसलिये यदि दिल्ली प्रशासन का ऐसा करने का विचार है, यदि ऐसा कोई प्रस्ताव है, तो क्या केन्द्रीय सरकार उनको ऐसा न करने का परामर्श देगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा प्रश्न नहीं उठता, दिल्ली के स्थानीय प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर रही है। हाल

ही में उन्होंने 1965 के उत्तर प्रदेश मनोरंजन तथा बाजी-कर संशोधन अधिनियम को दिल्ली संघ राज्य तक बढ़ाने के लिये हमारी अनुमति मांगी थी जिसके अन्तर्गत मनोरंजन-कर की एक विशिष्ट राशि लगायी जा सकती है लेकिन उसमें वर्तमान स्थिति की तरह छूट दिए जाने की भी व्यवस्था है, वे प्रसिद्धि प्राप्त सांस्कृतिक संगठनों द्वारा आयोजित ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को कर की छूट देते रहे हैं तथा उन्होंने इनसे कोई मनोरंजन-कर नहीं लिया। इसलिये इस प्रकार कि भयभीत होना ठीक नहीं है। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर अथवा मनोरंजन के कार्यक्रमों पर कर लगाया जायेगा।

Shri Prakash Vir Shastri : There is a great difference between entertainment and culture as there is a great difference between 'Dharma' and Religion (Majhaba). But such use of the word 'Culture' in relation to entertainment is indignation to culture in the country. I mean to say that the Home Ministry will use words like "entertainment programme" or "artistic programme" for it and will thus save culture from indignation which has originals and pure feelings?

Shri Vidya Charan Shukla : The feelings of the Hon. Member may be correct but the Ministry of Education looks after all these things. So far as the question of entertainment tax is concerned, the local administration has made his position very clear in this respect.

अन्दमान तथा निकोबार के सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रधान-मंत्री को ज्ञापन

*1323. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री अब्राहम :**
श्री रमानी : **श्री गणेश घोष :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान-मंत्री को अन्दमान तथा निकोबार के सरकारी कर्मचारी तथा श्रमिक संघ से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). ज्ञापन में सम्मिलित संघ की मांगों का एक विवरण तथा भारत सरकार द्वारा उन पर लिये गये निर्णय सभा-पटल पर रख दिये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-934/68]

श्रीमती सुशीला गोपालन : हाल ही में प्रधान-मंत्री ने उस द्वीप का दौरा किया था और उसके स्थानीय प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों तथा प्रधान के बीच एक भेंट निश्चित कर दी थी, लेकिन बाद में इस भेंट के निश्चय को अकारण रद्द कर दिया गया। सरकारी कर्मचारियों के संघ की शिकायत यह है कि यह सब अकूजी कम्पनी के कहने पर

किया गया जिनके पास उस क्षेत्र में एकाधिकार व्यापार है। क्या सरकार ने उस आरोप की जांच की है, और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह सच है कि इस ज्ञापन को प्रस्तुत करने के लिये माननीय प्रधान-मंत्री के साथ भेंट का समय नियत किया गया था। लेकिन माननीय प्रधान-मंत्री के कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन हो गया था। क्योंकि उन्हें किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिये दिल्ली वापिस आना था इसलिये नियत समय से काफी पहले उन्हें वह स्थान छोड़ना पड़ा, इसलिये कर्मचारियों तथा प्रधान मंत्री के बीच भेंट न हो सकी, भेंट को रद्द करने का प्रश्न ही नहीं था क्योंकि वह उस नियत समय तक वहां रह ही नहीं पायीं, जैसा मैंने कहा कि हमें ज्ञापन प्राप्त हुआ और इसको जांचने के बाद हमने कई बातों पर निर्णय किये हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : कर्मचारियों के संघ द्वारा भेजा गया पत्र इन दिनों संसद् के सदस्यों द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है तथा जो उत्तर हम संसद् में प्राप्त करते हैं और जिन्हें हम कर्मचारियों के संघ को भेजते हैं वे उनके द्वारा प्राप्त नहीं किये जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या केन्द्रीय सरकार को जानकारी देते हुये स्थानीय प्रशासन द्वारा यह किया जाता है और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि कर्मचारियों द्वारा भेजे गये पत्र संसद् सदस्यों को प्राप्त हों तथा जो हम उन्हें भेजें वह उनको प्राप्त हों ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि कोई विशेष उदाहरण हमारे सामने लाये जायेंगे तो हम अवश्य उनकी जांच करेंगे।

श्री रमानी : व्यापार संघों तथा अन्य संगठनों द्वारा जो ज्ञापन गृह-कार्य मंत्री तथा सरकार के सामने प्रस्तुत किये गये हैं उनमें उन्होंने जो महत्वपूर्ण मांगे उठायी हैं वे हैं– (1) सरकारी स्टोरों के द्वारा हर रोज की जरूरतों की सप्लाई, (2) उन सहकारी स्टोरों को वित्तीय सहायता और (3) अकूजी कम्पनी को तथा इस कम्पनी के अन्तर्गत ही जो दूसरे नाम की कम्पनियां हैं उनके लिये व्यापारिक सुविधाओं की रोक। क्योंकि अन्य व्यापारियों को व्यापार की अनुमति नहीं दी जाती है इसलिये वे इन द्वीपों में प्रतिदिन की जरूरतों की कीमतों को बढ़ाने में समर्थ हैं जिनका देश के अन्य भागों से कोई सामान्य सम्बन्ध नहीं है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं क्या अकूजी कम्पनी तथा इनके द्वारा नियंत्रित कम्पनियों को दी जा रही सुविधाओं पर रोक लगा दी जाएगी तथा क्या अन्य मांगों की भी पूर्ती की जाएगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने अकूजी तथा उससे सम्बन्धित अन्य कम्पनियों को दी जा रही सुविधाओं को बन्द करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं यद्यपि यह उस नाम से नहीं हैं लेकिन यह उनके द्वारा नियंत्रित दूसरी कम्पनियों के नाम पर हैं, उस आदेश के पास होने के बाद, कम्पनी कलकत्ता उच्च न्यायालय में पहुंची और उनके विरुद्ध एक याचिका प्रस्तुत की तथा कार्यवाही को रोके रखने का आदेश प्राप्त किया, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि वहां इनके द्वारा आदिवासियों का कुछ शोषण किया जा रहा था और इसीलिए हमने उनको

दिए गए लाइसेंस को रद्द करने, विभागीय स्टोरों को आरम्भ करने, तथा निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले आदिवासियों द्वारा निर्मित सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है जिससे कि वे अपने कार्य आप चला सकें और स्वयं अपनी सहायता कर सकें।

श्री गणेश घोष : जब प्रधान मंत्री महोदय वहां पहुंची तो सरकारी कर्मचारी उनसे न मिल सके, उसके बाद जब गृह-कार्य मंत्री वहां गए तो सरकारी कर्मचारियों के संघ के प्रतिनिधि उनसे मिलना चाहते थे लेकिन उनको अनुमति नहीं दी गयी, इस बात को देखते हुए क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने के लिए तैयार है जिससे कि सरकारी कर्मचारी अपनी व्यवस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार को बता सकें क्योंकि स्थानीय गृह-मंत्री ने कर्मचारियों को केन्द्रीय गृह-मंत्री से मिलने की अनुमति देने से मना कर दिया था ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : जहां तक मुझे याद है मैं वहां दस से अधिक शिष्टमंडलों से मिला था, मुझे याद है कि मैं सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से भी मिला था।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या आप श्री प्रसाद से भी मिले थे ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : श्री प्रसाद आए और मुझसे मिले, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से 15 वर्षों से जानता हूं। वह एक घन्टे मेरे साथ रहे।

श्री गणेश : प्रश्न में उल्लिखित संगठन के अतिरिक्त अन्दमान तथा निकोबार में और भी अधिक प्रतिनिधि संगठन हैं जिन्होंने सरकार को ज्ञापन दिये हैं। दो प्रश्न ऐसे हैं। जिनसे कर्मचारियों में असन्तोष है। एक प्रश्न तथाकथित भारत की मुख्य भूमि में भर्ती किये जाने वाले कर्मचारियों को दिये जाने वाले विशेष वेतन तथा वहां के स्थानीय लोगों को यह विशेष वेतन न दिये जाने के बारे में है। दूसरा प्रश्न बड़ी संख्या में उन औद्योगिक कर्मचारियों को नैमित्तिक मजदूरों के रूप में वर्गीकृत किये जाने के बारे में है जो कि 10-15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। ये मामले पिछले 15 वर्षों से अनिर्णीत पड़े हैं। जो भी लोग वहां गये हैं—चाहे वह राष्ट्रपति हों, चाहे प्रधानमंत्री अथवा गृह-कार्य मंत्री ही हों—उन्हें इन दो मामलों के बारे में ज्ञापन दिये गये हैं। क्या मंत्री महोदय इन दो मामलों के बारे में शीघ्र विचार करने तथा उन पर निर्णय करने का सभा को अश्वासन दे सकते हैं ताकि इस द्वीप के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष दूर किया जा सके ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं जानता हूं कि ये दो समस्यायें काफी समय से क्षोभ पैदा किये हुए हैं। प्रोत्साहन के बारे में माननीय सदस्य के साथ सहमत होना बड़ा कठिन है क्योंकि मैंने स्वयं इस पर विचार किया है। आरम्भ में जब स्थानीय कर्मचारियों की कमी थी तब बाहर से आने वाले कर्मचारियों को कुछ प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था थी, लेकिन अब वास्तव में ऐसी कोई कमी नहीं है। स्थानीय कर्मचारियों को वैसा प्रोत्साहन देना कठिन है क्योंकि अगर एक बार प्रोत्साहन दे दिया जाये तो फिर यह प्रोत्साहन के रूप में नहीं रहता। वेतन को युक्तिसंगत बनाने आदि जैसे मामलों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और मुझे आशा

है हम शीघ्र ही इस पर निर्णय करेंगे । जहां तक नैमित्तिक रोजगार का सम्बन्ध है इसमें कुछ मानवीय कठिनाइयां हैं और उन पर भी सावधानीपूर्वक विचार किया जायेगा । लेकिन मैं नहीं सोचता कि इसके विषय में कोई एक निर्णय होगा जिससे इसका समाधान होगा । इस पर हर पहलू से विचार करना पड़ेगा ।

श्री प्र० के० देव : माननीय गृह-कार्य मंत्री ने बताया कि विशेष वेतन एक प्रकार का प्रोत्साहन है । लेकिन ऐसा नहीं है, यह इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां निर्वाह-खर्च बहुत अधिक है और दैनिक आवश्यकताओं पर काफी खर्च होता है । जब यह भारत की मुख्य भूमि से भर्ती किये गये कर्मचारियों को दिया जाता है तो स्थानीय कर्मचारियों को देने से क्यों मना किया जाय ? ऐसा भेदभाव क्यों हो ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य को तथ्यों का ज्ञान नहीं है ।

श्री प्र० के० देव : मैं वहां था ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : संभव है, परन्तु वह इस तथ्य को न जान सके यह विशेष वेतन एक प्रोत्साहन के रूप में दिया गया था । यह दूसरी बात है कि ऊंची स्थानीय दरों के आधार पर वेतन में संशोधन किया जाय, और इस पर विचार भी किया जा सकता है । माननीय सदस्य की मांग तो इस बारे में थी कि जो प्रोत्साहन मुख्य भूमि से लाये गये व्यक्तियों को दिया गया वह स्थानीय कर्मचारियों को भी दिया जाये ।

श्री कण्डप्पन : मैं इन द्वीपों में गया हूं तथा गृह-कार्य मंत्री से अधिक अवधि तक वहां रहा हूं । आरम्भ से ही केन्द्र सरकार ने अन्दमान की ओर ध्यान नहीं दिया है तथा सदा उसे उपेक्षित रखा है । श्री गणेश द्वारा उठायी गई दो बातों के अतिरिक्त आवास के बारे में भी एक प्रश्न है । उस ज्ञापन में औद्योगिक तथा अन्य कर्मचारियों के लिये आवास-परियोजना का भी जिक्र किया गया है । इस सम्बन्ध में सरकार का उत्तर है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों के औद्योगिक कर्मचारियों के लिये आवास की सुविधायें जुटाने की समस्या वहां के स्थानीय प्रशासन से सम्बन्धित है तथा इस पर तत्परता से विचार किया जा रहा है । श्रीमन् यह क्या उत्तर हुआ ? वास्तव में अन्दमान और निकोबार प्रशासन को हर विषय में पहले गृह-कार्य मंत्रालय से सलाह लेनी पड़ती है । यह एक बड़ी समस्या है । काफी दिनों से यह एक विकट समस्या रही है । किसी विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये अन्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त आवास की आवश्यकता सबसे प्रथम आवश्यकता है । मैं जानना चाहूंगा कि सरकार अब तक क्या कर चुकी है तथा उसका आगे क्या करने का विचार है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक आवास का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य जानते हैं कि इस सम्बन्ध में कितनी कठिनाइयां हैं । मैं सबको निवास देने का आश्वासन नहीं दे सकता परन्तु जिन्हें निवास नहीं मिला है उनसे मेरी पूरी सहानुभूति है । निश्चय ही हम वहां सरकारी कर्म-

चारियों को निवास सुविधायें देने के लिये कार्यक्रमों को रूप दे रहे हैं। दुर्भाग्य से, वहां हर व्यक्ति सरकारी कर्मचारी बन जाता है।

श्री कण्डप्पन : पिछले पन्द्रह वर्षों से आपने कुछ नहीं किया है। अब तक आपने क्या खर्च किया है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस मामले में आप खर्च के हिसाब से नहीं चल सकते। यह तो प्रश्न उन्हें प्रोत्साहन देने का है ताकि वे अपने निजी मकान बना सकें। आवास की समस्या यह है कि सरकारी कर्मचारियों को एकबार मकान देने के पश्चात् बाद में उनसे खाली कराना पड़ता है। इसीलिये हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वे अपने स्वंय के मकान बना लें।

श्री क० लकप्पा : इन सब तथ्यों से ऐसा लगता है कि अकूजी एण्ड कम्पनी, जिसने अधिकारियों से मिलकर अन्दमान और निकोबार द्वीपों के सारे व्यापार पर अपना एकाधिकार जमा रखा है, आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ाती रहती है और इस प्रकार वहां के लोगों के उचित अधिकारों और भागों का दमन करती रहती है। इसलिये, यह निश्चय करने के लिये कि वहां के लोगों का प्रतिनिधिमंडल प्रधान-मंत्री से न मिल सके तथा उन लोगों की उचित मांगें दबी रहें, उस कम्पनी ने अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप किया, उन पर प्रभाव और दबाव डाला। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस कम्पनी का लाइसेन्स तुरन्त निलम्बित किया जायेगा और इस मामले में जांच की जायेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि माननीय सदस्य ने इस प्रकार का आरोप लगाया है। मैसर्स अकूजी एण्ड कम्पनी की गतिविधियों के साथ प्रधान मंत्री का कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक इस कम्पनी की गतिविधियों का सम्बन्ध है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि उसका लाइसेन्स रद्द किया जा चुका है। ऐसा वहां के स्थानीय अधिकारियों के कहने पर ही किया गया है। अतः इस कम्पनी के साथ वहां के स्थानीय अधिकारियों की सांठ-गांठ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह कम्पनी कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंची तथा उसने वहां से एक लेख-याचिका पर रोक आदेश प्राप्त कर लिया। कार्यवाही चल रही है और ज्योंही रोक-आदेश उठा लिया जायेगा, हम उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री क० लकप्पा : उन्होंने नाम बदल लिया है। वही कम्पनी अब दूसरे नाम से कार्य कर रही है। कोई बेनामी कार्यकलाप चल रहा है। इस स्थिति में, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार यह सब कुछ रोक कर वहां कोई सुपर बाजार अथवा कोई सहकारी-बाजार स्थापित करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम वह भी कर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही बता चुके हैं कि वहां एक सहकारी भण्डार खोल चुके हैं जिस समय यह उत्तर दिया गया उस समय माननीय सदस्य कदाचित उपस्थित नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा था कि लाइसेन्स रद्द कर दिया गया है।

श्री क० लकप्पा : बेनामी कारोबार तो जारी है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमें मालूम है कि ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है और इस कम्पनी के इस बेनामी कारोबार को रोकने के लिये हमने कदम भी उठाये हैं। जब हमने यह कार्यवाही की तो यह अकूजी एण्ड कम्पनी ने न्यायालय के अनादर का विषय बनाकर कलकत्ता हाईकोर्ट को एक प्रार्थना-पत्र दे दिया जिसमें कहा गया कि रोक-आदेश के बावजूद भी सरकार यह कहकर उनके व्यापार में बाधा डाल रही है कि वे बेनामी कारोबार चला रहे हैं। वहां अधिकारियों पर न्यायालय के अनादर का दोष लगा क्योंकि उन्होंने वहां इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये हस्तक्षेप किया था।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय यह अनुभव करते हैं कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में, विशेषकर सरकारी कर्मचारियों के मध्य औद्योगिक सम्बन्ध सन्तोषजनक नहीं हैं तथा अभी हाल ही में वहां हड़तालें तथा भूख-हड़तालें हुई हैं; यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह संयुक्त सलाहकार-पद्धति अथवा परियोजना इन दो द्वीपों में भी लागू की जायेगी ताकि दिल्ली की तरह वहां के कर्मचारी भी सम्भवतः अपने कष्टों को प्रकट कर सकें ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है...... **(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री की कलकत्ता यात्रा

+
*1325. **श्री रवि राय :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 मार्च, 1968 को प्रधान मंत्री ने कलकत्ता का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का उद्देश्य क्या था तथा वहां के दंगों के सम्बन्ध में किन-किन व्यक्तियों ने उनसे भेंट की थी; और

(ग) वहां की जनता की भावना का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न नेताओं के साथ उनकी बातचीत का क्या परिणाम निकला तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ख). 17 मार्च, 1968 को प्रधान मंत्री उस राज्य में हुए साम्प्रदायिक दंगों के समय कलकत्ता गई थीं। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों, विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं तथा शान्ति समितियों के सदस्यों से भेंट की थी।

(ग) प्रधान मंत्री ने, जो उनसे मिले थे, उनसे साम्प्रदायिक मेलजोल और शान्ति बनाए रखने की अपील की थी। उन्होंने बहु संख्या में भद्र नागरिकों से उन लोगों से निपटने तथा उन्हें पृथक करने के लिए आमंत्रित किया था जो ऐसे दंगों को उकसाते हैं।

प्रधान मंत्री ने राज्य प्राधिकारियों को जोर देकर कहा कि वे दंगों से निपटने के लिए कड़ी कार्रवाई करें।

Shri Rabi Ray: This visit of the Prime Minister was so much secret that a section of the press quoted that even Shri Chavan himself did not know why she went to Calcutta. President's Rule is prevalent in West Bengal these days. Does it mean that since these disturbances took place owing to the failure of Shri Dharmavir, the Governor; the Prime Minister had to go there? Will the Minister of Home Affairs state what does he propose in connection with removing Shri Dharamvir from post of Governor?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य एक बिल्कुल ही निरर्थक प्रश्न पूछ रहे हैं।

Shri Rabi Ray: A good question is always meaningless for him.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इन घटनाओं से प्रधान मंत्री का चिन्तित होना स्वाभाविक ही था तथा उन्होंने स्वयं ही यह स्पष्ट किया कि उन्होंने वहां जाने का क्यों निश्चय किया? क्योंकि उस समय मैं नई दिल्ली में नहीं था तथा उनके पास कुछ समय था, उन्होंने सोचा कि वह वहां जायें तथा स्वयं देखें कि वहां क्या हो रहा है। बजाय इस पर गर्व करने कि प्रधान मंत्री ने इस घटना पर कितना जल्दी ध्यान दिया, लोगों का इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं है।

Shri Rabi Ray: May I know whether the Hon. Minister's attention has been drawn towards the article published in Calcutta's **Hindustan Standard** which is known as the supporter of Congress. I quote **it.**

"प्रशासनिक तथा राजनयिक क्षेत्रों में यह भावना व्याप्त है कि कलकत्ता में प्रधान मंत्री की इस आकस्मिक यात्रा से किसी को कोई लाभ नहीं हुआ; इससे तो लोग अप्रसन्न हुए हैं। इसमें तो सम्भवतः दिखावे की झलक है और दंगों को निश्चय ही बढ़ा-चढ़ाकर महत्व दिया गया है जबकि प्रधान मंत्री ने स्वयं इन दंगों को 'बहुत बड़ा' नहीं माना है।"

Is it true that the Prime Minister herself had not admitted that the communal riots in Calcutta were not on large scale?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : साम्प्रदायिक दंगों का कलकत्ता में अपना एक इतिहास है और जब कलकत्ता जैसे नगर में ये दंगे होते हैं तो प्रधान मंत्री का अधिक चिन्तित होना स्वाभाविक है। उन्होंने कुछ लोगों के अप्रसन्न होने की बात कही। कुछ लोगों को नाराज होने की सनक सवार रहती है। इसके लिये मैं क्या करूं?

Shri Rabi Ray: The **Hindustan Standard** is a Congress-owned newspaper.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्या यह सत्य नहीं है कि संयुक्त-मोर्चा सरकार के शासन में पिछले कई महीनों से कानून और व्यवस्था भंग हो गई है और इस प्रकार के साम्प्रदायिक दंगों ने राज्य में गम्भीर कठिनाइयां उत्पन्न कर दी हैं; यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय सदन को अवगत करायेंगे कि क्या प्रधान मंत्री के वहां जाने से देश के उस भाग में साम्प्रदायिक तनाव को तुरन्त

रोकने तथा शांतिपूर्ण स्थिति स्थापित करने की दिशा में विशेष प्रभाव पड़ा ? क्या यह सत्य नहीं है कि इस विशिष्ट स्थिति में उनका वहां जाना एकदम की आवश्यकता के कारण ही हुआ ? क्या यह सत्य नहीं है कि क्योंकि कलकत्ता में प्राय: ही गम्भीर किस्म के साम्प्रदायिक दंगे होते रहते हैं तथा इस दृष्टि से कि वहां उस राज्य में चुनाव भी होने हैं; अत: राष्ट्रीय-हितों के कारण उनकी यह यात्रा अनिवार्य हुई ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं समझता हूं कि प्रधान-मंत्री की यात्रा का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा ।

श्री समर गुह : साधारणत: तो मैं प्रधान-मंत्री की कलकत्ता यात्रा की प्रसंशा ही करता । परन्तु उस समय मैं कलकत्ता में था तथा वहां की स्थिति का मुझे ज्ञान है । मुझे आशा है कि गृह-कार्य मंत्री को बंगाल की भू-राजनयिक स्थिति का ज्ञान होगा कि यह सीमान्त-प्रदेश पूर्वी-पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है । पूर्वी-पाकिस्तान तथा पश्चिमी-बंगाल में क्रियाएं-प्रतिक्रियाएं हमेशा जारी रहती हैं । प्रधान-मंत्री के कलकत्ता से लौटने के तुरन्त बाद ही मैंने उन्हें पत्र लिखा और यह प्रार्थना की कि वह अपनी यात्रा के बारे में एक सार्वजनिक वक्तव्य दें क्योंकि उनकी यात्रा ने जनता के मस्तिष्क पर उल्टा प्रभाव डाला है तथा दैनिक पत्रों में इसकी कटु आलोचना भी हुई है । यही कारण है कि उनकी यात्रा से यह अनुमान लगाया गया जैसे कि सारे कलकत्ता में आग लगी हुई है जबकि उपद्रव कलकत्ता के केवल कुछ छोटे-छोटे क्षेत्रों में ही थे । दो-तीन छोटे-छोटे क्षेत्रों को छोड़कर सारा कलकत्ता शान्त था । मैंने उन्हें लिखा कि उनकी यात्रा का लाभ उठाकर पाकिस्तान रेडियो भड़काऊ प्रचार कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप सिल्हत, खुलना तथा अन्य क्षेत्रों में पहले ही दंगे आरम्भ हो गये और यदि बहादुर बंगाली मुस्लिम युवक तथा प्रगतिशील मुस्लिम युवक न होते तो पूर्वी पाकिस्तान में गम्भीर उपद्रव मच जाते । उस पत्र में मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि वह इन उपद्रवों की सीमा, इनसे हुई हानि तथा इसके कारणों के बारे में एक पूर्ण वक्तव्य दें । पश्चिमी बंगाल के साम्प्रदायिक दंगों के बारे में उन्होंने एक पूर्ण और सार्वजनिक वक्तव्य क्यों नहीं दिया ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वस्तुस्थिति को गलत आंकने का प्रश्न एक बार फिर खड़ा हो गया है । यह एक सुझाव है कि क्योंकि पाकिस्तान आलोचना करेगा इसलिये प्रधान-मंत्री को अपने देश में इधर-उधर नहीं जाना चाहिये । कब जाना चाहिये अथवा नहीं जाना चाहिये, यह निर्णय करने की बात होती है । क्या यह सुझाव है कि उन्हें तभी कलकत्ता जाना चाहिये जब वहां आग लगी हो ? यह गलत सुझाव दिया गया है । प्रधान-मंत्री वहां ठीक समय पर गईं तथा वास्तव में तो यह एक प्रशंसनीय बात है कि वहां दंगों का आभास पाकर उन्होंने वहां जाने का तथा मौके का अध्ययन निश्चय किया तथा उनकी यात्रा से निश्चय ही वहां की स्थानीय स्थिति पर इसका असर पड़ा । मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है और कलकत्ता में जो कुछ हुआ उस बारे में मैं वक्तव्य दे चुका हूं कि वहां कितनी हानि हुई तथा दंगों के कारण क्या थे । वह जानकारी किसी से भी नहीं छिपाई गई ।

श्री समर गुह : उन्हें इसके पहले एक वक्तव्य देना चाहिये था परन्तु वह बहुत बाद में दिया गया जिससे कि यह धारणा बनी कि वहां कोई रहस्य की बात थी। विभाजन के पश्चात् से पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की आप कोई चिन्ता नहीं करते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सत्य नहीं है कि कलकत्ता तथा अन्य स्थानों से प्रकाशित होने वाले बहुत-से समाचार-पत्रों में प्रकाशित प्रधान-मंत्री की यात्रा से कानून और व्यवस्था के संदर्भ में लोगों में बहुत ही अच्छी धारणा उत्पन्न हुई है ? क्या यह भी सत्य नहीं है कि यदि वह कलकत्ता न जातीं तो वहां कानून और व्यवस्था और भी अधिक खराब होती जाती ? और क्या यह भी सत्य नहीं है कि उनकी यात्रा के फलस्वरूप पूर्वी-पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं के बारे में एक नया दृष्टिकोण अपनाया ? यदि हां, तो क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि............

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव देने का समय नहीं है। यह प्रश्न काल है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं।

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि प्रधान-मंत्री की कलकत्ता यात्रा की प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं अवश्य प्रशंसा करता यदि वह इलाहाबाद और मेरठ भी गई होतीं जो कि अधिक समीप है। वास्तविकता यह है इसमें कोई राजनैतिक उद्देश्य निहित था। उद्देश्य यह नहीं था कि वहां कानून और व्यवस्था तथा विश्वास का पुनर्स्थापन हो बल्कि कुछ और ही था और इसी से सन्देह उत्पन्न होता है। दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि हमारे केन्द्रीय मंत्रीगण वहां जाकर समस्या को बढ़ाते हैं तथा दुनियां को यह बताते हैं कि वहां की समस्या बहुत बड़ी है, जिससे पूर्वी पाकिस्तान तथा अन्य क्षेत्रों में यह धारणा बनती है कि वहां बड़ा कुछ हो गया है, तथा फिर प्रतिक्रिया आरम्भ होती है, और फिर इस प्रकार से कदाचित अनजाने ही, वे न केवल उद्देश्य ही पूरा नहीं कर पाते बल्कि उन्हें बिल्कुल ही उल्टा प्रभाव मिलता है। इस स्थिति में मैं जानना चाहता हूं कि बजाय वहां विमानों से जाने अथवा दिखावे की यात्रा करने के, क्या कलकत्ता, इलाहाबाद और मेरठ में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर पर कोई अदालती जांच कराई जायगी ताकि जनता को सारे तथ्यों का पता लगे कि वहां यह सब कैसे हुआ, किसने आरम्भ किया ? यह मैं इस लिये कह रहा हूं कि कुछ समय पूर्व जब जबलपुर में ऐसे उपद्रव मचे तो वहां अदालती जांच के आदेश दिये गये थे तथा एक न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। उस जांच की रिपोर्ट अभी प्रकाश में आनी शेष है। इसी प्रकार, अन्य स्थानों पर भी उपद्रव हुए परन्तु वहां पर जांच कभी नहीं कराई गई। मैं इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या इलाहाबाद, मेरठ तथा कलकत्ता में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अदालती जांच कराई जायेगी ताकि तथ्यों का पता लगे तथा दायित्व लगाया जाये और क्या उन जांचों की रिपोर्ट जनता को दी जायेगी ताकि लोगों को मालूम हो कि उपद्रव आरम्भ करने वाले लोग कौन हैं तथा उनके पीछे किसका हाथ है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : प्रश्न के अन्तिम भाग के बारे में मेरा उत्तर "नहीं" में है।

कलकत्ता में क्या हुआ इस बारे में आगे और जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि इस बारे में जानकारी पहले ही मौजूद है। जहां तक इलाहाबाद का सम्बन्ध है, जांच के लिए आदेश दिये जा चुके हैं तथा सेवा का एक वरिष्ठ सदस्य मामले की जांच कर रहा है। प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में यह कहना है कि माननीय सदस्य जानते हैं कि प्रधान मंत्री इलाहाबाद गई थीं। मेरठ की उन्होंने यात्रा नहीं की। उस समय हममें से किसी को जाना चाहिए था, मुख्य मंत्री श्री चरणसिंह मेरठ में रुके हुए थे तथा वह यथासमय हमें जानकारी देते रहते थे। उस समय हम मामले को उलझाना नहीं चाहते थे। अतः किसी राजनैतिक उद्देश्य का तो कोई प्रश्न ही नहीं है बल्कि माननीय सदस्य के सुझाव के पीछे कोई राजनैतिक उद्देश्य है।

श्री सु० कु० तापड़िया : जब भी कलकत्ता के लोग अपनी कोई उचित मांगें रखते हैं जैसे कि वृत्ताकार रेलवे लाइनें बिछाई जायें या हुगली नदी पर दूसरा पुल बनाया जाये, तो सरकार अपना मुंह फेर लेती है। परन्तु यदि वहां छोटे-मोटे उपद्रव होते हैं तो मंत्रियों पर कलकत्ता आ धमकने की सनक सवार हो जाती है। न जाने क्यों ? कहा जाता है कि प्रधान-मंत्री की यह रहस्यमय यात्रा श्री ज्योति बासु के कहने पर हुई तथा कलकत्ता में इस सम्बन्ध में सब ओर से यह चर्चा हो रही है कि प्रधान-मंत्री ने जानबूझ कर साम्यवादियों को काफी छूट दी है क्योंकि उनके मध्य कोई परस्पर समझौता हो गया है। इस बात को इस तथ्य से भी आधार मिलता है कि हाल ही में जब श्री दिनेश सिंह कलकत्ता गये तो श्री ज्योति बासु आसनसोल में साम्यवादी दल की बैठक छोड़कर श्री दिनेश सिंह से मिलने के लिए कलकत्ता पहुंचे और इसके बाद बैठक में गये। अतः क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि (क) क्या वह स्पष्ट रूप से कहेंगे कि क्योंकि वहां के उपद्रव बहुत गम्भीर नहीं थे, इसलिए प्रधान मंत्री की यात्रा का कोई राजनयिक उद्देश्य नहीं था। तथा, (ख) क्या यह भी सत्य है कि वह कलकत्ता में उन नेताओं से भी मिलीं जिनसे उन्होंने साम्प्रदायिक दंगों के बारे में कोई बात नहीं की ; चर्चा केवल मध्यावधि चुनाव के बारे में हुई ; एक नाम श्री प्रफुल्ल चन्द घोष का भी है, जिसके साथ उन्होंने उपद्रवों के बारे में नहीं प्रत्युत मध्यावधि चुनावों के बारे में बातचीत की ? अतः पहली बात तो यह कि क्या कोई राजनयिक उद्देश्य था तथा दूसरे वे कौन लोग थे जिनके साथ उन्होंने उपद्रवों के बारे में नहीं बल्कि किसी और विषय पर बातचीत की ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे बड़ा खेद है कि माननीय सदस्य को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए या ऐसे सुझाव देने चाहिए। यह एक गलत कल्पना है कि प्रधान-मंत्री श्री ज्योति बासु से ही मिलने कलकत्ता गईं। यह बिलकुल झूठ है। स्पष्ट है कि वह वहां केवल कुछ घण्टे रहीं और जिनसे भी मिलीं उनसे साम्प्रदायिक तनाव के बारे में ही बातचीत की। यदि कुछ और लोग भी आ गये तथा उन्होंने दूसरे प्रश्न पूछ लिए तो वह उन लोगों से "नहीं" तो नहीं कह सकती थीं। माननीय सदस्य तो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जैसे वहां उनका अपना भूत (प्रतिच्छाया) यह देख रहा था कि वहां क्या घटनायें हो रही हैं। वह कैसे जानते हैं कि प्रधान-मंत्री ने साम्प्रदायिक उपद्रव के बारे में नहीं बल्कि केवल अन्य मामलों पर बातचीत की ? सचमुच ही यह एक राजनयिक-उद्देश्य से भरा प्रश्न है और एक गलत सुझाव है।

Shri Shashi Bhushan Bajpai : I want to know from the Hon. Minister whether those were mostly the beggars, rickshaw-pullers and other people alike, who were killed in these communal riots? Do you agree with me that we get much concerned if some rich people are killed but when poor people are killed then Mr. Masani and Mr. Madhok should go; it is our duty and we cannot stop it by minimising the mishaps?

Shri Y. B. Chavan: Yes, I agree with you.

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने अभी-अभी कहा है कि प्रधान-मंत्री इलाहाबाद भी गईं, परन्तु इसके बाद भी वहां नगर में उपद्रव होते रहे हैं तथा अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के लोगों पर आक्रमण किया गया तथा उनकी दुकानें लूटी गई हैं। देश में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? सरकार ने कहा है कि भारत एक विशाल देश है तथा ये बातें तो छोटे-छोटे मामले हैं। क्या यह सत्य नहीं कि ये घटनायें इसीलिये हो रही हैं क्योंकि सरकार इसको बहुत कम महत्व देती है?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : कुछ ही समय पूर्व तो सुझाव दिया गया था कि हम साम्प्रदायिक दंगों को बढ़ाचढ़ा रहे हैं। अब यह सुझाव है कि हम इसका न्यूनांकन कर रहे हैं। दोनों ही दृष्टिकोण अत्योक्तियां हैं। यह सत्य नहीं है। हम समुचित कदम उठा रहे हैं तथा समुचित ही अंकन करते हैं। दुर्भाग्य से, इलाहाबाद में उत्तेजना दबी नहीं। अभी हाल ही में भी वहां उपद्रव हुए। परन्तु अब और भी अधिक सख्त कदम उठाये गये हैं और स्थिति नियन्त्रण में प्रतीत होती है।

नियम 40 के अन्तर्गत प्रश्न
Question Under Rule 40

मरमागोआ पत्तन सम्बन्धी प्राक्कलन समिति (चतुर्थ लोक-सभा) के 32 वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही

3. **श्री सेक्वीरा :** क्या **प्राक्कलन समिति के सभापति** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरमागोआ पत्तन सम्बन्धी समिति के 32वें प्रतिवेदन के दूसरे अध्याय में उल्लिखित सिफारिशों के बारे में जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है, प्राक्कलन समिति को सरकार से की गई कार्यवाही के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर्याप्त समझी गई है ; और

(ग) क्या समिति का विचार अपनी शिफारिशों पर विशेषकर मूल प्रतिवेदन की क्रम-संख्या 42, पैरा 88 में की गई सिफारिश के संदर्भ में, की गई कार्यवाही के बारे में अग्रेतर पूछताछ करते रहने का है ?

सभापति, प्राक्कलन समिति (श्री पं० वेंकटासुब्बया) : (क) जी, नहीं, प्राय: मूल प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी टिप्पणियां देते हुए

जब यह समिति सभा के समक्ष एक बार अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती है, तो उसे, जहां तक समिति का सम्बन्ध है ऐसा समझा जाता है कि जांच सम्बन्धी कार्यवाही पूरी हो चुकी है। उसके बाद इस समिति की उन सिफारिशों की जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है और जो 'की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदनों' के अध्याय 2 में उल्लिखित हैं, वास्तविक क्रियान्विति के बारे में और आगे जानकारी प्राप्त करना स्वतः सभा पर अथवा व्यक्तिगत रूप से सदस्यों पर छोड़ दिया जाता है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

द्रविड़ मुनेत्र कषगम की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में तामिलनाड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का वक्तव्य

*1321. **श्री नारायण :**　　**श्री दंडपाणि :**
श्री सुब्रावेलु :　　**श्री मयाबन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 मार्च, 1968 को दिल्ली में समाचार-पत्र सम्वाददाता सम्मेलन में तामिलनाड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम के कुछ नेता तामिलनाड में पृथकवादिता अभियान चला रहे तथा उसको बढ़ावा दे रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस गम्भीर आरोप की सत्यता अथवा असत्यता का पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सरकार ने वक्तव्य की प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित किए हुए है जिन्होंने सभी आपत्तिजनक कार्यवाहियों को, जैसे राष्ट्रीय ध्वज या संविधान का जलाया जाना, सार्वजनिक रूप में अस्वीकृत किया है। मद्रास के मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार द्वारा उन सभी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी जो पृथकतावादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।

Kidnapping of Indian Constable by Pakistanis

*1324. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in August, 1967, a Constable Driver of the Fourth Battalion of P. A. C. U. P. was kidnapped by Pakistanis from the Tripura border ;

(b) whether the said Constable has been kept in Sylhet Jail in Pakistan ;

(c) whether Government have entered into correspondence with Pakistan in the matter; and

(d) if so, the action taken by Government to bring back the said Constable and the result thereof?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b). No, Sir. However Constable Driver Gudar Prasad Tewari of 4 U. P. P. A. C. was kidnapped by five Pakistani nationals, including two Pak police personnel, on 25th August, 1966. He is still in Pak custody.

(c) and (d). Protests have been lodged with the Pakistan authorities at various levels and efforts to bring back the constable are continuing.

Rahul Club, New Delhi

*1326. **Shri Hardayal Devgun:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the premises of the Rahul Club Ltd., Defence Colony, New Delhi have been raided several times during the last seven months;

(b) whether it is also a fact that the Secretary of the said Club was arrested on the 5th March, 1968;

(c) whether, before the said Secretary was arrested, he had filed a case in the High Court against the Police Officers;

(d) whether Government have looked into the matter; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) to (e). The Delhi Police were not aware of the case mentioned at the time of the raid since the notices about the case filed in the High Court by the Secretary of the Club was received by the Delhi Police only on 12th March, 1968.

राजकीय सड़क परिवहन निगमों के लिए वित्तीय सहायता

*1327. **श्री को० सूर्यनारायण :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राजकीय सड़क परिवहन निगमों को कितनी राशि के ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता दी गयी ; और

(ख) क्या उन संगठनों को दी गई इस सहायता की राशि का उन्होंने लाभप्रद ढंग से समुचित उपयोग किया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

अपराध प्रक्रिया संहिता

*1328. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धाराएं 151,107 तथा 109 अंग्रेजी शासकों द्वारा पुलिस को जनता का दमन करने के लिए निर्बाध शक्तियां देने के उद्देश्य से बनाई गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा है ;

(ग) क्या सरकार का विचार अपराध प्रक्रिया संहिता की इन धाराओं और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 को समाप्त करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). अपराध प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय दण्ड संहिता के पुनरीक्षण का सम्पूर्ण प्रश्न विधि आयोग के परीक्षाधीन है तथा विधि आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उचित समय पर इस मामले में निर्णय लिया जाएगा।

वाणिज्यिक मध्यस्थ निर्णय के लिए विश्व न्यायालय

*1329. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश ने वाणिज्यिक मध्यस्थ निर्णय के लिए एक विश्व न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या इस सुझाव पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है और इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) वाणिज्य मध्यस्थ निर्णयों पर अन्तर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने, बताते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थ निर्णयों के लिए वाणिज्य मध्यस्थ निर्णयों का एक स्थायी न्यायालय बनाने का सुझाव दिया है।

(ख) सुझाव सरकार के ध्यान में औपचारिक रूप में नहीं लाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मंत्री-परिषद में मंत्रियों की संख्या

*1330. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य के मंत्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधान सभा

के सदस्यों की संख्या के दसवें भाग तक सीमित करने के लिए एक विधि बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन तथा सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). दल बदल समिति को मंत्रालय के गवेषणा विभाग द्वारा प्रस्तुत कार्य-पत्र में यह बताया गया है कि दल बदल को रोकने के लिए मंत्रि-मण्डल के सदस्यों की संख्या को सीमित करना भी एक कार्यवाही हो सकती है। सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी कोई विचारधारा नियत नहीं की है और समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा करना श्रेयस्कर समझेगी।

निकोबार द्वीपसमूह में व्यापार लाइसेंस रद्द करना अथवा उनकी अवधि न बढ़ाना

*1331. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स आर० आकूजी जादवेट एण्ड कम्पनी ने, जिसे पिछले निकोबार द्वीपसमूह में व्यापार का एकाधिकार प्राप्त था, सरकार द्वारा उनका व्यापार लाइसेंस रद्द कर दिये जाने अथवा उस लाइसेंस की अवधि न बढ़ाये जाने के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक लेखा-याचिका दायर की है ;

(ख) क्या उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरिम निषेधाज्ञा दिये जाने से न्यायालय के अवमान का कोई मामला उठ खड़ा हुआ है और यदि हां, तो उस मामले से सम्बन्धित अधिकारी कौन-कौन हैं ;

(ग) अवमान सम्बन्धी उस कार्यवाही का क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) उच्च न्यायालय द्वारा मूल लेखा याचिका का कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है और इस मामले में अब तक कितनी पेशियां पड़ चुकी हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-935/68]

गैर-सरकारी विमान "ऑस्टर" की दुर्घटना

*1332. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 मार्च, 1968 को कलकत्ता से लगभग 100 मील दूर पर एक निजी विमान "ऑस्टर" समुद्र में गिर गया था ;

(ख) क्या विमान में बैठे व्यक्ति विमान से बाहर निकलने तथा तैर कर किनारे पर आने में समर्थ हो गये थे ;

(ग) क्या इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच आरम्भ की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

कलकत्ता के श्री डी० एस० मजदा का ऑस्टर एगलेट विमान वी० टी० डी० एफ० क्यू० जोकि श्री के० जी० राव द्वारा चलाया जा रहा था तथा जिसमें दो यात्री बैठे हुए थे, 19 मार्च, 1968 को सुबह की दीपा समुद्र तट से रवाना होते समय डोल गया और समुद्र के उथले पानी में घुस गया । ज्वार की लहर से बाद में विमान उलट गया । लेकिन, विमान-चालक और यात्री उलटे हुए विमान से बाहर निकल आए और बिना कोई चोट लगे हुए पानी में चलकर किनारे पर आ गये । इसके बाद, विमान-चालक स्थानीय लोगों की मदद से विमान को समुद्र तट तक खींच लाया । दुर्घटना के परिणामस्वरूप विमान को क्षति पहुंची है ।

दुर्घटना की नागर विमानन विभाग के एक प्रवर विमान सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है ।

गन्धक साफ करना

*1333. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट ने एक सफल प्रयोग किया है जिससे कोयला खानों से, विशेषकर आसाम की कोयला खानों से, बड़ी मात्रा में गन्धक प्राप्त किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने गन्धक को साफ करने के लिए क्या कार्यवाही की है ताकि इसके आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाई जा सके ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट ने असम कोयला से योगिकों के रूप में गंधक निकालने के लिए प्रयोगशाला प्रक्रियाएं तैयार की हैं। विस्तृत जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

विद्रोही मिजो से मुठभेड़

*1334. **श्री स्वैल :**

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 मार्च, 1968 को इम्फाल (मनीपुर) के दक्षिण-पश्चिम में

आठ मील दूर एक स्थान पर विद्रोही मिजो लोगों से हुई एक मुठभेड़ में 20 जवान मारे गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मनीपुर के इस क्षेत्र में विद्रोहियों के साथ मुठभेड़ बढ़ रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) 20 मार्च, 1968 को मिजो पहाड़ी जिले में मिजो विद्रोहियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा दलों के बीस कर्मचारी मारे गये थे।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) मिजो विद्रोहियों की गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा दलों की कार्यवाहियां जारी हैं और जहां सम्भव होता है उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

महात्मा गांधी हत्या जांच

*1335. **श्री मधु लिमये :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री अम्बचेजियान :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी-हत्या जांच में लम्बी अवधि के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थगन की मांग की जाने तथा न्यायाधीश कपूर की अप्रसन्नता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ; और

(ख) जांच कार्य को तेज करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सरकार को यह जानकारी है कि महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा गांधी हत्या-जांच आयोग से लम्बी अवधि के लिए स्थगन करने का अनुरोध किया है। आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कपूर ने कहा था कि यदि समुपदेशी लम्बी अवधि तक स्थगन के लिए कहें तो आयोग का कार्य रुक जायेगा।

(ख) जांच-कार्य तेज करने के लिये सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि 30 जून, 1968 तक कार्य पूरा किया जा सके।

Security Arrangements in Uttarakhand and Kumaon

*1336. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the security arrangements in Uttarakhand and Kumaon Division of the hilly areas of Uttar Pradesh are made by the Revenue Department ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether the security arrangements in the aforesaid Divisions are proposed to be made by his Ministry in future; and

(d) if so, from which date and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). No, Sir. However, in some parts of these areas, pending extension of civil police administration, the local revenue authorities have been empowered to exercise the functions of the Police, under the Criminal Procedure Code. These functions will be transferred to the Police as and when police circles are constituted and police stations notified.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

दिल्ली में होटलों में भोजन की दरें

*1338. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री लोबु प्रभु :
श्री गिरिराज शरण सिंह :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक होटल ने हाल ही में प्रति व्यक्ति भोजन के लिये एक सौ रुपये लिये थे तथा सरकारी होटलों में भी भोजन की दर 25 रुपये तक होती है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार इतनी अधिक दरें की जाने से होने वाले आर्थिक परिणामों का विचार किया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार लाइसेंस की एक शर्त के रूप में होटलों और रेस्तरांओं की श्रेणियों के अनुसार भोजन की अधिकतम दरें निर्धारित करने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। यह मालूम हुआ है कि एक गैर-सरकारी होटल ने नये वर्ष के समारोह में भोजन के लिये सब मिलाकर प्रति व्यक्ति 100/-रुपये लिये। यह सही है कि सरकारी होस्टलों में गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास तथा भोजन की दर 25/-रुपये होती है।

(ख) और (ग). अनुमोदित होटलों में दैनिक आधार पर भोजनादि की दरें पर्यटन विभाग से परामर्श करके निर्धारित की जाती हैं, लेकिन प्राइवेट पार्टियों द्वारा दावतों, इत्यादि के लिए किये गये व्यक्तिगत प्रबन्धों के लिये भोजन की कोई अधिकतम दरें निर्धारित नहीं की जाती हैं। होटलों का वर्गीकरण और रेस्टोरेण्टों का अनुमोदन करने के लिये इस मंत्रालय के द्वारा स्थापित होटल पुनरालोकन तथा सर्वेक्षण समिति को प्रत्येक वर्ग के होटलों की दरों के मानकीकरण के लिए एक युक्तिसंगत प्रणाली निर्धारित करने के उद्देश्य से स्टार प्रणाली के आधार पर वर्गीकृत किये गये होटलों के द्वारा ली गई भोजनादि की दरों का पुनरालोकन करने का कार्य भी सौंपा गया है।

बम्बई में लोगों के आने पर प्रतिबन्ध

*1339. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई नगर में लोगों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने की महाराष्ट्र सरकार की प्रस्तावित कार्यवाही की सरकार को जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

कलकत्ता में छात्रों द्वारा हिंसात्मक कार्यवाही

*1340. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नक्सलबाड़ी समर्थक वर्ग के माओवादी विद्यार्थियों की हिंसात्मक कार्यवाहियों के कारण कलकत्ता में अनेक शिक्षा संस्थाओं में विशेषकर कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा प्रेजिडेंसी कालेज में शिक्षा के क्षेत्र में शान्ति तथा व्यवस्था की गम्भीर समस्या तथा अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है ;

(ख) क्या अनेक विद्यार्थियों को अपनी माओवादी राजनैतिक विचारधारा मनवाने के लिये विवश करने के उद्देश्य से इन माओवादी विद्यार्थियों ने बुरी तरह मारा पीटा और परेशान किया है ;

(ग) क्या ये माओवादी विद्यार्थी शिक्षा संस्थाओं में प्रायः माओवादी नारे लगाते रहते हैं, माओ-त्से-तुंग के चित्रों का प्रदर्शन करते रहते हैं तथा माओवादी साहित्य बांटते रहते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की राष्ट्र-विरोधी तथा विध्वंसक गतिविधियों को रोकने के लिये पश्चिमी बंगाल के शिक्षाविदों तथा अन्य विद्यार्थियों की सहायता से आम विद्यार्थियों को संगठित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) से (घ). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

पुराने विमानों के बदलने के सम्बन्ध में लाल आयोग की सिफारिशें

*1341. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाल आयोग ने इंडियन एयरलाइन्स के पुराने विमानों को बदलने के सम्बन्ध में अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस समिति ने अन्य विमानों की तुलना में रूस में निर्मित टी-यू-134 विमान को अनुपयुक्त माना है ; और

(ग) आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने नये विमानों को खरीदने की अपनी क्रय नीति में कोई परिवर्तन किये हैं और यदि हां, तो नये विमानों को खरीदने के सम्बन्ध में सरकार की नई नीति क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान बेड़े में वाईकाउण्ट विमानों को बदल कर उनके स्थान पर रखने के लिए किसी उपयुक्त विमान की सिफारिश करने लिए एयर मार्शल पी० सी० लाल की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गयी। समिति ने सोवियत टी०-यू०-134 विमान सहित बहुत से विमानों की उपयुक्तता पर विचार किया। समिति की मुख्य सिफारिश यह थी कि कुछ और वर्षों तक वाईकाउण्ट विमानों को बदलना आवश्यक नहीं है।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स के विमान-बेड़े में वृद्धि करने का एक प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में एयरलाइन्स द्वारा प्रायोजित एक दल ने हाल में यूनाइटेड स्टेट्स की यात्रा की और अब वह दल मास्को और लन्दन की यात्रा कर रहा है।

Strike by Delhi School Teachers

*1344. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Shri Gopal Saboo :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have received a letter from the Chairman of the Standing Committee of the Delhi Municipal Corporation in connection with calling off the strike by the teachers in Delhi schools ;

(b) if so, the contents of the letter and the reaction of Government thereto ;

(c) the reasons for which Government did not take the Delhi Municipal Corporation and Delhi Administration into confidence at the time of talks with the teachers ; and

(d) the assurances given to the teachers by Government at the time when the strike was called off ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

The Chairman of the Standing Committee of the Delhi Municipal Corporation had sent a letter to the Union Home Minister on the 3rd January, 1968 in connection with revision of pay scales of Delhi teachers announced by the Central Government on the 21st December, 1967 and not in connection with calling off the strike by the teachers in Delhi schools. He had suggested that the revised scale of pay of primary teachers with Matric qualification should be brought at par with that of primary teachers with Higher Secondary qualification. The Government have since decided to bring at par the maximum of the two pay scales. No assurances were given by the Government to the teachers at that time.

कलकत्ता में बम बरामद करना

*1345. **श्री हेम बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 मार्च, 1968 को कलकत्ता में बोलियाघाट क्षेत्र में 9 अविस्फूट बम और कुछ चाकू बरामद किए गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बरामदगी का ब्योरा क्या है और इस घटना के पीछे क्या संभावित उद्देश्य होगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सी० टी० आई० रोड, अहाता संख्या पी-175 की तलाशी लेने पर एक मिट्टी के घड़े में रखे नौ चालू बम, एक "भोजाली" दो रामपुरिया चाकू, दो कागज के पैकेट जिनमें क्रमशः 115 तथा 100 ग्राम सफेद पाऊडर था और एक बोतल जिसमें कुछ मात्रा में अवैध शराब थी, पुलिस द्वारा बरामद किए गए। राज्य सरकार के अनुसार विस्फोटक तथा घातक शस्त्रों का सम्बन्ध साम्प्रदायिक दंगों से था जिन्होंने बोलियाघाट को प्रभावित किया था। इस घटना पर एक मामला आरम्भ किया गया है और पांच व्यक्ति हिरासत में ले लिए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है।

बेरोजगार इंजीनियरों को गैर-सरकारी उद्योगों में रोजगार देना

*1346. **श्री रा० बरुआ :**
श्री मोहन सिंह ओबराय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़ी संख्या में बेरोजगार इंजीनियरों को गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में रोजगार देने के अवसरों का पता लगाने के लिए गैर-सरकारी उद्योगपतियों के साथ बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). हमारे क्षेत्रीय अधिकारी, इंजीनियर स्नातक और डिप्लोमाधारियों को और अधिक अच्छी रोजगार सुविधाओं और विशेषकर व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए निजी उद्योगों से विचार-विमर्श कर रहे हैं। 5,000 प्रशिक्षण स्थान प्राप्त होने की आशा है।

भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी

7677. **श्री बैं० ना० कुरील :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त देश की विभिन्न भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थाओं में कुल कितने तकनीकी

विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं ; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों अथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों की कुल अलग-अलग संख्या कितनी हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

	जोड़	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित कबीले
खड़गपुर	2332	11	3
बम्बई	1972	7	—
मद्रास	1584	—	—
कानपुर	1546	4	—
दिल्ली	1425	5	—
जोड़ :	8859	27	3

इण्डिया बैंल्टिग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड से सम्बन्धित दस्तावेजों का पकड़ा जाना

7678. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेष पुलिस विभाग ने वर्ष 1959 में इण्डिया बैंल्टिग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, सीरामपुर, पश्चिम बंगाल से कम्पनी के तत्कालीन प्रबन्धकों द्वारा एक आयात लाइसेंस की धोखाघड़ी और दुरुपयोग से संबंधित कुछ वर्षों की पुस्तकें कागजात और दस्तावेज पकड़े थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देर के क्या कारण हैं और इस मामले में कौन-कौन से व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सन् 1960 में विशेष पुलिस संस्थान द्वारा मैसर्स इण्डिया बैंल्टिग एण्ड काटन मिल्स लि०, सीरामपुर से कुछ दस्तावेज बरामद किये गये जिनके विरुद्ध उनको दिये गये आयात लाइसेंस द्वारा आयात की गई सामग्री के दुरुपयोग के आरोप थे। फर्म के विरुद्ध न्यायालयी कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई और सर्वोच्च न्यायालय ने अपील के लिये विशेष अनुमति प्रदान नहीं की।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में सड़क कर की वसूली

7679. **श्री मधु लिमये :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968-69 के लिये दिल्ली में मोटर गाड़ियों के सम्बन्ध में सड़क कर की वसूली के लिये खोले गये दफ्तरों/बूथों पर लोगों को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये लोगों को घंटों धूप की प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(ग) इस बात के लिये सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कार्यवाही की जा रही है कि लोगों को कर टोकन प्राप्त करने में कुछ मिनटों से अधिक समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़े और इस प्रकार इन दफ्तरों/बूथों पर लम्बी प्रतीक्षा के कारण लोगों के काम के समय का नुकसान न होने पाये ; और

(घ) क्या नार्थ ब्लाक में खोले गये बूथ में सड़क करों की वसूली की अन्तिम तिथि बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन के अनुसार, यद्यपि कर जमा करने के कार्यालयों, बूथों पर भारी भीड़ होती है किन्तु यह तथ्य नहीं है कि लोगों को वहां घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कर दाताओं की सुविधा के लिये अब तंबुओं की भी व्यवस्था कर दी गई है।

(ग) दिल्ली में मोटर गाड़ी कर जमा करने के लिये 84 काउन्टर खोले गये हैं। क्यू में कमी करने के लिये टोकन जारी करने की प्रणाली भी चलाई गई है।

(घ) जी नहीं। दिल्ली मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1962 के अधीन दिल्ली प्रशासन द्वारा कर की अदायगी के लिये अन्तिम तिथि निश्चित की जाती है।

त्रिपुरा में सड़कों का विकास

7680. **श्री माणिक्य बहादुर :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968-69 में त्रिपुरा में सड़कों के विकास की कोई योजना त्रिपुरा सरकार ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे सरकार ने स्वीकृति दे दी है ;

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) उसकी क्रियान्विति के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). त्रिपुरा सरकार ने सड़क विकास की 1968-69 की अपनी वार्षिक योजना, योजना आयोग को प्रस्तुत की जिसमें निम्न निर्माण-कार्यों पर कुल 135.53 लाख रुपये के कुल उद्व्यय का विचार था :

	(रु० लाखों में)
1. अगरतला-आसाम सड़क पुलियों और एस० पी० टी० पुलों के बदलने सहित	36.81
2. अगरतला-उदेपुर-सबरूम सड़क	6.14
3. अम्बासा-बोगाफा सड़क	13.10
4. मुख्य जिला सड़कें और अन्य जिला सड़कें	75.36
5. ग्रामीण सड़कें	3.06
6. मिट्टी परीक्षा प्रयोगशाला, पुलों का सर्वेक्षण, इत्यादि	1.06
योग :	135.53

सड़कों के लिये कुल योजना उद्व्यय 1968-69 के लिये 90 लाख रु० है।

(घ) विशेषकर सड़क विकास-कार्यों के लिये त्रिपुरा सरकार को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। उसे कुल राजस्व व्यय की कुल कमी को पूरा करने के लिये अनुदान सहायता दी जाती है और निबल पूंजी व्यय (अर्थात व्यय घटाइये वसूलियां) को पूरा करने के लिये ऋण दिया जाता है।

कच्छ सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था

7681. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ क्षेत्र में मछली पकड़ने वाली पाकिस्तानी नौकाओं के बड़े पैमाने पर अवैध प्रवेश को ध्यान में रखते हुये गुजरात के मुख्य मंत्री ने कच्छ सीमा के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उपायों के बारे में 22 मार्च, 1968 को नई दिल्ली में प्रधान-मंत्री तथा गृह-मंत्री के साथ बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र की सुरक्षा समस्या के बारे में मुख्य मंत्री का मूल्यांकन क्या है ; और

(ग) इस बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). स्वीकृत किया गया था कि क्षेत्र की सुरक्षा के लिये सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में चलने वाले जहाज

7682. **श्री गणेश** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक द्वीप से दूसरे द्वीप के बीच चलने वाले ऐसे जहाजों की कुल संख्या कितनी है जो अन्दमान निकोबार में यात्रियों को लाने ले जाने के लिये प्रयोग में लाये जाते हैं, वे किन-किन मार्गों पर चलते हैं तथा उनमें कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं ;

(ख) क्या ये सभी जहाज सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाले जीवन एवं यात्री प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में भारतीय वाणिज्यिक नौवहन नियमों का पालन करते हैं ;

(ग) माल ढोने वाले जहाजों की संख्या कितनी है तथा क्या वे भी वाणिज्यिक नौवहन नियमों का पालन करते हैं ; और

(घ) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कितनी गैर-कानूनी पोचिम नौकाएं पकड़ी गई हैं तथा क्या सरकार उनका प्रयोग कर रही है तथा किस काम के लिये ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

बम्बई का सहायक बन्दरगाह

7683. **श्री दामानी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के सेवा-नहावा में एक सहायक बन्दरगाह स्थापित करने का निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). पोर्ट ट्रस्ट के सलाहकारी इंजीनियरों द्वारा बम्बई पत्तन के भविष्य विकास के लिये एक मास्टर योजना जिसमें भविष्य में होने वाले यातायात और तकनीकी विकास का विचार भी रखा गया है, तैयार की जा रही है। नवाशेवा में बम्बई के लिये एक सहायक पत्तन निर्माण करने का प्रश्न भी मास्टर योजना अध्ययन का एक अंग है। मास्टर योजना के जून, 1968 तक तैयार हो जाने की आशा है, उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाना है और सहायक पत्तन परियोजना के ब्योरे तैयार किये जाने हैं।

दिल्ली प्रशासन द्वारा योजनाओं का समाप्त किया जाना

7684. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के विकास से संबंधित लगभग 37 योजनाएं समाप्त करने के लिए बाध्य हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारण इस संघ राज्य क्षेत्र को होने वाले हानि का अनुमान लगा लिया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार बजट की राशि बढ़ाने या कटौती को बहाल करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में जिन योजनाओं के लिये बजट व्यवस्था नहीं की गई है उनकी संख्या 33 है ।

(ख) और (ग). 33 योजनाओं के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रस्तावित कुल लागत केवल 22.473 लाख रुपये थी जोकि 1968-69 के दौरान इस क्षेत्र के लिये 23.40 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत प्लान लागत का बहुत छोटा अंश है । फिर भी यह निश्चय किया गया है कि स्वीकृत योजनाओं के लिए प्लान लागत को उतना बढ़ाया जा सकता है जितने अतिरिक्त साधन, दिल्ली प्रशासन द्वारा वर्तमान करों के अतिरिक्त और अधिक कर लगाकर तथा गैर-प्लान व्यय में किफायत करके, जुटाये जा सकते हैं ।

संगीत नाटक अकादमी के प्रकाशन

7685. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रकाशित किये गये प्रकाशनों के नाम तथा संख्या कितनी है ;

(ख) प्रत्येक प्रकाशन की कितनी प्रतियां छापी गई हैं तथा उस पर कितनी लागत आई है और प्रत्येक प्रकाशन की कितनी प्रतियां बेची गईं तथा कितनी (प्रकाशनवार) गोदाम में बिना बिकी पड़ी हैं ;

(ग) अधिक प्रतियां छापने के कारण सरकार को कितनी हानि हुई है तथा ऐसा करने के क्या कारण थे ; और

(घ) बिना बिके प्रकाशनों को बेचने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 1-4-1966 से 10-4-1968 तक की अवधि के दौरान अकादमी ने सात प्रकाशन प्रकाशित किये हैं । इन प्रकाशनों के नाम हैं :

1. ओंकार नाथ ठाकुर के विषय में मोनोग्राफ (हिन्दी)
2. गीत भारती (कन्नड़)
3. संगीत नाटक ... 2
4. संगीत नाटक ... 3
5. संगीत नाटक ... 4
6. संगीत नाटक ... 5
7. संगीत नाटक ... 6

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-936/68]

(ग) सामान्यत: 1000 प्रतियां छापने का आदेश होता है जो इस तथ्य को देखते हुए अधिक नहीं है कि मुद्रण आदेश एक निश्चित सीमा से कम नहीं किया जा सकता। प्रत्येक मामले में मुद्रित प्रतियों की संख्या मुद्रण-खर्च में बचत के अनुपात में आवश्यक समझी जाती है। अकादमी द्वारा प्रकाशित प्रकाशन विशिष्ट प्रकृति के होते हैं और इसलिये उनका आकर्षण बहुत सीमित होता है। इसलिये उनकी शीघ्र बिक्री की सम्भावना नहीं हो सकती। तथापि प्रकाशन कालावरोधित नहीं हैं और उनका दीर्घकालीन महत्व है और ऐसी धारणा है कि उनमें से अधिकतर का निपटारा तथा समय हो जाएगा यद्यपि बिक्री की गति कुछ धीमी दिखलाई दे सकती है।

(घ) बिक्री के प्रोत्साहन के लिए, अकादमी ने उपयुक्त पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं आदि में विज्ञापनों के जरिए प्रकाशनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के ध्यान में लाने के लिये कदम उठाए हैं। प्रकाशनों की बिक्री के लिये अकादमी ने बहुत सी बिक्री एजेन्सियों के साथ भी करार किए हैं।

डकोटा विमान

7686. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कितने तथा कितने मूल्य के डकोटा विमान बेचे जाने हैं या अलग रखे जाने हैं ;

(ख) उनसे स्थायी रूप से छुटकारा पाने के लिये क्या विशेष कारण हैं ;

(ग) छोटे मार्गों पर डकोटा के स्थान पर कौन से विमान प्रयोग में लाये जायेंगे ;

(घ) डकोटा विमान कितने पुराने हैं और इस समय किस हालत में हैं ; और

(ङ) पुराने डकोटा विमानों की बिक्री से इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को कितनी हानि हुई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पास इस समय 29 डकोटा विमान हैं जिन्हें कि अन्तत: बदल कर उनके स्थान पर दूसरे विमान लाए जाने हैं। इनमें से 20 डकोटा विमानों की मूल लागत 36.03 लाख रुपया थी, लेकिन अब उनका लगभग पूरा मूल्य ह्रास हो चुका है।

(ख) डकोटा विमानों के परिचालन बहुत अलाभप्रद हैं।

(ग) फोकर फ्रेंडशिप और एच० एस०—748 विमान।

(घ) डकोटा विमानों द्वारा उड़ान किये गये घण्टों की संख्या 23,000 से लेकर 37,400 तक भिन्न-भिन्न है। परिचालित किये जाने वाले विमान अच्छी हालत में रखे जाते हैं।

(ङ) मूल्यह्रास को दृष्टि में रखते हुए, इन डकोटा विमानों की बिक्री से कारपोरेशन को कोई हानि नहीं होगी।

Shastri Degree

7687. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shastri Degree has been acknowledged as equivalent to B. A. and Acharya Degree to M. A. in accordance with the Central Government of India Circular No. F. 46-1/63-SU dated the 23rd January, 1964; and

(b) if so, the reasons for which the persons holding Shastri Degree have been placed in the lowest grade of J. B. T. in Haryana State ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) The Shastri and the Acharya degree have been recognised as equivalent to B. A. and M. A. degree respectively by the Government of India. The State Governments and Universities etc. were also requested to recognise them on the same basis. But not all State Governments (including Haryana) or universities have so far agreed to the suggested equivalence.

(b) The requisite information has been called for from the Government of Haryana.

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का विकास

7688. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के सीमान्त तथा आदिमजातीय किन्नौर जिले में वित्तीय वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में विभागवार किए गए कम व्यय का व्योरा क्या है ;

(ख) कम राशि के खर्च किए जाने के कारण क्या हैं और क्या कोई ऐसी कार्यवाही की गई है जिससे भविष्य में नियत की गई राशियों का पूरा उपयोग हो सके ;

(ग) किन्नौर में कम राशि के व्यय किये जाने से जो राशि बची उसे किस प्रकार से खर्च किया गया ; और

(घ) क्या किन्नौर जिले को चालू योजना की शेष अवधि में बजट में रखी गई राशि से अधिक राशि देकर यह कमी पूरी की जाएगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 1966-67 की मांगी गई सूचना को बतलाने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-937/68]। 1966-68 के बारे में इसी प्रकार की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा, भविष्य में बजट व्यवस्था का पूर्ण उपयोग करने के लिए, आदेश जारी किए गए हैं।

(ग) किन्नौर जिले के लिए स्वीकृत अनुदान से बचा हुआ धन या तो वापस लौटा दिया गया है या 1966-67 के लिए कुल उपलब्ध अनुदान का अल्पतः उपयोग करने के लिए उन विभागों को दे दिया गया है जिन्हें तत्कालिक कार्यों/योजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता थी ।

(घ) जहां कहीं कमी पदों के न बनाए जाने/रिक्त पदों की वजह से है, उस स्थिति में आने वाले वर्ष में अतिरिक्त राशि नियत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है । तथापि, देरी से प्रारम्भ करने/परियोजनाओं/योजनाओं की क्रियान्वित न किए जाने की वजह से होने वाली कमी को, समस्त आर्थिक स्थिति तथा उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए, आने वाले वर्ष में अधिक धन देकर पूरा किया जाएगा ।

उत्तर प्रदेश में शिकार नियमों का उल्लंघन

7689. **श्री रा० रा० सिंह देव : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में उच्च सरकारी अधिकारियों की सहायता से विदेशी मिशनों के कुछ सदस्य शिकार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इन तथ्यों की जानकारी दे दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ऐसी रिपोर्ट मिली है, परन्तु रिपोर्ट से यह पता नहीं चलता कि इसमें किसी सरकारी कर्मचारी का हाथ था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) नई दिल्ली में स्थित विदेशी दूतावासों को समय-समय पर ये परामर्श दिए गए हैं कि इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करें कि उनके विशेषाधिकार प्राप्त एवं इतर कर्मचारियों द्वारा राज्य सरकारों के नियमों का अनुपालन किया जाता है ।

केन्द्रीय सचिवालय और बहादुरगढ़ के बीच बस-सेवा

7690. **श्री अब्दुल गनी दार : क्या परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बसों के परिमिट जारी करने के बारे में हरियाणा सरकार और दिल्ली प्रशासन के बीच कुछ विवाद है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली और बहादुरगढ़ के बीच उपनगरीय बस सेवाओं को इस विवाद के कारण नुकसान हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आई० ए० एस०, आई० सी० एस० तथा आई० पी० एस० में पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के व्यक्ति

7691. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति आई० सी० एस० तथा आई० पी० एस० अधिकारी हैं ; और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उन सेवाओं में किस तारीख को प्रविष्ट हुआ था ; और

(ख) रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के भारतीय सिविल सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के नाम, सेवा में प्रविष्ट होने की तारीख तथा जनवरी, 1968 को उनके द्वारा सम्हाले गये पद संलग्न विवरण में दिखाये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-938/68]

विदेशों में भेजे गए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्र

7692. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1953-54 से लेकर अब तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने छात्र तत्सम्बन्धी समुद्र पार छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत विदेशों में भेजे गये ; और

(ख) रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में उनमें से प्रत्येक की इस समय क्या स्थिति है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-939/68]

(ख) छात्रवृत्ति प्रदान करने से छात्र को रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती । इसलिये कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

जनगणना कार्यालयों में विशेषज्ञ

7693. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनगणना कार्यालयों से इस समय कितने मानव-विज्ञान शास्त्री, समाज-विज्ञान शास्त्री और अर्थ-शास्त्री पृथक-पृथक स्थाई रूप से सम्बद्ध हैं ;

(ख) क्या गत दस वर्षों में जनगणना सम्बन्धी आंकड़ों के विश्लेषण के लिये विशेषज्ञों के अनुपात में कोई परिवर्तन हुआ है ;

(ग) 1960 के निरन्तर आधार पर समाज सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने तथा मानव विज्ञान सम्बन्धी टिप्पणियां संकलित करने के लिये बनाई गई योजनाओं तथा परियोजनाओं का ब्योरा क्या है ;

(घ) उन विशेषज्ञों और अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो विशेष रूप से इस कार्य के लिये लगाये गये हैं ; और

(ङ) क्या शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिये कार्य का कोई कार्यक्रम और समय-सीमायें निर्धारित की गई थीं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जनगणना कार्यालयों से स्थायी रूप में कोई मानव-विज्ञान शास्त्री, समाज विज्ञान शास्त्री या अर्थ-शास्त्री सम्बद्ध नहीं हैं ।

(ख) 1961 की जनगणना में पहली बार एक गवेक्षण अधिकारी जनगणना की कृषि सम्बन्धी आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिये तथा गवेक्षण अधिकारी जनगणना की अर्थ संबंधी सामग्री का विश्लेषण करने के लिये नियुक्त किये गये थे । इसके अतिरिक्त, 1961 के अन्त में, ग्रामों में, जनगणना संगठन द्वारा परम्परागत कलाओं तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों की सामाजिक आर्थिक प्रणाली से सम्बन्धित, किए गए जांच कार्यों की देख-भाल करने के लिये, एक समाज वैज्ञानिक के अधीन एक अलग समाज अध्ययन एकक बनाया गया था ।

(ग) समाज सम्बन्धी आंकड़ों तथा मानवविज्ञान सम्बन्धी अध्ययन को पूरा करने के लिए 1960 से आरम्भ की गई योजनाएं/परियोजनाओं का ब्योरा इस प्रकार है :

(i) समस्त भारत में करीब 600 ग्रामों का, समाज गठन तथा उन ग्रामों में सामाजिक प्रणाली का अवलोकन करने के लिए, एक समाज-अर्थ सर्वेक्षण किया गया था ।

(ii) समस्त भारत में करीब 209 हस्तकलाओं का तकनीकी-ऐतिहासिक तथा तकनीकी आर्थिक अध्ययन का कार्य आरम्भ किया गया है ।

(iii) भारत के समस्त प्रसिद्ध मेलों एवं त्यौहारों तथा 51 मेलों और त्यौहारों पर निबन्धों के बारे में विवरण संकलित करने की एक परियोजना आरम्भ की गई है ।

(iv) सगोत्र तथा सगाई सम्बन्धों के साथ विवाहों का एक सर्वेक्षण आरम्भ किया गया था ।

(v) समस्त देश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित मानव-विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त करने के लिये अध्ययन प्रारम्भ किये गये हैं ।

सभी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में वर्णमाला के क्रम में सिलसिलेवार ग्रन्थ सूचियां निकाली जा रही हैं। 5 संकलन समस्त अनुसूवित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को पूरा करने वाले वर्ण "K" तक 5 ग्रन्थ पहले ही प्रचारित कर दिये हैं। समस्त अनुसूचित जातियों के परम्परागत व्यवसायों तथा उनकी व्यवसायिक गतिशीलता को बताने वाला-जैसा कि 1961 की जनगणना द्वारा प्रकाशित किया गया था, एक ग्रन्थ तैयार किया जा रहा है।

विविध अध्ययन—इनमें भारत के प्रसिद्ध अजायबघरों में आदिम वस्तुओं की एक सूची, आसाम और मद्रास के चाय के पौधे लगाने में समाज-आर्थिक प्रणालियों का अध्ययन, रूरकेला के औद्योगिक क्षेत्र में आदिम तथा अन्य विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास ढांचे की निश्चित समाज-आर्थिक प्रणालियां, भारत में बुआई की बदली, कुछ चुने हुए कस्बों में मेहतरों की कार्यप्रणाली एवं जीवनयापन की दिशाएं, राजस्थान आदि के अनुसूचित क्षेत्रों के अध्ययन की एक सूची का संग्रह शामिल है।

(घ) रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में विशेषज्ञों तथा अन्य तकनीकी कर्मचारियों की संख्या, विशेष रूप से जिन्हें समाज सम्बन्धी अध्ययनों, जिनमें मानव विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन भी शामिल है, के कार्यों पर लगाया गया है, इस प्रकार है :

विशेषज्ञ	5
अन्य तकनीकी कर्मचारिवर्ग	29

(ङ) चूंकि ये सभी अध्ययन जनगणना के मुख्य कार्य के सहायक के रूप में लिये जाते हैं, अतः क्षेत्र में जनगणना अधिकारी के पास उपलब्ध समय तथा सुविधाओं एवं विभिन्न एजेन्सियों से मिलने वाले सहयोग की सीमा के अनुसार इनको आरम्भ किया गया है। इसीलिये इन सभी परियोजनाओं की प्रत्येक श्रेणी के कार्य का समय-समय पर पुनर्निरीक्षण किया जाता है और अन्तर जनगणना अवधि में काम का कार्यक्रम बनाया जाता है।

Roads in U. P.

7694. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a demand has been made to U. P., P. W. D. that it should take over the work of constructing road from Pahalu to Chhatari from the Zilla Parishad ;

(b) whether it is also a fact that a similar demand has also been made for transferring the work on Aurangabad to Gulaothi road ; and

(c) if so, the action taken by Government on the said demand ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). The information is being collected from the State Government of Uttar Pradesh and will be laid on the table of the Sabha in due course.

हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम के न्यासों पर सरकार के प्रतिनिधि

7695. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम के विभिन्न न्यासों पर भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में श्री एम० के० वेंकटाचालम की नियुक्ति की अवधि और अन्य सम्बन्धी शर्तें क्या हैं ; और

(ख) श्री एस० के० वेंकटाचालम की योग्यताएं, पूर्व इतिहासिक और पिछले सम्बन्धों का क्या ब्योरा है और यदि उन्हें कोई वेतन दिया जाता है, तो कितना ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). समय-समय पर सरकार एक व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझती है, अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित करती है । ऐसे प्रतिनिधि के लिए कोई विशिष्ट अवधि निश्चित करना आवश्यक नहीं है ।

वर्तमान सरकारी प्रतिनिधि भारत सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी है, जिसको न्यासों से कोई वेतन नहीं दिया जाता ।

स्वर्गीय निजाम की सम्पत्ति

7696. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 22 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4734 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम के अवशेष 45 न्यासों में कितना धन लगा हुआ है तथा उनके नाम क्या हैं और इनके क्या उद्देश्य हैं;

(ख) हिज एक्सलेंसी हाइनेस निजाम के आभूषण न्यास में कैसे, कितने, किस आकार प्रकार के तथा कितनी कीमत के बहुमूल्य रत्न, जवाहरात तथा आभूषण इत्यादि हैं और अब ये वस्तुएं किसके आरक्षण में हैं;

(ग) क्या इन वस्तुओं के प्रयोग और उन्हें उनके वर्तमान आरक्षण से निकालने के लिये सरकार की अनुमति की आवश्यकता है;

(घ) क्या सरकार ने इन वस्तुओं की कीमत की हाल ही में जांच कराई थी; और

(ङ) यदि हां, तो कब और किस एजेन्सी द्वारा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जैसा कि 22 मार्च, 1968 को माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4734 के उत्तर में पहले कहा गया है, सरकार के पास स्वर्गीय निजाम के निजी न्यासों के बारे में कोई ब्योरा नहीं है ।

(ख) वस्तुएं एक अनुसूचित बैंक के सुरक्षित वाल्ट्स में जमा करा दी जाती हैं । इन जवाहरातों का मूल्य आंकना सरल नहीं है किन्तु यह सम्पत्ति अवश्य एक भारी मूल्य की है ।

सरकार इसे उचित नहीं समझती है कि जो जवाहरात निजाम की निजी सम्पत्ति के रूप में माने गये हैं उनका ब्योरा सर्वसाधारण को दिया जाय।

(ग) सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उसके प्रयोग आदि न्यास के प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विमान चालक

7697. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया तथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान-चालकों की सेवा की शर्तें तथा वेतन क्या-क्या हैं;

(ख) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में विमान चालकों की नियुक्ति के लिये अपेक्षित न्यूनतम अर्हता, आयु तथा अनुभव क्या हैं और किस प्राधिकारी को नियुक्ति करने के अधिकार प्राप्त हैं; और

(ग) देश में विभिन्न केन्द्रों पर विमान-चालकों के प्रशिक्षण हेतु इस समय क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और प्रशिक्षण का स्वरूप क्या है और इस पर कितना व्यय होता है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पाइलॉटों के लिये स्वीकृत वेतन दरें नीचे दी गयी हैं :

(I) **वेतन**

एयर इण्डिया	**न्यूनतम** रु०	**अधिकतम** रु०
(i) को-पाइलॉट	2,667	3,325
(ii) कमांडर	4,000	4,500
इण्डियन एयरलाइन्स		
(i) फर्स्ट आफिसर (डी० सी०-3/एफ-27, एच० एस०-748 या अन्य किसी बेसिक एयरक्राफ्ट का को-पाइलॉट)	2,014	2,397
(ii) कैप्टेन (डी० सी०-3 पर कमाण्ड)	2,615	3,025

	न्यूनतम	अधिकतम
(iii) कैप्टेन (डी० सी०-3 पर कमाण्ड तथा एफ-27/वाइकाउंट/डी० सी०-4 पर को-पाइलॉट)	2,890	3,300
(iv) कमाण्डर (एफ-27/डी० सी०-4/वाइकाउंट पर कमांड)	3,600	4,100
(v) कमाण्डर (एफ-27/डी० सी०-4/वाइकाउंट पर कमांड तथा कारवेल का को-पाइलॉट)	3,730	4,250
(vi) कमाण्डर (कारवेल पर कमांड)	3,975	4,475

(II) **कार्य के घंटे**

पाइलॉटों के संबंध में सामान्यता लागू होने वाले कार्य के घंटे निम्नलिखित हैं :

एयर इंडिया

प्रति उड़ान 9 घंटे उड़ान काल

12 घंटे उड़ान कार्य (ड्यूटी) काल

(जिसमें एक घंटा पंद्रह मिनट उड़ान से पहले और पंद्रह मिनट उड़ान के बाद का 'ब्रीफिंग' का काल भी सम्मिलित है)

नियतकालिक उड़ान काल सीमाएं

(i) लगातार 7 दिन	35 घंटे
लगातार 15 दिन	50 घंटे
लगातार 30 दिन	80 घंटे
एक कैलेंडर वर्ष	800 घंटे
(ii) **कार्य के कुल घंटे**	
लगातार 30 दिन	200 घंटे

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

उड़ान कार्य-काल	**उड़ान काल**		
24 घंटे में अधिकतम उड़ान कार्य की अवधि	**दैनिक घंटे**	**साप्ताहिक घंटे**	**मासिक घंटे**
जेट (कारवेल) $9\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$	26	65

पिस्टन और टरबाइन 11 (वाइकाउंट, डी० सी०-4, डी० सी०-3, एफ-27 तथा एच० एस०-748)	8	32	80

(iii) उपरोक्त के अलावा, कारपोरेशन के पाइलॉट इन उपलब्धियों के भी अधिकारी होते हैं : समयोपरि वेतन, स्टे-ओवर/स्टेशन या ले-ओवर भत्ता, विशेष यात्रा भत्ता, विभिन्न दरों पर भोजन भत्ता।

(ख) : (I) **अर्हताएं**

(i) वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंस।

(ii) इंस्ट्रूमेंट रेटिंग सर्टिफिकेट अथवा इंस्ट्रूमेंट रेटिंग सर्टिफिकेट जारी किये जाने के लिये तकनीकी परीक्षोत्तीर्ण।

(iii) फ्लाइट रेडियो टेलिफोनी आपरेटर का लाइसेंस।

(iv) डेकोटा एंडोर्समेंट अथवा डेकोटा तकनीकी परीक्षोत्तीर्ण।

(II) **आयु सीमा**

30 वर्ष

(III) **अनुभव**

न्यूनतम 250 उड़ान घंटे

(IV) नियुक्ति के लिये सक्षम अधिकारी जैनरल मैनेजर (महाप्रबंधक) है।

(ग) पाइलॉटों के आदितः प्रशिक्षण के लिये सुविधाएं अनुमोदित फ्लाइंग क्लबों के पास उपलब्ध हैं। इस समय 24 उपदान-प्राप्त क्लबें हैं जो अभ्यर्थियों को प्राइवेट पाइलॉट लाइसेंस जारी करने के लिये प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करती हैं। प्राइवेट पाइलॉट लाइसेंस जारी किये जाने के लिये प्रशिक्षणार्थियों को फ्लाइंग क्लबों के सदस्यों के रूप में भर्ती होने के अलावा निम्नलिखित दरों पर उड़ान शुल्क भी देने पड़ते हैं :

(i) प्रशिक्षणार्थियों के निम्नलिखित वर्गों के बारे में :

(क) 22 वर्ष से कम आयु वाले मैट्रीक्युलेट; (ख) सी० ए० डी०, आई० एम० डी०, आई० ए० एफ० अफसर नेवल अफसर, आर्मी अफसर जो क्वालिफाइड ओ० पी० पाइलॉट और एयरोड्रोम ओपरेटर हैं—ये समय-समय पर लगायी गयी प्रतिवर्ष संख्या विषयक सीमाओं के अधीन होंगे परन्तु इन पर आयु की पाबंदी नहीं होगी; (ग) बेरोजगार वाणिज्यिक पाइलॉट लाइसेंसधारी तथा फ्लाइट नेवीगेटर, आयु सीमा के निरपेक्ष रूप से :	25 रुपये प्रति घण्टा

(ii) एन० सी० सी० प्रशिणार्थियों सहित अन्य सब प्रशिक्षणार्थियों के बारे में 40 रुपये प्रति घण्टा।

फिलहाल देश में पाइलॉटों के वाणिज्यिक पाइलाट लाइसेंस के स्तर तक प्रशिक्षण के लिये कोई संगठित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु दोनों कारपोरेशनें अपने पाइलॉटों को उनके द्वारा परिचालित किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के विमानों के लिये योग्य बनाने के लिये प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं।

प्राइवेट फर्मों में नियुक्ति की अनुमति प्राप्त अधिकारी

7698. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय सिविल सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के कितने भूतपूर्व सदस्यों को निजी व्यापार फर्मों में नियुक्ति पाने की अनुमति दी गई है; और

(ख) उनके नाम और उन फर्मों के नाम व पते क्या हैं जहां वे नियुक्त हुए अथवा जिनके प्रबन्ध के साथ वे सम्बन्धित हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) नौ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-940/68]

ट्रेनिंगशिप 'डफरिन'

7699. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेनिंगशिप 'डफरिन' में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को प्रवेश के लिये आवेदन देते समय अधिवास-प्रमाण-पत्र देना होता है ;

(ख) क्या भारतीय प्रोद्योगिकीय संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए भी ऐसे प्रमाण-पत्र पेश करने होते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो किसी विशेष राज्य के भारतीय नागरिकों से ट्रेनिंगशिप 'डफरिन' में दाखिला लेते समय अधिवास प्रमाण-पत्र मांगने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव : (क) और (ख) प्रशिक्षण पोत 'डफरिन' में प्रवेश अर्हता लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षातकार के आधार पर होता है। अभ्यर्थियों को अधिवास प्रमाण-पत्र साक्षातकार के समय पेश करना पड़ता है। यह प्रमाण-पत्र विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा रखी गयी छात्रवृत्तियों को लेने की अभ्यर्थियों के पात्रता के सत्यापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

(ग) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी अधिवास प्रमाण-पत्र पेश करने पर जोर नहीं देती है। अनुमातः जिस कारण से प्रशिक्षण पोत 'डफरिन' में ऐसा प्रमाण-पत्र लिया जाता है उसका अस्तित्व उक्त इंस्टीट्यूटों के मामले में नहीं है। जहां तक विश्वविद्यालयों, जो स्वायत्त-शासी हैं, का संबन्ध है सूचना उपलब्ध नहीं है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये छात्रवृत्तियां

7700. **श्री सिद्दय्या :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के लिये बनाई गई मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 1.1.1968 को समाज कल्याण विभाग को हस्तांतरित कर दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) समाज कल्याण विभाग का निर्माण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित कबीलों के कल्याण का ध्यान विशेषरूप से रखने के लिए किया गया है। चौथी पंचवर्षीय आयोजना अवधि में आशा है कि यह योजना केवल एक शैक्षिक योजना न रहकर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास की प्रमुख योजनाओं में से इसे एक योजना बनाने के लिए यह एक समेकित रोजगार अभिमुख कार्यक्रम होगा।

अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के लोगों को शिक्षा संस्थाओं में दाखिला

7702. **श्री सिद्दय्या :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि उनके मंत्रालय ने इस बात के लिये सहमति व्यक्त की थी कि वर्ष 1964-65 में देश की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के छात्रों की भर्ती के बारे में जानकारी एकत्र की जायेगी और अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के आयुक्त को भेजी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पांच राज्यों को छोड़कर, अपेक्षित सूचना उपलब्ध है और उसी के अनुसार अनुसूचित जाति और आदिम जातियों के आयुक्त को सूचित कर दिया गया है। इन पांच राज्यों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों का तकनीकी संस्थाओं में दाखिला

7709. **श्री सिद्धय्या :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को एक परिपत्र भेजा था कि अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के विद्यार्थियों को तकनीकी तथा शिक्षा संस्थाओं में दाखिले के मामले में तीन प्रकार की रियायतें दी जायें;

(ख) यदि हां, तो देश की किन-किन संस्थाओं ने उपरोक्त सिफारिशों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर दिया है; और

(ग) किन-किन संस्थाओं ने इन सिफारिशों को अब तक कार्यान्वित नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . सूचना उपलब्ध नहीं है । देश की शैक्षिक संस्थाओं की कुल संख्या हजारों में है । किन्तु, यदि किसी भेदभाव का पता लगता है, तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान सुरक्षित करना

7704. **श्री सिद्द्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संविहित और अर्ध-सरकारी निकायों को हिदायतें दी हैं कि केन्द्रीय सरकार की भांति अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के लिये स्थान सुरक्षित करें;

(ख) यदि हां, तो उनमें से किन-किन ने वास्तव में स्थान सुरक्षित किये हैं और किन-किन ने अभी तक ऐसा नहीं किया है; और

(ग) ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) गृह-मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र उपक्रमों आदि को सीधे कोई अनुदेश जारी नहीं किये हैं । मार्च, 1964 में गृह-मंत्रालय ने, सरकारी क्षेत्र उपक्रमों से प्रशासनिक रूप में सम्बन्धित मंत्रालयों से अनुरोध किया था कि अपने नियंत्रण के अधीन उपक्रमों को अनुदेश जारी करें कि केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में आरक्षण के आधार पर अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण करें । परिनियत तथा अर्ध-सरकारी निकायों के बारे में गृह-मंत्रालय ने प्रशासनिक मंत्रालयों से 1954 में कहा था कि परिनियमित निकायों को निदेश दिये जायं, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण से संबन्धित आदेशों का तब पालन नहीं कर रहे थे, कि उनका पालन किया जाय यदि सम्बंधित परिनियम में ऐसे निर्देश देने की व्यवस्था हो । यदि किसी विशेष मामले में संबंधित परिनियम आरक्षण आदेशों के पालन करने की आज्ञा न देता हो तब मंत्रालयों से अनुरोध किया गया था कि वे परिनियत प्राधिकारणों से इन्हें अपनाने के लिये सिफारिश करें ।

(ख) मंत्रालयों से अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर सरकारी क्षेत्र उपक्रमों, परि-नियत तथा अर्ध-सरकारी निकायों की दो सूचियां संलग्न हैं । [**पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी०**-941/68] एक में उनके नाम दिये गये हैं जिन्होंने या तो अपनी सेवाओं में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण किये हैं अथवा जो ऐसा करने के लिये सहमत हो गये हैं तथा दूसरी में उनके नाम दिये गये हैं जो आरक्षण करने के लिये अभी सहमत नहीं हुए हैं तथा जिनसे आरक्षण करने के सम्बन्ध में सूचना की प्रतीक्षा है ।

(ग) सम्बन्धित उपक्रमों इत्यादि ने भिन्न-भिन्न कारण दिये हैं तथा उनमें से कुछ से उत्तरों की प्रतीक्षा है किन्तु मुख्यतः ये कारण उपक्रमों की विशेष आवश्यकताओं तथा कुछ पदों के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार मिलने में कठिनाई से सम्बन्धित हैं । तथापि सम्बन्धित उपक्रमों के साथ आरक्षण करने के प्रश्न पर पत्र-व्यवहार किया जा रहा है ।

यात्री कर

7706. **श्री रा० रा० सिंह देव :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमान द्वारा देश के बाहर जाने वाले लोगों पर यात्री कर लगाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव पर सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रस्ताव के ब्योरे की अभी जांच की जा रही है ।

होटल बनाने के लिये ऋण

7707. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के केन्द्रीय बजट में विदेशी पर्यटकों के लिये होटल बनाने के हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र के छोटे उद्यमीय को ऋण देने के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई है; और

(ख) गुजरात और महाराष्ट्र में पर्यटक होटल खोलने के लिये कितनी राशि नियत करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) होटल विकास ऋण निधि से होटल मालिकों को ऋण देने के लिये चालू वर्ष के बजट में 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) राज्य-वार कोई नियतन नहीं किये गये हैं ।

पुर्तगालियों द्वारा अपने साथ ले जाये गये बन्दी

7708. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से जाते समय पुर्तगाली अधिकारी अपने साथ कुल कितने बन्दी ले गये थे ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को इस बीच मुक्त कर दिया गया है और भारत लौटने दिया गया है तथा कितने व्यक्ति अब भी जेलों में यातना भुगत रहे हैं ; और

(ग) रिहा किये गये इन बन्दियों में से कितने व्यक्तियों को पुनः बसा दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत से जाते समय पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा कोई बन्दी साथ नहीं ले जाये गये थे ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Sanskrit University, Varanasi

7709. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the required progress of the Sanskrit University, Varanasi is being hampered due to the differences between the Professors and the Officers of the University ;

(b) whether it is also a fact that some big leaders are supporting the local party-politics and groupism there ;

(c) whether it is also a fact that there has always been the lack of educationists in the executive body of the University due to the aforesaid reason ; and

(d) if so, the steps being taken to improve the working of the University ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (d). The information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of Sabha in due course.

Aligarh Muslim University

7710. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the difficulties in the way of reaching a final decision so far in regard to the affiliation of all the Colleges in the Aligarh City to the Aligarh Muslim University ; and

(b) when the proposed Bill amending the Aligarh Muslim University Act would be introduced ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) There is already a provision in the Aligarh Muslim University Act which empowers the University to admit colleges and institutions situated within fifteen miles of the University Mosque, to such privileges of the University as it thinks fit. The Preamble to the Act, however, emphasises the residential character of the University and in effect the University has not affiliated any college so far.

(b) The proposals for amending the Aligarh Muslim University Act are under active consideration of the Government and a Bill will be introduced in the Parliament as soon as possible.

Delhi Police Personnel

7711. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of Delhi Police personnel dismissed and discharged from service during their strike last year ;

(b) the number of employees who are being prosecuted in the Court ; and

(c) the number Harijan employees among them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) During the period from 15 to 18 April, 1967 when some non-gazetted members of Delhi Police indulged in agitational activity, 11 among them were dismissed from service.

(b) 802.

(c) The number of Harijan employees among those who are facing prosecution in the Court is 147.

विदेशों में भारतीय विद्यार्थी

7712. **श्री ओंकर लाल बेरवा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में किन-किन स्थानों में कितने भारतीय विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा उन्हें क्या सुविधायें दी गई हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन विद्यार्थियों के लिये भारत वापस आने और राष्ट्र की सेवा करने की शर्त रखी है ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने विद्यार्थियों को भारत वापस आने पर सरकारी अथवा गैर-सरकारी सेवा में नियुक्त किया गया है ; और

(घ) क्या ऐसे भी विद्यार्थी हैं, जिन्होंने विदेशों में सेवा स्वीकार कर ली है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) विदेशों में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों के संबंध में नवीनतम सूचना संलग्न अनुबन्ध में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-942/68]

भारत सरकार, विदेश जाने वाले विद्यार्थियों पर कोई खर्च नहीं करती है। विदेशी छात्र-वृत्तियों के लिए वित्तीय व्यवस्था विदेशी सरकारें/संगठन करते हैं। किन्तु बहुत ही अपवाद रूप में यात्रा खर्च दिया जाता है।

(ख) यह शर्त, विदेशी सरकारों/संगठनों की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन विदेश जाने वाले प्रायोजित उम्मीदवारों पर लागू होती है।

(ग) और (घ). सूचना उपलब्ध नहीं है।

Allocation of Funds to Delhi Municipal Corporation During 1968-69

7713. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Municipal Corporation have urged upon Government to allocate more funds during 1968-69, otherwise some important schemes which included inter alia opening of new schools, construction of school buildings and malaria eradication, are likely to be adversely affected due to paucity of funds ; and

(b) the decision taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The Municipal Corporation of Delhi has requested the Government for larger provision of funds during 1968-69 for payment as grant-in-aid to it on account of the plan schemes relating to Education, Health and Roads to match the plan ceilings fixed by the Delhi Administration for them. The question of the payment of grant-in-aid to the Municipal Corporation of Delhi will be decided finally on the receipt of the recommendations of Morarka Commission which has been set up to look into the finances of the Corporation.

ताम्बरम के निकट राष्ट्रीय राजपथ संख्या 45 पर पुल

7714. **श्री कमलनाथन :**
श्री मयाबन :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में ताम्बरम के निकट राष्ट्रीय राजपथ संख्या 45 पर एक पुल निर्माण करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माणकार्य आरम्भ करने में विलम्ब में क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) इस मंत्रालय से डिजाइन की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद रेलवे अपने ही धन से इस उपरिगामी पुल का निर्माण करेगी। पहुंचमार्गों का निर्माण राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। रेलवे से आलेखन सहित उपरिगामी पुल की रूपान्तरित डिजाइन की प्रतीक्षा की जा रही है। इस बीच पहुंचमार्गों के लिये भूमि प्राप्त कर ली गई है और राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पहुंचमार्गों के निर्माण के लिये निविदायें मांगी गई हैं। निविदाओं के प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 17 अप्रैल, 1968 है।

Residence of Lt. Governor, Delhi

7715. **Shri Shri Chand Goel :**
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the official residence of the Lt. Governor of Delhi during the years 1965-66; and

(b) the expenditure proposed to be incurred in connection therewith during the years 1967-68 and 1968-69 ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). On the renovations, additions, alterations and maintenance of the Raj Niwas, Delhi, the official residence of the Lt. Governor, the following expenditure was incurred during 1965-66 to 1967-68 :—

1965-66	Rs. 23,073
1966-67	Rs. 54,669
1967-68	Rs. 1,48,548

An expenditure of Rs. 1,86,280 is proposed to be incurred on the maintenance, etc. of the building during the year 1968-69.

अन्दमान तथा निकोबार के कर्मचारियों द्वारा प्रधान मंत्री को ज्ञापन

7716. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री भगवान दास :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री नायनार :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य आयुक्त ने अन्दमान और निकोबार सरकारी कर्मचारी तथा कार्मकार संघ को अनुमति दी है कि वह प्रधान मंत्री को उनके हाल ही के दौरे के दौरान ज्ञापन प्रस्तुत कर सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सच है कि निकोबार द्वीपसमूह के उप-आयुक्त ने संघ को ज्ञापन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). अन्दमान तथा निकोबार सरकारी कर्मचारी तथा कार्मकार संघ की निकोबार शाखा प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन देना चाहती थी । प्रशासन ने निर्णय किया था कि प्रधान मंत्री को ज्ञापन 7 फरवरी, 1968 को अपराह्न 2.45 बजे कार निकोबार स्थित सर्किट हाउस में दिया जाय । प्रधान मंत्री के दौरे में कटौती किये जाने के कारण इस पूर्व-नियुक्ति को न निभाया जा सका ।

भारत में पुर्तगाली बस्तियों के भूतपूर्व अधिकारियों को पेंशन की अदायगी

7717. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री प० गोपालन :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री अनिरुद्धन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में भूततूर्व पुर्तगाली बस्तियों के कुछ भूतपूर्व अधिकारियों को पेंशन के रूप में अनुग्रहीत धनराशि दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों के नाम क्या हैं और इनको अनुग्रहीत कितनी धन राशि दी गई है ;

(ग) यह अनुग्रहीत धनराशि कब से दी जा रही है ; और

(घ) इस राशि को देने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). ऐसे 66 मामले हैं जिनमें पुर्तगाली बस्तियों के कुछ भूतपूर्व अधिकारियों को अनुग्रहीत धनराशियां दी जा रही हैं । इस पर सोलह हजार सात सौ छत्तीस रुपये छिहत्तर पैसे प्रति मास व्यय होता है । गोआ के भूतपूर्व प्रशासन ऐसी पेंशन देता आ रहा था तथा इन्हें गोआ की स्वतंत्रता के पश्चात चालू रखा गया है । पेंशनरों के नाम तथा उनमें से प्रत्येक को दी जाने वाली रकम दिखाने वाली एक सूची संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-943/68]

इण्डिया आफिस लाइब्रेरी

7718. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने भारत और पाकिस्तान के बीच लन्दन स्थित इण्डिया आफिस लाइब्रेरी के सामान के वितरण के लिए अन्तिम रूप से प्रस्तावित न्यायाधिकरण की स्थापना कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो न्यायाधिकरण के सदस्यों के नाम क्या हैं और यदि नहीं तो न्यायाधिकरण की नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इण्डिया आफिस लाइब्रेरी के बारे में विवाद को निपटाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). 23 फरवरी, 1968 को इस सभा में पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या 244 के मेरे उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है कि इस मामले पर पाकिस्तान सरकार के निर्णय की अभी प्रतीक्षा की जा रही है । पाकिस्तान सरकार से उत्तर उपलब्ध करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं ।

मिजो लोगों के साथ संघर्ष

7719. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो पहाड़ियों के विद्रोहियों के साथ सुरक्षा सेना के हाल ही के संघर्ष में एक स्वयंभू विद्रोही मुख्य आयुक्त मारा गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस स्वयंभू मुख्य आयुक्त से स्थानीय जनता को भय बना रहता था और इस आशय के दस्तावेज पकड़े गये थे ;

(ग) यदि हां, तो इस संघर्ष में कितने विद्रोही मारे गए ; और

(घ) सुरक्षा सेना तथा देशभक्त मिजो लोगों में से कितने व्यक्ति मारे गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान् । सुरक्षा दलों द्वारा कुछ दस्तावेज भी पकड़े गये थे ।

(ग) इस मुठभेड़ में तथाकथित मुख्य आयुक्त समेत पांच विद्रोही मारे गये थे ।

(घ) सुरक्षा दलों तथा देश-भक्त मिजो लोगों को कोई क्षति नहीं उठानी पड़ी ।

Indian Teachers Abroad

7720. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of Indian nationals engaged in teaching Hindi or Indian culture in U. S. S. R., U. A. R., New Zealand, Australia, Canada, Switzerland, U. K. and Burma respectively;

(b) the number of persons among them who have been sent there by the Government of India and the number of those who have adopted the teaching occupation there of their own accord; and

(c) the number of those among them who have taught higher classes in the Universities there ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) to (c). The required information is not available with the Ministry of Education. Information in regard to scholars deputed by the various governmental agencies in India for teaching Hindi and Indian culture in foreign countries referred to in the question is being collected and will be placed on the Table of the Lok Sabha in due course.

It will not be easy to collect similar information in respect of persons who while residing in those countries have taken up teaching work of their own accord. The results of the enquiry will not be commensurate with the labour involved.

राजस्थान सीमा पर पाकिस्तानी अतिक्रमण

7721. **श्री मधु लिमये :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों से पाकिस्तान राजस्थान के भारतीय राज्य-क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का प्रयत्न कर रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि उनकी गश्ती टुकड़ियां/आरक्षक/पुलिस कर्मचारी भारतीय राज्यक्षेत्र से पशु ले जा रहे हैं तथा लोगों का अपहरण कर रहे हैं ; और

(ग) सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ताकि उन घुसपैठियों को निकाला जा सके तथा राजस्थान के भारतीय राज्यक्षेत्र पर और अतिक्रमण न हो सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) पाक रेन्जर्स ने तीन भारतीय राष्ट्रिकों का अपहरण किया था जिनमें से दो भारत लौट आये हैं । पाक उप-सैनिक दलों द्वारा कोई मवेशी नहीं ले जाया गया है ।

(ग) गश्त को नियमित तथा कड़ा कर दिया गया है । नई सीमा बाहरी-चौकियां, जहां आवश्यक हैं, स्थापित कर दी गई हैं ।

अभियोगाधीन कैदी

7722. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि अभियोगाधीन कैदियों को लम्बी सजा काटनी पड़ती है और निर्दोष घोषित किये जाने के बाद उनके द्वारा काटी गई सजा का कोई मुआवजा उन्हें नहीं दिया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस बात के लिए कोई कानूनी उपबन्ध बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है जिससे अभियोगाधीन कैदियों में से कोई भी सामान्यतः दो महीने से अधिक समय तक तथा सेशन के मुकदमों के मामलों में चार महीने से अधिक समय तक कैद में न रखा जाय ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). क्योंकि कैदी तथा न्याय-प्रशासन दोनों ही राज्य-विषय हैं, अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Administrative Reforms

7723. **Shri R. S. Vidyarthi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the statements made by the Chairman, Administrative Reforms Commission and a Member thereof, published in the Hindustan Times of the 6th March, 1968 under the caption "Basic change needed to reform administration"; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The question apparently refers to the addresses delivered by Chairman and a Member of the Administrative Reforms Commission at the conference on Personnel Administration held at the Indian Institute of Public Administration in March 1968. As these addresses were delivered by them in their personal capacity, the question of Government expressing their reaction to them does not arise. The Administrative Reforms Commission has yet to submit its report on personnel administration to the Government and its recommendations will be considered by the Government when that report is received.

इम्फाल तामेंगलांक सड़क का निर्माण

7724. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में इम्फाल-तामेंगलांक सड़क और मणिपुर की नयी कचार सड़क के निर्माण कार्य के समय कितने कर्मचारी मारे गये थे ; और

(ख) कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन उनके परिवारों को कितनी क्षतिपूर्ति दी गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). मणिपुर की सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

ऐतिहासिक स्थानों पर पर्यटकों को सुविधायें

7725. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे ऐतिहासिक स्थानों की संख्या कितनी है जहां पर्यटकों के लिये अब तक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ;

(ख) उन ऐतिहासिक स्थानों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जहां पर्यटकों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है ; और

(ग) 1968-69 की वार्षिक योजना में पर्यटन पर कितनी धनराशि व्यय की जायेगी और किन-किन स्थानों का विकास किया जाना है।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). ऐतिहासिक महत्व के उन स्थानों की सूची, जहां कि दूसरी और तीसरी योजना के दौरान पर्यटन सुविधाएं प्रदान की गयी हैं और चौथी योजना में प्रदान करने का प्रस्ताव है, संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-944/68]**

(ग) 1968-69 की वार्षिक योजना के दौरान पर्यटन के लिए 3 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई। है 1.47 करोड़ रुपया पर्यटन विभाग के लिये और शेष 1.53 करोड़ रुपये का व्यय कोवालम, गुलमर्ग, नेहरूलोक (मैसूर), गोवा, दिल्ली, गोविन्दसागर (भाखड़ा डैम), आगरा, अजंता-एलोरा, खजुराहो, जयपुर, भरतपुर, दीग और वाराणसी की स्कीमों के लिये नियत है; इसमें वार्षिक योजना के भाग II के अन्तर्गत आने वाली पर्यटन विषयक स्कीमों के लिए राज्य सरकारों को दिये जाने वाले उपदानों के लिए 36.25 लाख रुपये की राशि भी सम्मिलित है।

सेंट्रल लेदर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, मद्रास

7727. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेण्ट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मद्रास ने हाल ही में हाफकिन इंस्टीट्यूट, बम्बई को एक चूहे के चर्म के लिये 40 पैसे देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो चर्म का क्या व्यापारिक लाभ होने की आशा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने चूहे के मांस का भी कोई इस्तेमाल निकाला है;

(घ) क्या उपरोक्त इन्स्टीट्यूट ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और चूहों के चर्म और मांस से कितनी आय होने की आशा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) संस्थान ने, 40 पैसे प्रति घूंस की चमड़ी (मालावारी चूहा अथवा पिग-चूहा) के हिसाब से हाफकिन संस्थान, बम्बई को देने का प्रस्ताव किया था।

(ख) चमड़े के रूप में तैयार करने के बाद घूंस की चमड़ी, बच्चों के जूतों का ऊपरी भाग, बटुए, थैलियां तथा घड़ियों के फीते बनाने के उपयुक्त पाई गई। अनुसंधान अभी जारी है।

(ग) संस्थान ने घूंस के मांस तत्वों की उपयोगिता के बारे में, अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

सेतुसमुद्रम योजना

7728. **श्री कुचेलर** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सेतुसमुद्रम योजना के लिये किसी अनुदान या ऋण के लिये कोई व्यवस्था नहीं की है जबकि तमिलनाड राज्य 35.4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर इस योजना को चलाने के लिये बाध्य है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). भारत सरकार ने लगभग 37 लाख रुपये की प्राक्कलित सेतुसमुद्रम योजना के लिये विस्तृत जांच की

सम्पूर्ण लागत की वित्तीय सहायता की है। यह जांच जो मद्रास की राज्य सरकार को सौंपी गई थी पूरी हो गई है और उसकी रिपोर्ट के शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है।

भुज में पाकिस्तानी लोगों की गिरफ्तारियां

7729. **श्री चित्तिबाबू** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 मार्च, 1968 के भुज में 60 पाकिस्तानी घुसपैठिये गिरफ्तार किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Schools Housed in Tents in the Capital

7730. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 620 on the 15th November, 1967 and state :

(a) whether the information regarding the accommodation requirements of the schools running in tents in the Capital has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the acreage of land so far allotted to them for constructing their buildings ; and

(d) the number of private and Government schools running in tents separately and also the number of students receiving education in those schools ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, Sir.

(b) Attention in this connection is invited to the statement laid on the table of the Lok Sabha on 4-4-1968 in fulfilment of the assurance in respect of Unstarred Question No. 620, dated the 15th November, 1967.

(c) The requisite information is given in the statement attached. **[Placed in Library. See No. LT-945/68]**

(d)

	No. of Schools in tents	No. of students receiving education
(i) Government schools	53	19,293
(ii) Government aided schools	6	1,784

पाकिस्तानी जासूस

7732. **श्री दीवीकन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी जासूस गुजरात, राजस्थान, पंजाब की सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि बीकानेर में हाल ही में पाकिस्तानी जासूसों तथा सुरक्षा बल के सैनिकों में मुठभेड़ हुई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या उनसे शस्त्र और बम भी पकड़े गये हैं; और

(घ) पाकिस्तानियों के बढ़ते हुए हस्तक्षेप के बारे में क्या पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेज दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राजस्थान तथा पंजाब में कुछ व्यक्तियों को, जिन पर पाक जासूस/सूचनावाहक होने का सन्देह किया गया है सीमाओं का उल्लंघन करने की वजह से पकड़ा गया है। गुजरात में, हाल में, सीमा का उल्लंघन करने के कारण ऐसा कोई व्यक्ति हिरासत में नहीं लिया गया।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

Archaeological Monuments

7733. **Snri Bharat Singh Chauhan**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether any archaeological monuments in India are considered to be of strategic importance,; and

(b) if so, the number of such monuments?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) and (b). The following centrally protected archaeological monuments are under the control or occupation, partly or wholly, of the military authorities:

1. Red Fort Delhi
2. Agra Fort, Agra
3. Govindgarh Fort Amritsar (situated in the border area)
4. Fort St. George, Madras
5. Golconda Fort, Hyderabad District (A. P.)
6. Fort Allahabad
7. Fort, Tellichery (Kerala)
8. Fort, Belgaum (Mysore)
9. Hari Parbat Fort, Jammu and Kashmir.

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39

7734. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 जो मणिपुर, नागालैंड होकर गुजरता है, हाल में सड़क के बैठ जाने अथवा भूस्खलन के कारण और अधिक खराब हो गया है, जिसके कारण यातायात में कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो राजपथ को अच्छी दशा में रखने के लिये आपातिक स्तर पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). जी नहीं। सरकार को राष्ट्रीय मुख्यमार्ग संख्या 39 के मणिपुर या नागालैंड में अभी हाल ही में खराब होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

1966 और 1967 की बरसातों में अत्यधिक वर्षा के कारण नागालैंड में सड़कों पर टूट-फूट, भूस्खलन और कुछ जमाव इत्यादि हो गया था। इनकी मरम्मत के लिये प्राक्कलन मंजूर किये जा चुके हैं। राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सूचना दी है कि निर्माण-कार्य में प्रगति हो रही है।

स्थायी उपचारी उपाय के रूप में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निर्माण के लिये पिफीमा (मील 28/0) से कोहिमा (मील 46/0) तक राष्ट्रीय मुख्य-मार्ग संख्या 39 का विशाखन प्रस्तावित किया गया है। सर्वेक्षण-कार्य प्रगति पर है और विशाखन का निर्माण-कार्य अपेक्षित धन के होने पर प्रारम्भ किया जायेगा।

शक्तिनगर, दिल्ली में इमारती लकड़ी का रखा जाना

7735. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 50,000 से 100,000 के लगभग इमारती लकड़ी के तख्ते ब्लाक संख्या 26, शक्तिनगर, नई दिल्ली के, जो अधिक बसा हुआ क्षेत्र है एक स्थान पर रखे हुए हैं;

(ख) क्या इस रिहायशी क्षेत्र में व्यापारिक प्रयोजनों के लिये इकट्ठे रखे गये तख्तों के कारण किसी भी समय आग लगने का खतरा बना हुआ है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्र के निवासियों ने नगर निगम, फायर ब्रिगेड (दमकल) तथा पुलिस स्टेशन में अनेक शिकायतें दर्ज कराई हैं परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). शक्तिनगर, दिल्ली में भूमि के एक खुले टुकड़े सं० 26/1/9 तथा 26/1/10 में दिल्ली नगर निगम से प्राप्त एक वैध लाइसेन्स के अधीन लगभग 20 गाड़ी इमारती लकड़ी के तख्ते तथा बांसों का भंडार है। भंडार के बिलकुल पास के क्षेत्र में प्रज्वलन के कोई सक्रिय साधन नहीं हैं। अग्नि-विरोधी पूर्वोपाय कर लिये गये हैं। दिल्ली अग्नि-शमन सेवा के कार्यालय में अक्तूबर, 1967 में केवल

एक गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले पर गौर किया जा चुका है तथा लकड़ी के व्यापारी के लाइसेन्स के नवीकरण का प्रश्न निगम के विचाराधीन है।

Secret Transmitter in District Ratlam

7736. **Shri Hukam Chand Kachwai:**
Shri Sharda Nand:
Shri J. B. Singh:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been invited to the news item published in the daily "Swadesh" dated the 21st March, 1968 to the effect that a transmitter is being operated secretly in District Ratlam, Madhya Pradesh for transmitting news abroad; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affirs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Burmese Kuki's Encroachment into Manipur

7737. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement made by Shri P. Haokif, Member from Leganpal constituency of Manipur Vidhan Sabha and published in the daily 'Hindustan' dated the 15th January, 1968 that about 4,000 Kuki tribals turned out from Burma, have entered his constituency; and

(b) if so, the action taken by Government in regard to rehabilitating them or turning them out of the said area?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) The Government of Manipur has given financial assistance at the rate of rupees fifty to each Kuki refugee who was over five years of age and of Indian nationality. Rupees one lakh have been spent so far for this purpose. A provision of Rs. 3,62,000/- has also been made for their rehabilitation.

Foreign Tours by Ministers

7738. **Shri Hukam Chand Kachwai:**
Shri Sharda Nand:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the names of the Central Ministers who visited foreign countries since January, 1967 so far and the names of the countries visited by them respectively;

(b) the amount of foreign exchange spent on each of those Ministers; and

(c) the amount provided for the financial year 1968-69 in this regard?

The Duputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) An amount of Rs. 16,00,000/- has been provided for tour expenses of Ministers during the year 1968-69. The expenditure on all tours—whether in India or abroad—has to be met from this provision and no separate allocation has been made exclusively for foreign tours.

'जूनियर स्टेट्समैन', कलकत्ता

7739. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या गृह-कार्य मंत्री 22 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4921 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल और केन्द्रीय सरकार के गुप्तचर विभागों में मि० डेसमोंड डोइग के बारे में जिनका वास्तव में 'जूनियर स्टेट्समैन' के प्रकाशन पर पूर्ण नियंत्रण है, प्रतिकूल रिपोर्ट दी है;

(ख) क्या उन्हें किसी समय तिब्बत और सिक्कम के सीमावर्ती क्षेत्रों में जाने से मना किया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस समाचार-पत्र के प्रत्येक संस्करण की हजारों प्रतियां स्कूलों को, विशेषकर ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों को, नियमित रूप से मुफ्त बांटी जाती हैं; और

(घ) क्या इस समाचार-पत्र का सम्बन्ध किसी विदेशी एजेंसी तथा मिशन से है जो युवकों को कुछ राजनीतिक विचारधाराओं की शिक्षा देते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गुप्तवार्ता रिपोर्ट की विषय-वस्तु को, जो अपनी प्रकृति से ही गुप्त होती है, प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) चूंकि सरकार भारत में प्रकाशित पत्रिकाओं की बिक्री तथा वितरण पर कोई नियन्त्रण नहीं रखती है, अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) इसके बारे में पूछ-ताछ की जा रही है।

Gift of Milk Powder

7740. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the quantity of milk powder received as gift by Government from foreign countries during the last ten years and the expenditure on its transportation to India and the name of the Government that has borne the said expenditure ;

(b) the places where the reserve stocks thereof were kept and the States to which this powder was distributed along with the quantity thereof as also the quantity of milkpowder which decomposed as also the names of the places where it decomposed ;

(c) the quantity of milk powder distributed by the State Governments in rural areas; and

(d) the quantity not distributed by the State Governments and the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) to (d). The required detailed information is not readily available with the Education Ministry, because the scheme is implemented by the State Governments.

Crossing of Mizo Hostiles from Pakistan

7741. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 200 Mizo hostiles recently crossed into the Mizo Hill District of Assam from Pakistan;

(b) if so, the action taken by the security forces posted at the border in this matter; and

(c) the action Central Government propose to take against them?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) A gang of about 50 Mizo hostiles is reported to have returned to Mizo Hills from East Pakistan during the second week of February, 1968.

(b) Security Forces maintain constant vigilance along the borders. However, in view of long border and the difficult terrain some hostiles do manage to cross the border in small numbers.

(c) Security Forces have intensified patrolling in the area.

Plan outlay for Manipur in 1967-68

7742. **Shri M. Meghachandra:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the total plan outlay sanctioned and earmarked for Manipur for the year 1967-68 was utilised and spent;

(b) if not, how much was left unspent and under what items;

(c) how much of the Plan outlay aforesaid was diverted to non-plan expenditure; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir. An amount of Rs. 307.913 lakhs was spent on various Plan Schemes of Manipur during 1967-68 as against the budgeted outlay of Rs. 314.02 lakhs.

(b) A statement showing the heads under which shortfall/excess occurred is attached. **[Placed in Library See No. L. T.-946/68]**. The net shortfall comes to Rs. 6.107 lakhs.

(c) No diversion of any Plan Outlay to non-Plan expenditure during 1967-68 was approved.

(d) Does not arise.

बिहार में छोटी गंडक गोथमी घाट पर पुल

7743. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी गंडक पर गोथमी घाट (बिहार) में पुल बनाने के बारे में जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सम्पर्क स्थापित हो जायेगा, अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उपर्युक्त पुल पर कितना व्यय होगा;

(ग) पुल के कब तक बन कर तैयार हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) यह पुल कब तक सामान्य यातायात के लिये खोला जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ग) . मुख्य पुल तैयार हो गया है ।

(ख) 31-3-68 तक मुख्य पुल पर (पहुंच मार्गों को छोड़कर) 22.92 लाख रु० खर्च किये गये । इस राशि में वह धन-राशि शामिल नहीं है जिसका दावा ठेकेदारों ने किया है और जिसे बिहार सरकार द्वारा अभी चुकाया जाना है ।

(घ) पुल के पहुंच मार्गों को उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार अपने-अपने क्षेत्रों में अपने धन से तैयार कर रही हैं । बिहार की तरफ से पहुंच मार्ग पर मिट्टी भराई के काम के लगभग 15 दिन में पूरा होने की आशा है और सड़क को पक्का करने के लिए सामान इकट्ठा करने का काम लगभग पूरा हो गया है । सारे पहुंच मार्ग के लगभग 3 महीनों में पूरा होने की आशा है । जहां तक उत्तर प्रदेश की ओर के पहुंच मार्ग का सम्बन्ध है इसके निर्माण-कार्य का अनुमान राज्य सरकार ने जनवरी 1968 में मंजूर किया था और काम अब हाल ही में शुरू कर लिया गया है । पुल के दोनों पहुंच मार्गों के पूरा होने पर उसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा ।

Clash with Nagas

7744. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that six volunteers of the Village Security Force were killed as a result of a surprise armed attack by Naga rebels on Kotlen Village on the 19th March, 1968; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Six members of the Village Volunteer Force lost their lives as a result of an attack on the post at Kotlen village by an armed gang of Mizo-Kuki hostiles on the night of 16th March, 1968.

(b) The Security Forces began large scale combing operations in the area soon after the incident. A case was also registered by the police.

Distribution of Care Milk Powder

7745. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Jamna Lal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the distribution of milk and other articles received from CARE as gift is made by foreign missionaries ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that Christian Missionaries are using these articles as bait for converting the people into Christianity ; and

(d) if so, the steps Government propose to take to stop it ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

दिल्ली प्रशासन में भाषा के अध्यापक

7746. **श्री शशिभूषण वाजपेयी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के शिक्षा निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन ऐसे कितने भाषा के अध्यापक हैं, जिन्हें विभागीय पदोन्नति के माध्यम से 1-9-1959 से 29-2-1968 तक स्नातकोत्तर अध्यापक का ग्रेड दिया गया ;

(ख) जिन भाषा के अध्यापकों ने हिन्दी एम० ए० की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की तथा जो उसी अवधि से निम्न ग्रेड में नियुक्त किये गये, उनकी संख्या अन्य विषयों में समान अर्हता वाले अध्यापकों की तुलना में क्या है; और

(ग) यदि उनमें से किसी को अभी तक स्नातकोत्तर अध्यापक ग्रेड पर पदोन्नत नहीं किया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Winter Uniforms for Delhi Policemen

7747. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Police personnel in Delhi have been given woollen pants and only half of them have been given shirts as winter uniforms ;

(b) if so, the reasons for not giving them full uniforms ; and

(c) the items included in the complete uniforms of constables and head constables ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Government accorded sanction for issue of Angola shirt and woollen trousers to all the non-gazetted members of the Delhi police force besides those already issued to them. Against a total requirement of 15,000 Angola shirts fabrication of which was undertaken immediately after sanction was issued, 6949 shirts were handed over to the members of the force and the others are being issued as and when the fabrication is made.

(c) The following woollen articles are included in the standard uniform of constables and head-constables :—

Great coat woollen	..	1
Cardigan jacket	..	1
Putties half woollen	..	2 prs.
Foot-less-hose-woollen	..	2 prs.
Socks woollen	..	2 prs.
Angola shirt	..	1
Trouser woollen	..	2

Delhi Police

7748. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Police constable and head constables in Delhi are not granted casual and regular leave without substitutes ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir. However Leave is sometimes refused or postponed in the exigencies of service.

(b) Does not arise.

चीनी प्रचार साहित्य

7749. **श्री समर गुह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में विद्यमान कानूनों के अधीन पेकिंग में प्रकाशित चीनी प्रचार साहित्यों का पुनर्प्रकाशन या उनमें से उद्धरण या चित्रों के प्रयोग की अनुमति है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि इस देश में कुछ राजनीतिक तत्व ऐसे चीनी साहित्य को पुनः मुद्रित करते हैं या उनके अंशों या चित्रों को बार-बार प्रकाशित करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) किसी विदेशी प्रचार सामग्री के पुनर्प्रकाशन या उनमें से उद्धरणों या चित्रों के प्रयोग को रोकने वाला कोई कानून नहीं है। फिर भी यदि कोई ऐसा पुनर्प्रकाशन किसी कानून को भंग करता है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है जो ऐसे पुनर्प्रकाशन के लिए उत्तरदायी हैं।

(ख) देश के कुछ भागों में चीनी प्रचार साहित्य के पुनर्प्रकाशन के मामले ध्यान में आए हैं।

(ग) सरकार उन दलों और व्यक्तियों की गतिविधियों पर सावधानी से निगरानी कर रही है जो ऐसी अवांछनीय गतिविधियों से सम्बद्ध हैं।

प्राथमिक शिक्षा के लिये पाठ्य पुस्तकें

7750. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सारे देश में प्रयोग के हेतु प्राथमिक कक्षाओं के लिये पाठ्य पुस्तकों का मानकीकरण नहीं किया गया है ; और

(ख) इन पाठ्य पुस्तकों के मानकीकरण के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). स्कूलों में उपयोग के लिये पाठ्य पुस्तकों का तैयार कराना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। फिर भी शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने देश में स्कूल शिक्षा के सुधार की आदर्श पाठ्य पुस्तकें तैयार कराने के लिए शैक्षिक साहित्य की केन्द्रीय समिति स्थापित की है। ये पाठ्य पुस्तकें स्वीकृति अथवा अपनाने के लिए राज्य सरकारों को पेश की गई हैं। 1967-68 के अन्त तक, ऐसी 32 पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा चुकी थीं। तथा 25 और उत्पादन करने की विभिन्न स्थितियों में थीं।

प्राथमिक शिक्षा

7751. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में प्राथमिक शिक्षा का स्तर एक जैसा तथा परस्पर सम्बन्धित नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकारों के सहयोग से समूचे देश में प्राथमिक शिक्षा का एक जैसा स्तर करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां, इसमें कुछ अन्तर है।

(ख) इस मामले में पूरी तरह से एक समानता लाना सम्भव नहीं समझा जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राथमिक शिक्षा

7752. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के समय बच्चों को उनके शैशव काल में देशभक्ति तथा राष्ट्रीय संस्कृति की भावना पैदा करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिये संसद सदस्यों तथा शिक्षा शास्त्रियों की एक समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : इस प्रकार के सुझाव की समिति स्थापित करने का कोई प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

भारतीय प्रशासन सेवा

7753. **श्री देवकीनन्दन पटोदिया :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री अजमल खां :
श्री वी० नरसिम्हा राव :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासन सेवा की महिला अधिकारियों को पुरुष अधिकारियों की अपेक्षा अपनी इच्छा के राज्य में नियुक्ति के मामले में पूर्ववर्तिता दी जाती है ;

(ख) क्या भारतीय प्रशासन सेवा के पुरुष अधिकारियों ने इस बारे में कोई विरोध-पत्र भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पुरुष तथा महिला दोनों आई० ए० एस० परिवीक्षाधीन व्यक्तियों का "अन्तरंगों" द्वारा पूर्ति की जाने वाली रिक्तियों के विरुद्ध अपनी प्राथमिकता के राज्यों का आवंटन सर्वथा उनकी श्रेणी तथा प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। शेष रिक्तियों के विरुद्ध, परिवीक्षाधीन महिलाओं के मामलों को छोड़कर, गौर नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग). इस संबंध में कुछ परिवीक्षाधीन पुरुषों से एक प्रतिवेदन मिला था किन्तु आवंटन की उक्त प्रणाली को ही चालू रखने का निर्णय किया गया।

केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिव

7754. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री नन्दकुमार सोमानी :
श्री लोबो प्रभु :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों तथा अन्य केन्द्रीय सेवा के अधिकारियों

की अवर सचिवों के रूप में नियुक्ति करने के सम्बन्ध में क्या शर्तें निर्धारित हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा वर्ग-1 के अधिकारी को पदोन्नति होकर उप-सचिव बनने में औसतन 12 वर्ष लगते हैं जब कि अन्य सेवाओं के अवर सचिव औसतन पांच वर्ष में उप-सचिव बन जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में केन्द्रीय सचिवालय सेवा तथा अन्य सेवाओं के बीच समानता सुनिश्चित करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के मामले में अनुभाग अधिकारियों की श्रेणी के अस्थायी अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 10 वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो और जिन्हें सेवा की श्रेणी I के लिए चयन सूची में शामिल कर लिया हो उन्हें श्रेणी I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त किया जाता है। अन्य केन्द्रीय सेवाओं के मामले में वे अधिकारी जो सम्बधित सेवाओं में 6 वर्ष की सेवा वाले सीधी भर्ती से आये अधिकारी से कनिष्ठ न हो, अवर सचिव या केन्द्र के अधीन समकक्ष पद पर नियुक्ति के पात्र हैं। तथापि पात्रता के लिये यह कम से कम आवश्यकता है।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के अनुसार सेवा के श्रेणी I के स्थायी अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम पांच साल की अनुमोदित सेवा की है और जो चयन श्रेणी के लिए चयन सूची में शामिल कर लिए गये हों, उन्हें सेवा की चयन श्रेणी (उपसचिव) में नियुक्त किया जाता है। अन्य केन्द्रीय सेवाओं के मामले में वे अधिकारी जो सम्बन्धित सेवा में नौ वर्ष की सेवा वाले सीधी भर्ती से आये अधिकारी से कनिष्ठ न हो, उप-सचिव अथवा केन्द्र में उसके समकक्ष पद पर नियुक्त किये जाते हैं। फिर भी ये पात्रता की न्यूनतम अपेक्षाएं हैं।

जहां यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी I में 10 से 12 वर्ष तक की अनुमोदित सेवा वाले अधिकारी सामान्यतः सेवा की चयन श्रेणी (उप-सचिव) में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (श्रेणी I तथा चयन श्रेणी में पदोन्नति) विनियम, 1964 की उद्घोषणा के बाद पदोन्नति किये गये हैं, अन्य सेवाओं के अधिकारियों के सम्बन्ध में ऐसी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि ऐसे पदों में नियुक्ति के लिये विभिन्न सेवाओं के बीच किसी समानता का प्रश्न नहीं है जिनके लिए विभिन्न सेवाओं (नामतः भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, आदि) के उपलब्ध तथा पात्र अधिकारियों की योग्यता, अनुभव तथा पृष्ठभूमि के आधार पर विशेष पदों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चयन किया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी उप सचिव या समान पदों पर कालावधि के आधार पर नियुक्त किये जाते हैं जिसके पश्चात् उन्हें अपनी पुरानी सेवाओं में पदावनत कर दिया जाता है जब कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के मामले में ऐसा नहीं होता है।

अधिक मूल्य लिये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत

7755. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री गिरिराज शरण सिंह :

क्या **पर्यटन और असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई इन शिकायतों पर सरकार ने विचार किया है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के प्रतिनिधियों से भोजन, आवास, टैक्सी सेवा और दूकानों से क्रय-विक्रय करते समय अधिक पैसे लिए गये हैं ;

(ख) क्या सरकार के पास ऐसी प्रवृत्तियों पर नजर रखने और उन्हें रोकने के लिए कोई कर्मचारी हैं जिनसे पर्यटकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ; और

(ग) अब तक उत्पन्न धारणा को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० **कर्ण सिंह**) : (क) प्रतिनिधियों से सीधे इस प्रकार की कोई शिकायतें नहीं प्राप्त हुई हैं। एक प्रेस रिपोर्ट की जिसमें एक प्रतिनिधि से परिवहन के लिये अधिक दाम ले लिये गये बताये गये हैं जांच की गयी और उसे निराधार पाया गया।

(ख) यद्यपि सरकार इस उद्देश्य के लिये कोई विशेष निरीक्षक मशीनरी नहीं रखती, तथापि अनुमोदित होटलों, परिवहन परिचालकों और दूकानदारों के विरुद्ध प्राप्त हुई प्रत्येक शिकायत की जांच की जाती है और उनके सम्बन्ध में उपयुक्त उपचारी कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा, दिल्ली प्रशासन दिल्ली में 'पर्यटक पुलिस' स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

(ग) पर्यटन की अभिवृद्धि के लिए प्रचार आन्दोलनों में भारत में 'हॉलीडे' (अवकाश-यापन) के गुणवाची पहलुओं पर बल दिया जाता है, तथा विदेशी यात्रियों के लिए प्रचार साहित्य में सरकार द्वारा अनुमोदित होटलों की शुल्क-दरों, टैक्सी भाड़ों की स्थानीय दरों, तथा सरकार की अनुमोदित सूची में दी गई दूकानों के नामों की सूचियां भी प्रकाशित की जाती हैं।

इलाहाबाद में हुए दंगे

7756. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री सीताराम केसरी :
श्री अम्बचेजियान :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद में हाल ही में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में सरकार ने ध्यान दिया है ;

(ख) क्या इन दंगों के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच आयोग नियुक्त किया गया है ;

(ग) क्या इस प्रकार की घटनाओं के लिए समाज विरोधी तत्व ही मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं ; और

(घ) इस मामले को बढ़ाने में राजनैतिक दलों का कितना हाथ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). राज्य सरकार ने राजस्व-मंडल के सदस्य श्री एम० लाल को इन घटनाओं के क्रम और कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त किया है । इसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

Affiliation of Employees With Political Parties

7757. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have sent any Circular to State Governments to the effect that affiliation with any political party will not be a disqualification for entering into Government service ;

(b) if so, the reaction of the State Governments in regard thereto ; and

(c) whether this decision would be applicable to Defence and External Affairs Services also ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). A statement is attached. [**Placed in Library. See No. L. T. 947/68.**]

Income from Foreign Tourists

7758. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the percentage of income likely to accrue from foreign tourists as a result of air travel during the current financial year ; and

(b) the estimated number of Government servants who are likely to travel by air on Government expenses during this year ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) The Indian Airlines have estimated that 18% of their income during the current year is likely to be from foreign tourists. Air-India are not in a position to estimate their income on this account, as they do not maintain separate accounts in this regard.

(b) No estimate can be made of the number of Government servants likely to travel by air on Government expense during the current year.

Memorial to Amir Chand and Bhai Bal Mukund of Lord Hardinge Bomb Case

7759. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to raise a memorial to revolutionary patriots Master Amir Chand and Bhai Bal Mukund who were executed in Delhi Jail for the offence of throwing bomb on Lord Hardinge ; and

(b) if so, the time by which it would be constructed ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not airse.

Roads and Bridges in Delhi

7760. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the particulars of the roads, bridges and level crossings in Delhi on which some work was to be done by Government during the Third Five Year Plan period upto 1967-68 but they have not yet been completed ;

(b) the reasons for their non-completion ; and

(c) the steps being taken by Government at present to complete those works ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). The information is being collected from the various road authorities in Delhi and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

केरल के एक मार्क्सवादी को चीनी दूतावास द्वारा दिया गया धन

7761. **श्री हेम बरुआ :**
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने केरल में भारत के साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के एक सदस्य को धन दिया था, जैसा कि उस राज्य के मुख्य मंत्री ने बताया है ; और

(ख) यदि हां, तो चीन द्वारा इस प्रकार धन देने को रोकने के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कालीकट के एक श्री कुन्नीक्कल नारायणन ने चार अवसरों पर दिल्ली

में चीन के दूतावास से मनीआर्डर द्वारा एक सौ से पांच सौ रुपये तक की रकम प्राप्त की है।

(ख) कानून के अधीन ऐसे मनीआर्डरों की केवल प्राप्ति पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है। किन्तु ऐसी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है।

चिकमागलूर के बमों का पकड़ा जाना

7762. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में मैसूर राज्य के चिकमागलूर में पाकिस्तान में बने हुए कुछ बम पकड़े गये हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा कोई विशेष जांच की जा रही है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

इलाहाबाद में हुए दंगे

7763. **श्री रवि राय :**

श्री लताफत अली खां :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कुछ संसद् सदस्यों द्वारा लगाये गये इस आरोप की ओर गया है कि इलाहाबाद में हाल में हुए साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में शरारती व्यक्तियों के प्रति कुछ सरकारी अधिकारियों ने नरमी से काम लिया ;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच की गई है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने 24 मार्च, 1968 के 'पैट्रियट" में छपे इलाहाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगों से सम्बन्धित एक लेख को देखा है जिसका शीर्षक है "पुलिस अधिकारियों का घोर पक्षपात"।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने राजस्व मंडल के सदस्य श्री एम० लाल को इलाहाबाद के साम्प्रदायिक दंगों की जांच करने के लिए नियुक्त किया है। जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

दिल्ली पुलिस का सतर्कता विभाग

7764. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय जांच विभाग के नमूने पर दिल्ली पुलिस के लिए एक पूर्ण सतर्कता विभाग स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी दिल्ली पुलिस में ईमानदारी बढ़ाने की दृष्टि से अतिरिक्त कारगर उपाय करने का प्रश्न सरकार के ध्यान में है। आशा है मामले को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय को अनुदान

7765. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड फाउन्डेशन ने दिल्ली विश्वविद्यालय को 60 लाख डालर का अनुदान देने की पेशकश की है ;

(ख) क्या इस पेशकश में कुछ शर्तें रखी गई हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ; और

(ग) शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार बड़े पैमाने पर विदेशी सहायता में निहित बातों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) कोई विशेष शर्तें नहीं रखी गई हैं।

(ग) यदि कोई विश्वविद्यालय वर्तमान परिणाम में सरकार की अनुमति से सहायता प्राप्त करता है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है।

Theft of Idols

7766. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that idols are being stolen from the temples and exported to countries like America on a large scale and many big businessmen have a hand in these thefts ; and

(b) if so, the steps taken by Government to check such thefts and this nefarious trade ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b). Government is aware of thefts of idols from some Centrally protected monuments but no official information has been received about large scale exports. Cases of theft are promptly reported to the police authorities concerned for necessary investigations and apprehension of

the culprits. The Export Advisory Committees and the Customs authorities at major ports are also alerted at the same time to prevent the export of the stolen objects out of the country. The following preventive measures have also been taken to check the incidence of thefts from Centrally protected monuments :

(i) Documentation and shifting of loose sculptures from monuments/sites to places of safety.

(ii) Watch and Ward staff at the monuments/sites have been warned to be more vigilant. Such staff has also been strengthened wherever necessary and possible.

Examination System

7767. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government feel that the present system of examinations is defective, on account of which the students do not get proper education ;

(b) if so, whether Government propose to bring about a change in the system ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes, Sir. The Education Commission also has recommended that the present system of examinations should be reformed.

(b) and (c). The National Council of Educational Research and Training has initiated a programme of examination reform at the school level in co-operation with State Governments and their Boards of Secondary Education. Under the programme, improvements are being made in the type of question papers set, scoring procedures and internal evaluation. Paper-setters, examiners and other connected with examinations are being trained in the new methods and techniques.

Effect of Gold Crisis on Tourism

7768. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the extent to which tourism in India is likely to be affected as a result of the gold crisis all over the world ; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to minimise the adverse impact of this crisis, if any ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) It is difficult to assess at this stage the impact of the gold crisis on the flow of tourists to India. It seems likely that it may have some impact on flow of US tourists, but this should be offset by an increase in the flow of tourists from Europe.

(b) Government is increasing its promotional efforts, particularly in Europe where it proposes working in close co-operation with Air-India.

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय का सड़क कक्ष

7769. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी निरीक्षण एकक ने यह विचार व्यक्त किया है कि

उनके मंत्रालय के सड़क कक्ष में फालतू कर्मचारी हैं;

(ख) यदि हां, तो उस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) एक वर्ष पूर्व कर्मचारी निरीक्षण इकाई ने सड़क पक्ष के मुख्यालय में नियुक्त कर्मचारियों का मूल्यांकन किया था और यह राय व्यक्त की कि आवश्यकता से अमला कुछ अधिक है।

(ख) और (ग). वेशी सचिवालय अमला अन्यत्र लगाया गया और तकनीकी अमला पदों सहित सड़क पक्ष के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानान्तरित किया गया। क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानान्तरित कर्मचारियों और उन कर्मचारियों जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय विकास संख्या ऋण कार्यक्रम के अधीन 1968-69 में सड़क निर्माण के लिए मंजूर किया गया था और जो अब पार्श्व सड़क और सामरिक सड़क निर्माण-कार्यों पर लगे हुए हैं, को लगाये रखने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल ये पद अप्रैल, 1968 के अन्त तक जारी रखे गये हैं।

विमान चालक

7770. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रशिक्षित विमान-चालकों की संख्या क्या है ;

(ख) विभिन्न कम्पनियों को जिनमें इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन भी शामिल है कितने विमान-चालकों की आवश्यकता है ; और

(ग) बेरोजगार विमान-चालकों को रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) वाणिज्यिक वर्ग के विमान-चालक-लाइसेंस दिये गये 998 विमानचालक हैं जोकि निम्न प्रकार हैं :

वाणिज्यिक विमान-चालक-लाइसेंस प्राप्त	326
प्रवर वाणिज्यिक विमान-चालक-लाइसेंस प्राप्त	126
एयरलाइन परिवहन विमान-चालक-लाइसेंस प्राप्त ...	546
कुल	998

(ख) और (ग). इनमें से 568 विमान-चालक दो राष्ट्रीयकरण की गयी एयर कारपोरेशनों, अर्थात् एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में नियुक्त हैं। हवाई सर्वेक्षण, कृषि सम्बन्धी छिड़काव, अननुसूचित परिचालनों, इत्यादि में लगे हुए फ्लाइंग क्लबों में और गैर-सरकारी परिचालकों के साथ नियुक्त विमान-चालकों की संख्या अभी-उपलब्ध नहीं है।

वर्तमान सूचनाओं के अनुसार, एयर इंडिया को आशा है कि उन्हें आगामी कैलेण्डर वर्ष के आरम्भ तक 32 विमान-चालकों की आवश्यकता होगी। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का अनुमान है कि उन्हें आगामी 4-5 वर्षों के दौरान 50 से 60 तक विमान-चालकों की आवश्यकता होगी। फ्लाइंग क्लबों और गैर-सरकारी परिचालकों के मामले में विमान-चालकों की नियमित आधार पर नियुक्ति नहीं होती है इसलिए उनकी भविष्य की आवश्यकताओं के बारे में मालूम नहीं है।

कारपोरेशन की आवश्यकताओं का समय-समय पर विज्ञापन दिया जाता है। वास्तव में, एयर इण्डिया विमान-चालकों के 20 पदों का विज्ञापन पहले ही दे चुके हैं और शेष 12 पदों का विज्ञापन इस वर्ष के दौरान दे दिया जायेगा।

तिब्बती स्कूल संस्था

7771. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बती स्कूल संस्था द्वारा कितने स्कूल चलाये जा रहे हैं और इन स्कूलों पर प्रति वर्ष कुल कितना खर्च होता है;

(ख) क्या इन स्कूलों पर विभिन्न राज्य सरकारों का कोई प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इस समय संस्था तेरह विद्यालय चला रही है जिनमें एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक संस्था है। इनमें से आठ आवासी विद्यालय हैं। 1967-68 के दौरान सभी संस्थाओं पर किया गया कुल व्यय लगभग चालीस लाख रुपये था।

(ख) जी नहीं। इनका प्रशासन और वित्तीय व्यवस्था का काम संस्था के हाथ में है। जब कभी यदि आवश्यक जान पड़ता है तब संबंधित राज्य सरकार से सहायता ली जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सेंट्रल स्कूल संस्था

7772. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्रीमती तारा सप्रे :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल स्कूल संस्था के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन स्कूलों पर राज्य सरकारों का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-948/68]

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय एकता परिषद्

7773. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय एकता परिषदें स्थापित कर ली हैं तथा इन परिषदों ने क्या कार्य किया है; और

(ख) भारत सरकार ने इन संस्थाओं को कितनी सहायता दी है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित विश्वविद्यालयों, जिनमें संभावी विश्वविद्यालय भी शामिल हैं ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से राष्ट्रीय एकता समितियों की स्थापना की है :

अन्नामलाई, अलीगढ़, भागलपुर, बैंगलोर, गुहाटी, काशी विद्यापीठ, मदुराई, मराठवाडा, मैसूर, पूना, पंजाबी, राजस्थान, सम्भलपुर, सागर, श्री वेंकटेश्वर, विश्व भारती, कृषि विज्ञान उड़ीसा विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर और बिड़ला टेक्नालाजी तथा विज्ञान संस्थान, पिलानी।

पंजाबी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, विश्वभारती और बिड़ला टेक्नालाजी तथा विज्ञान संस्थान, पिलानी ने कुछ कार्यक्रमों (जैसे सेमीनार, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिल्म प्रदर्शन आदि) को अंतिम रूप दिया/संगठित किया है। अन्य विश्वविद्यालयों के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) उक्त समितियों को चलाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 200 रुपये प्रति माह का अनुदान देता है। उसी के बराबर राशि का अंशदान गांधी शताब्दी राष्ट्रीय समिति और संबंधित विश्वविद्यालय दोनों देते हैं।

1968 की त्रिवार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय सामयिक कला प्रदर्शनी के लिये चित्रों का चयन

7774. **श्री मधु लिमये** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्ष 1968 की त्रिवार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय सामयिक कला प्रदर्शनी के लिये भारतीय चित्रों के चयन करने के लिये नियुक्त दो आयुक्तों में से एक आयुक्त द्वारा पेश किये गये चित्रों के चयन में की गई कथित अनियमितता की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या बोर्ड ने उस गम्भीर अनियमितता को तकनीकी भूल कह कर टाल दिया है;

(ग) क्या यह सच है कि बोर्ड ने श्री कृष्ण खन्ना से कहा था कि वह अपने प्रदर्शित चित्रों को वापस न लें;

(घ) क्या यह भी सच है कि बोर्ड ने उक्त आयुक्त को उसे दिया गया पुरस्कार/पारितोषिक वापस करने को नहीं कहा था; और

(ङ) क्या उन दोनों आयुक्तों द्वारा त्रिवार्षिक प्रदर्शनी के लिये कि एक वाणिज्यिक गैलरी अथवा गैलरियों से चित्रों के चुने जाने सहित इस सारे मामले की जांच करने का आदेश दिया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). 11 फरवरी, 1968 को हुई अपनी बैठक में ललित कला अकादमी के कार्यकारी बोर्ड ने मामले पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और एक संकल्प पारित किया जो इस प्रकार है :

"27-10-1967 को हुई अपनी बैठक में कार्यकारी बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय की ओर बहुत से सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया कि कमिश्नरों—श्री पी० दास गुप्त और श्री कृष्ण खन्ना की प्रविष्टियों के मामलों में, यदि कोई हो, त्रिवार्षिकी के लिए चित्रों का चयन बोर्ड द्वारा किया जायगा। यह बताया गया कि त्रिवार्षिकी के लिए श्री कृष्ण खन्ना के चित्रों का चयन बोर्ड द्वारा नहीं किया गया था। यह बहुत ही अनियमित था। इसे सभी ने स्वीकार किया कि इस संबंध में भूल से एक तकनीकी गलती हो गई थी और उचित क्रियाविधि का पालन नही किया गया था। श्री कृष्ण खन्ना ने तत्काल ही इसे स्वीकार कर लिया और कहा कि अपने सम्मान के पुष्टीकरण में वह त्रिवार्षिकी से अपने चित्र हटा लेंगे। बोर्ड ने इस मामले पर सभी पहलुओं से विचार किया और इस तथ्य को देखते हुए कि उन्हें सम्मानित अन्तर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा पुरस्कार दिया जा चुका है और इसके गम्भीर फलितार्थ हो सकते हैं, बोर्ड श्री कृष्ण खन्ना के त्रिवार्षिकी से हटने के लिये सहमत नहीं हुआ। यह निर्णय लिया गया कि स्थिति को स्वीकार कर लिया जाए और महापरिषद् को मामले की रिपोर्ट पेश की जाए।"

मामले पर कार्यकारी बोर्ड की 11-4-68 को हुई बैठक में फिर से विचार किया गया। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने इस विषय में अपने पहले निर्णय की पुष्टि कर दी।

(ङ) अकादमी ने भारतीय खण्ड में प्रदर्शित बहुत से चित्रों में से किसी विशिष्ट वाणिज्यिक गैलरी संग्रह से ही चित्र चुने जाने के तथ्य को भी नोट किया। भविष्य में मार्गदर्शन के लिये ऐसी प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए पहले ही संकल्प पारित किया जा चुका है। संकल्प निम्नलिखित है :

"त्रिवार्षिक समिति ने प्राइवेट गैलरियों के प्रतिष्ठित नामों के उल्लेख के प्रश्न के बारे

में विचार-विमर्श किया और महसूस किया कि भविष्य में यथासंभव इससे बचा जाए और चित्रों के चयन के लिए, जहां तक व्यवहारिक हो, कलाकारों से सीधे ही सम्पर्क किया जाए।"

तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए प्राइवेट या अन्यथा-संग्रहों से उधार लेकर चित्र प्रदर्शित करने की प्रथा सामान्य ही है।

तमिल सेना द्वारा प्रदर्शित इश्तिहार

7775. **श्री मधु लिमये :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इरोड (तमिलनाद) की तमिल सेना द्वारा इरोड, कोयम्बटूर, सलेम आदि नगरों में प्रदर्शित उन इश्तिहारों की ओर दिलाया गया है, जिनमें निम्नलिखित शीर्ष लिखे हुए हैं :

"आओ हम एक अलग तमिलनाद बनाएं, हिन्दुस्तानियों तमिलनाद तमिल छोड़कर चले जाओ; तमिलनाद तमिल लोगों के लिये है, तमिलवासियों, तुम्हारा देश तमिलनाद है; आदि, आदि;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार मद्रास राज्य सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है जिसने सूचित किया है कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 550 के अधीन 13 मार्च, 1968 को एक मामला दर्ज किया गया था। कुछ इश्तिहार कब्जे में कर लिये थे तथा इरोड के एक मुद्रणालय से इश्तिहार की पाण्डुलिपि, रोकड़ देयकों आदि को भी कब्जे में ले लिया गया था। अवैध गतिविधियां (निवारक) अधिनियम, 1967 की धारा 13 के अन्तर्गत एक मामले की जांच की जा रही है।

हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल

7776. **श्री सूरज भान :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध विशेषकर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के विरुद्ध हड़ताल में भाग लेने के कारण कार्यवाही की जा रही है;

(ख) हरियाणा में 9 और 10 फरवरी, 1968 को हड़ताल के बाद कितने अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया;

(ग) हड़ताल में भाग लेने के कारण कितने कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिये गये; और

(घ) क्या पुनर्विचार करके ऐसे सभी अनुशासनिक मामलों को वापस लेने और इन अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी पर पुनः लगाने का हरियाणा सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों अथवा किसी अन्य सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन सभी कर्मचारियों को जिन्होंने 9 तथा 10 फरवरी, 1968 को हड़ताल में भाग लिया, बिना किसी भेदभाव के आरोप-पत्र दिये गये, जबकि आपराधिक अभियोग केवल उन कर्मचारियों के विरुद्ध आरम्भ किया गया, जिन्होंने कानून भंग करने से सम्बन्धित कार्य किये।

(ख) अभी तक उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवाएं हड़ताल के कारण समाप्त नहीं की गई हैं। इसके विपरीत, व्यक्तियों की सेवाएं केवल वहां समाप्त की गईं जहां पदों की कालावधि पूरी हो चुकी थी और इसका एकमात्र यही कारण था। उदाहरणतया तदर्थ आधार पर नियुक्त हरियाणा के चार कोष-लिपिकों की सेवाएं 31 मार्च को तथा अन्य दो कर्मचारियों की सेवाएं 7 अप्रैल, 1968 को कालावधि की समाप्ति के कारण समाप्त की गई थीं।

(ग) चण्डीगढ़ में लगभग 3,325 कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिये गये हैं तथा दूसरों के बारे में सूचना हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित की जा रही है।

(घ) उन कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पहले ही हटा दी गई है जिन्होंने खेद प्रकट किया तथा भविष्य में हड़ताल न करने का आश्वासन दिया है। अन्य कर्मचारियों के संबंध में ऐसी ही कार्यवाही की जायेगी यदि वे खेद प्रकट करें तथा उसी प्रकार का आश्वासन दे दें। आरोप-पत्रों में भी कर्मचारियों को यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है।

Industrial Undertakings under the Control of Ministry of Tourism and Civil Aviation

7777. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the names of industrial undertakings, State-wise, which are functioning under the control of his Ministry and the amounts invested in each ;

(b) the names of the industrial undertakings proposed to be set up in each State during the Fourth Plan period and the estimated outlay in respect of each of them ;

(c) whether Government propose to set up any industrial undertakings in Uttar Pradesh with a view to remove unemployment in the State and to bring the backward economy of Uttar Pradesh at par with other States ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c). Apart from the three Public Sector Undertakings under the control of this Ministry, namely Indian Airlines, Air-India and India Tourism Development Corporation, no industrial undertaking has been established under the control of this Ministry. There is no proposal to set up any new undertaking under this Ministry.

(d) Does not arise.

Persons Arrested, Convicted and Acquitted in Shantipur

7778. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of men and women arrested, prosecuted, acquitted and convicted in connection with the movement launched in Shantipur Village in Nainital district during January 1968 ; and

(b) the details of the loss of life and property sustained by both the parties as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Air Service to Ladakh

7779. **Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there is any Civil Air Service for Ladakh during the period of six months when Srinagar-Leh road remains closed ;

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) whether it is a fact that Ladakhi people have to face tremendous difficulties for want of such air service ; and

(d) whether Government propose to introduce air service for the said period of six months in view of the aforesaid difficulties ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (d). There is no civil air service for Ladakh during the winter months nor is there any proposal for the introduction of such service at present. The reason is that a service during the winter months is considered hazardous.

Places of Tourist Interest in Ladakh

7780. **Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are many places of tourist interest in Ladakh ;

(b) whether it is also a fact that the tourists do not visit those places because proper facilities are not made available to them and also because no efforts are being made by Government to beautify those places ;

(c) whether any proposal to beautify those places so as to attract tourists, is under consideration of Government ; and

(d) if not, the reasons thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (d). In view of the existing restrictions on foreign as well as Indian nationals visiting Ladakh, the Government does not have any plans in the immediate future to improve places of tourist interest with the object of developing tourist traffic to Ladakh.

कलिंगा एयरलाइन्स

7781. **श्री स० कुण्डू :**
श्री लोबो प्रभु :
श्री गिरिराज शरण सिंह :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 22 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 786 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच मैसर्स कालिगा एयरलाइन्स को कलकत्ता-कूच बिहार-हासी-मारा-कूच बिहार और कलकत्ता हवाई मार्ग पर अनुमति दे दी गई है;

(ख) क्या ऐसी अनुमति के लिये आवेदन-पत्र मांगे गये थे और यदि हां, तो क्या इसको समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो किन समाचार-पत्रों में और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। मामले पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग). जी, नहीं। सरकार अनुसूचित विमान सेवाओं के परिचालन के लिये गैर-सरकारी व्यक्तियों से आवेदन-पत्र मंगाने के लिये बाधित नहीं है, और न ही समाचार-पत्रों में विज्ञापन देना आवश्यक है। परन्तु 1937 के विमान नियमों की अनुसूची XI के पैरा 6 के अनुसार आवेदन-पत्र को दिनांक 1-7-67 के भारत के राजपत्र में नियमपूर्वक प्रकाशित किया गया था।

भारत में शहरों तथा नगरों में सार्वजनिक पुस्तकालय तथा वाचनालय

7782. **श्री स० कुण्डू :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के सभी बड़े नगरों तथा छोटे कस्बों में सार्वजनिक पुस्तकालय तथा वाचनालय स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा वाचनालयों को प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता तथा पुस्तकें देने की सरकार की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). जी, हां। 50,000 जनसंख्या के स्थान के लिये सार्वजनिक पुस्तकालय के वास्ते वित्तीय सहायता की योजना है। पुस्तकालयों के विकास के लिये ऐसी सहायता स्वीकृत

मदों पर आवृती और अनावृती व्यय के 60 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है, और शेष व्यय राज्य सरकार और या संबंधित संस्था/संगठन द्वारा वहन किया जायगा परन्तु पुस्तकालयों के भवनों के लिये सहायता अनुमानित व्यय के 40 प्रतिशत अथवा 30,000/- रुपये से जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा

7783. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के पुरुष और स्त्री उम्मीदवारों की प्रतियोगिता में कुछ परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा में महिलाओं की संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). प्रतियोगिता परीक्षाओं की पद्धति में परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(ग) चौंसठ।

स्कूलों तथा कालिजों में वेदों की शिक्षा

7784. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के किसी स्कूल अथवा कालिज में वेदों की शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो किन-किन संस्थाओं में वेदों की शिक्षा दी जाती है तथा भारत में कितने छात्र वेदों में विशेषता प्राप्त कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). शिक्षा मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली द्वारा स्नातक और उत्तर-स्नातक स्तर पर वेदों के अध्यापन की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति द्वारा भी निकट भविष्य में ऐसा अध्यापन शुरू करने की सम्भावना है। ऐसा मालूम हुआ है कि दो संस्कृत विश्वविद्यालयों अर्थात् वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय, दरभंगा, में नियमित वैदिक विभाग हैं। इसके अतिरिक्त, इन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध अनेक संस्कृत अध्यापन संस्थाओं में तथा देश के अनेक स्वैच्छिक संगठनों द्वारा भी वेदों के अध्यापन की व्यवस्था की गई है।

अन्य कालेजों और स्कूलों तथा उनमें विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या के बारे में, मंत्रालय के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

अन्दमान विशेष वेतन

7785. **श्री गणेश** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में अन्दमान विशेष वेतन बन्द करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की विशिष्ट बातें क्या है;

(ग) क्या किसी श्रेणी के कर्मचारियों को विशेष प्रतिकर भत्ता देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस योजना के अन्तर्गत भर्त्ती किए गए स्थानीय व्यक्तियों को लाया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). अन्दमान विशेष वेतन के वर्तमान ढांचे को युक्तियुक्त बनाने का प्रश्न भारत सरकार के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

दिल्ली में सब-इन्सपेक्टरों की भर्त्ती

7786. **श्री राम चरण** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 में पुलिस उप-निरीक्षकों (दिल्ली) के पदों के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों से हाल में कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कुल कितने उम्मीदवारों ने शारीरिक तथा लिखित परीक्षा में प्रतियोगिता की अर्हता प्राप्त की; और

(ग) उक्त प्रशिक्षण के लिये उनमें से वास्तव में कितने उम्मीदवार चुने गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-949/68]

दिल्ली पुलिस में भर्त्ती

7787. **श्री राम चरण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने प्रशिक्षण देने के लिये पुलिस के सब-इंसपेक्टर के पदों के लिये हाल ही में चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पदों के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे;

(ग) शारीरिक और लिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) उनमें से सब-इंसपेक्टरों के प्रशिक्षण के लिये कितने व्यक्ति चुने गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 2,994.

(ग) 962 व्यक्ति शारीरिक परीक्षाओं में और 126 लिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए थे।

(घ) 41.

Shops at Janpath Selling Idols and Antiquities

7788. **Shri Nathu Ram Ahirwar**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there are many shops at Janpath in New Delhi selling idols and antiquities;

(b) whether these shop-keepers have been granted any licence by Government for selling and purchasing idols and antiquities;

(c) if not, how these shop-keepers are openly purchasing and selling idols; and

(d) whether it is a fact that these shop-keepers are selling stolen idols to foreigners and if so, the action being taken by Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) Yes, Sir.

(b) Trading in antiquities within the country does not require licences under any of the existing archaeological laws. Only exports of antiquities out of the country require licences under the Antiquities (Export Control), Act, 1947.

(c) Does not arise.

(d) No instance of stolen objects being sold by these shops has come to this Ministry's notice.

Attack on a Youngman by Pro-Maoists

7789. **Shri Mrityunjay Prasad**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to a letter of Shrimati Ila Pal Coudhary published in the English Weekly 'Current' dated 9th March, 1968 in which it has been stated that a youngman who refused to shout pro-Mao slogans was surrounded by about forty pro-Mao youngmen and tortured and hit fatally by them and that youngman was hanging between life and death in the hospital; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the information received from the State Government at about 3.00 P. M. on 15-2-68 Dilip Bhattacharji, an ex-student of Bangabashi College and a supporter of Bangabashi College Chhatra Parishad went to meet his friend at Eden Hindu Hostel. Some students supporters of the extremist group of the Presidency College Students' Union took him inside the room of the hostel and assaulted him with fists and blows and electric wire. As a result Dilip Bhattacharji sustained injuries and was later admitted to the Calcutta Medical College Hospital.

2. Dilip Bhattacharji gave a complaint to the police that sometime between 2.30 P. M. and 4.30 P. M. on 15-2-1968 while he had been to Eden Hindu Hostel to meet a friend of his, he was attacked by some students of the extremist group, confined in a room in the said Hostel and asked to utter a slogan "Naxalbari Lal Selam". Following his refusal to say so he was severely assaulted. A case under Section 324/342/114 I.P.C. was registered. Investigation is in progress.

Foreign Christian Missionaries in Seemapuri Colony (Delhi)

7790. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item published in the daily "Vir Arjun" dated the 19th March in which it was stated that foreign Christian Missionaries are propagating their religion in the Seemapuri Colony of displaced Jhuggi-dwellers of Jamuna Bazar, Delhi in the name of providing medicines etc. ; and

(b) if so, the steps taken by Government to check the same ?

The Minister af State in the Ministry af Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government have seen the news-item. But there is no factual basis for it.

(b) Does not arise.

Communal Riots in Mandsaur

7791. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Heme Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 24 persons, including a Superintendent of Police, were injured because of stone-throwing during the communal riots in Mandsaur on the 19th March, 1968 ;

(b) whether it is also a fact that some persons had stoned a procession in Mandsaur, taken out under Police protection ; and

(c) if so, the causes of such planned riots on the occasion of Holi festival ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Distribution of Hand Bills Inciting Naxalbari Type Violence

7792. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that hand bills were distributed in Mangalore, Mysore State for starting Naxalbari type of disturbances ;

(b) whether it is also a fact that it has been written in the hand bills 'Start Naxalbari type of disturbances and propagate the ideology of Mao' ; and

(c) if so, the steps taken by Government in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c). Facts are being ascertained.

मंत्रियों के निजी कर्मचारी

7793. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक मंत्री को दिये जाने वाले श्रेणी एक, दो, तीन और चार के अलग-अलग, निजी कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और उन पर 1967-68 में कितना व्यय हुआ और उनको, पृथक-पृथक् कितना समयोपरि भत्ता दिया गया;

(ख) प्रत्येक मंत्री को कितने ऐसे कर्मचारी रखने का अधिकार है और कितने मंत्रियों के पास इस संख्या से अधिक कर्मचारी हैं और किन-किन मामलों में ऊंची पदाली के कर्मचारी दिये गये हैं; और

(ग) निजी कर्मचारियों पर होने वाले व्यय को कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). मंत्रियों तथा उपमंत्रियों के निजी कर्मचारियों के रखने के सामान्य अधिकार बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-950/68]** अन्य सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Arrests of Pakistanis in Varanasi

7794. **Shri Shardanand :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of Pakistani nationals were arrested in Varanasi District of Uttar Pradesh in March, 1968 ;

(b) if so, the number thereof ; and

(c) the action taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

दिल्ली प्रशासन के अध्यापक

7795. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों की मांगों को पूरा करने के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन को वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). दिल्ली, संघ शासित क्षेत्र होने के कारण प्रशासन का पूरा खर्च केन्द्रीय सरकार उठाती है। इसलिए आगे कोई वित्तीय सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गंगा नदी पर सड़क का पुल

7796. **श्री सं० चं० सामन्त** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद और झूसी के बीच गंगा नदी पर सड़क का पुल बनाने में कितना समय लगाने की सम्भावना है,

(ख) क्या निर्माण-कार्य ठेकेदारों को सौंपा गया है अथवा यह काम सरकारी एजेंसी द्वारा किया जा रहा है; और

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार इसका कितना प्रतिशत व्यय वहन करेगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) लगभग चार वर्ष।

(ख) निर्माण कार्य ठेके पर मेसर्स एस० बी० जोशी एण्ड कं० बंबई को दिया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश की सरकार व्यय का कोई भाग नहीं देगी क्योंकि पुल राष्ट्रीय मुख्य मार्ग पर स्थित है जिसके लिये केन्द्रीय सरकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

Raids on Battery Cell Dealers in Delhi

7798. **Shri Arjun Singh Bhadoria**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Administration conducted raids on the battery cell dealers in Delhi, who were indulging in black-marketing in cells from September, 1967 to March, 1968, and if so, the names of those dealers ;

(b) whether a raid was conducted on a firm dealing in battery cells, named National Electric Company, Kutab Road, Delhi, which is the wholesale dealer of Union Carbide, during the said period; and

(c) if so, the action taken against the said firm ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir. The names of the dealers whose shops were raided are given in list attached. **[Placed in Library. See No. L. T.-951/68]**

(b) Yes, Sir.

(c) No action was taken against the said firm since no discrepancy was detected in the raid.

Vacancies in Commission for Scientific and Technical Terminology

7799. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many qualified Research Assistants selected by U. P. S. C, have not been appointed by the Scientific and Technical Terminology Commission to the posts of Research Assistants lying vacant ;

(b) whether it is also a fact that the Commission filled these vacancies by promoting some junior persons who possessed lesser qualifications ;

(c) if so, the reasons therefor and the steps Government propose to take to rectify the situation ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir. There has not been a single case where the person recommended by U. P. S. C. against any of the posts notified by the Commission for Scientific and Technical Terminology, has not been appointed.

(b) No, Sir. Only five posts have been filled up on a purely ad-hoc basis by promoting strictly in order of seniority the departmental candidates who fulfilled the requisite qualifications required for the post of Research Assistant;

(c) Does not arise.

(d) The vacant posts are being filled up according to recruitment Rules.

अनुवादकों की पदालि

7800. **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :** क्या गृह-कार्य मंत्री अनुवादकों की पदालि के बारे में 24 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 212 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसमें पूछी गई जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है और सभा-पटल पर रख दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यह सूचना सभा-पटल पर करीब-करीब किस तारीख तक रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). अतारांकित प्रश्न संख्या 212 में पूछी गई सूचना अब एकत्रित कर ली गई है और संसदीय विभाग को भेज दी गई है जो उसे सदन के सभा-पटल पर शीघ्र ही रख देंगे ।

Jahanepyar School on Pasture Land in Mathura

7802. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an institution named 'Jahanepyar School of Agriculture' in Chhata tehsil of Mathura District is located on a pasture land belonging to Gram Sabha; and

(b) the persons incharge of the management of the institution and the aims and objectives of the institution?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) and (b). The information is being collected from the State Government concerned and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

दिल्ली परिवहन के किराये

7803. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्कूलों के बच्चों के लिये दिल्ली परिवहन का किराया बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि करने का विचार है और इसका कितने बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस वृद्धि से कितनी अतिरिक्त आय होने का अनुमान है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) दि० प० संस्थान द्वारा स्कूल के बच्चों के लिये कोई विशेष किराया नहीं निश्चित किया गया है। बारह वर्ष से कम उम्र के सब बच्चों से सामान्य किराये का आधा लिया जाता है। फिर भी दिल्ली में 25 संस्थानों ने दि० प० सं० की 148 बसों को, अपने स्कूल के बच्चों को स्कूलों से लाने ले जाने के लिये, काम पर लिया है। ये बसें विशेष दर पर किराये पर ले ली जाती हैं और दिल्ली परिवहन समिति ने दिल्ली की नगरपालिका निगम से इस प्रकार के किराये की दर को बढ़ाने का एक प्रस्ताव अनुमोदन के लिये भेजा है।

(ख) सामान्य बसों के बारे में 95 पैसे प्रति कि० मी० की मौजूदा दर को बढ़ाकर 1 रुपया 20 पैसा प्रति कि० मी० करने का और बालकों की डबलडेक बस के लिये 1 रु० 50 पैसे प्रति कि० मी० से 1 रु० 70 पैसे प्रति कि० मी० कर देने का प्रस्ताव है। अनुमान किया जाता है कि प्रतिदिन इन बसों से 18000 और 20000 के बीच बच्चे यात्रा करते हैं।

(ग) इन साधनों से दि० प० सं० की मौजूदा आमदनी प्रति माह लगभग 1,35,000 रु० अनुमानित की जाती है और प्रस्तावित बढ़ोतरी यदि लागू की गई तो प्रति माह 35,000 रु० की अतिरिक्त आमदनी होगी।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की तैनाती

7804. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के नये राज्यों के बनाये जाने के फलस्वरूप शिक्षकों की तैनाती के बारे में जो कुछ परिवर्तन करने स्वीकार किये गये थे, उन्हें अभी तक नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ शिक्षकों को, जिन्हें हरियाणा में तैनात किया जाना है अभी तक अपेक्षित आदेश नहीं मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत अस्थायी आवंटन आदेश अक्टूबर, 1966 में जारी किये गये थे। पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि अस्थायी आवंटन आदेशों के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जा चुकी है तथा वे शिक्षक, जिनकी तैनाती हरियाणा को होनी थी, वहां तैनात किये जा चुके हैं। अपने आवंटन में बदलाव के लिये शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों की परीक्षा मुख्य सचिवों की समिति द्वारा की गई है जो अपनी सिफारिशें भारत सरकार को शीघ्र भेजने की आशा करते हैं। सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा विचारोपरान्त भारत सरकार के निर्णयों के अनुसार शिक्षकों के आवंटनों में बदलाव किया जायेगा।

माउन्ट ब्लेंक में हुई एयर इन्डिया विमान दुर्घटना की जांच रिपोर्ट

7805. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 जनवरी, 1966 को एयर इंडिया बोइंग विमान की माउन्ट ब्लेंक में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है;

(ख) उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार इन निष्कर्षों से सन्तुष्ट है अथवा उसका उस मामले पर आगे विचार करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). एयर इंडिया बोइंग 707 विमान की 24 जनवरी, 1966 को माउन्ट ब्लेंक पर हुई दुर्घटना के बारे में फांसीसी जांच आयोग की रिपोर्ट सरकार द्वारा प्राप्त कर ली गयी है।

आयोग दुर्घटना के सम्भव कारण के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा है :

वी टी-डी एम एन विमान के कार्मिक-कप्तान ने, जिसे बेरुत से रवाना होते समय यह मालूम था कि दोनों "वी ओ आर्स" में से एक कार्य नहीं कर रहा था, मौन्ट ब्लांक के

सम्बन्ध में अपने आप को गलत स्थिति में रखा और "कन्ट्रोल" को अपने अनुमान की सूचना दी। रेडार नियंत्रक ने दस भूल का पता लगाया और वी टी-डी एम एन विमान की स्थिति का सही निर्धारण किया तथा विमान को ऐसी आवश्यक सूचना दी जो उसकी दृष्टि में इस स्थिति को सही करने में सहायक सिद्ध हो सकती थी।

पर्याप्त रूप से सही शब्दावली के अभाव में पाइलॉट ने गलती के सुधार को नहीं समझा और उसने इस गलत धारणा से कि वह पर्वत की शिखर-रेखा को पार कर चुका है और अब भी मोन्ट ब्लांक की चोटी से काफी ऊंचाई पर है, अपना नीचे उतरने का कार्य जारी रखा।

(ग) सरकार का इस मामले में आगे कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है।

तकनीकी अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

7806. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष 1959 में इन्जीनियरी कालेजों के प्रतिभाशाली स्नातकों के लिए तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया था ;

(ख) क्या योग्यता के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर छांटे गये इन प्रशिक्षार्थियों को छः वर्ष के लिये तीन वर्ष प्रशिक्षण की अवधि के लिए और शेष तीन वर्ष कालेजों में प्रध्यापक के रूप में बाण्ड भरना पड़ता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस समय इनमें से बहुत से प्रशिक्षार्थी बेरोजगार हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस कार्यक्रम के अधीन अब तक प्रशिक्षित 559 अध्यापकों में से 1967 के दल में से केवल 15 अध्यापकों को अब तक रोजगार नहीं मिला है।

(घ) तकनीकी संस्थानों में इनके लिए उपयुक्त रोजगार तलाश करने के लिये कार्रवाई की जा रही है।

शिक्षा के विकास के लिए अतिरिक्त धन

7807. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य शिक्षा सचिवों की हाल की बैठक में शिक्षा के विकास के लिए अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिये स्थानीय तथा सामुदायिक संसाधन जुटाने के लिए राज्यों से अनुरोध करने के किसी प्रस्ताव की कल्पना की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया ;

(ग) क्या चौथी योजना के लिए इस बैठक में शिक्षा कार्यक्रम की मोटी रूपरेखा तैयार की गई थी ; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस कार्यक्रम में जिसमें इस बारे में होने वाला व्यय भी शामिल है केन्द्र तथा राज्यों का कितना हिस्सा होगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) बैठक में सामान्य रूप से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

(ग) बैठक में चौथी आयोजना में मुख्य-मुख्य कार्यक्रमों को शामिल किये जाने के बारे में विचार-विमर्श हुआ था । इनका ब्योरा अनुबन्ध में दिया हुआ है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०**-952/68]

(घ) इस मामले पर विचार करने के लिये, आयोजना आयोग से बातचीत की जा रही है ।

नेफा में शिक्षा पद्धति

7808. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने नेफा में वर्तमान शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद की स्पष्ट टिप्पणियां और सिफारिशें क्या थीं और उनके सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). नेफा प्रशासन के अनुरोध पर राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने 1964-65 में नेफा का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण किया था । शिक्षा के विषय पर परिषद ने कुछ सिफारिशें की हैं जिनके ब्योरे संलग्न नोट में दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-953/68] सिफारिशों की सरकार जांच कर रही है ।

दिल्ली में सीमा कर

7809. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में सीमा कर को बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कर में की गई वृद्धि से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर बड़ा कुप्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो सीमा कर में वृद्धि के परिणामस्वरूप दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये सरकार किन उपायों का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) कुछ वस्तुओं के सीमा कर की दरें 3-4-1968 से बढ़ा दी गई हैं । आशा है कि इन वृद्धियों का प्रभाव आवश्यक वस्तुओं पर बहुत ही कम पड़ेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली पुलिस को पुलिस पदक

7810. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 26 मार्च, 1968 को दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों को पदक दिये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश पदक राजपत्रित अधिकारियों को दिए गये थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केवल दो पदक सिपाहियों को दिए गए थे और दो पदक उप-निरीक्षकों को दिए गए थे ; और

(घ) यदि हां, तो पुलिस विभाग के अन्य वर्ग के कर्मचारियों को अधिक पदक न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). कुल मिलाकर आठ पदक राजपत्रित अधिकारियों को और एक, पुलिस के एक निरीक्षक (अराजपत्रित) को दिए गए थे ।

(घ) पुलिस पदक बहादुरी तथा विशिष्ट/कुशल सेवा के लिये दिये जाते हैं । ये पुरस्कार योग्यता के, न कि पद के, आधार पर दिए जाते हैं ।

भारत और जापान के बीच विमान सेवा सम्बन्धी करार

7811. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान के बीच विमानों की उड़ानों में वृद्धि करने के लिये सरकार ने जापान सरकार से एक करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह तै किया गया कि भारत और जापान की हवाई कंपनियों द्वारा परिचालित की जाने वाली हवाई सेवाओं को 31 मई, 1969 तक की अवधि के लिए मौजूदा 3 से बढ़ाकर 4 प्रति सप्ताह किया जा सकता है।

राजस्थान में विदेशी धर्म प्रचारकों की गतिविधियां

7812. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी धर्म प्रचारकों की गतिविधियों के बारे में, जिन पर राजस्थान के विभिन्न जिलों में धर्म के माध्यम से राजनैतिक प्रचार करने तथा आदिम जातीय लोगों तथा समाज के पिछड़े वर्गों के लोगों का धर्म परिवर्तन करने के आरोप लगाये गए हैं; राजस्थान विधान सभा की 24 मार्च, 1968 की कार्यवाही की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत के विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों में, विशेष रूप से राजस्थान सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में, विदेशी धर्म-प्रचारकों की गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 24 मार्च, 1968 को जो रविवार का दिन था, राजस्थान विधान सभा का कोई सत्र नहीं था। फिर भी यह ज्ञात हुआ है कि ईसाई धर्म-प्रचारकों की गतिविधियों के सम्बन्ध में 31 जनवरी, 1968 को उस सभा में प्रस्तुत कामरोको प्रस्ताव के उत्तर में एक वक्तव्य दिया गया था कि कुछ जिलों से तब तक प्राप्त सूचना से पता चलता था कि जैसे आरोप लगाए गये थे वैसी कोई गतिविधियां नहीं थीं, जब कि अन्य जिलों से सूचनाओं की प्रतीक्षा की जा रही थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विद्रोही मिजो लोगों को चीनी और पाकिस्तानी सहायता

7813. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1968 के 'स्टेट्समैन' में 'विद्रोही मिजो को चीनी सहायता की आशा—पाकिस्तान से शस्त्रास्त्रों की सप्लाई जारी' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मिजो लोगों के उन प्रयत्नों की ओर ध्यान दिया है, जो उन्होंने उक्त प्रकाशित समाचार के अनुसार, चीनियों के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित करने के लिये किये हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) सुरक्षा सेनाएं सतर्कता बरत रही हैं तथा कार्यवाही जारी है।

वाणिज्यिक नौसेना अधिकारी

7914. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में वाणिज्यिक नौसेना के अधिकारी काफी बड़ी संख्या में तट स्थित पदों पर आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने विचार है ;

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

विश्वविद्यालयों में दाखिला

7815. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों में प्रवेश सम्बन्धी नीति का पुनर्विलोकन करने की वांछनीयता पर विचार किया गया है जिससे वह देश की वास्तविक आवश्यकता के अनुकूल हो जाये ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) शिक्षा आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया है और कुछ सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें, संलग्न विवरण में दी हुई हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-955/68]

(ख) और (ग). इन सिफारिशों के लिए राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उनके विचारार्थ तथा जहां तक सम्भव हो, कार्यान्वयन के लिए ध्यान में लाया गया है।

इन्दौर विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता

7816. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर विश्वविद्यालय की स्थापना से अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी उसे कुछ सहायता दी है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी राशि की सहायता दी है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (घ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन्दौर विश्वविद्यालय को निम्नलिखित अनुदान दिये हैं :

		रुपए
1964-65	......	30,000.00
1965-66	......	1,81,906.70
1966-67	......	1,13,064.38
1067-68	......	3,35,524.31

शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय को कोई अनुदान नहीं दिया गया है ।

Students going Abroad for Higher Studies from Madhya Pradesh

7817. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of students who proceeded abroad for higher studies from Madhya Pradesh during the period 1st January, 1965 to 31st January, 1968 ;

(b) the names of the countries to which these students proceeded ; and

(c) the subjects offered by them for higher education ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) The number of students who procceded abroad from Madhya Pradesh for higher education during the period 1st January, 1965 to 30th September, 1967 is 138.

(b) and (c). The information is given in annexure I and II respectively. **[Placed in Library. See No. L.T.-954/68]**

मध्य प्रदेश में पर्यटन

7818. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिये गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार द्वारा कितनी योजनाएं हाथ में ली गईं और उन योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : पहली पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के विकास के लिए कोई योजना नहीं चालू की गयी । दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में पर्यटन विषयक योजना के भाग I और II के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में 6 स्कीमें चालू की

गई थीं जिनका कि ब्योरा नीचे दिया गया है :

दूसरी पंचवर्षीय योजना

भाग I (जिसकी वित्तीय व्यवस्था पूरी तौर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की गयी)

1. मांडू में पर्यटक बंगले का निर्माण ।
2. खजुराहो में पर्यटक बंगले में स्टाफ क्वाटरों का निर्माण ।
3. सांची के पर्यटक बंगले में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण ।

भाग II (जिसका व्यय केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया गया)

1. खजुराहो में एक निम्न आय वर्गीय रेस्ट हाउस का निर्माण (जिसे तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूरा किया गया) ।
2. मांडू में एक निम्न आय वर्गीय रेस्ट हाउस का निर्माण (जिसे तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूरा किया गया) ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना

भाग I (जिसकी वित्तीय व्यवस्था पूरी तौर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी है)

खजुराहो में पर्यटक बंगले (श्रेणी I) के चार कमरों का, तथा सांची में पर्यटक बंगले (श्रेणी I) के दो कमरों का वातानुकूलन । काम चालू है और पूरा होने वाला है ।

2. ग्वालियर में पर्यटक बंगले (श्रेणी I) का निर्माण । भूमि प्राप्त कर ली गई है । यह स्कीम अब चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के निर्माण-कार्यक्रम में सम्मिलित कर दी गई है ।

मेसर्स अमींचन्द प्यारे लाल

7819. **श्री गणेश घोष :** **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री बि० कु० मोडक : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री मेसर्स अमींचन्द प्यारे लाल के सम्बन्ध में 8 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3297 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 8 मार्च, 1968 को न्यायालय में कोई आरोप-पत्र दायर किया है ;

(ख) यदि हां, तो आरोप-पत्र का ब्योरा क्या है ; और

(ग) पेशी की अगली तारीख क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) स्पष्टतः माननीय सदस्य का संकेत 8 मार्च, 1967 नहीं बल्कि 8 मार्च, 1968 से है । उसका उत्तर नहीं में है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा पता चला है कि मामला 13-3-68 को स्थगित कर दिया गया था और उस दिनांक को अभियुक्त ने अदालत को एक याचिका भेजी थी जिसमें उसने प्रार्थना की थी कि उसके विरुद्ध आरोप तुच्छ हैं अतः वे बरखास्त कर दिये जायें। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका रद्द कर दी। अब मामला स्थगित कर दिया गया है और 30-4-1968 को सुनवाई के लिए निश्चित किया गया है।

बिना पूर्वाज्ञा के भारतीय नागरिकों का निकोबार द्वीप में दाखिला

7820. **श्री अ० क० गोपालन : श्री अब्राहम : श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री नायनार :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आदिम जातीय अधिनियम को, जिसके अन्तर्गत कोई भी भारतीय बिना पूर्वाज्ञा के निकोबार द्वीप समूह नहीं जा सकता, समाप्त करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (आदिवासी जातियों की सुरक्षा) विनियम, 1956 अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी आदिवासी आतियों के हितों की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए लागू किया गया था। विनियम को समाप्त करने के लिए इस प्रकार का कोई सुझाव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

थौमस गेस्ट

7821. **श्री चक्रपाणि : श्री विश्वनाथ मेनन : श्री भगवान दास : श्री नायनार :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थौमस गैस्ट, जिसे "ब्लिट्ज" के 1968 के गणतंत्र दिवस अंक में उर्वरक विशेषज्ञ बताया गया है, भारत में कब आया था ;

(ख) क्या वह भारत से चला गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि वह अचानक ही भारत से गायब हो गया था ; और

(घ) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में वह भारत से गायब हुआ ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। वह 20-3-67 को भारत में आये।

(ग) जी हां, श्रीमान । तथापि एक ब्रिटिश राष्ट्रिक होने के कारण उस पर विदेशी पंजीयन नियमों के उपबन्ध लागू नहीं होते थे।

(घ) आरोप लगाया गया है कि वह जिस होटल में रुका था उसके तथा टैक्सी चलाने वाली एक फर्म के बिल का बिना भुगतान किये भारत छोड़कर चला गया ।

थौमस गेस्ट

7822. **श्री विश्वनाथ मेनन : श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री उमानाथ : श्री चक्रपाणि :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 1 मार्च, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2337 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन से होटल और टैक्सी चलाने वाली फर्म ने थौमस गेस्ट से बिलों का भुगतान लेना है;

(ख) क्या यह सच है कि थौमस गेस्ट ने प्रधान मंत्री द्वारा संसद् सदस्यों के स्वागत में आयोजित समारोह में भाग लिया था; और

(ग) यदि हां, तो उन्होंने किस हैसियत में इस स्वागत समारोह में भाग लिया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सूचना मिली है कि मिस्टर थौमस गेस्ट को इम्पीरियल होटल, नई दिल्ली तथा मैसर्स प्यारेलाल एण्ड सन्स (प्राइवेट), नई दिल्ली को रुपया देना है ।

(ख) और (ग). मिस्टर थौमस को प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये किसी स्वागत में आमन्त्रित नहीं किया गया था ।

खोसला आयोग

7823. **श्री रमानी : श्री अब्राहम :**
श्री पी० राममूर्ति : श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस की शिकायतों की जांच-पड़ताल करने के लिये खोसला आयोग किस तारीख को नियुक्त किया गया था;

(ख) खोसला आयोग द्वारा कब तक प्रतिवेदन पेश किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या प्रतिवेदन पेश करने के लिये सरकार द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). 5-11-66 को श्री जी० डी० खोसला की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई थी। आयोग को, जितनी जल्दी व्यावहारिक हो सके, सरकार को अपनी सिफारिशें देनी थीं। उन्होंने अप्रैल, 1967 में एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 15 अप्रैल, 1968 को पुलिस कमीशन की अन्तिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।

महेश योगी के आश्रम में दक्षिणी अफ्रीका की श्वेत महिलायें

7824. **श्री अनिरुद्धन :** **श्री प० गोपालन :**
श्री उमानाथ : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 मार्च, 1968 के ब्लिट्ज समाचार-पत्र में प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि ऋषिकेश स्थित महेश योगी के आश्रम में दक्षिणी अफ्रीका की श्वेत महिलायें हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें वीसा दिये हैं;

(ग) उन्हें वीसा दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो वे किस प्रकार आई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने उल्लिखित लेख देखा है परन्तु जांच से पता चला है कि महेश योगी के आश्रम में दक्षिण अफ्रीका की श्वेत महिलाओं की उपस्थिति के बारे में सूचना सच नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

ऋषिकेश में महेश योगी के आश्रम में विदेशी

7825. **श्री अनिरुद्धन :**
श्री प० गोपालन :
श्री नम्बियार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महेश योगी के आश्रम में कुल कितने विदेशी राष्ट्रिक हैं;

(ख) क्या उन सब विदेशी राष्ट्रिकों को विदेशी राष्ट्रिकों का पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 12 अप्रैल, 1968 को 75.

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) कामनवेल्थ के राष्ट्रिक (प्रचारकों के अतिरिक्त) या विदेशी होने के कारण 90 दिन या कम का जो वीसा रखते हैं उन्हें विनियमों के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती है ।

शिक्षा संस्थाओं में पुलिस का दाखिल होना

7826. **श्री गणेश घोष :**
श्री पी० राममूर्ति :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 22 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4749 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापक संघ द्वारा प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन पर जिसमें शिक्षा संस्थाओं के प्रमुखों की पूर्व अनुमति के बिना वहां पुलिस के जाने पर प्रतिबन्ध की मांग की गई थी पश्चिमी बंगाल सरकार के विचार सरकार को प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके विचार क्या हैं;

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार को इस मामले में शीघ्रता करने को कहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) जी हां, श्रीमान् ।

स्वविवेकी अनुदानों से भुगतान

7827. **श्री नायनार :**
श्री अनिरुद्धन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 8 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 518 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम-न्यायालय के उस विनिर्णय पर विचार कर लिया है जिसमें सामान्य निर्वाचनों के अवसर पर विवेकी अनुदानों से (जो मंत्रियों द्वारा दिये जा सकते हैं) भुगतान को 'कदाचार' बताया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस पर कब तक विचार किये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). मामले की अभी परीक्षा की जा रही है। इसे शीघ्र निपटाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

नानकावरी द्वीप में सरकारी भंडार

7828. **श्री नायनार :** **श्री अब्राहम :**
श्री रमानी : **श्री अनिरुद्धन :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कार निकोबार में नानकावरी द्वीप समूह के आबादी वाले प्रत्येक द्वीप में सरकारी भंडार खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक भंडार खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). तीन सरकारी भंडार (कार निकोबार, कमोरटा तथा कैम्पबैल बे में एक-एक) पहले ही कार्य कर रहे हैं। टेरेस्सा, कोण्डुल ईस्ट बे कैचल, वेस्ट बे कैचल तथा पुलों मिलों में भी सरकारी भंडार खोले गये थे परन्तु नानकावरी ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा अन्दमान निकोबार प्रशासन द्वारा उनके व्यापार लैसेन्स की अवधि न बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई लेख्ययाचिका के परिणामस्वरूप कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा के पालन में उन्हें बन्द कर देना पड़ा। बन्द किये गये भण्डारों को पुनः खोलने के या निकोबार द्वीप समूह के अन्य बस्ती वाले द्वीपों में नए भण्डार खोलने के प्रश्न पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में लम्बित मामला अन्तिम रूप से निपटाये जाने या अंतरिम निषेधाज्ञा को रद्द कर देने के पश्चात् विचार किया जायगा।

'एशियन ब्रदरहुड' नामक संस्था के मुख्यालय का वियतनाम से स्थानान्तरण

7829. **श्री उमानाथ :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 1 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 380 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एशियन ब्रदरहुड' नामक अमरीकी सहायता-प्राप्त संस्था जिसने हाल ही में अपना मुख्यालय वियतनाम में स्थानान्तरित किया है, के बारे में इस बीच सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सूचना कब तक एकत्रित किये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). सरकार के पास ऐसी किसी संस्था के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गाजीपुर में गंगा नदी पर पुल

7830. **श्री एस्थोस : श्री गणेश घोष : श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री सत्य नारायण सिंह :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 16 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 714 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गाजीपुर में गंगा नदी पर पुल बनाने के उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण पर विचार किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). जी हां । राज्य योजना शिखर से अधिक और ऊपर गाजीपुर में प्रस्तावित पुल के लिये राज्य सरकार 4.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता चाहता था । राज्य में गंगा नदी पर विभिन्न घाटों में पुल बनाने की लागत के 50 प्रतिशत की पूर्ति के लिये सिद्धांत रूप से भारत सरकार मंजूर की गयी 4.5 करोड़ रुपये की ऋण सहायता के अतिरिक्त और सहायता की व्यवस्था करने में असमर्थ है । भारत सरकार बक्सर में गंगा पर अन्तर्राज्यीय महत्व के पुल निर्माण करने की लागत के एक तिहाई की पूर्ति के लिये सहायता अनुदान देने के लिये अलग से भी स्वीकृत हो गई है । यह पुल गाजीपुर से नदी के बहाव की ओर गाजीपुर से 30 मील है ।

दिल्ली जनरल मर्चेंट्स एसोसिएशन का ज्ञापन

7831. **श्री चक्रपाणि : श्री भगवान दास : श्री एस्थोस : श्री नम्बियार :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 8 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3245 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली जनरल मर्चेंट्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस पर पूर्ण विचार कब तक किये जाने की संभावना है और उसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि मामले की अभी परीक्षा की जा रही है। मामले के महत्व को दृष्टि में रखते हुए तथा उसकी कठिनाइयों की ध्यानपूर्वक परीक्षा की आवश्यकता को देखते हुए प्रशासन ने यह भी व्यक्त किया है कि उन्हें अपनी विचारधारा निश्चित करने में कुछ समय लगेगा।

मेसर्स मित्सुबिशी हैवी इण्डस्ट्रीज

7832. **श्री प० गोपालन** : **श्री विश्वनाथ मेनन** :
श्री वि० कु० मोडक : **श्री भगवान दास** :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री डा० धर्म तेजा के जापान के मेसर्स मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के साथ सौदों संबंधी 8 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 526 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच दीवानी मुकदमें का फैसला हो चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) दीवानी मुकदमें का फैसला कब तक होने की संभावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). डा० धर्म तेजा, मेसर्स एम० एन्डोशिपिंग कं० इन्का, मेसर्स मेरीडियन स्टीमशिप कारपोरेशन और मि० एडवर्ड इनिस जो इन दोनों फर्मों के स्वामी थे, के खिलाफ अगस्त 1966 में न्यूयार्क कोर्ट में दीवानी दावा दायर किया गया था। यह जयन्ती शिपिंग कम्पनी के लेन-देन से संबद्ध पूर्ण और ठीक हिसाब के देने के लिये था। ऐसे मामलों में न्यूयार्क कोर्ट में लागू क्रिया विधि के अनुसार प्रतिवादी और जयन्ती शिपिंग कम्पनी के बीच पिछले लेन-देन से संबद्ध जितना संभव हो सके उतना हिसाब देने का अवसर मुकदमें में प्रतिवादियों को दिया जाता है। इस क्रिया पद्धति के अनुसार जयन्ती शिपिंग कंपनी के सालिसिटरों ने मि० एडवर्ड इनिस से विभिन्न लेन-देन के हिसाब को देने के लिये लिखित मांग की है। समय-समय पर मि० इनिस से सूचना की प्राप्ति पर उसकी परीक्षा की जाती है और उनमें जो पूछने वाली बातें उठती हैं उनकी सफाई मांगी जाती है। इस प्रकार पिछले कई लेन-देन के बारे में मि० इनिस से हिसाब और सहायक प्रलेख्य प्राप्त होना संभव हो सका है किन्तु उन्होंने अभी तक पूरा हिसाब नहीं दिया है जिसके लिये उन पर जयन्ती के सालिसिटर जोर डाल रहे हैं। इस प्रक्रिया के सम्मूर्ण हो जाने के बाद और जयन्ती के सालिसिटरों द्वारा अन्तिम रूप से निश्चय हो जाने के बाद कि अभी कुछ हिसाब बाकी है जो इस तरह प्रतिवादी नहीं देगा तक कोर्ट की क्रिया पद्धति द्वारा उन पर जोर डाला जायेगा

कि गायब हिसाब भी दें। उसके बाद न्यूयार्क का कोर्ट सुनवाई करेगा, गवाहियों की परीक्षा, यदि जरूरी होगी तो करेगा और दीवानी दावे में निर्णय देगा। अत: दीवानी मुकदमा तय होने में अभी कुछ महीने लगेंगे।

निकोबार के सरकारी पूर्ति भंडार

7833. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री चक्रपाणि :
श्री गणेश घोष :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकोबार द्वीपसमूह में कुल कितने सरकारी पूर्ति भंडार हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) उनमें कौन सी वस्तुएं बेची जाती हैं ;

(ग) क्या इन सरकारी भंडारों द्वारा रोजमर्रा की सभी अत्यावश्यक वस्तुएं बेचने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) निकोबार द्वीप समूह में आजकल तीन सरकारी सिविल पूर्ति भंडार कार्य कर रहे हैं और वे कार-निकोबार, कैमोरटा और कैम्पबेलबे में हैं।

(ख) भण्डार मुख्यतः चावल, आटा, चीनी, मिट्टी का तेल, चाय, काफी और दूध का पाउडर बेचते हैं।

(ग) मामला अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन के विचाराधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक

7834. **श्री अब्राहम :** क्या **शिक्षा** मंत्री 8 मार्च 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3291 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों की मांगों के सम्बन्ध में इस बीच कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार द्वारा कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). हरियाणा के गैर-सरकारी विद्यालय के अध्यापकों की मांगों के संबध में किए गए निम्नलिखित निश्चय शामिल हैं :

(i) गैर-सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान 1 दिसम्बर, 1967 से संशोधित करके सरकारी विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के बराबर कर दिए गए हैं। गैर सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों को संशोधित वेतनमानों पर मंहगाई भत्ता भी सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली दर पर मिलेगा। इन निश्चयों के कार्यान्वित करने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिए शतप्रतिशत वित्तीय सहायता दी जायगी।

(ii) विद्यालय प्रबंधकों को हिदायतें जारी की जा चुकी हैं कि वे 30-11-67 को कार्य कर रहे अध्यापकों में से किसी को भी शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नौकरी से नहीं हटायें। त्यागपत्र अथवा सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप होने वाली रिक्तियां भी विभाग से पूर्व-अनुमोदन लेकर करनी होंगी।

संगीत नाटक अकादमी के अधीन संस्थाएं

7835. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत नाटक अकादमी, दिल्ली द्वारा सीधे संचालित होने वाली संस्थाओं के नाम क्या हैं तथा भारत में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में संगीत नाटक अकादमी से सहायता पाने वाले तथा इस अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में अकादमी द्वारा सीधे संचालित होने वाली इन संस्थाओं को, संस्थावार, कितनी राशि का अनुदान दिया गया है ;

(ग) क्या इस अवधि में क्षेत्रीय अकादमियों को कोई सहायता दी गई थी और यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि दी गई है ; और

(घ) अभी तक किन-किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय अकादमी स्थापित नहीं की गई हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-957/68]

Alleged Desecration of Arya Samaj Temple in Sarai Rohilla, Delhi

7836. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some persons desecrated the Arya Samaj Temple in Sarai Rohilla, Delhi ; and

(b) if so, the steps taken by Government to stop the desecration of Arya Samaj temples ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). A complaint was received about the desecration of the Arya Samaj Temple in Serai Rohilla. A case has been registered under Section 295 of the Indian Penal Code and two persons have been arrested. The challan is under scrutiny in the Prosecution Branch of the Delhi Police.

Use of Hindi in offices

7837. **Shri Mayavan :**
Shri Subravelu :
Shri Narayanan :
Shri Dhandapani :
Shri Deiveekan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 703 on the 16th February, 1968 and state :

(a) whether Government have since issued instructions regarding the use of Hindi and English in Central Government Offices consequent to the passage of the Official Language (Amendment) Act; and

(b) if so, the main particulars thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Not yet, Sir.

(b) Does not arise.

हिन्दी टाइपराइटर

7838. **श्री दीवीकन :**
श्री मयावन :
श्री चित्तिबाबू :

क्या गृह-कार्य मंत्री 22 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4912 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी अंकों वाले टाइपराइटरों की संख्या क्या है ;

(ख) हिन्दी के अंकों के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय अंकों वाली 'की' लगाने के लिये कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) ये टाइपराइटर कब खरीदे गये थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस सामग्री को एकत्रित करने में जो समय तथा श्रम लगेगा वह प्राप्त होने वाले परिणामों के तुल्य नहीं होगा।

(ख) उत्पादनकर्ताओं से अभी पता चला है कि वे हिन्दी अंकों को अन्तर्राष्ट्रीय अंकों से बदलने की स्थिति में हैं। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से ऐसा करवा लेने के लिये अनुरोध किया जा रहा है।

(ग) ये 1947—64 के बीच खरीदे गये थे।

ऋषिकेश में महर्षि महेश योगी के आश्रम के निकट हवाई पट्टी

7840. **श्री रवि राय :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री देवराव पाटिल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार ने महर्षि महेश योगी को उत्तर प्रदेश में ऋषिकेश में अपने आश्रम के पास एक हवाई पट्टी बनाने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र के भूमिहीन श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए महर्षि को हवाई पट्टी बनाने के लिये दी गई अनुमति को रद्द करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) हवाई पट्टी बनाने के लिए न तो महर्षि महेश योगी ने कोई मंजूरी मांगी है और न कोई मंजूरी उन्हें दी ही गई है । इसलिए मंजूरी रद्द करने का कोई प्रश्न नहीं उठता । 'स्पिरिचुअल रिजेनरेशन मूवमेंट फाउण्डेशन ऑफ इंडिया' के अनुरोध पर नागर विमानन विभाग ने उस स्थान की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए एक तकनीकी अफसर प्रतिनियुक्त किया था जिसका कि आश्रम महर्षि एवं आश्रम के निजी उपयोग के लिये चार या पांच सीटों वाले विमान के प्रयोग की दृष्टि से एक हवाई पट्टी के निर्माण के लिये विकास करना चाहता था ।

1937 के भारतीय विमान नियमों के नियम 79 के अन्तर्गत किसी भी प्राइवेट पार्टी अथवा राज्य सरकार को विमानों के उतरने के लिये हवाई पट्टी बनाने की स्वतंत्रता है, और सरकार की स्वीकृति लेने की भी आवश्यकता नहीं, बशर्ते की हवाई पट्टी का प्रयोग अनुसूचित विमान परिवहन सेवा द्वारा विमानों के उतरने या रवाना होने के लिये, अथवा किराये या पुरस्कार के लिये यात्रियों को ले जा रहे किसी भी विमान द्वारा उतरने या रवाना होने के एक सिलसिले के तौर पर एक नियमित स्थान के रूप में नहीं किया जाता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय वन सेवा

7841. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1969 से तथा उसके बाद देहरादून के वन महाविद्यालय से पास होने वाले प्रशिक्षणार्थी भारतीय वन सेवा के सदस्य होंगे, जबकि उन प्रशिक्षणार्थियों को जिन्होंने पहले परीक्षा पास की थी, भारतीय वन सेवा की परीक्षा में बैठना पड़ता है ; और

(ख) जिन्होंने 1964 से पहले यह परीक्षा पास की थी उन्हें सेवा रिकार्ड पर भारतीय वन सेवा में किन कारणों से लिया गया था, और अन्य प्रशिक्षणार्थियों को भारतीय वन सेवा की परीक्षा पास करनी पड़ेगी इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय का डिप्लोमा कोर्स पास कर लेना भारतीय वन सेवा में भर्ती का आधार नहीं बन जाता है। भारतीय वन सेवा के निर्माण से पहिले, यह प्रशिक्षण केवल सम्बन्धित राज्य सरकार सेवाओं में भर्ती किए गए व्यक्तियों को दिया जाता था। भारतीय वन सेवा के गठन के पश्चात् इस सेवा में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षा ली जाती है और देहरादून महाविद्यालय अब उन व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण देता है जो भारतीय वन सेवा (प्रतियोगी-परीक्षा से नियुक्त) विनियमों 1967 के अधीन सीधे भर्ती किये जाते हैं।

(ख) 29 मार्च, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5756 के उत्तर में स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी गई है। भारतीय वन सेवा के प्रारम्भिक गठन में नियुक्त के लिये राज्य वन सेवा अधिकारियों की शर्तों के अनुसार जिन्होंने 1-7-1966 को चार वर्ष की राजपत्रित सेवा की हो, देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय में दो वर्ष का प्रशिक्षण भी शामिल है, सेवा में कनिष्ठ श्रेणी पदों पर नियुक्ति के लिये उन पर विचार किया गया बशर्ते कि विशेष चयन मण्डल द्वारा उनके सेवा वृत्त के आधार पर वे उपयुक्त समझे गये हों। जिन्होंने 1964 के पश्चात डिप्लोमा प्राप्त किया था और इस प्रकार निर्णायक तिथि पर चार वर्ष की सेवा पूरी न की थी अतः बहुत कम वास्तविक सेवा होने के कारण उन पर उनके सेवावृत्त के आधार पर विचार नहीं किया जा सकता था। फिर भी उन्हें आयु में छूट दी गई ताकि सेवा में सीधी भर्ती के लिए वे संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम दो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकें।

Hindi Knowing Employees

7843. **Shri R. S. Vidyarthi** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of such Class I, II and III employees separately in his Minisry as on the 31st December, 1967 and the number out of them who did not know Hindi ;

(b) whether the Ministry has prepared any roster for teaching them Hindi ;

(c) if so, the time by which the work of teaching Hindi is likely to be completed in accordance with that roster; and

(d) if not, the time by which the said roster would be finally prepared ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में रिक्त पद

7844. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक

शब्दावली आयोग में सहायक शिक्षा अधिकारियों तथा अनुसंधान सहायकों के पदों पर नियुक्तियां करने के बारे में पहले से ही नियम बने हुए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा परिभाषिक शब्दावली आयोग में सहायक शिक्षा अधिकारियों तथा अनुसंधान सहायकों के कुछ पद खाली पड़े हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन पदों पर किस प्रकार नियुक्तियां करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री० शेर सिंह) : (क) जी हां, जहां तक केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में रिक्तियों को भरने का सम्बन्ध है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में रिक्तियों की भर्ती के लिये अलग नियम तैयार किए जा रहे हैं ।

(ख) जी हां, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में सहायक शिक्षा अधिकारियों के 6 पद और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में अनुसंधान सहायकों के 11 पद ।

(ग) इन पदों पर नियमित नियुक्तियां भर्ती के नियमों के अनुसार की जाएंगी । फिर भी वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के भर्ती के नियमों को अंतिम रूप दिए जाने तक के लिए आयोग में अनुसंधान सहायकों के पांच पदों को पूर्णतः तदर्थ आधार पर पदों के लिए अपेक्षित योग्यताओं को पूरा करने वाले विभागीय प्रत्याशियों को ठीक वरीयता क्रम में पदोन्नत करके भरा गया है ।

Expansion of Khajuraho

7845. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Archaeological Department have acquired the land of some persons with a view to expand Khajuraho (Chhatarpur) ;

(b) if so, the area of the land acquired and the names of the owners of that land ;

(c) whether all persons have been paid compensation for their land and if not, the number of persons who are yet to be paid the compensation ;

(d) the number of years for which the said compensation has been due ; and

(e) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir. Some land around the protected temples has been acquired to provide more open areas around the temples.

(b) The areas acquired measure 23.70 acres and belonged to H. H. the Maharaja of Chhatarpur ; Shri Pyarelal Pujari ; and Maufi Maqbara.

(c) Compensation has been paid to all the parties concerned.

(d) and (e). Do not arise.

Grants Sanctioned by University Grants Commission

7846. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the amount sanctioned by the University Grants Commission during the year 1967-68 ; and

(b) the amount sanctioned for the Centre and for each of the States, separately ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b). A statement giving maintenance and development grants paid to the Central Universities and development grants to state Universities, including deemed Universities, during 1967-68 is attached. **[Placed in Library. See No. L.T.-956/68]**. The Commission does not give maintenance grants to State/deemed Universities.

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I के अधिकारियों की एसोसिएशन

7847. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री गिरिराजशरण सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I के अधिकारियों की एसोसियेशन की ओर से गृह-कार्य मंत्रालय को कोई पत्र आया है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1965 से अब तक प्राप्त ऐसे पत्रों की विषय वस्तु क्या थी ; और

(ग) क्या एसोसियेशन को उत्तर भेजे गये हैं और यदि हां, तो क्या तथा किन-किन तारीखों को उत्तर भेजे गए हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पत्रों की विषय वस्तु ग्रेड I के अधिकारियों की सेवा-शर्तों तथा उनकी पदोन्नति के अवसरों में सुधार से सम्बन्धित थी ।

(ग) एसोसिएशन द्वारा समय-समय पर की गई मांगें नीति के बड़े प्रश्नों से सम्बन्धित हैं जिनकी न केवल केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अन्य ग्रेडों पर बल्कि अन्य केन्द्रीय सेवाओं पर भी विस्तृत प्रतिक्रिया होगी । यद्यपि लिखितरूप में कोई औपचारिक उत्तर नहीं भेजा गया है किन्तु इस विषय में एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से कई बार विचार-विमर्श किया गया है ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिये पदोन्नति के अवसर

7848. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री गिरिराज शरण सिंह :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 11 मार्च, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1070 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के 300 से अधिक ऐसे अधिकारियों में से, जो अपने वेतन क्रमों की अधिकतम राशि ले रहें हैं कितने अधिकारियों की इस बीच चयन "सिलेक्शन" ग्रेड में पदोन्नति कर दी गई है ;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड I) के अधिकारियों को, उनके समतुल्य वरिष्ठता और योग्यता वाले अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों की तुलना में, उनके द्वारा सीनियर श्रेणी I के वेतन-क्रम (700-1250 रुपए) अथवा इससे अधिक वेतन-क्रम में पहुंच जाने के बाद, उपलब्ध होने वाले पदोन्नति के अवसरों के बारे में अध्ययन किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन का क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार का अध्ययन करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 11 मार्च, 1964 के पश्चात् केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वर्ग 1 के 65 अधिकारी सिलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति के लिये अनुमोदित किये गये थे, जिनमें से छः अधिकारी सिलेक्शन ग्रेड के पदों में अभी नियुक्त किये जाने हैं।

(ख) से (घ). तुलनात्मक अध्ययन के लिये आवश्यक सामग्री एकत्रित की जा रही है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी

7849. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के 23 जुलाई, 1967 के समाचार-पत्रों में छपे उन समाचारों की ओर दिलाया गया है जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के साथ किये गये भेदभाव के बारे में थे ; और

(ख) इन वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायतों की जांच के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के साथ किये गये भेदभाव के आरोप सही नहीं हैं।

मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के लिये रियायती दर पर विमान यात्रा

7850. **श्री वि० ना० शास्त्री :**
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मान्यता प्राप्त संवाददाताओं को रियायती दरों पर विमान यात्रा की सुविधा देने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मोटी-मोटी बातें क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Amir Muslim League in Allahabad

7851. **Shri Hardayal Devgun:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that an organisation known as Amir Muslim League in Mahagaon near Allahabad is using the word "Muslim India" for India in its letters etc. ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) and (b). Facts are being ascertained from the State Government.

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना सम्बन्धी शिक्षा

7852. **श्रीमती तारा सप्रे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम द्वारा आरम्भ की गई राष्ट्रीय परियोजना में कितने तथा कौन-कौन से राज्य भाग ले रहे हैं ;

(ख) 1967 में भाग लेने वाले कथित 440 स्कूलों और संस्थाओं में से महाराष्ट्र के कितने स्कूल थे ; और

(ग) इस वर्ष कुल कितने स्कूलों द्वारा भाग लेने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना शिक्षा के कार्यक्रम के अधीन प्रायोजना में निम्नलिखित 22 राज्य और संघीय क्षेत्र भाग ले रहे हैं :

आन्ध्र प्रदेश

असम

बिहार

गुजरात

हरियाणा

जम्मू तथा कश्मीर

केरल

मध्य प्रदेश

मद्रास

महाराष्ट्र

मैसूर

उड़ीसा

पंजाब

राजस्थान

उत्तर प्रदेश

पश्चिम बंगाल

चंडीगढ़

दिल्ली

हिमाचल प्रदेश

मणिपुर

पांडिचेरी तथा

त्रिपुरा

(ख) 18 स्कूल और 2 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं ।

(ग) इस वर्ष इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के 33 स्कूल और 2 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं सहित, 561 स्कूलों और अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं (422 स्कूल + 139 अध्यापक प्रशिक्षण संस्था) द्वारा भाग लिए जाने की आशा है ।

शिक्षा संस्थाओं में पुलिस के प्रवेश संबंधी समिति

7854. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षक संघों की अखिल भारतीय फेडरेशन ने पश्चिम बंगाल, केरल तथा मैसूर में विभिन्न स्थानों पर शिक्षा संस्थाओं में पुलिस के प्रवेश की जांच करने के लिए एक जांच समिति बनाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं। फेडरेशन द्वारा इस प्रकार की जांच समिति स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

विमान सेवा के सम्बन्ध में भारत-पाकिस्तान वार्ता

7855. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान सेवा फिर से चालू करने के बारे में पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए कोई प्रयत्न किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को यह प्रस्ताव किया है कि दोनों देशों के बीच सभी अर्थात् सड़क, नदी और वायु संचारों को पुनः आरम्भ करने के लिए बातचीत सरकारी स्तर पर होनी चाहिए।

भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के उग्रवादी वर्ग द्वारा संसदीय प्रणाली का अस्वीकार किया जाना

7856. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत के साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के उग्रवादी वर्ग ने जिसे आम तौर पर नक्सलबाड़ीवादी कहा जाता है कलकत्ता में हाल ही में हुए अपने एक सम्मेलन में पारित किये गये एक संकल्प द्वारा चुनावों के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को अस्वीकार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी गतिविधियों की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) में से उग्रवादियों द्वारा 22 मार्च, 1968 को कलकत्ता में आयोजित एक सम्मेलन के बारे में समाचार-पत्रों में छपे समाचार देखे हैं, जिसमें 'मध्यम वर्ग प्रजातान्त्रिक प्रणाली' की निन्दा की गई थी तथा वर्ग संघर्ष में विश्वास को दोहराया गया था।

(ख) सरकार उग्रवादी गुटों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखे हुए है।

पश्चिमी बंगाल में उष्ण श्रोत (गरम पानी के चश्मे)

7857. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के बाकेश्वर नामक गांव में बिहार के राजगीर स्थान की भांति गरम पानी के बहुत अच्छे चश्मे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री और प्रख्यात चिकित्सक दिवंगत डा० बी० सी० राव ने यह घोषणा की थी कि ये उष्ण श्रोत (गरम पानी के चश्मे) बहुत सी बीमारियों के लिये बहुत उपयोगी हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वहां जाने के इच्छुक पर्यटकों के लिये वहां ठहरने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वहां ठहरने की आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकार को बाकेश्वर के गर्म पानी के चश्मों की जानकारी है। लेकिन भारत सरकार को, चिकित्सा की दृष्टि से इन चश्मों की उपयोगिता के बारे में स्वर्गीय डा० बी० सी० राय के विचार उपलब्ध नहीं किये गये हैं।

(ग) और (घ). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने बाकेश्वर के विकास के लिये एक स्कीम मंजूर कर दी है। भारत सरकार की इस स्थान के लिए फिलहाल कोई योजना नहीं है।

सहायक छात्र सेना दल का पुनश्चर्या कार्यक्रम

7858. **श्री अम्बचेजियान :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय दक्षता दल कार्यक्रम में शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों तथा सहायक छात्र सेना दल के अध्यापकों की पुनश्चर्या की योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों तथा सहायक छात्र सेना दल के अध्यापकों में से कितने व्यक्तियों की पुनश्चर्या अभी बाकी है ;

(ग) शारीरिक शिक्षा के शेष अध्यापकों तथा सहायक छात्र सेना दल के शेष अध्यापकों की पुनश्चर्या के कार्यक्रम की गति में तेजी लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) उच्चतर माध्यमिक, उच्च तथा माध्यमिक स्कूलों में प्रविष्ट होने वाले शारीरिक शिक्षा के नये अध्यापकों की पुनश्चर्या के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 22,531 अध्यापकों में से अब तक 15,892 अध्यापकों को राष्ट्रीय स्वस्थता कोर प्रशिक्षण में पुनरनुस्थापित कर दिया गया है।

(ख) 6639।

(ग) पुनरनुस्थापन प्रशिक्षण को पूरा करने के लिये, सरकार द्वारा पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। लेकिन क्योंकि राज्यों की इस बारे में प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक नहीं रही है, इसलिये इस प्रशिक्षण का अब विकेन्द्रीकरण करने का निर्णय किया गया है।

(घ) उत्तर के भाग (ग) में बताई गई स्थिति को देखते हुए यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि नये शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए वे अपने-अपने शिक्षा कालेजों में पुनरनुस्थापित करें।

नेशनल फिटनेस कोर आर्गेनाइजेशन

7859. **श्री अम्बचेजियान** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल फिटनेस कोर आर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों की पदोन्नति पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). राष्ट्रीय अनुसंधान योजना के अनुदेशकों के विकेन्द्रीकरण के बारे में सरकार के निर्णय को देखते हुए यह निश्चय किया गया है कि राष्ट्रीय स्वस्थता संगठन के रिक्त स्थानों को खाली ही रखा जाए।

Jaipur-Bikaner Air Services

7860. **Shri Jamna Lal**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have started air service from Jaipur to Bikaner ; and

(b) if so, whether any scheme has also been formulated to connect Tonk, Rajasthan also through air service ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). No, Sir.

Delhi-Bombay Highway

7861. **Shri Jamna Lal**: Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi-Bombay Highway via Jaipur gets water-logged at many places due to culverts being obsolete ; and

(b) if so, the amount likely to be spent on the repair of this highway ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). I presume that the Hon'ble Member is having in mind the old alignment of the Delhi-Bombay road, National Highway No. 8, in the reach between Gurgaon and Shahpura via Sohna, Nuh, Ferozepur Jhirka and Alwar, which is subject to floods. A new diversion free from floods has since been constructed and is being maintained as part of the National Highway from the 1st April, 1968. The old alignment is no longer a part of the National Highway.

दिल्ली उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के परीक्षा-पत्रों का मालूम हो जाना

7862. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
श्री जमना लाल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के कुछ परीक्षा-पत्र पहले मालूम हो गये थे और खुले आम बाजार में बेचे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो परीक्षा-पत्रों के पहले मालूम हो जाने के बारे में जांच करने तथा अपराधियों को पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या इन परीक्षा-पत्रों की परीक्षा पुनः लेने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) प्रेस द्वारा छापे गये आरोप को छोड़कर इस मामले में अन्य कोई अधिकृत जानकारी नहीं है।

(ख) मामला दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच-पड़ताल के लिये पुलिस को सौंप दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

कथित धोखेबाज फ्लेमिंग अलेक्सेनक्रोन

7863. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्लेमिंग अलेकसेनक्रोन नामक डेनिश नागरिक की, जो एक धोखेबाज विदेशी नागरिक है, और अप्रैल, 1966 से भारत में रहता है, अपराधपूर्ण गतिविधियों से केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जनता को सावधान किया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उसे पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या डेनमार्क के दूतावास/वाणिज्य दूतावास के साथ उसका कोई सम्पर्क है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग). शाही डेनमार्क दूतावास ने भारत सरकार से एक श्री फ्लेमिंग अलेक्सेनक्रोन के विरुद्ध भारतीय अधिकारियों को सचेत करने का अनुरोध किया था, जो बिना अधिकार प्राप्त किये भारत में डेनमार्क दूतावास या

उसके वाणिज्य दूतावास का पता अपने प्रयोग में ला रहा है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस व्यक्ति की गतिविधियों के बारे में सभी प्राधिकारियों तथा राज्य सरकारों को चेतावनी जारी कर दी है।

खम्भात पत्तन

7864. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व एक विदेशी विशेषज्ञ द्वारा खम्भात पत्तन के बारे में तत्कालीन बम्बई सरकार को एक प्रतिवेदन पेश किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (**डा० वी० के० आर० वी० राव**) : (क) और (ख). बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के विकास की कार्यकारी जिम्मेदारी संबद्ध राज्य सरकारों की है अतः भारत सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों से अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

उड़ान दरें

7865. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 29 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5791 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षण उड़ान की दरों में वृद्धि के विरुद्ध पायलट प्रशिक्षणार्थियों से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ;

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (**डा० कर्ण सिंह**): (क) और (ख). प्रशिक्षण उड़ान की दरों में पहली अप्रैल, 1968 से हुई वृद्धि के विरुद्ध कुछ फ्लाइंग क्लबों के प्रशिक्षणार्थियों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय किया गया है कि 28 वर्ष से कम आयु के, एवं 1 अप्रैल, 1968 से पहले प्रशिक्षण उड़ान आरम्भ करने वाले, मैट्रीक्यूलेट प्रशिक्षणार्थियों द्वारा दी जाने वाली उड़ान फीस 40/– रुपया प्रति घन्टे से घटाकर वही 25/– रुपया प्रतिघंटा कर दी जानी चाहिए जोकि 22 वर्ष से कम आयु के प्रशिक्षणार्थियों से ली जाती है। यह निर्णय नागर विमानन के महानिदेशक के द्वारा सभी उड़ान क्लबों को सूचित कर दिया गया है।

दिल्ली में यातायात नियन्त्रण

7867. डा० **कर्णी सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में साइकिल सवार बराबर यातायात के लाल संकेत की परवाह न करते हुए निकल जाते हैं और उनका चालान नहीं किया जाता और बहुत से महत्व पूर्ण स्थानों पर यातायात पुलिस भी तैनात नहीं है;

(ख) क्या इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि चौड़ी सड़कों के बीच में बनाये गये आइलैंडों से खतरा है क्योंकि इनके शीघ्र दिखाई न देने के कारण बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं; और

(ग) सरकार का मोटरगाड़ियों आदि के यातायात के निर्बाध संचालन और दिल्ली की सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). यह सही है कि दिल्ली में कुछ साइकिल-सवार सड़क यातायात संकेतों का उतना सम्मान नहीं करते जितना उनको करना चाहिए । यातायात पुलिस के ध्यान में जब कभी यातायात नियमों के उल्लंघन के दृष्टांत सामने आते हैं तो वे साइकिल-सवारों का चालान करते हैं । यातायात की आवश्यकताओं तथा उपलब्ध जन-शक्ति को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण यातायात केन्द्रों पर यातायात पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है ।

2. दिल्ली पुलिस या नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा सड़कों के बीच बनाये गये आइलैण्डों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

3. यातायात की दृष्टि से मुख्य सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है । नई दिल्ली नगरपालिका ने यातायात को सुचारूरूप से चलाने के लिए मुख्य सड़कों पर नये साइकिल-पथों का निर्माण-कार्य हाथ में लिया है ।

4. हाल में दिल्ली में यातायात पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई है और इससे यातायात की व्यवस्था में सुधार होने की आशा है ।

उत्तर प्रदेश में जौनपुर में पाई गई सोने की मुहरें

7868. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले में मछलीशहर पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में एक खेत में उसके स्वामी को हाल ही में कई किलोग्राम स्वर्ण मोहरें मिली थीं;

(ख) क्या उन्हें सरकार कोष में जमा कराने की बजाय पुलिस तथा मैजिस्ट्रेट ने उनको आपस में बांट लेने के बाद इस खबर को दबा दिया था; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में जांच करने तथा संबंधित अधिकारियों को दण्ड देने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). इस मंत्रालय को मामले के बारे में कोई सूचना नहीं है। राज्य सरकार से पूछताछ की जा रही है।

पुलों पर चुंगी वसूल करने के लिये नया स्वचालित यंत्र

7869. **श्रीमती तारा सप्रे** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका तथा अन्य पश्चिमी देशों की तरह नये पुलों पर चुंगी वसूल करने के लिये नया स्वचालित यंत्र लगाने का सरकार का विचार है;

(ख) पुलों की मरम्मत का व्यय स्वयं पूरा करने तथा कुछ वर्षों में निर्माण की पूरी लागत वसूल करने में इस प्रणाली से कैसे सहायता मिलेगी;

(ग) इस नयी प्रणाली में कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी; और

(घ) क्या इस यंत्र का अध्ययन करने के लिये कुछ अधिकारियों को विदेशों में भेजा जा रहा है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भारत सरकार केवल उन्हीं सड़कों से संबद्ध है जो राष्ट्रीय मुख्य मार्ग घोषित किये गये हैं और वह इन मुख्य मार्गों के पुलों पर पथकर के उद्ग्रहण की आज्ञा नहीं देती है। अतः पथकर के जमा करने के लिये यांत्रिक युक्तियों के रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

परिवहन मंत्री की मैसूर यात्रा

7871. **श्री क० लकप्पा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह हाल में मैसूर राज्य के तुमकुर जिले में गये थे;

(ख) यदि हां, तो वह किस सरकारी काम के सिलसिले में वहां गये थे; और

(ग) उनकी इस यात्रा पर कितना सरकारी खर्च हुआ है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) मैं शनिवार 23 मार्च को बंगलौर एक सार्वजनिक कार्य की पूर्ति के लिये गया था। मैंने उसी दिन राज्य के सा० नि० विभाग मंत्री (जो सड़क और पुलों के कार्यभारी हैं) और उनके कुछ अधिकारियों से विचार-विमर्श भी किया था। चूंकि 25 की सोमवार को

प्रातः मुझे मुख्य मंत्री से भी मिलना था। अतः मैं बीच के रविवार को तुमकुर गया और सिदगंगा के मठ के श्री शिवकुमार स्वामीजी द्वारा चलाये जा रहे समस्त सम्प्रदायों के 3000 से अधिक विद्यार्थियों के लिये एक निःशुल्क होटल को देखा। स्वामीजी राज्य में अत्यन्त श्रद्धास्पद धार्मिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके कहने पर मैंने राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता के विषय पर होस्टल विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या में व्याख्यान दिया। मैंने सिदगंगा शिक्षण संस्था द्वारा चलाये गये शिक्षण संस्थानों को भी देखा। मैंने अपनी तुमकुर की यात्रा का उपयोग बंगलौर और तुमकुर के बीच राष्ट्रीय मुख्य-मार्ग सं० 4 का निरीक्षण किया। मुझसे इस सड़क पर चौराहों को चौड़ा करने की जरूरत पर और देवरायादुर्गा में बस सेवा रोकी जाने के बारे में एक शिष्टमंडल मिला। मुझे यह सूचित करते प्रसन्नता होती है कि इन दोनों प्रतिवेदनों पर समुचित कार्यवाही की गई है।

(ग) बंगलौर से तुमकुर तक यात्रा में केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ व्यय नहीं किया गया। मुझे यात्रा के लिये राज्य की कार मिली थी और तुमकुर में स्थानीय आतिथ्य मिला था।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की चयन सूची

7872. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रथम श्रेणी के उन अधिकारियों की चयन सूची, जो सेवा के चयन संवर्ग में पदोन्नति पाने के हकदार हैं, प्रतिवर्ष जुलाई के तुरन्त बाद जारी करनी होती है;

(ख) क्या वर्ष, 1966 में ऐसी कोई सूची तैयार की गई थी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसी सूचियां प्रतिवर्ष ठीक समय पर जारी की जायें, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों, 1962 के अधीन बनाये गये विनियम के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन संवर्ग के लिये एक नई चयन सूची कम से कम वर्ष में एक बार बनाई जायगी। यदि वर्ष की पहली जुलाई को उस संवर्ग के लिये चयन सूची में पहले से ही सम्मिलित किये गये अधिकारियों की संख्या नई चयन सूची के लिये नियुक्त संख्या से कम हो।

(ख) और (ग). उल्लिखित विनियम 21 नवम्बर, 1964 से लागू किये गये थे। तब से चयन सूचियां निम्न प्रकार से जारी की गई हैं :

1964	18 दिसम्बर, 1964
1965	22 दिसम्बर, 1965
1966	1 अगस्त, 1967

1967 के लिये सूची तैयार की जा रही है। भविष्य के पुनरीक्षण में जैसा कि विनियम द्वारा अपेक्षित है नई चयन सूचियों को ठीक समय पर जारी करना सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये जायेंगे।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

7873. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के बहुत से अधिकारियों (ग्रेड 1) ने जो अपने ग्रेड के अधिकतम राशि तक पहुंच गये हैं अपनी एसोसियेशन के माध्यम से अपने वेतनमानों के पुनरीक्षण के लिये अभ्यावेदन किया है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 के बराबर के पदों के वेतनमान बढ़ाकर 900-1,500 रुपये कर दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वर्ग 1 का वेतनमान पुनरीक्षण, नीति का प्रश्न उठाता है जिसकी प्रतिक्रिया एक ओर सेवा के अन्य वर्गों पर तथा दूसरी ओर श्रेणी 1 की अन्य सेवाओं पर होगी। तथापि एसोसिएशन की मांग सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी

7874. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों के कार्य के निर्धारण के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न सिद्धान्त लागू किये जाने के बारे में 13 मार्च, 1967 के 'दी हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सभी प्रशासनिक सेवाओं में जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा जिसमें केन्द्रीय सचिवालय सेवा भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में इसी प्रकार के नियम बनाने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। तथापि समाचार-पत्र में प्रकाशित सम्बन्धित समाचार भ्रामक है। केन्द्रीय सरकार के अधीन उच्चतर पदों में पदोन्नति आवश्यकता तथा स्तर के अनुसार या तो विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर अथवा योग्यता के आधार पर चयन द्वारा या वरिष्ठता व उपयुक्ता के आधार पर की जाती है। विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा भरे गये पदों को छोड़कर उच्चतर पदों में पदोन्नति के लिये सरकारी कर्मचारियों की उपयुक्तता उनकी आचरण-पंजी के कुल मूल्यांकन

के आधार पर तथा कभी-कभी साक्षात्कार द्वारा भी निर्धारित की जाती है, ये सामान्य सिद्धान्त केन्द्र के अधीन सभी सेवाओं/पदों के सम्बन्ध में लागू होते हैं। सन् 1961 में गृह-मंत्रालय द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन भरने के प्रपत्र के सम्बन्ध में मंत्रालयों/विभागों के पथप्रदर्शन के लिये कुछ सामान्य सिद्धान्त निर्धारित किये गये थे। फिर भी गोपनीय प्रतिवेदनों के प्रपत्र की विस्तृत बाह्याकृति निर्धारित करना जो कार्य के प्रकार तथा विभिन्न पदों से सम्बद्ध कर्तव्यों पर आधारित होगी, मंत्रालयों आदि पर छोड़ दिया गया था। अभी हाल में अवर सचिव तथा उससे उच्च श्रेणी के अधिकारियों के लिये (भारत सरकार के सचिवों, विशेष सचिवों तथा अतिरिक्त सचिवों को छोड़कर) गोपनीय प्रतिवेदन प्रपत्र संशोधित किये गये हैं। संशोधित प्रपत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें से सर्वोपरि 'वर्गीकरण' का स्तम्भ हटा लिया गया है। मंत्रालयों विभागों से उनके द्वारा निर्धारित वर्तमान गोपनीय प्रतिवेदन प्रपत्र से इस स्तम्भ को हटा लेने का तथा अपने अधीन अन्य सेवाओं/पदों के लिये यथोचित परिवर्तन करके संशोधित नमूने को अपनाने का भी अनुरोध किया गया है। ये संशोधित प्रपत्र केन्द्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिये और भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिये भी काम में लाया जायेगा।

Shifting of Village Near Palam Airport

7875. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the village near Palam airport has been shifted elsewhere consequent upon the construction of the airport's main gate there ; and

(b) if so, to which place and the expenditure involved thereon ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir. No new main gate has been constructed at the Palam airport, nor has any village been shifted.

(b) Does not arise.

साम्प्रदायिक उपद्रवों पर पाकिस्तान का विरोध-पत्र

7877. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने भारत में हाल के साम्प्रदायिक उपद्रवों पर भारत से विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारत ने कहा है कि केवल पाकिस्तानी एजेन्ट ही गड़बड़ और साम्प्रदायिक दंगे कराते हैं;

(ग) भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या उनके भारत में होने के कारण ही 1967 और 1968 में साम्प्रदायिक दंगों में वृद्धि हुई है; और

(ङ) उनको भारतीय क्षेत्र से बाहर निकालने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विदेश मंत्रालय को इस विषय पर पाकिस्तान उच्चायोग से नोट प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(घ) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ङ) राज्य सरकारें विदेशी व्यक्ति अधिनियम 1946 के अधीन उन पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के निर्वासन की कार्यवाही करती हैं जो वीसा समाप्त होने पर भारत नहीं छोड़ते तथा जो भारत में निरन्तर रूप से ठहरने की सुविधाओं के पात्र नहीं हैं अथवा जो अन्य रूप से इस देश में अवांछनीय हैं।

Books Entitled "Delhi Ki Bipda" and "Gumrah Kaun"

7879. **Shri Shri Chand Goel**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to some objectionable portions against the Government of India in the books "Delhi Ki Bipda" written by Shaheed Dehlavi and printed by Meshtab Sapedi in Kuran Mahal, Karachi and "Gumrah Kaun" written by Sayed Ali of Muzaffarpur and printed by Sanguraj Kaumi Press, Lucknow; and

(b) if so, the action taken by the Central or State Governments in regard thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). The two books were declared forfeited to Government by notifications issued by the Governments of Punjab and Uttar Pradesh respectively under the provisions of section 99 A of the Code of Criminal Procedure. A copy each of the two notifications is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-958/68]**

Import into India of copies of the book entitled "Delhi Ki Bipda" has also been prohibited by the Central Government under the Customs regulations.

Explosion of Bomb in Tata Nagar

7880. **Shri Shri Chand Goel**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a bomb exploded near Tata Nagar Railway Station during the second half of March, 1968 and certain officials of the Border Security Force were injured as a result thereof; and

(b) if so, the number of persons arrested in this connection and the action taken against them?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir. However, it is reported by the State Government that on the 22nd March, 1968, there were some bomb explosions at Kugtalai (near Jamshedpur) as a result of

which one havaldar and two constables of the State Police were injured and one constable also of the State Police was killed.

(b) Three persons have been arrested in this connection and criminal cases have been registered against them. The cases are under investigation.

Arrest of Pakistanis Near Banihal

7881. **Shri Shri Chand Goel:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Pakistani nationals were arrested in the areas around Banihal town in Kashmir during March, 1968 from whom large number of foreign weapons, wireless sets and transmitters were recovered ; and

(b) if so, the number of persons arrested and the details of articles recovered from them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

नेशनल फिटनेस कोर के कर्मचारी

7882. **श्री सूरज भान :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1968 को नेशनल फिटनेस कोर आर्गनाइजेशन के कितने कर्मचारी अर्द्ध स्थायी बनने के अधिकारी थे ;

(ख) उस तिथि को कितने कर्मचारी अर्द्ध स्थायी घोषित किये गये थे ;

(ग) उस तिथि को अर्द्ध स्थायी बनने के पात्र कितने कर्मचारियों को अर्द्धस्थायी घोषित नहीं किया गया था ; तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) नेशनल फिटनेस कोर के अर्द्ध-स्थायी बनने के पात्र कर्मचारियों को शीघ्र अर्द्ध-स्थायी घोषित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 6,268.

(ख) 3,155.

(ग) 3,113. जिसमें से 1750 तो 1967 के दौरान ही पात्रता प्राप्त कर चुके थे । शेष के मामले उनके दस्तावेज पूरे नहीं होने के कारण अधूरे पड़े हैं ।

(घ) दस्तावेजों को पूरा करने और काम को शीघ्र करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है ।

मद्रास राज्य में राष्ट्रीय राजपथ

7883. **श्री कमलनाथन् :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री समूचे देश लिये तथा मद्रास राज्य के लिये निम्नलिखित योजनाओं के संबंध में (एक) राष्ट्रीय राजपथों पर प्रारम्भिक

निर्माण कार्यों के लिये (दो) राष्ट्रीय राजपथों को छोड़कर अन्य सड़कों पर उन निर्माण कार्यों के हेतु जिनके लिये ई० एण्ड आई० योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा धन की व्यवस्था की जाती है और (तीन) उन निर्माण कार्यों के हेतु जिनके लिये केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) रिजर्व से धन की व्यवस्था की जाती है, पिछले बारह वर्षों में खर्च अथवा आवंटन के आंकड़े देने की कृपा करेंगे ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (1), (2) और (3). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-959/68]

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 पर पुल

7884. **श्री कमलनाथन्** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में कुमारपालायम के निकट राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 पर कावेरी और भवानी नदियों पर पुराने पुलों में दरारें आ गई हैं और कुछ महराव धंस गये हैं;

(ख) क्या इन पुलों का पुनर्निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पहिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अभी-अभी तार द्वारा सूचना मिली है कि कावेरी के पुल पर दरार दिखाई दे रहे हैं और कुछ पाये सिकुड़ गये हैं। भवानी के पुल पर क्षति के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं।

(ख) और (ग). जी नहीं। परंतु चौथी योजना की अवधि में भवानी नदी और कावेरी के संगम से नीचे बहाव की ओर कावेरी में केवल एक पुल के निर्माण के लिए प्रारंभिक जांच करने के लिए एक प्रस्ताव किया गया है। निर्णय करने से पूर्व इस संभावना की जांच करनी होगी कि राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को दोनों नदियों के संगम से नीचे बहाव की ओर बने नये पुल से होकर बनाया जा सकता है।

सड़क कक्ष में इन्जीनियर

7885. **श्री कमलनाथन्** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के सड़क कक्ष में विद्यमान इंजीनियरी कर्मचारियों की संख्या घटाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें अन्य रोजगार देने के लिये क्या व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). एक वर्ष पूर्व सड़क पक्ष के कर्मचारियों का मूल्यांकन करने के बाद स्टाफ निरीक्षण इकाई ने कुछ कमी की थी और वेशी इंजीनियरी कर्मचारियों को क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानान्तरित किया गया था। इन कर्मचारियों और उन कर्मचारियों जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था ऋण कार्यक्रम के अधीन 1968-69 में सड़क निर्माण के लिए मंजूर किया गया था और जो अब पार्श्व सड़क और सामरिक सड़क निर्माण-कार्यों पर लगे हुए हैं; को लगाये रखने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल ये पद अप्रैल 1968 के अंत तक जारी रखे गये हैं।

राजभाषा अधिनियम

7886. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर राज्य की सरकारों से कोई अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें हाल में संसद् द्वारा राज-भाषा (संशोधन) विधेयक के साथ स्वीकृत भाषा संकल्प पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आन्ध्र प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित संकल्पों की प्रतियां राज्य सरकार से प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में मैसूर राज्य सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित संकल्प की प्रति संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०**-960/68]

(ग) यह विधाराधीन है।

दिल्ली प्रशासन का उद्योग निदेशालय

7887. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग निदेशालय, दिल्ली की विभागीय पदोन्नति समिति ने अधीनस्थ कार्यकारी सेवा ग्रेड 2 के अधिकारियों की सूची में से मार्च, 1968 में कुछ उद्योग अधिकारियों की तदर्थ नियुक्तियों को, जो इस सूची में काफी कनिष्ठ हैं, और इस सूची से बाहर के कुछ अधिकारियों की नियुक्ति को भी नियमित कर दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन का विचार दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा नियमों, 1967 के अन्तर्गत इन पदों को 'ड्यूटी' पदों की सूची में सम्मिलित करने का है; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप अधीनस्थ कर्मचारी सेवा के अन्य सभी अधिकारियों का जो दिल्ली प्रशासन द्वारा तैयार की गई ग्रेड 2 की कार्यवाही सेवा की सूची में वरिष्ठ है, अधिलंघन हो गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

'हिल्टन्स' के सहयोग से एक होटल की स्थापना

7888. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री दि० ना० शास्त्री :**
श्री रवि राय :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में 'हिल्टन्स' के सहयोग से एक होटल बनाने के एक गैर-सरकारी भारतीय फर्म के प्रस्ताव के बारे में निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार ने भारतीय फर्म को सहयोग प्रस्ताव के बारे में अपने विचार सूचित कर दिये हैं तथा फर्म के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) और (ग). अभी इस स्थिति में ये प्रश्न नहीं उठते ।

जातियों की जनगणना के संबंध में पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशें

7889. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है पिछड़े वर्ग आयोग ने अपने प्रतिवेदन (1955) में बताया था कि 1951 की जनगणना में जातियों की पूर्ण गणना और सारणीकरण का काम छोड़ दिया जाना और जाति विज्ञान सम्बन्धी सामग्री को गौण मान लिया जाना दो मुख्य त्रुटियां रह गई थीं;

(ख) क्या आयोग की सर्वप्रथम सिफारिश यह थी कि 1961 की जनगणना को नया रूप दिया जाना चाहिए और उसको पुनर्व्यवस्थित किया जाये, ताकि समाज कल्याण और सामाजिक सहायता सम्बन्धी कार्यों का ठीक निष्पादन करने के लिये जातियों आदि के बारे में अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो जाये ;

(ग) यदि हां, तो उन सिफारिशों और सुझावों को कार्य-रूप न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार की इस कार्यवाही से 1951 और 1961 की जनगणनाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या में स्पष्ट रूप से कमी दिखायी दी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) जातिवाद के उन्मूलन के प्रश्न पर 14 फरवरी, 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा बताई गई सरकारी नीति के अनुसार 1961 की जनगणना में केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को छोड़कर अन्य जातियों की गणना नहीं की गई थी ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में कम वृद्धि होना

7890. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1960-61 को समाप्त होने वाली दशाब्दि में भारत की जनसंख्या में 21.55 प्रतिशत वृद्धि हुई थी, जब कि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में वैसी वृद्धि केवल 17.04 प्रतिशत थी;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में कम प्रतिशत वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या 1951 की जनगणना में कई राज्यों में अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या में भी ऐसी ही कमी हुई थी;

(घ) क्या सम्बन्धित क्षेत्रों से सम्बन्धित जनगणना कार्य अधीक्षकों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे 1961 की जनगणना में एकत्रित की गई सामग्री का विश्लेषण करेंगे और इन आंकड़ों की तुलना पहले की जनगणना के आंकड़ों से करेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है और अब तक किये गये विश्लेषण के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । 1951-61 दशाब्दी के दौरान भारत की जनसंख्या में 21.51% की वृद्धि हुई जबकि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में वृद्धि (जम्मू व काश्मीर, दादरा व नगर हवेली तथा पांडीचेरी, जिनमें अनुसूचित जातियों की गणना केवल 1961 जनगणना में की गई थी, को छोड़कर) 22.51% थी ।

(ख) कुछ राज्यों में 1951-61 के दौरान अनुसूचित जातियों की वृद्धि की दर सामान्य जनसंख्या की वृद्धि दर के मुकाबले में कम थी । इसके कारणों का विश्लेषणात्मक अध्ययन इस प्रश्न के भाग (घ) तथा (ङ) के उत्तर में व्यक्त कारणों से नहीं किया गया ।

(ग) चूंकि 1951 की जनगणना में अनुसूचित आदिम जाति की संख्या की राज्यों के वर्तमान क्षेत्रों तथा समूचे देश के लिये 1941 की जनगणना में आदिम जातियों की जनसंख्या से तुलना करना संभव नहीं है इसलिये 1941-1951 के बीच अनुसूचित आदिम जाति की वृद्धि दर नहीं आंकी जा सकती है ।

(घ) और (ङ). जी हां, श्रीमान् । किन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों में वृद्धि दर का, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण के कारण तथा 1951 में प्रत्येक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के बारे में विस्तृत आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण, निश्चित रूप से विश्लेषण नहीं किया जा सका ।

Special Recruitment to I. A. S.

7891. **Shri Shiv Charan Lal**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to make special recruitment to the I. A. S. in the near future ; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir.

(b) Dose not arise.

Murder of a Prisoner in Tihar Jail.

7892. **Shri T. P. Shah**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a prisoner in Tihar Jail murdered another prisoner with a sharp edged weapon ;

(b) whether it is also a fact that the said sharp edged weapon was smuggled from outside ;

(c) if so, the manner in which the said weapon was brought inside the jail ; and

(d) the action taken by Government in this connection.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). A case has been registered by Delhi Police on the incident. The details about the weapon will be established during the investigation which is in progress.

Dapartmental action is being taken by Delhi Administration against the officials who were found slack in the discharge of their duties.

Preparation for Naxalbari-Type Disturbances in Uttar Pradesh

7893. **Shri T. P. Shah :**
Shri Chengalraya Naidu :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been invited to the news item published in the "Vir Arjun" dated the last April, 1968, wherein it has been stated that some leaders of the Naxalbari incidents are making preparations for creating disturbances in Uttar Pradesh ; and

(b) if so, the steps taken by Government to prevent the same ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the table of the House.

दिल्ली में मनोरंजन-कर

7894. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री लोबो प्रभु :
श्री मीठा लाल मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में नाटक मंडलियों की इन आशंकाओं का पता है कि 25 प्रतिशत **मनोरंजन** कर लग जाने से नाटकों की लोकप्रियता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(ख) इस कर से अनुमानतः कितनी अतिरिक्त आय होगी; और

(ग) क्या सरकार दिल्ली प्रशासन को कम से कम पांच रुपये से कम की टिकटों पर छूट देने के लिये कहेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश में मनोरंजन तथा पण कर अधिनियम, 1937 के अधीन, जो कि दिल्ली में लागू है, प्रवेश टिकटों के मूल्य पर 25 प्रतिशत मनोरंजन कर लगाया जा सकता है। यह नियम पिछले अनेक वर्षों से लागू है। नियम में कुछ शर्तों के साथ धर्मार्थ, धार्मिक तथा लोकोपकारक उद्देश्यों के लिए दृश्यों या उन दृश्यों जो पूर्णतः शैक्षिक प्रकृति के हैं या बिना लाभ के विचार से आंशिक रूप से शिक्षा सम्बन्धी या आंशिक विज्ञान सम्बन्धी उद्देश्यों के लिये हैं, कर अदा करने से छूट देने की व्यवस्था भी है। नाटक मण्डलियों द्वारा दिखाये गये दृश्य पर जो नियम में दी गई शर्तों को पूरा करती है, छूट दी जा सकती है। इस बारे में किसी अतिरिक्त आय का प्रश्न ही नहीं है। वर्तमान नियम के अधीन उपलब्ध छूटों के क्षेत्र को बढ़ाने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक अध्यापक संघ के प्रतिनिधि मण्डल की शिक्षा मंत्री से भेंट

7895. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक अध्यापक संघ का एक प्रतिनिधि मण्डल 11 मार्च, 1968 को उन्हें मिला था;

(ख) क्या उन्होंने प्रतिनिधिमण्डल के साथ हुई बातचीत के दौरान यह आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को 80 प्रतिशत अनुदान देगी ताकि वे प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन कर सकें जैसाकि विश्वविद्यालय अध्यापकों के मामलों में किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त आश्वासन किस तारीख से कार्यान्वित किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या कठिनाइयां हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) बैठक के दौरान अध्यापकों ने कुछ मांगें रखीं जिनका संबंध मुख्यतः परिलब्धियों, मंहगाई भत्ते में वृद्धि, त्रिलाभ योजना शुरू करने, सेवाओं की सुरक्षा आदि से था । मूलतः इन मांगों का संबंध राज्य सरकारों से है । केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि वे अध्यापकों की शर्तों में यथासंभव सुधार करें ।

Bihar Teachers' Strike

7896. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether forty Members of Parliament had jointly sent a letter to him in connection with the strike of teachers of Schools and Colleges in Bihar ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes, Sir.

(b) The Hon'ble Members requested me to intervene immediately and get the demands of the striking teachers in Bihar conceded so that normalcy might be restored in the educational institutions.

(c) The matter primarily concerns the State Government. Even then a report was asked for from the State Government who have intimated that efforts are being made to bring about a settlement.

प्राइवेट छात्रों को विधि परीक्षायें देने की अनुमति देने वाले विश्वविद्यालय

7898. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री उन विश्वविद्यालयों के नाम बताने की कृपा करेंगे जो प्राइवेट छात्रों को विधि परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देते हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : निम्नलिखित विश्वविद्यालय, कुछ पाबंदियों के साथ, प्राइवेट विद्यार्थियों को विधि परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देते हैं :–

एल० एल० बी०/बी० एल०

अलीगढ़, भागलपुर, बिहार, बरहमपुर, कलकत्ता, गोरखपुर, जबलपुर, मगध, पंजाब, रांची, सम्भलपुर, सागर और उत्कल ।

एल० एल० एम०/एम० एल०

आगरा, अलीगढ़, भागलपुर, बिहार, कलकत्ता, मेरठ, कानपुर, उस्मानिया, पूना और उत्कल ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में सम्पादकीय सहायक

7899. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली की प्रकाशन शाखा में सम्पादकीय सहायकों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से कितने पद तदर्थ आधार पर भरे गये हैं तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सम्पादकीय सहायकों के पदों के विज्ञापन दिये गये थे और यदि हां, तो कब ;

(घ) क्या चयन बोर्ड ने उम्मीदवारों की कोई तालिका बनाकर उनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी ;

(ङ) यदि हां, तो क्या नियुक्ति पत्र चयन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर वरिष्ठता तथा योग्यता के क्रम से भेजे गये थे; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) छः

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा-अनुसंधान तथा कार्य प्रशिक्षण परिषद के नियमों के अन्तर्गत तथा कार्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चार पदों को अस्थायी तौर पर भरा गया था, जो कि नियमित भर्ती के लिए स्थगित हैं।

(ग) नवम्बर, 1966 के मध्य में ये पद विज्ञापित किए गए थे और आवेदन-पत्रों के प्राप्त होने की अन्तिम तारीख 15 दिसम्बर, 1966 थी।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च). प्रकाशन-यूनिट के स्टाफ के आवश्यकताओं के प्रसंग में इन पदों की समीक्षा की जा रही है। इस समीक्षा के आधार पर इन पदों पर नियुक्तियां, जिनकी अन्ततोगत्वा जरूरत है, चयन बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार की जाएंगी।

साम्प्रदायिक दंगों को दबाने में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की सहायता

7900. **श्री न० कु० सांघी :**

श्री रा० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साम्प्रदायिक दंगों को दबाने के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय जांच विभाग की सेवाएं देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा दी जाने वाली सहायता का स्वरूप और क्षेत्र क्या होगा;

(ग) राज्य सरकारों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस सहायता के संबंध में उन्होंने अपने सुझाव/विचार व्यक्त किये हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय जांच विभाग उस आयोग की सहायता भी कर रहा है जो देश में हुए साम्प्रदायिक दंगों के प्रश्न की जांच के लिये हाल ही में नियुक्त किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 26 मार्च, 1968 को गृह-कार्य मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के राज्यपालों को साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के उपायों के बारे में लिखा था। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया था कि हत्या, लूट और आगजनी के अपराधियों के विरुद्ध मामलों की कारगर रूप में जांच की जाये और सक्रियता से उनकी खोज की जाये और केन्द्रीय सरकार जांच के जटिल मामलों को काबू करने में राज्य सरकार को सहायता देने में प्रसन्नता अनुभव करेगी। अभी तक किसी राज्य सरकार से इस संबंध में सहायता देने के लिये कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

आन्ध्र प्रदेश में सिद्धान्तम पुल के लिए उप-सड़कें

7901. **श्री द० ब० राजू** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ पर सिद्धान्तम पुल तक पहुंचने वाली सड़क के बारे में केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था से कोई सुझाव मांगा था ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस सुझाव को क्रियान्वित किया था ;

(ग) क्या यह सच है कि यह सड़क हाल ही में कुछ टूट-फूट गई और इससे कितनी हानि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) और (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

कलकत्ता में दीवारों पर इश्तिहार लगाना

7902. **श्री दामानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता और मूफस्सिल क्षेत्रों में हाल ही में दीवारों पर कुछ इश्तिहार देखे गए हैं जिन पर लिखा था "मध्यावधि चुनाव नहीं, सविनय अवज्ञा नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह" ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

Allegations against Secretary, Wrestling Federation of India

7903. **Shri Raghuvir Singh Shastri:**
Shri Shiv Kumar Shastri:
Shri Prakash Vir Shastri:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that for some specific reasons Government have not permitted the General Secretary of the Wrestling Federation of India to go to Yugoslavia for participating in "Clinic" being held there;

(b) whether it is also a fact that the four officials of the Wrestling Federation of India selected to take part in the said "Clinic" have refused to take part in it on being instigated by the General Secretary of the Wrestling Federation of India;

(c) whether it is also a fact that some serious allegations have been made against the General Secretary of the Federation; and

(d) whether Government propose to hold an enquiry into the anti-Indian activities of the General Secretary of Wrestling Federation of India, in the field of international wrestling and the allegations made against him?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) Yes, Sir.

(b) Government have not received any authenticated information regarding this so far.

(c) Yes, Sir.

(d) No anti-Indian activities of the Honorary Secretary General of the Wrestling Federation of India in the field of International wrestling have come to the notice of Government. The allegations made against him are, however, being looked into.

Kidnapping Incident in Gandhi Nagar, Delhi

7904. **Shri T. P. Shah:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a report was lodged with the Police about the kidnapping of a girl named Pushpa from Gandhi Nagar, Delhi, towards the end of March; and

(b) if so, the details of the action taken by the Police in the said case?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) A case was registered on 29-3-1968 at Police Station, Gandhi Nagar, on receipt of the report. The particulars of the missing girl were published in the Delhi Police Bulletin. They were also announced on the radio, and wireless messages were sent to other States. Local enquiries were also made. The girl was recovered on 3-4-1968.

दिल्ली में चलचित्र गृहों द्वारा मनोरंजन कर का अपवंचन

7905. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दिल्ली के अम्बा, ओडियन, प्लाजा, रीगल, मोती, रिट्ज और

पैलेस चलचित्र गृहों के मालिकों द्वारा मनोरंजन कर की कितनी राशि अदा की गयी तथा उसका ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इन चलचित्रों गृहों के मालिकों द्वारा मनोरंजन कर का अपवंचन किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आवश्यक जानकारी सहित एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०**-961/68]

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विश्वविद्यालयों को अनुदान

7906. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विकास कार्यक्रम योजना जिसके अन्तर्गत हिन्दी में शिक्षा तथा अनुसंधान कार्य के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, के अधीन भारत के प्रत्येक विश्वविद्यालय ने वर्ष 1967-68 के लिए कितने अनुदान के लिए प्रार्थना की थी और प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए वास्तव में कितनी राशि मन्जूर की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो योजना के अन्तर्गत उक्त विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक ने क्या काम किया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) और (ख). विकास अनुदानों के लिये प्रस्ताव विश्व-विद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पंच वर्षीय योजना के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं न कि वार्षिक । इनकी जांच आयोग द्वारा विशेष तौर पर इस काम के लिए नियुक्त की गई दौरा समितियों द्वारा की जाती हैं और इन्हीं समितियों की रिपोर्ट और सिफारिश के आधार पर आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना के लिए अनुदान का विनिधान किया जाता है । अनुदानों का वास्त-विक भुगतान विश्वविद्यालयों से समय-समय पर प्राप्त व्यय प्रगति के आधार पर किया जाता है ।

विभिन्न विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभागों में अध्यापन और अनुसंधान के विकास के लिए चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत सुविधाओं का एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०**-962/68]

आयोग विश्वविद्यालय के अलग-अलग विभागों द्वारा किए गए काम की सावधिक प्रगति रिपोर्ट मांगता है किन्तु विभिन्न विभागों द्वारा किए गए काम का निर्धारण प्रायः आयोग की दौरा-समितियों द्वारा किया जाता है ।

विदेशियों द्वारा होटलों को भुगतान

7907. **श्री क० लकप्पा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने होटलों को विदेशी पर्यटकों से उनकी अपनी मुद्रा में भुगतान स्वीकार करने की हिदायतें दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में होटल उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ; परन्तु इस प्रकार का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शिक्षा तथा व्यापार सम्बन्धी गोष्ठी

7908. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में 9 और 10 मार्च, 1968 को हुई शिक्षा तथा व्यापार सम्बन्धी भारत कनाडा सहकार गोष्ठी के दो-दिवसीय अधिवेशन में अध्यापन के नवीनतम तरीकों को ध्यान में रखते हुए अध्यापन की प्रणाली में सुधार करने की सिफारिश की गई है ;

(ख) क्या उसने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक तथा शैक्षिक समस्याओं सम्बन्धी अनुसन्धान में सहयोग के लिए भी अनुरोध किया है ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त सुझावों पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (घ). शिक्षा मंत्रालय सेमीनार से सम्बद्ध नहीं था और इसलिए उसकी सिफारिशों की जानकारी नहीं है ।

दिल्ली में जनसंख्या का सर्वेक्षण

7909. **श्री दामानी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जनसंख्या का एक नमूना सर्वेक्षण करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या आवश्यकता है ; और

(ग) क्या अन्य बड़े नगरों में भी इस प्रकार का सर्वेक्षण करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) चूंकि 1951 तथा 1961 की पिछली जनगणना के बीच वृद्धि की दर पर आधारित किसी वर्तमान जनसंख्या का अनुमान अवास्तविक होगा, इसलिए वर्तमान जनसंख्या का

और अधिक शुद्ध तथा विश्वासनीय अनुमान लगाने के लिए एक वास्तविक न्यादर्श सर्वेक्षण की योजना बनाई है ।

(ग) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में अनियमित न्यादर्श के गांवों तथा शहरी क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जायेगा । शहरी क्षेत्र एक लाख तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक शहर से चुने जायेंगे । तथापि सर्वेक्षण में किसी नगर विशेष की जनसंख्या के अनुमान की व्यवस्था नहीं होगी, इससे प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के शहरी तथा गावों की जनसंख्या का केवल अनुमान ही मिलेगा ।

कलकत्ता ट्राम कम्पनी

7910. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता ट्राम कम्पनी का पिछले पांच वर्षों का लाभ हानि लेखा क्या है ;

(ख) प्रबन्ध की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या सरकार इस विदेशी उपक्रम को क्रय करने के सम्बन्ध में कोई बातचीत कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना पश्चिम बंगाल की सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल-पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

रांची (हतिया) में दंगे

7911. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुप्तचर शाखा ने रांची (हथिया) में हुए दंगों के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जब उपद्रव हुए तब रांची में तथा उसके आस-पास की स्थिति के बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचित रखा गया । उपद्रवों के क्रम के बारे में भी सूचना प्राप्त हुई थी फिर भी यह कहना सच नहीं होगा कि केन्द्रीय सरकार को रांची (हटिया) में हुए साम्प्रदायिक दंगों के कारणों तथा क्रम की सूचना प्राप्त हुई थी जैसा कि अब जांच आयोग से आशा की जाती है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सम्बन्धी नियम

7912. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की सेवावधि को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्ति की नई प्रस्तावित आयु क्या है ; और

(ग) प्रस्तावित योजना का ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि सरकारी कर्मचारियों को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के पहले सेवा-निवृत्त करने के, यदि ऐसा करना सार्वजनिक हित में हो, सरकार को अधिकार देने के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

बिसारिया, उत्तर प्रदेश में एक पुलिस कान्सटेबल द्वारा एक हरिजन की हत्या

7913. **श्री बें० ना० कुरील :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1968 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कुंडा पुलिस थाने के अन्तर्गत बसारिया गांव में एक सशस्त्र पुलिस कान्सटेबल ने एक हरिजन को गोली से मार दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या उसके आश्रितों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सूचित किया है कि 21/22 फरवरी, 1968 की रात को सशस्त्र कांस्टेबलों का एक पुलिस दल ग्राम मिरोका पुरवा, जिला प्रतापगढ़ में श-गश्ती ड्यूटी पर गया। शस्त्र और गोला बारूद की जांच करते हुए अचानक एक कांस्टेबल की राइफल छूट गई जिसके परिणाम-स्वरूपम ग्राम का एक हरिजन मारा गया। कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है और चार-सीट दी गई है । जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है । मृत व्यक्ति के आश्रितों को अनुग्रहात अनुदान देने के लिए एक प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

Dacoity and Murder cases in Delhi

7914. **Shri Hardayal Devgun :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there have been seven incidents of dacoity and twelve incidents of murder in Delhi in 1968 upto the 28th March ;

(b) if so, the causes thereof and the steps being taken by Government to check such incidents ; and

(c) if not, the official figures in this regard for the last three months ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Two cases of dacoity and 22 cases of murder have been reported to the Delhi Police in 1968 upto 28th March, 1968.

(b) The causes for these murders have been sudden quarrels, enmity and gain.

Preventive action is resorted to under the various provisions of law whenever breach of peace is apprehended.

(c) During the period 1st January 1968 to 31st March, 1968, two cases of dacoity and 23 cases of murder have been reported to the Delhi Police.

दिल्ली प्रशासन में जांच अधिकारी

7915. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री 23 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1803 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के उद्योग विभाग के 1966, 1967 और 1968 के मामलों के सम्बन्ध में सुनवाई की कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है;

(ख) दिल्ली प्रशासन दिल्ली के उद्योग विभाग के मामलों के सम्बन्ध में जांच अधिकारियों का तबादला किये जाने के क्या कारण थे तथा प्रत्येक जांच अधिकारी ने अपनी सेवा की अवधि में कितने मुकदमे सुने थे ;

(ग) क्या इन मामलों की जांच रिपोर्ट पूरी हो चुकी है; और

(घ) यदि नहीं, तो जांच रिपोर्ट कब तक अन्तिम रूप से तैयार हो जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) . एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 963/68]

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में आदिवासी आदिम जातियां

7916. **श्री गणेश :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह की अन्दमानी कही जाने वाली आदिवासी आदिम जातियां कठिनाई में हैं ;

(ख) इस आदिम जाति के कितने व्यक्ति जीवित हैं तथा कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है;

(ग) बेरोजगार व्यक्ति क्या धंधा करते हैं;

(घ) क्या उनकी पक्षियों के घोंसलों, मधु निकालना, धूप, कछवे और सीप निकालने से सम्बन्धित वन तथा समुद्री धन्धों में लगाने की कोई योजना बनाई गई है; और

(ङ) क्या ब्रिटिश शासन के दिनों में ऐसी योजना थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अन्दमानी आदिम जाति के किसी सदस्य से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) 1961 की जनगणना के अनुसार इस आदिम जाति के सदस्यों की संख्या 19 है। उनमें से चार सरकारी सेवा में हैं।

(ग) शिकार करना, मछली पकड़ना तथा वन की पैदावार को एकत्रित करना।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) ब्रिटिश शासन के दौरान सरकार द्वारा अन्दमानियों को मुफ्त राशन तथा कुछ कपड़ा दिया जाता था। इसके बदले अन्दमानी लोग कछुए के खोल तथा पक्षियों के खाये जाने वाले घोंसले लाते थे। सरकार इन वस्तुओं को बेचती थी तथा उससे वसूल किया गया धन अन्दमानी-गृह-कोष में जमा कर दिया जाता था।

Foreign Principal of a Training Centre of National Laboratory of C. S. I. R.

7917. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a foreigner is working as a Principal in a training centre of a National Laboratory under the Council of Scientific and Industrial Research for imparting training on diploma level ;

(b) whether it is also a fact that a high level committee was appointed to look into the working of the said training school ;

(c) if so, the recommendations of the said committee ; and

(d) the reasons for which a foreigner has been appointed when Indian nationals possessing suitable qualifications for the said posts are available ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes, Sir. A Swiss Principal is working at the Indo-Swiss Training Centre (ISTC) set up by the Council of Scientific and Industrial Research in co-operation with Swiss Foundation for Technical Assistance at Chandigarh.

(b) and (c). Yes, Sir. A statement containing the main recommendations of the Committee is attached. **[Placed in Library. See No. LT-964/68]**

(d) In view of the eminent position of Switzerland in precision instrumentation, an Agreement for the setting up of the Centre at Chandigarh was entered into by the C. S. I. R. with Swiss Foundation on 24th March, 1961 for a period of 3 years with provision for automatic extension for one Year at a time upto a period of 5 years. The original Agreement which was to end on 23rd March, 1966 was further extended by mutual agreement till 31st August, 1968 with provision for automatic extension for one year at a time upto 1970, unless terminated by one of the parties by a notice of not less than six months.

The agreement contained provision for appointment of a Swiss Principal and Swiss Instructors for training of precision machinists and specialised personnel for the scientific instruments industry.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुन सेन) : मैं स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली, के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०**-928/68]

हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार द्वारा समीक्षा

पेट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं;

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिये हिन्दुस्तान और्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, रसायनी, के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान और्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, रसायनी, के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।
[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-929/68]

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) तीसरा संशोधन आदेश, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 5 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 688 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-930/68]

(3) हाल ही में बिहार में मुंगेर के निकट गंगा नदी के जल के दूषित हो जाने तथा उसके कारणों की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति के बारे में एक नोट। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०**-930/68]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) (संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 584 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय सिविल सेवा भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 585 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय सिविल सेवा (गैर-यूरोपीय सदस्य) भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर 586 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सेक्रेटरी आफ स्टेट की सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 587 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 588 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 589 में प्रकाशित हुये थे।

(सात) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति लाभ) चौथा संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 590 में प्रकाशित हुये थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 931/68]

(आठ) जी० एस० आर० 636 जो दिनांक 6 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1965 की अनुसूची में कतिपय संशोधन किये गये।

(नौ) जी० एस० आर० 637 जो दिनांक 6 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची iii में कतिपय संशोधन किये गये।

(दस) जी० एस० आर० 638 जो दिनांक 6 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची iii में कतिपय संशोधन किये गये।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 639 जो दिनांक 6 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में कतिपय संशोधन किये गये।

(बारह) जी० एस० आर० 640 जो दिनांक 6 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 की अनुचूची में कतिपय संशोधन किये गये।

(तेरह) जी० एस० आर० 641 जो दिनांक 6 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची में कतिपय संशोधन किये गये।

(चौदह) जी० एस० आर० 642 जो दिनांक 6 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 185 और जी० एस० आर० 186 को रद्द किया गया।

[**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०**-932/68]

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम जैसे विभिन्न पत्र सभा-पटल पर रखे गये हैं। यह पुलिस के केवल उच्चतम अधिकारियों के सम्बन्ध में हैं। क्या गृह-कार्य मंत्रालय निम्नतम पुलिस अधिकारियों के बारे में भी कोई इसी प्रकार की कार्यवाही करने के संबंध में विचार कर रहा है क्योंकि उन्होंने भूख हड़ताल कर रखी है? खोसला समिति की सिफारिशें प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं गृह-कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि वह इसके बारे में क्या कर रहे हैं? यह बहुत गम्भीर मामला है। उनको आज पुलिस अधीक्षक ने पीटा है।

Shri Ramavtar Shastri (Patna): Mr. Speaker, Sir, the leaders on strike were beaten and manhandled by Superintendent of Police. This matter should be debated here and now.

अध्यक्ष महोदय : पुलिस के वेतन के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती। यदि इसके बारे में चर्चा करनी है तो कोई दूसरा समय चुना जाये।

श्री स० मो० बनर्जी : यदि पुलिस के सम्बन्ध में कुछ नियम सभा-पटल पर रखे जाते हैं तो क्या मुझे यह पूछने का अधिकार नहीं है कि अन्य वर्गों के लिए क्या नियम हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा के लिए समय की मांग कर सकते हैं लेकिन अब प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। यदि नियमों में कोई त्रुटि है तो आप सभापति को बता सकते हैं कि नियम गलत है। मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं लेकिन आप इस समय को प्रश्नकाल में नहीं बदल सकते।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

कार्यवाही सारांश

श्री पें वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं वित्त मंत्रालय विदेशी मुद्रा—के बारे में प्राक्कलन समिति के 30 वें प्रतिवेदन विषयक बैठकों की कार्यवाही सभा-पटल पर रखता हूं।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

छब्बीसवां प्रतिवेदन

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं वित्त, औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य (औद्योगिक विकास विभाग) और इस्पात, खान तथा धातु (लोहा तथा इस्पात और खान तथा धातु विभाग) मंत्रालयों सम्बन्धी विनियोग लेखे (सिविल), 1965-66, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 1966 और 1967 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1967 और समिति द्वारा अपने 20 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का 26 वां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
PUBLIC UNDERTAKINGS COMMITTEE

12 वां प्रतिवेदन

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : मैं हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 12 वां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : जैसा कि सभा को मालूम है वर्ष 1968-69 के सामान्य बजट सम्बन्धी सभी अनुदानों की मांगें गुरुवार, 25 अप्रैल, 1968 को स्वीकृत हो जायेंगी। सप्ताह के शेष भाग में निम्नलिखित कार्य लिया जायेगा :

(1) वाणिज्य मंत्री द्वारा पेश किये जाने वाले संकल्प पर विचार, जिसके द्वारा सर्पचर्म पर निर्यात शुल्क बढ़ाने विषयक 10 अप्रैल, 1968 को जारी की गई अधिसूचना का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) विचार तथा पारित किया जाना—

वित्त विधेयक, 1968

लोक भविष्य निधिविधेयक, 1968

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : कार्यसूची के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि रेलवे मंत्री द्वारा हर रोज दुर्घटनाओं के बारे में एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये। इससे सभा का समय बच जायेगा और सदस्यों को ध्यान दिलाने की सूचनायें नहीं देनी पड़ेंगी।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : कार्य-सूची में उल्लेख किया गया है कि अगले सप्ताह संकल्प पर विचार किया जायेगा। क्या पहले अनुदानों की मांगों पर चर्चा पूरी की जायेगी और उसके बाद कोई अन्य कार्य शुरू किया जायेगा ताकि उसमें बाधा न पड़े।

अध्यक्ष महोदय : हां। 22 से 25 तक मांगों पर चर्चा होगी तथा उन पर मतदान होगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : पुलिस कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया जाना चाहिये। हमने कई अनियत दिन के प्रस्ताव पेश किये हैं लेकिन किसी पर चर्चा नहीं की जा रही है। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा की जानी चाहिये। स्वचालित यन्त्र सम्बन्धी प्रस्ताव पर भी विचार किया जाना चाहिये। जहां तक वित्त विधेयक का सम्बन्ध है, इसे प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये ताकि यह समय पर वापस आ जाये।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : स्वचालित यंत्र के विरोध में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा अखिल भारतीय हड़ताल का खतरा है। इस पर अगले सप्ताह चर्चा की जाये ताकि हड़ताल न हो।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain): Any law has not been framed in regard to labourers manufacturing Agarbati. Some time back Hon. Minister had promised that a suitable Bill would be brought. But it had not been presented so far.

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : लोकपाल विधेयक कब पेश किया जायेगा और क्या इस पर इस अधिवेशन में विचार-विमर्श किया जायेगा।

Shri K. N. Tiwary (Bettiah): May I know whether the Home Minister would make a statement in regard to the proposed strike by Delhi Police?

डा० राम सुभग सिंह : प्रश्न उठाया गया है कि स्वचालित यंत्र के बारे में चर्चा की जानी चाहिये क्योंकि श्री बनर्जी तथा श्री नम्बियार के अनुसार जीवन बीमा निगम के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। इस मामले पर विचार किया जा सकता है। आज मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। पुलिस कर्मचारियों के साथ हमें पूरी सहानुभूति है। जहां तक श्री प्र० के० देव के प्रश्न का सम्बन्ध है, उनको एक पत्र भेजा गया है और उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

पश्चिम रेलवे में अनास के पास रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: RAILWAY ACCIDENT AT ANAS ON WESTERN RAILWAY

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : महोदय, अत्यन्त खेद के साथ मैं सदन को 18.4.1968 को दो मालगाड़ियों के बीच हुई टक्कर के बारे में सूचित कर रहा हूं। मालगाड़ी

नं० 768 अप गोधरा-रतलाम दोहरी लाइन खण्ड पर स्थित मेघनगर स्टेशन से 00.24 बजे रवाना हुई। एक पुल के कारण अनास 'बी' केबिन और अनास स्टेशन के बीच इकरी लाइन होने की वजह से मालगाड़ी नं० 768 अप को अनास 'बी' केबिन पर बाहरी सिगनल के बाहर 0.38 बजे रोक दिया गया, ताकि सवारी गाड़ी नं० 55 डाउन पुल पर से निकल जाये। जब 55 डाउन सवारी गाड़ी निकल गयी तो 768 अप गाड़ी को लेने के लिये 0.48 बजे सिगनल गिरा दिये गये और जब 0.50 बजे यह यह गाड़ी चलने लगी तो डीजल मालगाड़ी नं० 846 अप पीछे से आकर 0.53 बजे मालगाड़ी नं 768 अप के पिछले भाग से टकरा गयी।

इस टक्कर के कारण डीजल गाड़ी नं० 846 अप का इंजन और उसके साथ कोयले से लदे 21 बक्स मालडिब्बे पटरी से उतर गये और उलट गये जिसकी वजह से कि० मी० 566/8 और 566/11 के बीच दोनों अप और डाउन मुख्य लाइनें अवरुद्ध हो गयीं। सबसे पीछे लगे 7 माल डिब्बे जिनमें पशु भेजे जा रहे थे और मालगाड़ी नं० 768 अप का ब्रेकयान पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गये।

टक्कर के फलस्वरूप 9 व्यक्ति मर गये जिनमें से 4 रेल कर्मचारी थे और 5 व्यक्ति 768 अप गाड़ी में यात्रा कर रहे पशुओं के माल डिब्बों के परिचर थे। अन्य 5 व्यक्ति घायल हो गये जिनमें से 3 को गम्भीर चोटें आयी। मालगाड़ी नं० 768 अप के सबसे पिछले 7 मालडिब्बों के सभी पशु मारे गये।

मरे और घायल व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को अनुग्रह के रूप में भुगतान की व्यवस्था कर दी गयी है।

दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है और प्रशासी अधिकारियों द्वारा जांच कराने के लिये आदेश दिये गये हैं।

अनुदानों की मांगें, 1968-69—जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1968-69—Contd.

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : सभा में पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी। जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहें वह 15 मिनट में भेज सकते हैं।

वर्ष 1968-69 के लिये पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गयीं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
70	पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय	24,03,000
71	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	71,06,000
124	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	15,14,27,000

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : सभा के समक्ष विचाराधीन इन मांगों और प्रतिवेदनों को उपस्थापित करने का तरीका बहुत अपूर्ण है । इनमें पूरी और सही स्थिति का ब्योरा नहीं दिया गया है । इन मांगों में मंत्रालय के अधीन कम्पनियों के केवल सामान्य अंशदान का उल्लेख किया है किन्तु इन कम्पनियों को दिये गये ऋणों और अनुदानों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इन मांगों में कम्पनियों तथा मंत्रालय की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकता का भी कोई उल्लेख नहीं है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

इससे स्थिति अस्पष्ट ही रह जाती है । अतः मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करें कि इन मांगों तथा प्रतिवेदनों में सभी प्रकार की सम्बन्धित सामग्री दी जाये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मंत्रालय के अधीन कम्पनियों के संतुलन-पत्र मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान उपलब्ध नहीं होते हैं । मांगों पर चर्चा सदा अप्रैल के महीने होती है इसलिये सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के लेखे 30 सितम्बर को बन्द कर दिये जायें क्योंकि कम्पनी कानून के अनुसार सभी प्रतिवेदनों को छः महीने की अवधि के अन्दर अन्तिम रूप देना आवश्यक होता है । इससे यह होगा कि अप्रैल में जब मांगों पर चर्चा के समय इन छः महीने पुराने लेखों पर चर्चा होगी न कि वर्ष भर या 15 महीने पुराने लेखों पर जैसा कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार होता है । अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय मेरे इस सुझाव पर ध्यान देने की कृपा करें ।

मैं समझता हूं कि इन मांगों पर चर्चा करना ही व्यर्थ है क्योंकि इन मांगों में दिखाई गई राशि प्रायः काल्पनिक सिद्ध होती है । प्रायः यह देखा गया है कि मांगों में दिखाए गए प्राक्कलनों के आंकड़ों में तथा संशोधित आंकड़ों में बहुत अन्तर होता है । उदाहरणार्थ भारतीय तेल निगम के वर्ष 1967-68 के बजट के प्राक्कलनों की राशि 2.68 करोड़ रुपए थी जबकि उसी वर्ष संशोधित प्राक्कलनों की राशि 9.14 करोड़ रुपए की थी। इस प्रकार इसमें 6.46 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई । मूल प्राक्कलनों में 241 प्रतिशत की वृद्धि होना कोई असाधारण बात नहीं है । इसी प्रकार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, मद्रास तेल शोधक कारखाने आदि के मूल प्राक्कलनों और संशोधित प्राक्कलनों में बहुत अधिक अन्तर था । इतनी बड़ी राशि की वृद्धि के लिए मंत्रालय ने जो कारण बताये हैं, वे अस्पष्ट हैं और हम उनसे सन्तुष्ट नहीं हैं ।

अब मैं उर्वरकों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । उर्वरकों के बारे में सरकार की नीति के परिणाम सन्तोषजनक नहीं रहे । दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में नाइट्रोजन उर्वरकों के लिए हमारी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता क्रमशः 2,58,300 टन और 5,86,500 टन थी किन्तु इन पंचवर्षीय योजनाओं में वास्तविक उत्पादन क्रमशः केवल 98,000 टन और 2,33,000 टन हुआ । अर्थात्, यह उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता का केवल 36 प्रतिशत और 40 प्रतिशत

है। इसी प्रकार यह भी दुख की बात है कि दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में उर्वरकों के उत्पादन का हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था अधिष्ठापित क्षमता उसका क्रमशः केवल 65 प्रतिशत और 59 प्रतिशत थी। इसका परिणाम यह हुआ कि हम किसानों को देश में उत्पादित उर्वरक नहीं दे पाये और विदेशों से उर्वरकों का आयात करने पर हमें बहुत अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ी।

इस सभा में समाज के समाजवादी ढांचे की बात की जाती है। किसान के कल्याण की बात की जाती है। किन्तु वास्तविकता यह है कि किसान की दयनीय दशा सुधारने की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता है। किसान को यदि उर्वरक ही नहीं दिये जायेंगे तो वह अपना उत्पादन कैसे बढ़ा सकेगा। प्रायः यह कहा जाता है कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए केन्द्रीय उर्वरक पूल स्थापित किया गया है। इस पूल ने काफी मुनाफा कमाया है किन्तु उससे किसान को किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ है। सरकार का कहना है कि आयातित उर्वरकों के मूल्य गिर जाने से यह लाभ हुआ है, इसलिये यह आकस्मिक लाभ है। किन्तु मैं यह नहीं समझ सका कि यह आकस्मिक लाभ केवल उर्वरक के मामले में ही क्यों माना जाता है अन्य कारखानों के मामले में क्यों नहीं माना जाता।

एक बात उर्वरकों के बारे में यह कहना चाहता हूं कि विश्व में उर्वरकों के मूल्य गिरने की संभावना है। चूंकि हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ समय तक उर्वरकों का आयात करना पड़ेगा इसलिए हम सरकार से यह आश्वासन चाहते हैं कि यदि उर्वरकों के मूल्य गिर जाते हैं या उर्वरकों के आयात पर सरकार को कोई बचत होती हैं तो यह लाभ अथवा बचत सरकार के पास न रह कर किसानों को इसका लाभ पहुंचेगा।

भारतीय किसान विश्व में सबसे निर्धन है किन्तु उसे उर्वरकों के लिए सबसे अधिक कीमत देनी पड़ती है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अनेक राज्यों में उर्वरकों के वितरण सम्बन्धी एकाधिकारिक सहकारी व्यवस्था संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है। उर्वरकों सम्बन्धी शिवरामन समिति ने कहा था कि अनेक क्षेत्रों में उर्वरक वितरण में सहकारी संस्थाएं आशानुकूल कार्य नहीं कर रही हैं। इसलिए सरकार को किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उचित प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देना चाहिए और गैर-सरकारी संस्थाओं को उर्वरक वितरण की अनुमति देनी चाहिए। वाद विवाद का उत्तर देते समय मंत्री महोदय को उर्वरक और कच्चे माल के बारे में अपने कार्यक्रम का स्पष्ट ब्योरा देना चाहिए। सरकार को इस बात की स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि अगले दो या तीन वर्षों में किस प्रकार से कार्य करना चाहती है। सरकार को उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी पार्टियों को भी आमंत्रित करना चाहिए, जिससे विविध कच्चे माल पर आधारित उर्वरक कारखाने स्थापित किये जा सकें। सरकार को कम से कम समय में देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाना चाहिए।

पेट्रोलियम उत्पादों के बारे में हमारी स्थिति उतनी ही असंतोषजनक है जितनी कि उर्वरकों के मामले में। इस दिशा में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। पेट्रोलियम की हमारी प्रति व्यक्ति

वार्षिक खपत 25 किलोलिटर है जबकि अमरीका में 2,748 किलोलिटर और ब्रिटेन में 1,373 किलोलिटर हैं। हमारे पिछड़ेपन का अर्थ यह है कि हमारे पास आगे प्रगति करने की काफी गुंजाइश है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रतिवेदन में पेट्रोलियम विभाग द्वारा किये गये तेल के कुंए खोदने के कार्य की बड़ी सराहना की गई है। किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि तेल के जिन कुओं का पता लगाया गया है उनका परीक्षण नहीं किया गया है। सरकार इस कार्य में इतनी धीमी गति से क्यों चल रही है? कार्य प्रणाली में क्या कमियां हैं? इस काम में वास्तविक रुकावट क्या है? यदि सरकार सभा का विश्वास करके उससे सलाह ले तो कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह चल सकता है।

हमें अधिकतर अशोधित तेल के आयात पर निर्भर करना पड़ता है। 1970-71 तक हमें अनुमानतः 110 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष अशोधित तेल के आयात पर व्यय करनी पड़ेगी, चूंकि इस पर काफी धन व्यय होगा, इसलिए सरकार को देश की पेट्रोलियम सम्बन्धी मांग का अनुमान लगाकर उसी के अनुसार तेल निकालने, तेल भंडारों का पता लगाने तथा छिद्रण आदि के लिये कार्यक्रम बनाना चाहिए। इससे हमारी विदेशी मुद्रा की काफी बचत हो सकती है। इस कार्य के लिए सरकार को ऐसी शर्तें बनानी चाहिए जिससे गैर-सरकारी कम्पनियां भी इस क्षेत्र में पदार्पण कर सकें। सरकार को एक पैकेज कार्यक्रम बनाना चाहिए और जो लोग इस क्षेत्र में आकर तेल की खोज करने का कार्य करना चाहें उन्हें उसकी अनुमति दी जानी चाहिए।

तेल के मामले में सरकारी क्षेत्र देश की मांग पूरी करने में असफल रहा है। अन्य देशों से इस क्षेत्र में सहयोग लेने के बावजूद भी हम अपने तेल उत्पादन लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाये हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य 60 लाख टन रखा गया था किन्तु हमारे भूतपूर्व मंत्रियों के प्रयत्नों के बावजूद भी केवल 34.2 लाख टन तेल का ही उत्पादन हो सका जो निर्धारित लक्ष्य का केवल 56 प्रतिशत है। इन आकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहार में समाजवाद क्या हो सकता है।

गत वर्ष विश्व में तेल की खोज पर जितनी धन राशि व्यय की गई है उसकी एक प्रतिशत राशि भी भारत में खर्च नहीं की गई। इसका मुख्य कारण यह है कि यहां पर गैर-सरकारी क्षेत्र को यह कार्य करने की अनुमति नहीं है। यदि सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र को इस कार्य में भाग लेने की अनुमति दे दे तो हमें काफी सफलता मिल सकती है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल की खोज पर लगभग 200 करोड़ रुपया खर्च किया है। किन्तु मैं इस सम्बन्ध में यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस धन का प्रयोग वास्तव में कारगर ढंग से किया गया है? मंत्री महोदय को यह बताना चाहिए कि ईरान में तट से दूर तेल की खोज के कार्य पर कितना धन व्यय किया गया तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को

इससे प्रतिवर्ष कुल कितना तेल मिलेगा और कब तक मिलेगा। मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहिए कि क्या पेट्रोलियम मंत्रालय ईरान में तेल की खोज पर और धन खर्च करने की बात सोच रहा है और यदि हां, तो कितना तथा इसमें कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। विश्व बैंक की उत्पादन लागत कितनी है और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की उत्पादन लागत कितनी है।

अन्य देशों के सहयोग से तेल की खोज करने के बारे में सरकार की नीति ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार ने इस कार्य के लिए साम्यवादी देशों को कुछ अधिक प्राथमिकता दी है। किन्तु इन देशों को तेल की खोज करने वाली अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों और फर्मों की तुलना में इस क्षेत्र में बहुत कम अनुभव है। सरकार को इस मामले में अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए और उन लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का प्रयत्न करना चाहिए जिन्हें इस क्षेत्र में अनुभव है और जिनके पास इस कार्य में धन लगाने के लिए पर्याप्त धन है। यदि सरकार इस प्रकार की नीति अपनाती है तो उसे काफी सफलता मिलेगी।

भारतीय तेल निगम अक्षमता का प्रतीक है यदि इसका एकाधिकार चलता रहा तो यह देश के हित में नहीं होगा। यह निगम ऋणों के सहारे चल रहा है। यह अधिक से अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए लाभांशों की घोषणा करता है। मैं समझता हूं कि किसी गैर-सरकारी कम्पनी को इस प्रकार की अनुमति नहीं दी जा सकती है। चूंकि तेल के वितरण के क्षेत्र में इस निगम का एकाधिकार है, इसलिए यह नये पम्प लगाने का कार्य अपनी इच्छा के अनुसार करता है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह यह बताएं कि क्या पम्पों को मंजूरी देने के बारे में सरकार की कोई निश्चित नीति है। क्या ये पम्प अनुभवी व्यक्तियों, सहकारी समितियों या विस्थापित लोगों को पुनर्वास के उपाय के रूप में दिये जाते हैं। चाहे ये पम्प किसी को भी दिये जायें, किन्तु इस बारे में कोई निश्चित नीति अवश्य होनी चाहिए।

प्राक्कलन समिति का कहना है कि यह दुःख की बात है कि तेल की प्रति टन उत्पादन लागत गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र में अधिक है। सरकार ने कहा था तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अस्तित्व में आ जाने से हम तेल की कीमतों को बढ़ने से रोक सकेंगे और देश में विदेशी कम्पनियों के एकाधिकार को समाप्त कर सकेंगे। किन्तु इस दिशा में सरकार कुछ भी नहीं कर पाई है। यदि यही बात है, तो इस आयोग की तथा भारतीय तेल निगम की आवश्यकता ही क्या है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि इस सभा में मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है और इस समय क्षेत्र में ऐसी गैर-सरकारी कम्पनियां भी हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। अतः मंत्री महोदय को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि क्या सरकार उन्हें पनपने और अपना विस्तार करने का अवसर देगी। जहां तक उनकी क्षमता का प्रश्न है, निस्संदेह वे बहुत अच्छा कार्य कर सकती हैं।

अब कोचीन तेल शोधक कारखाने के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। कोचीन तेल शोधक कारखाने के सम्बन्ध में समझौते के अनुसार उस कारखाने को वाणिज्यिक ढंग से चलाने के हेतु

पहले दस वर्षों के लिए अशोधित तेल के प्रति बैरल 1.35 डालर का मुनाफा रखा गया है। किन्तु अन्य तेल शोधक कारखानों में यह मुनाफा कम है। मैं जानना चाहता हूं कि भिन्न-भिन्न कारखानों में इतना अन्तर होने के क्या कारण हैं। मंत्री महोदय को बताना चाहिए कि व्यवस्था में कहां पर त्रुटि है। क्या सरकार इस मामले की जांच कराने के लिए तैयार है।

पेट्रोल पम्प के मालिकों को आज भी उतना ही कमीशन मिलता है जितना उन्हें 15 वर्ष पहले मिलता था जब कि उत्पादन शुल्क बढ़ जाने तथा अन्य कई कारणों से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये हैं। पेट्रोल पम्प के मालिकों को किराया बिजली का खर्च आदि जो सुविधाएं दी जाती थीं वे बन्द कर दी गई हैं और दूसरी ओर मजूरी, वेतन और किराये के रूप में उनका खर्च बढ़ गया है। इसी कारण पिछले वर्ष कलकत्ता में हड़तालें हुई और पेट्रोल पम्प मालिकों ने मंत्री महोदय को स्मरण पत्र दिये थे। इस बारे में मंत्री महोदय ने क्या कार्यवाही की है।

अन्त में मैं सरकार की मूल्य सम्बन्धी नीति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सरकार की मूल्य सम्बन्धी नीति बड़ी विचित्र है। तालुकदार समिति में इस व्यापार में अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं लिया गया है। यही कारण है आसाम में, जहां अधिकांश अशोधित तेल का उत्पादन किया जाता है, जनता को पेट्रोलियम उत्पादों के देश में सबसे अधिक मूल्य देने पड़ते हैं। सरकार को मूल्य सम्बन्धी इस नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए।

श्री हेम बरुआ : (मंगलदाई) : पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के प्रतिवेदन को पढ़ने से ऐसा लगता है कि सरकार की तेल के बारे में कोई नीति है ही नहीं। भूतपूर्व मंत्री श्री केशव देव मालवीय अपने को एक समाजवादी कहते थे किन्तु उन्होंने तेल सम्बन्धी जो नीति बनाई है उससे देश को किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ है। अतः वर्तमान मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह देश की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसी नीति बनाएं जिससे समाजवादी भारत का निर्माण हो सके।

मैं यह मानता हूं कि तेल के क्षेत्र में प्रगति करने के लिये हमें प्रारम्भिक अवस्था में विदेशों से सहयोग लेना चाहिए। किन्तु विदेशी सहयोग के बारे में भी कोई नीति अवश्य होनी चाहिए। सरकार इस समय विभिन्न देशों के विभिन्न सहयोग कर्ताओं से भिन्न-भिन्न शर्तों का प्रस्ताव कर रही है जिसका कारण राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं। हमें अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही विदेशों से सहयोग लेना चाहिए क्योंकि यह देखा गया है कि सहयोग के साथ-साथ अन्य बातें भी देश में आ सकती हैं जो हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हो सकती हैं।

भारत के विभिन्न भागों में बड़ी मात्रा में तेल भंडार विद्यमान हैं। यदि इन भंडारों का उचित ढंग से प्रयोग किया जाये तो हम अपनी वर्तमान बिगड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था का रूप ही बदल सकते हैं। हमारे सामने कुवैत का उदाहरण है कि वह किस प्रकार तेल के कारण ही आज उन्नति पर पहुंचा है।

वर्तमान मंत्री महोदय एक विद्वान अर्थशास्त्री कहे जाते हैं। जिस समय उन्होंने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला था, तो देश में आशा की एक लहर उठी थी। किन्तु दुर्भाग्यवश उन्होंने भी पुरानी ही नीति अपनाई है। यदि हमें अपनी अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो हमें अपनी कृषि में सुधार करना पड़ेगा।

कृषि में तभी सुधार हो सकता है जब देश में उर्वरकों के उत्पादन पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जायेगा। सरकार ने इस बारे में भरसक प्रयत्न नहीं किये हैं और यही कारण है कि देश में खाद का संकट है। देश में इस समय ग्यारह कारखाने काम कर रहे हैं जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 5,26,000 टन नाइट्रोजन प्रतिवर्ष है। लेकिन हमने वर्ष 1965-66 के दौरान केवल 2,47,000 टन का उत्पादन किया। क्या इसका कारण जानने की कोशिश की गई है ?

पेट्रो-रसायन उद्योग हमारे देश का एक बुनियादी उद्योग है। विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया है कि बड़ौदा, बरौनी तथा हल्दिया की शोधनशालाओं में पेट्रो-रसायन उद्योग स्थापित किये जायें। परन्तु मंत्री महोदय ने हमें बताया कि केवल बड़ौदा और हल्दिया में पेट्रो-रसायन उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। इसके साथ ही मंत्री महोदय ने दूसरे दिन कहा कि गोहाटी में पेट्रो-रसायन उद्योग स्थापित करने के प्रश्न पर चौथी योजना अवधि में विचार किया जायेगा। क्या सरकार विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों की अवहेलना करेगी ?

गोहाटी तेल शोधक कारखाने से यह सिद्ध हो गया है कि आसाम में तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से शोधनशाला स्थापित की जा सकती है। लकुआ के क्षेत्रों में तेल संसाधनों की नई खोजों के कारण आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना स्थापित किये जाने की मांग की गई है। परन्तु उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। गोहाटी तेल शोधनशाला की अधिष्ठापित क्षमता 7.5 लाख टन से बढ़ाकर 11 अथवा 12 लाख टन करने की मांग की भी अवहेलना की जा रही है। क्या यह आसाम के प्रति उपेक्षा का द्योतक नहीं है ?

हमें बताया जाना चाहिये कि सरकार खाद का उत्पादन बढ़ाने तथा उस उत्पादन को बनाए रखने के लिये क्या उपाय करना चाहती है। यदि उचित उपाय न किये गये तो देश में 1975 तक अप्रत्याशित खाद संकट होगा।

जब गोहाटी में तेल शोधनशाला तथा ऊपरी आसाम में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के संस्थान स्थापित किये गए तो आसाम के लोगों में बड़ी आशा उत्पन्न हुई कि इन संस्थाओं से न केवल औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा अपितु स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। परन्तु यह आशा झूठी सिद्ध हुई। गोहाटी तेल शोधनशाला में 40 विभागीय प्रमुख हैं। उनमें से केवल 8 आसामी हैं और शेष सभी बाहर के हैं। तर्क यह दिया जाता है कि आसाम में प्रशिक्षित श्रमिक उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन अशिक्षित श्रमिकों की क्या स्थिति है ? गोहाटी तेल शोधनशाला में 203 अशिक्षित श्रमिकों में से केवल 101 आसाम राज्य के हैं। यह आसाम के लोगों के लिये बहुत ही अनुचित है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के संस्थानों में तो स्थिति और भी अधिक

खराब है। उनमें तो स्थानीय लोग बहुत ही कम संख्या में लिये गए हैं। यह बड़े खेद की बात है कि इन संस्थानों में नियुक्ति के बारे में सरकार की कोई नीति नहीं है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till ten minutes past Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.10 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at ten minutes past Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
70	9	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	सरकार द्वारा चलाये जा रहे पेट्रोलियम उद्योग में धन का अपव्यय।	100 रुपये
70	10	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	सरकारी क्षेत्र के कारखानों द्वारा तैयार होने वाले पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य कम करने की आवश्यकता।	100 रुपये
70	11	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	मिट्टी का तेल जनता को अत्यधिक मूल्य पर सप्लाई करना।	100 रुपये
70	12	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	मध्य प्रदेश स्थित कोयला खानों से उपलब्ध सस्ते कोयले के आधार पर कोरबा उर्वरक कारखाना स्थापित करने में विलम्ब।	100 रुपये
70	16	श्री रामावतार शास्त्री	रासायनिक खाद के लिए विदेशी निर्भरता समाप्त करने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
70	17	श्री रामावतार शास्त्री	सरकारी क्षेत्र में और अधिक रासानिक खाद के कारखाने खोलने में असफलता ।	100 रुपये
70	18	श्री रामावतार शास्त्री	रासायनिक खाद का उत्पादन बढ़ाने में असफलता ।	100 रुपये
70	19	श्री रामावतार शास्त्री	देश को रासायनिक खाद के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में असफलता ।	100 रुपये
71	20	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में होने वाला घाटा रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
71	30	श्री श्रीनिवास मिश्र	सहकारी समितियों द्वारा उत्पादों के वितरण में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपयाकर दी जाये
70	31	श्री रामावतार शास्त्री	अफसरों के वेतन में कमी करने में असफलता ।	100 रुपये
70	32	श्री रामावतार शास्त्री	प्रशासन पर हावी नौकर-शाहियत को समाप्त करने में असफलता ।	100 रुपये
70	33	श्री रामावतार शास्त्री	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सुविधाओं में वृद्धि करने में असफलता ।	100 रुपये
70	34	श्री रामावतार शास्त्री	अधिकारियों की संख्या में वृद्धि को रोकने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
71	35	श्री रामावतार शास्त्री	विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	100 रुपये
71	36	श्री रामावतार शास्त्री	विदेशी तेल कम्पनियों के मुनाफे को देश के विकास कार्यों में लगाने में असफलता।	100 रुपये
71	37	श्री रामावतार शास्त्री	पेट्रोल के बारे में देश को आत्म-निर्भर बनाने में असफलता।	100 रुपये
71	38	श्री रामावतार शास्त्री	रासायनिक खाद के बारे में देश को आत्म-निर्भर बनाने में असफलता।	100 रुपये
71	39	श्री रामावतार शास्त्री	देश को दवाइयों के मामले में आत्म-निर्भर बनाने में असफलता।	100 रुपये
71	40	श्री रामावतार शास्त्री	औषध उद्योग के तीव्र विकास की आवश्यकता।	100 रुपये
71	41	श्री रामावतार शास्त्री	औषध उद्योग में एकाधिपत्य रोकने में असफलता।	100 रुपये
71	42	श्री रामावतार शास्त्री	विदेशी तेल-कम्पनियों के मुनाफे पर रोक लगाने की आवश्यकता।	100 रुपये
71	43	श्री रामावतार शास्त्री	तेल की कीमत में वृद्धि को कम करने की आवश्यकता।	100 रुपये
71	44	श्री रामावतार शास्त्री	तेल की पर्याप्त आपूर्ति करने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
71	45	श्री रामावतार शास्त्री	समय-समय पर तेल के बाजार से गायब हो जाने को रोकने में असफलता।	100 रुपये
71	46	श्री रामावतार शास्त्री	तेल-विक्रय में की जाने वाली बेजा मुनाफाखोरी को रोकने में असफलता।	100 रुपये
71	47	श्री रामावतार शास्त्री	औषधियों की कीमतों को नियंत्रित करने में असफलता।	100 रुपये
71	48	श्री रामावतार शास्त्री	देश में औषध कारखाने खोलने में असफलता।	100 रुपये
71	49	श्री रामावतार शास्त्री	प्रामाणिक दवा उद्योग के विकास की आवश्यकता।	100 रुपये
71	50	श्री रामावतार शास्त्री	औषध उद्योग में विदेशी पूंजी का निवेश रोकने में असफलता।	100 रुपये

Shri Achal Singh (Agra): Those who criticize the Government and try to point a dark picture of its achievements should remember that only 20 years have passed since we became independent. We have so far undertaken only 3 Five Year Plans and still much progress has been made in the field of agriculture, industry and other spheres. The other developed countries such as the U.S.A., U.K. and Russia attained their present stature after hundreds of years of toil and hard work.

So far as petroleum is concerned, when we started our plans we had petroleum only in Assam and nowhere else in the country. But now we have explored oil in Cambay and Ankaleshwar also. We have set up seven refineries where we have also laid a net of pipelines to carry oil because there is much wastage in transporting it in tankers. The Hon. Minister has assured us that we shall become self-sufficient in this regard in the next two or three years. This is no mean achievement.

Apart from petroleum some other bye-products are also being produced. As yet we are not in a position to meet the kerosene oil needs of the rural population of our country and have to import a large quantity of it from Russia. But it is hoped that we shall be able to stand on our own legs in the near future even in this matter.

When we got independence we had practically no fertilisers in our country. But now we have made considerable progress in this matter, and we are producing about 8½ lakh tons of fertilisers at present. For attaining self-sufficiency in food, we must augment the production of fertilisers. It is a matter of great satisfaction that Government are fully aware of this position and are making all-out efforts to achieve the objective.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): The history of fertilisers and petroleum production in our country has been a sad tale of mismanagement, inefficiency, red-tapism, indifference and indecision. The result is that we have not yet been able to achieve self-sufficiency in these fields and have to spend a large amount of foreign exchange on their imports.

We have been able to achieve only 56 per cent of the target laid down in the Third Plan. While it has to be admitted that it is not possible to achieve the targets fully but if there is too much gap left it means that there is something seriously wrong in the way we are working.

Our refineries have great capacity but it is not being fully utilised. In 1970-71, the indigenous production of crude oil will be about 10 million tons whereas the requirements of our refineries will be in the neighbourhood of 22 million tonnes. Therefore, we shall have to import a large quantity, a thing which we can ill-afford to do. The Government should devise ways whereby we can become self-sufficient.

It is very unfortunate that the cost of production in the public sector refineries is almost double the cost of the private sector refineries. This shows that there is something wrong there and steps should be taken to rectify it.

The public sector projects are over-staffed and this is one of the most important factors which are responsible for the high cost of production there. Unless the staff is reduced, the cost cannot be brought down.

It is learnt that some American companies have sent proposals for drilling oil in our country. The survey conducted in this regard has shown that there are large deposits of oil which can not only meet the needs of the country but can also be exported. Government should not hesitate to accept the offer in the interest of the country.

There are many foreign companies in our country. They are a great drain on our economy. Government should purchase all their shares and bid them good-bye. Our countrymen have gained sufficient experience and we can now stand on our own legs.

In regard to fertilisers also we have not been able to make satisfactory progress. Fertilisers have assumed great importance for augmentation of food production. We therefore have to take steps for more and more production of fertilisers. But it is very unfortunate that Government have not paid adequate attention to this matter. The Estimates Committee had clearly stated in their report that they were convinced that if timely and concerted efforts had been made from the very beginning for promoting the use of fertilisers the country would not have to face successive shortfalls in agricultural production. The cost of production of fertilisers is also high in our country and steps should be taken to bring it down.

So far as drugs are concerned, all foreign patents should be abrogated and indigenous inventions should be encouraged. As at present the prices of drugs are high and are beyond

the reach of the commonman. Steps should be taken to provide cheap drugs to the people.

Shri Shashibhushan Bajpai (Khargone) : I congratulate the Hon. Member, who has spoken for demanding that the shares of foreign oil companies should be purchased. I would go a step further and say that they should be nationalised outright as they have already earned huge amounts of money from our country. The foreign companies enjoying patent rights of medicines should also be liquidated.

[श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए
Shri Balraj Madhok in the Chair]

These foreign companies have earned so much profits during all these years that they have already remitted a major part of their investments to their countries. In Burma and Egypt foreign companies have already been nationalised. So, it would not be wrong to demand the nationalisation of foreign companies in this country.

Recently a factory had been set up in Rishikesh for manufacture of drugs and it has started functioning now. But the private sector people do not want it to succeed. They send their agents in public undertakings in order to see that it does not succeed. Therefore, Government have to be very cautious in this regard.

In Sialkot surgical instruments are manufactured on a large scale. They are exported from there to other countries. These surgical instruments find their way into our country through our doctors returning from foreign countries. These instruments are not up to the mark and there have been several complaints of this type. This smuggling should be stopped and we should start our own factory to manufacture quality surgical instruments. One such factory had already been set up but it is not functioning properly.

It is necessary for the success of the public sector projects that their products are widely publicised by the All India Radio.

So far as fertilisers are concerned, their production should be confined to public sector projects as they are very vital for agricultural production. The reason is that we cannot rely on the private sector in regard to quality because their main objective is profiteering

There is great demand for injection needles used by doctors in the country. A public sector undertaking wanted licence for the manufacture of these needles. But it has not been granted so far. It can be a very profitable proposition and make up for the loss being sustained elsewhere. Government should see that the necessary licence is granted to this firm of Kanpur who have applied for the grant of a licence.

श्री विश्वनाथन (वंडीवाश) : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के ढांचे तथा रुतबे में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है । रूसी विशेषज्ञों के एक दल ने भी सुझाव दिया है कि इस स्वायत्तशासी निगम को इंडियन पेट्रोलियम कम्पनी के रूप में एक व्यापारिक उपक्रम में बदल दिया जाना चाहिये । यह एक अच्छा सुझाव है । यदि इस सुझाव को मान लिया जाये तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को एक व्यापारिक उपक्रम में बदल दिया जाये तो इससे कार्यकुशलता बढ़ेगी ।

जहां तक ड्रिलिंग का सम्बन्ध है, प्रतिवेदन में कहा गया है कि 'स्ट्रक्चरल ड्रिलिंग' गुजरात के एक क्षेत्र में और मद्रास के दो क्षेत्रों में किया गया। कावेरी के बेसिन तथा पूर्वी तट में पर्याप्त पेट्रोलियम मिलने की संभावना है। श्रीलंका के एक समाचार-पत्र के अनुसार कच्चाटीवू द्वीप में भी पेट्रोलियम मिलने की संभावना है। प्रधान मंत्री तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री को इस मामले में रुचि लेनी चाहिये और इस द्वीप में पेट्रोलियम मिलने की संभावनाओं का पता लगाना चाहिये। कावेरी बेसिन तथा पूर्वी तट के क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम प्राप्त होने की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिये।

प्रतिवेदन में तट के पास समुद्र में ड्रिलिंग करने का कोई उल्लेख नहीं है। एक प्रेस रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रिमंडल में इस प्रश्न पर मतभेद था कि तट के पास समुद्र में ड्रिलिंग का काम किसके सहयोग से किया जाये। इस मामले में जल्दी ही निर्णय किया जाना चाहिये। और मंत्रिमण्डल के मतभेदों के कारण देश को नुकसान नहीं होना चाहिये। यह अच्छी बात है कि उर्वरक निगम की स्थापना की गई है। हमारे देश में उर्वरकों की प्रति एकड़ खपत दुनिया में सबसे कम है। अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिये उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है।

प्राक्कलन समिति ने अपने 49वें प्रतिवेदन में कहा है कि यदि उर्वरक समय पर कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाये तो भारतीय किसान उत्पादन बढ़ाने तथा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये इनका पूरा उपयोग करने में पीछे नहीं रहेगा। किन्तु हो यह रहा है कि अमोनियम सल्फेट 2,343 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बेचा जाता है जबकि पाकिस्तान, जापान तथा ब्रिटेन में यह काफी सस्ता है। फिर कारखाने का मूल्य भिन्न है। यह अच्छी बात नहीं है। सरकार को उर्वरक का मूल्य कम करा कर इसे सारे देश में एक ही दर पर उपलब्ध कराना चाहिये। कारखानों की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिये। इससे मूल्य अन्तर काफी हद तक कम किया जा सकता है।

सारे देश में कहीं भी किसानों के लिये उर्वरकों के भाव मत बढ़ाओ। बहुत-सी राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया है परन्तु मंत्री महोदय इस ओर ध्यान नहीं दे रहे।

उर्वरक निगम में बहुत फिजूल खर्ची है। भारतीय उर्वरक निगम ने एक राज्य मध्य भारत को उर्वरक कारखाना लगाने के लिये चुना परन्तु भारत सरकार के परामर्श पर उसे पूरा नहीं किया और इस प्रकार 102.44 लाख रु० नष्ट हो गया।

मद्रास तेल शोधक कारखाने के बारे में कहा जा रहा है कि वह 1969 में आरंभ में बनकर पूरा हो जायेगा तथा मद्रास उर्वरक कारखाना जनवरी 1970 में चालू हो जायेगा। परन्तु मुझे इसके पूरा होने में संदेह है। बरौनी कारखाने के कार्य में भी एक वर्ष की देरी हुई थी। मैं प्रार्थना करता हूं कि मंत्री महोदय मद्रास तेल शोधक कारखाने तथा मद्रास उर्वरक कारखाने के कार्य को शीघ्र पूरा करावें। यदि आपने किसानों को समय पर उर्वरक नहीं दिये तो आपको विदेशों में अन्न मांगने के लिये जाना होगा।

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati): Mr. Chairman, after going through the report of the Ministry for the year, 1967-68 I came to the conclusion that we badly require fertilisers for our country. Our total production capacity of fertilisers is 20 lakh tons. Our fertilisers projects cannot meet this demand. In view of this we should increase the production of fertilisers and for this we should open more units in the public sector. It is stated that the public sector suffers from more defects. It may be correct but it does not mean that public setor should not be expanded. Its defects may be removed.

We have selected naphtha as the base for our fertilisers. It is not available even in sufficient quantity here and that is why we could not increase the production of fertilisers here. It is suggested that coal can replace naphtha and I would request the Government to examine it.

It is very necessary that we increase the production of foodgrains. For this Government should provide fertilisers, seeds and water at cheap rates to the farmers. In the villages the cow dung is being used as fuel but it can be converted into a very good fertiliser. If some fuel like coal is provided to the villagers, the cow dung can go a long way in solving the problem of fertiliser. Government should ponder over it.

Our farmers require diesel oil and kerosene oil. The former is used for agricultural use and the latter for domestic use. Both these oils are not available to the farmers. Government should make them available to agriculturists at reasonable rates. There should be no shortage of such things. Government should also give power alcohol incentive to farmers.

Shri Yogendra Sharma (Begusarai): Mr. Chairman, Sir, the 49th Report of the Estimates Committee has already laid much stress on the importance of oil and fertiliser industries. But Government has made us dependent on foreign countries even in regard to these two industries. At present we are importing crude oil, fertilisers, kerosene oil, and lubricators etc. worth Rs. 250 crores. If we continue with our present policy we will be importing them for worth Rs. 500 crores. It is surprising as the Ministry does not appear to be pursuing national interests in this regard. Instead of making us self-sufficient in these two industries, it appears that Government has made us dependent on international cartels. These cartels do not want us to be self-sufficient in regard to oil and that is why they tell us that we do not have sufficient oil reserves here. The Government should have pondered over their intentions instead of trusting their words. But Government did not do so. Now a Russian specialist has informed the Government that there are sufficient oil reserves in India and its oceans. We can get 2.5 crore ton oil from these reserves which will not only be sufficient for us but we would be able to export it. Russia has also promised to supply us Rs. 186 crores for oil exploration work. On the one hand we are spending crores of rupees on the import of oil and on the other hand we are not fully utilising the help of a friendly country in this regard. It is the height of our inefficiency.

We have the same plight in the fertiliser industry too. We have scarce resources of naphtha and coal here which can be our base for fertiliser industry. But we have to depend on other countries for amonia. There should be some improvement in this regard.

Our position in regard to oil is such that on the one hand there was fire in Ganges river in Barauni area whereas you can get one bottle of kerosene oil for Re. 1/-. The reason for this is that the Indian oil company suffers from corruption and mismanagement. Adequate steps should be taken to remove it.

The labour policy of Government is full of tyranny and suppression. If the labour demand something, they are suspended and dismissed from service. This is a wrong policy. Government should frame its policy in a manner that it may help us in the production of oil here.

The Government of Bihar has fixed the price of land but they are creating obstacles in their way. So we have come to the conclusion that they want to sabotage the public sector. The Government should clarify its position.

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : जहां तक तेल निकालने के कार्य का सम्बन्ध है, गत कुछ महीनों से स्थिति में सुधार दिखाई पड़ता है। विशेषरूप से असम में तो ऐसा दिखाई देता है कि हमारी शोधनशालाओं के लिये काफी कच्चा तेल मिल जायेगा। असम में रुद्रसागर तेल भण्डार के पश्चात् लकवा भण्डार का पता चलने से काफी संतोष दिखाई दे रहा है।

जहां तक तट से दूर ड्रिलिंग का सम्बन्ध है, सहयोग के समझौते होने की संभावना है। तेल की कम्पनियों के बारे में हमारे अनुभव के आधार पर, यह हमारे लिये आवश्यक है कि इस प्रकार के समझौते करते समय हम देश हित का ध्यान रखें। हमें ध्यान रखना चाहिये कि क्या हम ड्रिलिंग के मामले में समाजवादी देशों को भी अपने साथ मिला सकते हैं। हमें अकेले अमरीका से ही सहायता लेते रहने की बजाय यह ध्यान रखना चाहिये कि क्या हम रूस से भी अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं।

लकवा तथा रुद्रसागर के भण्डार इतने अधिक होंगे कि हमारी गोहाटी तथा बरौनी शोधनशालाओं में भी इतनी क्षमता नहीं है। इस कारण असम में एक और शोधनशाला आवश्यक हो जायेगी।

जहां तक पैट्रोलियम के भाव का सम्बन्ध है, ऐसी आशा की जाती है कि पैट्रोलियम मंत्री रायल्टी देने के बारे में इस अपने रवैये पर पुनः विचार करेंगे। असम ने रायल्टी के रूप में 7.5 रु० प्रति टन प्राप्त किया। परन्तु अवमूल्यन तथा मूल्यों में वृद्धि के कारण हमें 3 रु० प्रति टन का घाटा उठाना पड़ा। इस घाटे को पूरा करना था। हमारी तथा असम सरकार की मांग यह थी कि इसे बढ़ाकर 15 रु० प्रति टन कर दिया जाये।

यह कहा गया था कि विदेशी तेल कम्पनियां अधिक रायल्टी के लिये तैयार न हों तथा अपने समझौते से भी मुकर जायें। ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि बाहर वे और भी अधिक रायल्टी दे रही हैं और कोई कारण नहीं कि उनका रवैया यहां भिन्न हो।

असम में अधिक रायल्टी की आशा है क्योंकि हाल ही में और स्थानों पर भी ऐसा ही हुआ है। असम में कोई उद्योग नहीं है। कच्चे माल को छोड़कर बाकी चीजें बहुत मंहगी हैं। इस कारण वहां सहानुभूतिपूर्वक कोई कार्य करना जरूरी है अन्यथा लोग यह समझेंगे कि उनकी उपेक्षा की गई है। कम से कम रायल्टी के मामले में तो हमें न्याय मिलना चाहिये।

जहां तक मूल्य का सम्बन्ध है, तालुकदार समिति का निर्णय बहुत अन्यायपूर्ण है। आसाम में जहां कि तेल का उत्पादन होता है, मिट्टी के तेल का भाव गोहाटी में 250 रु० प्रति टन है

जबकि बम्बई में उसका भाव 180 रु० प्रति टन है। हमारे राज्य में तेल उत्पन्न होने का हमें कोई लाभ नहीं है। यह बहुत बेहूदा बात दिखाई देती है। यदि हमारे यहां भी वह भाव 180 रु० प्रति टन होता तो हम कुछ उद्योग निर्माण करने की बात सोच सकते थे परन्तु हमें 70 रु० अधिक देने होते हैं। मैं आशा करता हूं कि इन तथ्यों के बताने पर उन तत्वों को दबाया जायेगा जो असम की जनता से किये जाने वाले अन्याय पर ही लाभान्वित हो रहे हैं।

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : Mr. Chairman, the importance of fertilisers in this country is not properly felt. The estimates prepared by the agriculture demartment in this regard are always short of demand. For the new varieties of seeds, the fertilisers are required ten times more than they used to be in the traditional seeds. Enough attention has not been paid in this regard. Another thing to be borne in mind is that it costs much to set up fertiliser factory here and our small neighbours have not been able to do so for lack of funds. Therefore, while fixing targets for fertiliser production we should keep in mind its exports too. Thirdly the price of fertiliser produced here is highest in the world and so we should bring it down. Ultimately the fertiliser production would require more power and so we should produce enough electricity for it.

We are not paying adequate attention to the production of raw materials. There are enough deposits of rock phosphate and in Dehra Dun and those of gypsum in Himachal Pradesh. The gypsum of Bhutan is considered best in the whole world. We should make use of all these natural resources.

The fertiliser produced in the public sector are sold through the co-operative societies whereas that which is produced in the private sector are free to sell it as they like. This method should change. If this continues the private sector will leave the public sector much behind. A fixed percentage of fertilisers produce in public as well as private sector should be sold through co-operative societies and no discrimination should be made in this regard. The gas produced by petroleum is being used as a fuel in certain factories. This causes damage to the crops standing near there. This gas should be sold to the public after filling it in gas cylinders.

The oil companies in the private sector are manufacturing paraphine from the crude oil but no such thing is being done by the factories in public sector because they have not set up any lubricant unit for it. The public sector should also manufacture paraphine as it would give it much profit.

As the adulteration of foodstuffs is having adverse effect on the health of people, in the same way the adulteration in petrol and diesel oil is causing adverse effect in the machines. This is causing hardship in the industrial sector. If the price of solvents is brought at par with the petroleum, much adulteration can be prevented. In the same way kerosene oil is being mixed with diesel oil which is causing defects in pumping sets and tractors. This can be removed if the price of diesel is brought at par with the kerosene oil. Another way of preventing adulteration is that the petrol prepared in the public sector should be sold only through governmental pumps and not through private pump owners with the introduction of new type of cultivation, new type of fertiliser should be used or else all our estimates would fall short of demand. The ordinary farmers should make use of fertilisers and if it does not happen and if you do not have enough raw material, all the schemes would go wrong. Therefore you should frame a sound fertiliser policy which may not be changed for some years.

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : This Ministry is one of the most important Ministries as it deals with Petroleum and Chemicals which are essential items for the development of a nation. While dealing with the demands in respect of this Ministry, we should be careful to see whether the funds allocated to them were properly utilised. Proper attention should be paid to Himachal Pradesh which abounds in petroleum resources. Surveys in this connection should be carried out in kangra district, Bilaspur, Kullu, Lahul, Spiti and Kinnaur.

A Scheme of setting-up a Geological laboratory at Palampur in Kangra District of Himachal Pradesh has been pending for a pretty long time. It is said that the site of the proposed laboratory is now being changed. We would like to know how far this is correct and when the laboratory will come into existence.

Now I come to the performance of this Ministry. There has been a scandal of Rs. 20.03 crores in this Ministry during the last few years. I have got all relevent papers. I am speaking with a sense of full responsibility. This is a very serious matter and we would like the Hon. Minister to appoint an inquiry committee to go into the whole affair and fix responsibility. The details of the scandal are as follows.

The Haldia-Barauni oil pipe line was completed in 1965, but it was not commissioned for three years because the line was laid through coal mines and we had to suffer losses of crores of rupees on this account. The line was laid through the coal mines on the order of Shri P. R. Nayak the then director and chairman of Indian Oil Company Limited, although the advice of the Technical Inspector was against this. Under the agreement, Rs. 2 crores were paid to the Buchtels, only as inspection charges. Even then the pipe line was leaking for 20 Kilometres and the Government had to suffer a loss of Rs. 1 crore on this account because of the wrong terms of the contract. Now the colliery owners have sued the Government for Rs. 5.65 crores and the case is pending in the court. All this was done by the company without the approval of the Minister.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

Besides this loss the Government has to suffer a loss of Rs. 15 lakhs every month for transporting this oil by road. This pipe line has rendered useless 10 crore tonnes of coal worth Rs. 300 crores.

Since the line could not be used for three years, they suffered a loss of Rs. 4.80 crores by way of depreciation on machinery, Rs. 7.20 crores on extra transport charges, Rs. 2.78 crores as interest on the investment and Rs. 1.12 crores on establishment. This came to Rs.16.42 crores.

The Indian oil company sold oil worth Rs. 40 lakhs during the year 1962-63. But till today it is not known where that oil or the sale proceeds have gone.

The Indian Refineries Ltd. gave the contract for the work on the Barauni Refinery to a Calcutta firm Buldozer and other machinery involving Rs. 17 lakhs of foreign exchange were purchased by the Indian Refineries at their own cost and it was agreed that after its use the machinery would be transferred to the contracting firm. The whole affair was scandalous.

Previously, the Hindustan Antibiotics Ltd. used to call for tenders for supply of phials for filling penicillin. However, from 1966-67, the system of tenders was stopped and after negotiations, the T. G. Glass Industries were given this contract. The result was that the Hindustan Antibiotics suffered a loss of Rs. 54 lakhs during the last two years by paying a higher than the market rate for phials.

Shri P. R. Nayak, the Chairman of the Indian oil company wrote to the Finance Minister that the company would pay income tax due to the Buchtels. He thought that the Tax would be Rs. 4 or 5 lakhs, but on assessment it comes to 1.6 crores.

All these matters for involving a total of Rs. 20.03 crores should be thoroughly proved and officers responsible for these scandals should be punished.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : Sir, I beg to move :

"that this House agrees with the Twenty eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 17th April 1968".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अट्ठाइसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में 17 अप्रैल 1968 को पेश किया गया था, सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

योजना आयोग के पुनर्गठन के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE : REORGANISATION OF PLANNING COMMISSION

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री जेवियर द्वारा 5 अप्रैल, 1968 को पेश किये गए निम्न संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे :

"कि इस सभा की राय है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग का पुनर्गठन किया जाये।"

श्री जेवियर अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री जेवियर (तिरुनेलवेल्लि) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। जो योजना बनाई गई हैं उन पर जनता का भाग्य आधारित है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार के सारे ढांचे पर इस प्रकार विचार किया है कि कार्य कुशलता में बढ़ोत्तरी हो तो खर्च में भी कमी हो। ऐसी सिफारिशों को स्वीकार करना चाहिये। अभी समाचार-पत्रों में यह समाचार

आया है कि प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उसमें उस सुझाव को अस्वीकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि योजना आयोग में कुछ विशेषज्ञों को शामिल कर दिया जाये। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग का अपमान हुआ।

एक सुझाव जो प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया है वह यह है कि केन्द्र द्वारा राज्यों को बराबर के अनुदान देने की प्रणाली को समाप्त किया जाये। साथ ही यह भी कहा गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों को योजना आयोग से सम्बद्ध कर दिया जाये। योजना आयोग के कर्मचारियों की संख्या कम करने को भी कहा है। इस समय योजना आयोग में 446 राजपत्रित अधिकारी, 990 गैर-राजपत्रित कर्मचारी तथा 308 अन्य कर्मचारी हैं। चालू वर्ष का बजट भी 1.59 करोड़ रु० है। श्री हनुमन्तैया के अनुसार, जो कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी हैं, योजना आयोग के आधे कर्मचारियों से आयोग का कार्य चल सकता है।

योजना बनाने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया है कि योजना आयोग को राष्ट्रीय विकास परिषद से परामर्श लेना चाहिये। योजना के प्रयोगात्मक प्रारूप तैयार करने चाहिये तथा विकल्प का सुझाव भी देना चाहिये।

जहां तक केन्द्र द्वारा राज्यों की योजनाओं के लिये राशि देने की बात है, प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया है कि केन्द्र को सर्वप्रथम राज्यों को दी जाने वाली राशि का निर्णय कर लेना चाहिये। यह भी देखना चाहिये कि ऐसी स्थिति में क्या करना है जहां राज्य सरकार ने अपने पास से निर्धारित राशि से अधिक व्यय कर दिया है।

मेरा संकल्प सरकार के विरुद्ध नहीं है। यह सारे देश के हित में है। आप यदि मेरी बात मानने को तैयार नहीं हैं तो प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव ही मान लें।

सर्वप्रथम तो मैं यह कहूंगा कि योजना आयोग एक ऊपरी मंत्रिमंडल बन गया है जो अपने कार्य के लिये न तो मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी है और न ही संसद अथवा जनता के प्रति उत्तरदायी है। वास्तव में यह मंत्रिमंडल पर भी नियन्त्रण रखता है। अनुदान आदि देने में मंत्रियों के पास इतने अधिकार नहीं हैं और उन्हें योजना आयोग पर निर्भर रहना पड़ता है।

योजना आयोग में कुछ अव्यवहारिक दृष्टिकोण के लोग हैं। उन्हें वास्तविक स्थिति का पता ही नहीं। यही कारण था कि 20,000 करोड़ रु० व्यय करके भी हमारी तीन पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो सकीं। ऐसी स्थिति में योजना आयोग की क्या आवश्यकता है?

अभी तीन दिन पूर्व हैदराबाद में डा० सुशीला नायर ने कहा कि आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हमने विदेशियों के पास गिरवी रखा हुआ है। इसलिये इनकी सारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं। सरकारी क्षेत्र के इस्पात के कारखानों में जैसे रूरकेला, भिलाई आदि में बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है। इस कारण इन्हें बहुत पहले ही योजनाओं का पुनरीक्षण करना चाहिये

था तथा योजना आयोग को समाप्त करना चाहिये था। परिवार नियोजन योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, ब्लाक विकास योजना आदि ऐसी हैं कि उनका कोई लाभ नहीं।

योजना आयोग ने बेरोजगारी की समस्या की ओर न कभी आंख उठाकर देखा और न ही इस बारे में उसने कोई चिन्ता की। इस आयोग के दोषपूर्ण आयोजन के कारण घाटे की अर्थव्यवस्था, अवमूल्यन, मुद्रास्फीति तथा मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि हुई है। उचित यही है कि इस आयोग को समाप्त कर दिया जाये क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहां मंत्रिमंडल है और हर विभाग में कानूनी, वित्तीय, आर्थिक तथा शिक्षा सलाहकार आदि हैं। इसलिए एक ऐसे पृथक निकाय की जो गैर-जिम्मेदार है और जो न तो मंत्रिमंडल के प्रति और न ही संसद् के प्रति उत्तरदायी है, कोई आवश्यकता नहीं है। यदि सरकार योजना आयोग को समाप्त करने के लिये तैयार नहीं है, तो उसे कम से कम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को तो क्रियान्वित करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि इस सभा की राय है कि योजना आयोग का प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनर्गठन किया जाये।"

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) **:** Sir, I was surprised to hear the proposition of the sponsor of the Resolution when he said : the planning commission should be scrapped. We know that there are certain parties or people in the country who are opposed to the planning commission because they do not want the country to develop in a planned way. They have vested interests and that is why they plead for the scrapping of the planning commission. In a poor country like India, where lots of things are to be done and where all these things cannot be attended together, it is absolutely necessary to fix priorities so that more important things could be attended to earlier. Planning commission is, therefore, necessary to fix priorities.

Formulation of plans in a systematic manner is the main function of the planning commission. It has to fix priorities for five years, look into the resources position and make allotment accordingly and then evaluate the performance. All these things cannot be done efficiently by the administrative machinery, only a planning body can do it. Therefore, our criticism should be constructive and not destructive. If we find or have found certain shortcomings in the Planning Commission, we can very well say that these should be removed and the recommendations of the Administrative Reforms Commission should be accepted and implemented. But it is not good to ask for its being scrapped.

Some Hon. Members are under this wrong impression that public undertakings have been suffering heavy losses. But the factual position in this regard is there are more than 20 undertakings in the public sector which have been earning profits and they have declared dividents. There are 13 undertakings which are running on profits but these have not declared dividents, some undertakings are in no-profit no-loss position. There are cases also where these undertakings are running on losses.

It is an admitted fact that the Administrative Reforms Commission is a very important body and the Government have to give a thorough consideration to their reports and recommedations. But it is not fair on our part to press the Government for their early acceptance without giving them due time for their consideration. So far as the recommendations regarding reorganisation of the planning commission are concerned, the Report of A. R. C. is before the Government and they are considering which of their recommendations can be accepted. It can only be done after a thorough consideration and not in a hurry. Sometimes there are certain practical difficulties before the Government and they have to see that acceptance of certain recommendations do not increase these difficulties further. It is true that there should be less of executive work with the planning commission, and the expenditure on the planning commission can also be reduced, as the A. R. C. have recommended. The Government will certainly consider these things.

Shri Sri Chand Goel (Chandigarh) : The recommendations made by the Administrative Reforms Commission, under the chairmanship of Shri Hanumanthaiya, who was previously the chairman of the Panjab Administrative Reforms Commission also, in regard to the Planning Commission are important and valuable and deserve to be commented. Although the past record of our Government in regard to acceptance and implementation of important recommendations of such commissions has not been so commendable, they generally used to brush aside these recommendations, it is hoped that they would give a thorough consideration to the report and implement these recommendations.

The A. R. C. have recommended that the Planning Commission can work as efficiently as it is doing now even if its strength is reduced by half. The Commission have further suggested that since the commission is a body of experts, steps should be taken to see that experts of different subjects are appointed there. Therefore, experts of various subjects in our Universities should be invited to serve on the Planning commission.

The policy of the centre to allocate funds for implementation of the state plans in proportion to the resources to be raised by the states is not good. Therefore the present system of giving matching grants to the States needs revision. The recommendation of the A. R. C. in this connection of allotting total amounts of each of the states considering their potentialities is worth accepting.

Similarly another important recommendation of the Commission which should be accepted is for greater control of Parliament over the planning commission and their work. The Report of the Evaluation Committee should be placed before Parliament and State Legislatures, as the case may be, after every six months so that achievement made in the fulfilment of targets could be assessed properly and policy in regards to further programmes laid down accordingly. The planning commission Should be a co-ordinating body of experts with a programme of guiding and helping the states and the centre to promote the economic activities in the country.

Today the planning commission is not being considered useful for the country why ? Because our priorities in the planning have been wrong. Planning is necessary for the prosperity of the country. It is necessary to pay more attention to agriculture, unemployment, quick-yielding schemes etc. Priorities should be fixed not only at the central level but also at the State level.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : (सम्बलपुर) : प्रस्तुत संकल्प में दो महत्वपूर्ण सिद्धान्त निहित हैं, पहला यह कि जब इस उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की सिफारिश और सरकार की राय के बीच मतभेद है, तो क्या किया जाना चाहिए। दूसरा योजना आयोग का कृत्य तथा जिम्मेदारी के बारे में। हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह है कि क्या योजना आयोग को केवल एक विशेषज्ञ निकाय होना चाहिए जैसा कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाया है अथवा उसे एक किस्म का उपरि मंत्रि-मंडल का स्थान प्राप्त होना चाहिए जो राज्य स्तर तथा केन्द्रीय स्तर पर मंत्रिमंडल के निर्णयों के ऊपर अपना निर्णय दे सके, मैं समझता हूं इन दोनों चरम दृष्टिकोणों में से किसी को भी स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इस मांग में औचित्य है कि योजना आयोग को बहुत भारी जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए और यह आयोग योजना के असली विशेषज्ञों का निकाय होना चाहिए।

यह समस्या दस वर्ष पहले उस समय सामने आई थी जब प्राक्कलन समिति इस मामले पर विचार कर रही थी, उस समय उक्त समिति ने इसी प्रकार की सिफारिश की थी कि योजना आयोग के पास कार्यपालिका सम्बन्धी इतने अधिक कार्य नहीं होने चाहिए। लेकिन उसके पास एक सलाहकार समिति होनी चाहिए और केन्द्रीय मन्त्रियों का इस आयोग से ज्यादा सम्बन्ध नहीं रहना चाहिए। लेकिन सरकार को ये सिफारिशें पूरी तरह मान्य नहीं थीं और न ही उसने उन्हें पूरी तरह स्वीकार किया।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने गत वर्ष एक अन्तरिम प्रतिवेदन दिया था जिसमें 14 बातें कही गई थीं। इस महत्वपूर्ण सिफारिश के अलावा, जहां तक अन्य सिफारिशों का सम्बन्ध है, सरकार को अधिकतर सिफारिशें मान लेनी चाहिए उसमें कठिनाई नहीं है। लेकिन जहां तक योजना आयोग के पुनर्गठन का प्रश्न है सरकार को उस पर गहन विचार करना जरूरी है कि क्या प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश तथा प्राक्कलन समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार तथा योजना आयोग के बीच सम्बन्धों की वर्तमान व्यवस्था में कुछ हद तक संशोधन किया जा सकता है।

योजना आयोग की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि सरकार को निष्पक्ष सलाह दे सके। प्रशासनिक सुधार आयोग का कहना है कि प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री का इस निकाय का अध्यक्ष अथवा सदस्य बने बिना इससे घनिष्ट सम्बन्ध रहना चाहिए, मैं नहीं समझता इससे कोई खास अन्तर पड़ेगा। प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री देश के प्रति जिम्मेदार तो हैं ही, अतः मेरी राय में, उन्हें योजना आयोग का सदस्य भी बना रहना चाहिए और उसके कामों के लिए इस सभा तथा देश के प्रति उत्तरदायी भी होना चाहिए।

किसी भी उच्च शक्ति प्राप्त समिति अथवा आयोग तथा सरकार के बीच किसी बात पर मतभेद होने की स्थिति में सरकार उस आयोग अथवा समिति की सिफारिशों को ठुकरा सकती है, क्योंकि इस सभा तथा देश के प्रति आखिरी जिम्मेदारी तो प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री तथा मंत्रि-मंडल की होती है।

श्री कण्डप्पन (मैटूर) : योजना आयोग की स्थापना के बाद देश में क्या हुआ है ? योजना आयोग गठित करने का उद्देश्य काफी सराहनीय है । उसकी स्थापना देश के आर्थिक विकास के लिए की गई है । किन्तु उसके गठन के बाद उसके अनुभव से सरकार फायदा नहीं उठा सकी है । उसमें ऐसे सुधार तथा परिवर्तन नहीं किये गये जिससे देश में योजना की प्रशंसा होती और वह उस उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होता जिसके लिये उसकी स्थापना की गई थी ।

पिछली तीन पंच वर्षीय योजनाओं में हमने क्या देखा ? आखिर, योजना का मतलब है किसी समस्या के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, लेकिन हमारी योजनाओं में इस दृष्टिकोण का अभाव रहा है और इसीलिये हम देश की आर्थिक नीतियों को सही मोड़ नहीं दे सके हैं । योजना आयोग ने कृषि, उद्योग तथा पेट्रो-रसायन क्षेत्र में जो लक्ष्य निर्धारित किये थे उनकी पूर्ति नहीं हो सकी है क्योंकि देश में योजना को क्रियान्वित करने के लिये कोई अन्तिम प्राधिकरण नहीं है ; केन्द्रीय सरकार तक नहीं है और जो है, तो वे राज्य हैं । सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में छोड़कर केन्द्र का काम केवल इतना ही है कि वह योजना तैयार करती है और उसे क्रियान्विति के लिये राज्य को सौंप देती है । वास्तव में होता क्या है, जिन लोगों ने इन योजनाओं को क्रियान्वित करना होता है उनका इनके बनाने में कोई हाथ ही नहीं रहता और बनाने वालों को राज्य विशेष की परिस्थितियों का सही-सही ज्ञान नहीं होता । इस रवैये का परिणाम यह हुआ कि इस प्रकार की जो योजना बनाई जाती रही उसका सम्बन्ध उस जनता से कुछ भी नहीं था जिसे उसको क्रियान्वित करना है और यही रवैया हमारे देश में योजना की असफलता का एक बड़ा कारण रहा है ।

प्रशासनिक सुधार आयोग की एक सिफारिश यह है कि राज्य स्तर पर योजना विभाग बनाए जाने चाहिए । योजनाएं राज्य स्तरों पर बनायी जानी चाहिए और तब उन्हें योजना आयोग के पास अन्तिम स्वीकृति के लिये भेजा जाना चाहिए लेकिन प्राथमिकताओं के बारे में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार राज्यों को दिया जाना चाहिए । तभी जनता के नजरों में हमारी योजना प्रशंसा की हकदार बनेगी । इससे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आयगा जिसकी खास आवश्यकता है, अन्यथा हम अपनी योजना में कभी सफल नहीं हो सकते ।

जहां तक योजना आयोग के पुनर्गठन का सम्बन्ध है, प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस दिशा में जो सिफारिश की है उसे एक सलाहकार निकाय के रूप में रहना चाहिए जिसमें विशेषज्ञ हों और उसे कार्यपालिका सम्बन्धी कोई कृत्य नहीं सौंपे जाने चाहिए, उसे उन अधिकारों तथा शक्तियों से जो उसे इतने वर्षों से प्राप्त हैं, पूर्णतः वंचित करना व्यावहारिक रूप में कठिन है । फिर भी इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिये क्योंकि इस आयोग का एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में रहना ही देश के लिये अच्छा होगा ।

योजना आयोग विषम स्थिति में है । उसे संविधिक (कानूनी) अधिकार प्राप्त नहीं है । हम नहीं जानते वह कहां से शक्ति प्राप्त करता है । वह किसी के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है—यहां

तक कि मंत्रिमंडल और इस सभा के प्रति भी उत्तरदायी नहीं है। फिर भी वह नीतियां निर्धारित करता है, हमारे आर्थिक क्रियाकलापों को अन्तिम रूप देता है और हमारे आर्थिक जीवन के सभी पहलुओं को निर्धारित करता है। इसकी स्थिति वास्तव में बड़ी अजीब है। इस पर किसी का नियंत्रण होना जरूरी है। उसे शक्तियां संसद् अथवा संविधान से प्राप्त करनी चाहिए। इस आयोग के ढांचे में परिवर्तन करना नितान्त आवश्यक है ताकि वह अनावश्यक संस्था न बने अथवा मंत्रिमंडल या राज्यों के निर्णयों के ऊपर अपना फैसला देने वाला निकाय बन कर न रहने पाये। इस आयोग को समन्वय करने वाले निकाय का रूप दिया जाना चाहिए जिसका काम देश की राष्ट्रीय गतिविधियों को बढ़ाने के लिये राज्यों तथा केन्द्र का मार्गदर्शन तथा सहायता करना होना चाहिए।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : योजना आयोग तथा उसकी कार्य-प्रणाली के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उससे ताज्जुब होता है। यह अच्छी बात है। योजना आयोग के पुनर्गठन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं उन पर सरकार विचार कर रही है और कुछ सिफारिशों को उसने मान भी लिया है। लेकिन प्र० सु० आ० ने योजना के बारे में एक विचित्र दृष्टिकोण प्रदर्शित किया है, सिफारिश में कहा गया है कि चूंकि देश में मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था है इसलिये योजना आयोग के कामों में गैर-सरकारी क्षेत्र के लोगों का सहयोग प्राप्त करने को कहा गया है। आगे कहा गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को इस कार्य में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिये। यह बात योजना तथा योजना आयोग के सिद्धांत एवं उद्देश्य के प्रतिकूल है। यह दृष्टिकोण दोषपूर्ण हैं।

दूसरी बात, यह कहा गया है कि वरिष्ठ पदों के लिये चयन सरकारी तथा गैर-सरकारी उपक्रमों से किया जाना चाहिए। यह एक ऐसी सिफारिश है जिसका शायद देश, सरकार तथा यह सभा भी विरोध करेगी।

अन्त में यह कहा गया है कि वाणिज्यिक तथा औद्योगिक क्षेत्र से लोगों का चयन करने के काम में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग फेडरेशन के अध्यक्ष को शामिल कर लेना चाहिये। यह एक बड़ी अजीब सिफारिश है और कतई तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि यह तो पूंजीपतियों की संस्था है और वह अपनी योजनाएं स्वयं बनाती है और यह संस्था हमेशा योजना आयोग की निन्दा करती है। श्री गाडगिल को योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त करके सरकार ने योजना आयोग के उन दोषों को जिनका उसे सामना करना पड़ा है, दूर करने तथा योजना आयोग का पुनर्गठन करने की दिशा में सही कदम उठाया है; पद संभालने के बाद भी गाडगिल ने स्वयं कहा है कि योजना को नया मोड़ देना बहुत आवश्यक है और योजना का विकास नीचे से किया जाना चाहिए। इसलिये श्री गाडगिल को उसका उपाध्यक्ष नियुक्त करके सरकार ने योजना आयोग को एक कुशल निकाय बनाने की प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया है।

गैर-सरकारी क्षेत्र को पिछले बीस वर्षों में विकास करने का सबसे अधिक अवसर दिया गया है। गैर-सरकारी क्षेत्र में वर्ष 1965 तथा 1966 के लिये 400 उद्योगों में उत्पादन तथा उत्पादन क्षमता का उपयोग के सम्बन्ध में किये गये विश्लेषण से पता लगा है कि 133 उद्योगों में उत्पादन गिर गया है। 1965 में कृषि मशीनरी में केवल 10 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ है और वर्ष 1966 में लगभग 76 प्रतिशत क्षमता बेकार पड़ी रही। गैर-सरकारी क्षेत्र ने अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता का उपयोग नहीं किया है। इसलिये सरकारी क्षेत्र को गैर-सरकारी क्षेत्र से सम्बद्ध करना भारी भूल होगी और विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी और योजना का सिद्धान्त समाप्त हो जायेगा।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : प्रशासनिक सुधार आयोग की सबसे महत्त्वपूर्ण सिफारिश यह है कि प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री का योजना आयोग के साथ निकट तथा घनिष्ठ सम्बन्ध रहना चाहिए लेकिन उसके अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नहीं। उसकी दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि योजना आयोग एक विशेषज्ञ निकाय होना चाहिए और उसे कार्यपालिका की कोई शक्ति नहीं दी जानी चाहिए। संविधान में योजना आयोग को कार्यपालिका की कोई शक्तियां नहीं दी गई हैं। योजना आयोग तो सरकार को सलाह देने वाला केवल एक निकाय है, न कि वह काम करने वाली एक संस्था जो मंत्रालयों में किया जाता है। दुहरे काम पर बर्बाद करने के लिये हमारे पास धन नहीं है।

प्रशासनिक सुधार आयोग की तीसरी सिफारिश यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधियों को योजना से सम्बद्ध किया जाना चाहिए। यह सिफारिश वाजिब है। समझ में नहीं आता कि इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। सरकार के प्रत्येक मंत्रालय का गैर-सरकारी क्षेत्र से सम्बन्ध रहता है। हमारा देश रूस तो नहीं है जहां गैर-सरकारी क्षेत्र को पनपने ही नहीं दिया जाता। यदि गैर-सरकारी क्षेत्र को योजना से सम्बद्ध कर लिया जाये, तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती।

ये सिफारिशें सरल तथा युक्तिसंगत हैं। वास्तव में प्रधान मंत्री तथा मंत्रिमंडल योजना आयोग की बातों अथवा सलाह पर निष्पक्षरूप से तभी विचार कर सकते हैं जबकि वह उसका अध्यक्ष न हों और इसी स्थिति में योजना आयोग भी सही और स्पष्ट सलाह दे सकेगा। अतः सरकार को इन सिफारिशों को मान लेना चाहिये।

श्री गणेश (अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) : प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। परन्तु मेरी राय यह है कि प्रशासन सुधार आयोग की कुछ सिफारिशें हमारे देश में विद्यमान योजना पर कुठाराघात करती हैं। हमने योजना पद्धति को एक सुदृढ़ अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करने के लिये अपनाया था। हमारे जैसे विस्तृत और जटिलता प्रधान देश में सुदृढ़ अर्थ-व्यवस्था तभी बन सकती है जब हमारे देश में गरीबी और आर्थिक विषमता दूर हो। यह तभी सम्भव है जबकि सरकारी क्षेत्र प्रभावशाली ढंग से काम करे, क्योंकि सरकार ही देश के सम्पूर्ण संसाधनों का विदोहन करके सामाजिक और

आर्थिक परिवर्तन ला सकती है, देश में सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से योजना की संकल्पना को साकार करके एक योजना आयोग स्थापित किया गया था। जब तक देश में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं आता तब तक योजना की आवश्यकता बनी रहेगी। अतः हमारा विचार यह है कि यदि योजना का विकेन्द्रीकरण किया गया और इसकी जिम्मेदारी विभिन्न राज्यों में विभक्त कर दी गई तो योजना का उद्देश्य पूरा न हो सकेगा। और अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ होने की बजाय छिन्न-भिन्न हो जायेगी।

मैं यह तो दावा नहीं करता कि योजनाओं के माध्यम से गत 15 वर्ष में देश की सब सामाजिक-आर्थिक समस्याएं सुलझ गई हैं, परन्तु इतना अवश्य कह सकता हूं कि इससे देश में एक आर्थिक नींव की स्थापना हो गई है। प्रशासन सुधार आयोग ने योजना आयोग के बारे में संकुचित दृष्टिकोण से विचार-विमर्श करके गलती की है। इसने योजना आयोग तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के सार्थक सहयोग की जो बात कही है वह बहुत ही खतरनाक बात है और ऐसे सहयोग को पनपने का अवसर न देना चाहिए। मेरे विचार से प्रशासन सुधार आयोग को योजना आयोग के बजाय सम्पूर्ण प्रशासन तंत्र के पुनर्गठन पर विचार करना चाहिये, जो आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि जिस प्रकार की योजना देश में अपनाई जा रही हैं, मैं उसका समर्थक हूं। जो लोग योजना के पक्ष में नहीं हैं, वे प्रशासन सुधार आयोग के प्रतिवेदन का अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

[**श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए**
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

संकल्प के प्रस्तावक का यह विचार है कि योजना और योजना आयोग दोनों को ही समाप्त कर दिया जाये। प्रशासन सुधार आयोग के प्रतिवेदन से इस विचार को समर्थन प्राप्त होता है। परन्तु क्या यह प्रतिवेदन एक दम पवित्र है या उसे सम्बद्ध विषय के सम्बन्ध में सब कुछ मान लिया जाये। सरकार या संसद् को इस प्रतिवेदन को इस दृष्टि से नहीं आंकना चाहिये। आज योजना अधर में है या कहिये कि योजना का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। हमारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आखिर क्यों ऐसा हुआ ? कहीं पर गलती हुई है और वह भी छोटी-बड़ी नहीं, कोई आधारभूत गलती हुई है।

योजना आयोग तो व्यर्थ में ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है। योजना आयोग है क्या ? योजना आयोग तो सरकार की नीतियों को क्रियान्वित कराने वाली एक संस्था है। योजना आयोग पर दोषारोपण करने के बजाय हमें सरकार की नीतियों का पुनर्विलोकन करना चाहिए। यह ठीक हो सकता है कि योजना आयोग में राजनीति से दूर रहने वाले विशेषज्ञ हों, परन्तु उनके हाथ तो सरकार की नीतियों से बंधे होते हैं। सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के

कारण ही सामाजिक परिवर्तन होने के स्थान पर एकाधिकारों की स्थापना हो गई है। कांग्रेस दल और केन्द्रीय सरकार मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की जितनी बातें करती हैं, उतना कार्य नहीं करतीं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात चली थी और जो अब राष्ट्रीयकरण से घटकर केवल सामाजिक नियंत्रण रह गया है। जिसकी संकल्पना ही हास्यास्पद है। इसी प्रकार की बातों से एक बड़ा आर्थिक संकट सामने आ गया है।

हमारा यह विचार है कि योजना के विषय पर पुनर्विचार होना चाहिये। समाजवाद की बात की गई और पूंजीवाद का निर्माण किया गया। एक बात कही गई और दूसरी बात क्रियान्वित की गई। फिर लोग सरकार और उसकी योजना में विश्वास कैसे करते ? अब लोगों का सरकार और उसकी योजना से विश्वास उठ गया है। योजना के विकेन्द्रीयकरण की बात तो सरकार ने की, परन्तु बहुत देर से। कई राज्य सरकारों ने अपने-पृथक पृथक योजना आयोग बनाने की मांग की थी जो सरकार ने ठुकरा दी थी। अब भी राज्यों को योजना के मामले में वास्तविक प्रेरणा नहीं दी गई हैं। योजना और योजना आयोग के बारे में पुनर्विचार होना चाहिये परन्तु प्रशासन सुधार आयोग द्वारा सुझायें गये ढंग से नहीं बल्कि एक नये ढंग से जिसका जिक्र मैं किसी अन्य अवसर पर करूंगा।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर) : मैं इस बहस में भाग तो नहीं लेना चाहता था परन्तु मैं इस आरोप का खण्डन करना चाहता हूं कि हमने योजना के रूप को बिगाड़ दिया है। आयोग का सम्बन्ध नीति सम्बन्धी मामलों से नहीं होता। नीतियां और योजना आयोग तो विद्यमान है जैसा भी सरकार ने उन्हें बनाया है। इन नीतियों को लागू करने के लिए एक प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता होती है और गठन सम्बन्धी उपबन्ध तैयार करने होते हैं। आयोग ने इसी सम्बन्ध में विचार किया है। आयोग का काम विचार धारा निर्धारित करने का नहीं होता। आयोग को तो उस विचार-धारा के अनुरूप कार्य करना है जो आयोग को नियुक्त करने वाली सरकार की होती है। सरकार की विचार-धारा मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की नीति पर आधारित है। सरकार की नीति यह है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र साथ-साथ काम करें। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए प्रशासन सुधार आयोग ने योजना के बारे में अपनी सिफारिशें की हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]
[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

आयोग का काम यही था, सरकार की नीति बदलने का नहीं। सरकार की उपरोक्त नीति का अनुसरण करते हुए हमने प्रशासनिक ढांचे के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं। सुझाव देते समय हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि वे संघात्मक संविधान के अनुरूप हों, और वे संघात्मक ढांचे में ठीक बैठ सकें।

श्री शिवचन्द्रिका प्रसाद (जमशेदपुर) : धन की बर्बादी को बचाने, उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम और समुचित लाभ उठाने, बेरोजगारी की समस्या हल करने और सामाजिक दायित्व

पूर्ण करने के लिए देश में योजना की विद्यमानता आवश्यक हो गई है। ये उद्देश्य परामर्श, दिग्दर्शन तथा निरीक्षण के माध्यम से प्राप्त किये जायें, नियंत्रण के द्वारा नहीं। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है। लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात् योजना आयोग को उद्योगपतियों को बुलाना चाहिये और जो भी उद्योगपति जिस परियोजना को पूर्ण करना चाहिये, वह परियोजना पर आने वाली कुल लागत का 5 प्रतिशत प्रत्याभूति के रूप में जमा करके उस परियोजना पर काम शुरू कर दे। इस प्रकार जो परियोजनाएं शेष रहें उन्हें सरकार पूर्ण करे। साथ ही मेरा यह सुझाव है कि सरकारी परियोजना का काम ऐसे अधिकारी को सौंपा जाये, जो परियोजना को पूर्ण करने की गारंटी दे और पूर्ण न कर सकने पर दण्ड स्वीकार करने को तैयार हो। काम पूरा होने पर अधिकारी को पुरस्कृत भी किया जाये। यदि अधिकारी सामाजिक दायित्वों को समझता है और उसे उचित प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसे अवश्य ही सफलता मिलेगी।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani): I am opposed to the peculiar approach of mind to planning which the Administrative Reforms Commission has exhibited. It is true that it should be an expert body. It should become an ideology oriented body in the long range. But it is not enough that the planning commission should be a body of experts only. The planning commission conceived of by the architect of planning in India was an instrument of socio-economic change. The recommendations of the A.R.C. in regard to reorganisation of the Planning Commission are rather a capitalist conspiracy to put an end to our socialisation programme. The planning commission requires its reorganisation but not on the lines suggested by the A.R.C. Today there is no planning in the country, our national economy has been disrupted and it is not functioning because of some objective forces which have emerged in the country as a result of our wrong planning and policy to give maximum opportunity to the private sector to grow. We are gradually giving up or going away from socialist aims which are necessary to bring about socio-economic change or transformation of society. The strategy of our planning should be framed to scuttle and smash capitalism and then it should not be allowed to raise its ugly head. Any hesitation or indecision in this regard will provoke inevitable catestrophe. We should be bold enough to get rid of timidity in the execution of our socialisation programme because socialism is not an economic policy for the timid.

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur): Undoubtedly some of the recommendations of the Administrative Reforms Commissions are important and deserve due consideration. The Report has been prepared after due deliberations by the A.R.C. However, it does not mean that we have to accept it blindly. Only those recommendations which are really good can be accepted.

The A.R.C. has recommended that the private sector people should be associated with the planning commission's deliberations. This is a peculiar proposition. The private sector tries to scuttle the public sector projects. In fact they are out to sabotage the public sector. Even in the planning commission there are people who do not want the public sector to function and prosper, they are really welwishers of the private sector.

The planning commission has a very responsibility and they need a certain scientific approach to give shape to the economic and fiscal policies of the country. It is, therefore, necessary that there should be experts in different fields in the planning commission. A

member of the commission should continue at least for ten years. Today we have an urban-oriented planning and due attention is not paid to backward and hilly areas. Therefore, there should be a cell in the planning commission for looking after the development of backward and hilly areas or there should be a member in the planning commission belonging to the hilly areas.

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों तक ही अपने आपको सीमित रखूंगा। एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि योजना आयोग का सभापति प्रधान मंत्री न रहे। इसकी पुष्टि में आयोग ने लिखा है कि योजना आयोग तो परामर्शदातृ संस्था होनी चाहिये, कार्यपालिका के समान उसे अधिकार नहीं होने चाहिये अन्यथा वह समानान्तर मंत्रिमण्डल बन जाता है, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जबकि प्रधान मंत्री उसका सभापति हो और अन्य मंत्री उसके सदस्य हों। संविधान के अनुसार कोई भी दूसरी संस्था ऐसी नहीं होनी चाहिये जो मंत्रिमण्डल के समकक्ष या उससे भी बड़ी समझी जाये या वास्तव में बन जाये, क्योंकि मंत्रिमण्डल तो सभा के प्रति उत्तरदायी होता है जबकि योजना आयोग नहीं। लोकतंत्र में मंत्रिमण्डल की शक्तियों को अन्य संस्था नहीं हड़प सकती। आयोग का दूसरा मुख्य सुझाव यह है कि वित्त मंत्री मंत्रियों को, जिनमें वित्त मंत्री भी सम्मलित हैं, आयोग की सदस्यता से दूर रखा जाये। ऐसा होना स्वाभाविक है कि मंत्रीगण अपने-अपने राज्यों का योजना बनाते समय आवश्यकता से अधिक पक्ष लें। इससे दूसरे राज्यों को हानि हो सकती है। परन्तु आयोग ने यह सुझाव भी दिया है कि प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री योजना आयोग के काम से घनिष्ट सम्बन्ध बनाये रखें। बैठक की कार्यवाही का सारांश उन्हें भेजा जाये और उन्हें बैठकों में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जाये। आयोग से दूर रहकर प्रधान मंत्री भी योजना पर निष्पक्षता से विचार कर सकता है। दूसरे यदि प्रधान मंत्री को किसी आयोग का सभापति बना दिया जाता है तो वह केवल परामर्शदातृ संस्था नहीं रहता। यद्यपि मैं आयोग की सभी सिफारिशों से सहमत नहीं हूं फिर भी उसकी मुख्य सिफारिशों से देश का हित होगा।

श्री पिल्लू मोडी (गोधरा) : वाद विवाद के दौरान कई सदस्यों ने जब यह कहा कि स्वतन्त्र दल आयोजना के खिलाफ है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। परन्तु किसी ने भी उद्धरण आदि देकर यह सिद्ध नहीं किया कि स्वतन्त्र दल योजना के विरुद्ध है। आज विश्व आयोजना का विरोध कर भी कैसे सकता है। आयोजना वर्तमान युग में सभ्यता का अंग बन गई है और इस प्रकार विश्व में जो कुछ भी हो रहा है वह आयोजना के परिणामस्वरूप ही हो रहा है। जहां तक योजना आयोग का सम्बन्ध है, श्री नायर ने ठीक ही कहा है कि स्वतन्त्र दल योजना आयोग के विरुद्ध है। स्वतन्त्र दल योजना आयोग के वर्तमान गठन के खिलाफ है। परन्तु आयोजना और योजना आयोग दो भिन्न वस्तुएं और उन्हें एक नहीं समझना चाहिए। पिछली तीन पंचवर्षीय योजना में हमें कितनी सफलता मिली। रोजगार सम्बन्धी आकड़ों को तो लीजिए। पहली दो योजनाओं के बाद 90 लाख लोग बेरोजगार रहे जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद बेरोजगार लोगों की संख्या 150 से 200 लाख हो जायेगी। मैं तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूं

कि चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई जा रही है क्योंकि ऐसी योजनाएं न बनाने से ही मंदी दूर होगी। श्री हनुमन्तैया ने तो यह प्रयास किया है कि जो एक विशेष आयोग सरकार द्वारा नियुक्त कर दिया गया है, उसकी कार्य पद्धति को सुधारा जाये उसके गठन में परिवर्तन किया जाये जिससे वह कार्यकुशल बन जाये। मेरे विचार से उसके सुझावों को स्वीकार करना देश के हित में होगा।

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो अब पुरानी पड़ चुकी हैं। योजना आयोग का पुनर्गठन किया जा चुका है और अब उसके पुनर्गठन के प्रश्न को उठाना उचित नहीं है। इस समय हम उस प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं जो आयोग ने 14 मार्च को मुझे दिया था। यह एक बहुत बड़ा प्रतिवेदन है जिसका अध्ययन अभी किया जा रहा है। फिर भी सरकार ने जो निर्णय अभी तक किए हैं, उनको मैं आपके सामने रखूंगी। प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों को योजना आयोग द्वारा अस्वीकृत किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। आयोग उन पर गम्भीरता से विचार कर रहा है और उसने अनेक सिफारिशों को जैसे का तैसा तथा कुछ में सुधार करके मान लिया है। कुछ सिफारिशों पर केन्द्रीय मंत्रालयों या राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

सरकार तथा योजना आयोग प्रशासन सुधार आयोग के इस विचार से सहमत हैं कि पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय योजना आयोग को दीर्घावधि विकास तथा अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजना आयोग में पर्सपेक्टिव प्लानिंग डिवीजन है। सरकार इस बात से भी सहमत है कि योजना में सूखे जैसी प्राकृतिक विपदाओं के लिये भी गुंजाइश होनी चाहिए। सरकार यह बात भी मानती है कि विदेशी सहायता पर देश की निर्भरता को समाप्त किया जाये। प्रशासन सुधार आयोग ने योजना तैयार करने की एक लम्बी प्रक्रिया का सुझाव दिया है जैसे, कार्यकारी दलों, विभिन्न परामर्शदातृ समितियों और विकास परिषदों की सेवाओं का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जाना। सरकार का विचार है कि इस मामले में योजना आयोग को छूट होनी चाहिए कि जिससे वह परामर्श लेना चाहे, उससे परामर्श ले ले। कुछ सदस्यों ने यह शिकायत की है कि राज्यों के लिये योजनाएं तैयार करते समय राज्यों से परामर्श नहीं किया जाता। यह बात सच नहीं है। जो भी योजनाएं तैयार की जाती हैं वे राज्य सरकारों की सलाह से तैयार की जाती हैं। वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय भी राज्यों से व्यक्तिगत रूप से परामर्श लिया जाता है। मुख्य मंत्री स्तर पर भी इस सम्बन्ध में विचार किया जाता है। राज्यों को योजना हेतु सहायता की बात पर राष्ट्रीय विकास परिषद में विचार किया जाता है जिसमें सब राज्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जहां तक योजना आयोग से कार्यकारी कृत्यों को करने की शक्ति छीनने का प्रश्न है, ऐसा कुछ हद तक किया गया है। परन्तु साथ ही इसे शक्तिविहीन करके हम इसकी महत्ता और इसकी कार्य-क्षमता को समाप्त नहीं करना चाहते, क्योंकि देश की अर्थ-व्यवस्था सुधारने में इसका बड़ा योगदान रहा है। जहां तक योजना आयोग का आकार छोटा करने की बात है, इस दिशा में कार्यवाही की जा रही है और उसके परिणामस्वरूप अभी तक 11 लाख रुपये की बचत की गई है। सरकार इस

आशय का निर्णय पहले ही कर चुकी है कि योजना आयोग को प्रतिवर्ष एक प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन तैयार करना होगा, जो संसद के सामने प्रस्तुत किया जायेगा। प्रशासन सुधार आयोग ने राज्यों में योजना क्रियान्वित करने वाली मशीनरी के बारे में भी कुछ सुझाव दिये हैं। इस ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया जा रहा है।

योजना आयोग को समानान्तर मंत्रिमंडल या उच्च मंत्रिमंडल बताना गलत है। योजना आयोग का काम देश में उपलब्ध संसाधनों को देखना और यह निर्धारित करना है कि उनका सदुपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। संसाधनों के मूल्यांकन और योजना में कोई संघर्ष नहीं है। चूंकि यह संस्था सरकार के साथ-साथ काम करती है और दोनों का घनिष्ट सम्बन्ध होता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका सभापतित्व स्वीकार किया था। वर्तमान योजना आयोग से मैं और श्री मोरारजी देसाई, जो वित्त मंत्री हैं, सम्बद्ध हैं। जो योजना तैयार की जाती है उसे योजना आयोग मंत्रिमंडल को भेजता है और वहां प्रत्येक मंत्री को उस पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। इसके पश्चात् मंत्रिमण्डल उस सम्बन्ध में निर्णय करती है।

आदर्श योजना आयोग अर्थात् ऐसी योजना आयोग जिससे सब संतुष्ट हों, कभी भी तैयार नहीं की जा सकती, क्योंकि विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों की प्रस्तावित योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों की दृष्टि से थोड़ी बहुत काट-छांट तो करनी ही पड़ती है। जिसकी योजना में कटौती की जाती है वही नाराज हो जाता है। कुछ भी हो योजना आयोग को तो पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर काम करना होता है। हमारी योजना सफल रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हम गत दो वर्षों के संकट को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। आज विश्व के सभी देशों के सामने आर्थिक संकट है न केवल भारत के सामने ही और इस स्थिति का प्रभाव भी देश की अर्थ-व्यवस्था पर पड़ता है। वर्तमान परिस्थितियों में डरने से काम नहीं चलेगा। हमें निडर होकर साहस के साथ काम करना है तथा देश से ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति साहस, सूझ बूझ और एकता के आधार पर काम करे। यह कहना भी गलत है कि हमारी नीति विफल रही है। यदि देश का दौरा किया जाए तो आपको देश के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन नजर आयेगा। यह परिवर्तन आगे बढ़ता जा रहा है और यह हमारी ठीक नीति का ही परिणाम है। अन्त में, प्रस्तावक महोदय से मेरा यह निवेदन है कि वह प्रस्ताव पर मतदान के लिए जोर न दें। क्योंकि इस विषय पर वाद-विवाद का उनका उद्देश्य पूरा हो गया है।

श्री जेवियर : (तिरुनलवेल्लि) : मुझे माननीय प्रधानमंत्री तथा श्री नायर ने गलत समझा है। मैं आयोजना के खिलाफ नहीं हूं। हम स्वतन्त्र दल वाले गलत आयोजना के विरुद्ध हैं। हम प्रशासन सुधार आयोग की इस बात को भी मानते हैं कि योजना दीर्घावधि के लिए होनी चाहिए। योजना पर सभा में विचार किया जाना चाहिए और प्रत्येक दो वर्ष बाद सभा को योजना की क्रियान्विति का पुनर्विलोकन करना चाहिए। मैं वर्तमान योजना आयोग के पक्ष में नहीं हूं। स्वतंत्र दल उसका पुनर्गठन चाहता है और मैं व्यक्तिगत रूप से उसे समाप्त देखना चाहता हूं, क्योंकि उसके

द्वारा तैयार की गई गलत योजना के कारण ही आज देश के सामने बेरोजगारी, मन्दी, मुद्रास्फीति, मंहगाई जैसी समस्याएं पैदा हो गई हैं और लोग कष्ट झेल रहे हैं ।

यह संकल्प उचित समय पर लाया गया है । सभा में इसे लाने का मेरा उद्देश्य यह है कि प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार योजना आयोग का पुनर्गठन कर दिया जाए, जिससे पुरानी गलतियां न दोहरायी जायें । हम पहले ही 20,000 करोड़ रुपए तीन पंचवर्षीय योजनाओं पर बर्बाद कर चुके हैं । मेरे विचार से चौथी योजना पर 23,000 करोड़ रुपये बर्बाद न किये जायें ।

यह कहना भी गलत है कि हम सदैव भारत की दीनावस्था का चित्र खीचते हैं और इससे विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा गिरती है । यदि आप गांव वालों की ओर देखेंगे तो पता चलेगा कि उनकी क्या दशा है । उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता । उन्हें कपड़े और आवास की सुविधाएं नहीं उपलब्ध होतीं । वहां रोजगार के अवसरों का अभाव है । सरकार का ऐसे लोगों की ओर ध्यान दिलाने को भारत की गलत तस्वीर खींचना नहीं कहा जा सकता । योजना के बारे में भिन्न-भिन्न मत हैं । बीच का रास्ता यही है कि वर्तमान योजना आयोग का पुनर्गठन किया जाये । साथ ही मेरा यह निवेदन है कि मैं अपने संकल्प को वापस नहीं लेना चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"इस सभा की राय है कि प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग का पुनर्गठन किया जाए ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को राजनयिक मान्यता प्रदान करने के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: DIPLOMATIC RECOGNITION OF GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता पूर्वोत्तर): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

"इस सभा की राय है कि भारत सरकार जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को तुरन्त पूर्ण राजनयिक मान्यता प्रदान करे ।"

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगले अवसर पर शुरू करें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 22 अप्रैल, 1968/ 2 वैशाख, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 22, 1968/Vaisakha 2, 1890 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 6-11-68—600.